खण्ड–26, अंक–09
गुरुवार, 01 श्रावण, शक संवत्, 1931
(23 जुलाई, 2009 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2009)

(खण्ड 26 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

ूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–59
दिनांक 15 जुलाई, 1996 के सोमवती अमावस्या के पर्व पर हरिद्वार में हुई दुर्घटना की जांच हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेकृष्ण अग्रवाल जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखा)	59–60
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएँ	60
जनपद हरिद्वार में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति ट्रेजरी से न निकलवाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	60
उत्तराखण्ड में यूनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	60–61
जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	61
उत्तराखण्ड राज्य में विशिष्ट बी०टी०सी० में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 900 रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि–विजयनगर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद पौढ़ी गढ़वाल के नायब तहसीलदार कार्यालय थैलीसैंण में दिनांक 02 अप्रैल, 2009 को दर्ज चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–681303 पर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–3400 के अन्तर्गत सूचना	62–63
प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के लिए विभिन्न समूह बीमा योजनाओं पर धन व्यय होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	63
विपक्ष के सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रकरण उठाये जाने का प्रयास	63–64
हरिद्वार जाँच आयोग की रिपोर्ट (2004) को सदन के पटल पर रखे जाने की माँग	64–65
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग	65–77

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं.......................(अस्वीकृत)............. 77–93

वित्तीय वर्ष, 2009–2010 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा एवं मतदान.. 94

अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान (स्वीकृत)................... 94–101

अनुदान संख्या–28, पशुपालन (स्वीकृत).. 101–138

अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास (स्वीकृत)...................................... 138–151

अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति..... 152–176

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएँ.. 176–177

जनपद हरिद्वार के ग्राम–सुल्तानपुर, तहसील–लक्सर के किसानों के सरकारी नलकूप एल0जी0–1 द्वारा फसलों की सही ढंग से सिंचाई न होने के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य.. 177

उत्तराखण्ड के राजकीय विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पदों पर बी0एड0 की भांति रिक्त पदों पर बी0लिब0 डिग्रीधारी छात्र/छात्राओं को अभी तक नियुक्ति न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य... 177–178

नत्थियाँ.. 179–210

उपस्थिति
'क'

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डेय
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. सुश्री कैरन मेयर
9. श्री किशोर उपाध्याय
10. श्री केदार सिंह रावत
11. श्री केदार सिंह फोनिया
12. श्री खजान दास
13. श्री खड़क सिंह बोहरा
14. श्री गगन सिंह
15. श्री गणेश जोशी
16. श्री गोपाल सिंह
17. श्री गोपाल सिंह रावत
18. श्री गोविन्द लाल
19. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21. श्री चन्दन राम दास
22. श्री जोगा राम टम्टा
23. श्री जोत सिंह गुनसोला
24. हाजी तस्लीम अहमद
25. श्री तिलक राज बेहड़
26. श्री दिनेश अग्रवाल
27. श्री दिवान सिंह
28. श्री नारायण पाल
29. काजी मौ0 निजामुद्दीन
30. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31. श्री प्रकाश पन्त
32. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33. श्री प्रीतम सिंह
34. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35. श्री प्रेमानन्द महाजन
36. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37. श्री बलबीर सिंह नेगी
38. श्री बिशन सिंह चुफाल
39. श्री बंशीधर भगत
40. श्री बृज मोहन कोटवाल
41. श्री शेर सिंह
42. श्री मदन कौशिक
43. श्री मनोज तिवारी
44. श्री मयूख सिंह
45. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"
46. श्री मातबर सिंह कण्डारी
47. श्री यशपाल आर्य
48. श्री यशपाल बेनाम
49. चौ0 यशवीर सिंह
50. श्री रणजीत रावत
51. श्री राजकुमार
52. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
54. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
55. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
56. श्रीमती बीना महराना
57. श्री शहजाद
58. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
59. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
60. श्री सुरेन्द्र राकेश
61. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
62. श्री सुरेश चन्द जैन
63. डा0 हरक सिंह रावत
64. श्री हरभजन सिंह चीमा
65. श्री हरिदास
66. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

*1. श्री गणेश जोशी–चतुर्थ गुरुवार के लिए स्थगित।

जनपद देहरादून व हरिद्वार में कमर्शियल व घरेलू गैस की आपूर्ति का विवरण

*2. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून एवं हरिद्वार जनपद में कमर्शियल गैस सिलेण्डर की विगत छः महीनों में प्रत्येक पखवाड़े की आपूर्ति का विवरण क्या है ?

क्या यह सत्य है कि हरिद्वार एवं देहरादून में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाईयों में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग हो रहा है ?

यदि हाँ, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये हैं तथा विगत छः माह में कितने प्रतिष्ठानों/इकाईयों को दण्डित किया गया है ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में विगत छः माहों में व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों की प्रत्येक पखवाड़े की आपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार है।

माह	प्रथम पखवाड़ा		द्वितीय पखवाड़ा	
	हरिद्वार	देहरादून	हरिद्वार	देहरादून
जनवरी, 09	4000	5001	4719	3720
फरवरी, 09	3932	6311	4719	4289
मार्च, 09	4500	5008	3601	4860
अप्रैल, 09	3000	4437	4468	4333
मई, 09	3620	5433	5003	3538
जून, 09	5000	5406	5566	3860
योग	24052	31596	28076	24600

घरेलू गैस के व्यवसायिक उपयोग को रोकने हेतु समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाईयों में घरेलू गैस के उपयोग को रोकने हेतु आकस्मिक छापे की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। दोनों जनपदों में विगत छः माह में 176 छापे मार कर 562 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर 09 प्राथमिकी दर्ज करते हुये 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। धनराशि रुपये 532400.00 (रू0 पाँच लाख बत्तीस हजार चार सौ मात्र) अर्थदण्ड वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनपद देहरादून और हरिद्वार में कमर्शियल गैस के कितने कनेक्शन हैं, प्रत्येक कनेक्शन में कितने समय के अन्तराल के बाद, कितने सिलेण्डर एक पखवाड़े में दिये जाने का मामला है और क्या माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि देहरादून में कितने व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं ढाबे हैं, जिनमें गैस का उपयोग किया जाता है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, कमर्शियल गैस की जो पूर्ति है, वह आपूर्ति मांग के हिसाब से होती है और पठन के बाद कनेक्शन की बात जो आपने रखी कि कितने कनेक्शन हैं तो उसके सम्बन्ध में मैं आपको जानकारी अभी उपलब्ध करा रहा हूँ और जो आपूर्ति कितने दिन के अन्दर है.................

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, पहले, कितने गैस कनेक्शन हैं, वह बता दें ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कनेक्शन की संख्या मैं आपको बता दूंगा। आप दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरे सारे मामले इसी से जुड़े हुए हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, संख्या मैं आपको अवगत करा दूंगा। कोई और जानकारी जानना चाहते हों तो बतायें। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को इस प्रश्न का जवाब देने का पूरा अधिकार है, चाहे कोई मंत्री सदन में हो या न हो परन्तु माननीय खाद्य मंत्री, अधिकतर जब भी प्रश्नकाल होता है, वे सदन में नहीं आते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न है, यह बात सही है कि इसमें कमर्शियल गैस के कनैक्शनों की जानकारी आनी चाहिए थी। लेकिन जो अनुपूरक प्रश्न है इसमें जानकारी आ नहीं पा रही है और यदि आज आप उचित समझें तो इसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा और कोई जानकारी मांगना चाहते हों तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। कमर्शियल गैस कनैक्शन कितने हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो जानकारी अभी तक हमें उपलब्ध हो पायी है, उसके आधार पर 4529 घरेलू गैस के सिलेंडरों का उपयोग कमर्शियल गैस के रूप में करने के मामले प्रकाश में आये हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि वर्तमान में कमर्शियल गैस कनैक्शनों की संख्या कितनी है ? यदि सरकार के पास जवाब नहीं है तो प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। जब पूरी सूचना हो तब बताया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न स्थगित किया जाता है।

प्रदेश में बासमती चावल का उत्पादन, निर्यात एवं जिलेवार खरीददारी

*3. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश द्वारा गत वर्ष बासमती चावल का कुल कितना निर्यात किया गया है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस वर्ष प्रदेश में बासमती चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ एवं कुल कितनी खरीदारी किस–2 जिले में कितनी–2 की गयी है ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

निदेशालय, उत्तराखण्ड, कृषि उत्पादन मंडी परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश से गत वर्ष 2007–08 में कुल 56451 कुंटल बासमती चावल का निर्यात किया गया है।

वर्ष 2008–09 में प्रदेश में बासमती चावल का कुल उत्पादन 70680.50 कुंटल हुआ है। प्रदेश में इस वर्ष जनपद नैनीताल में 763 कुंटल एवं जनपद हरिद्वार में 6119 कुंटल कुल 6882 कुंटल बासमती चावल की खरीद हुई है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने आर्गेनिक बासमती एक्सपोर्ट जोन बनाया था?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, स्पेसिफिक प्रश्न पूछें। यदि माननीय सदस्य तकनीकी के आधार पर पूछेंगे तो जानकारी देना संभव नहीं होगा और जहाँ तक निर्यात का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में उत्तर दिया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा अनुपूरक प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

आप स्पेसिफिक प्रश्न करें। यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

आपके नजरिये से सम्बन्धित होगा, परन्तु मेरे नजरिये से प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो बासमती चावल का निर्यात हुआ है, उसमें जैविक बासमती का कितना निर्यात हुआ ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो हमारी कुल बासमती यहाँ से निर्यात की गयी है, उसमें जैविक और सामान्य बासमती का उल्लेख नहीं है। (व्यवधान) मान्यवर, जनपद नैनीताल में कुल 763 कुंटल हुआ है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम जैविक बासमती के बारे में जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय मंत्री जी आपको बता रहे हैं, जब सम्बन्धित ही नहीं है तो कैसे बतायें, बासमती का माननीय मंत्री जी बता रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस वर्ष बासमती चावल जनपद नैनीताल में 763 कुंटल एवं जनपद हरिद्वार में 6119 कुंटल निर्यात हुआ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह जवाब तो हमने देख लिया है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि राज्य बनने से पूर्व देहरादून का जो बासमती जोन था, उसमें कितनी बासमती होती थी और राज्य बनने के बाद कितना बासमती जोन रह गया है, राज्य बनने के बाद कितने हैक्टेयर भूमि में बासमती का उत्पादन हो रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह बहुत विस्तृत प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कृषि से सम्बन्धित है, खाद्य से सम्बन्धित नहीं है। (व्यवधान) माननीय कृषि मंत्री जी, आप बता दीजिए। (व्यवधान) अब आप चाहेंगे कि एक मंत्री सारे विभागों से उत्तर दें, तो पूरे प्रदेश की जानकारी देना तो संभव नहीं है। (व्यवधान)

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। वर्तमान में जैविक बासमती 7000 हैक्टेयर भूमि पर हो रही है और राज्य निर्माण के समय यह मात्र 2000 हैक्टेयर भूमि पर था।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने देहरादून के बासमती चावल के बारे में पूछा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी बजट है, उसमें विस्तृत चर्चा आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, वैसे बाध्यता नहीं है लेकिन माननीय सदस्य यदि देहरादून के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं तो बता दीजिए। आपके पास जानकारी है तो उपलब्ध करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यद्यपि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी मैं बता देना चाह रहा हूँ कि देहरादून की जो ओरिजिनल बासमती, जिसे माजरा की बासमती कहते थे, वास्तव में यह तो समाप्त हुई है लेकिन आज विकास नगर ब्लॉक में, सहसपुर ब्लॉक में और डोईवाला के अन्य क्षेत्रों में जैविक बासमती का क्षेत्र बढ़ा है। इसी तरह से ऊधमसिंह नगर में भी जैविक बासमती का क्षेत्र बढ़ा है और हरिद्वार में भी कुछ किसान जैविक बासमती की खेती कर रहे हैं। कुल मिला कर हमारे माध्यम से 7000 हैक्टेयर भूमि पर बासमती का उत्पादन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, उसकी वैराईटी का जिक्र तो कर दें।

श्री अध्यक्ष–

आज खाद्य का बजट आएगा तो आप उसमें पूछ लीजिएगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ, जैसा उन्होंने कहा कि देहरादून का बासमती जोन तो खत्म हो गया...............

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश जी, चावल के निर्यात की बात हो रही है, आप कृषि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका उत्तर देना संभव नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा अनुपूरक पूछ रहा हूँ। जो देहरादून की बासमती खत्म हो गयी है, क्या उसी क्वालिटी का, जैसा कि आपने बताया कि जैविक बासमती का उत्पादन अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। क्या उसकी और देहरादून की बासमती की क्वालिटी समान है ?

श्री अध्यक्ष–

जब कृषि का बजट आएगा तो आप उसमें इस बात को मालूम कर लीजिएगा। चर्चा करवा लीजिए उसमें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, आपने उत्तर में लिखा है, जनपद नैनीताल से 763 कुन्टल और हरिद्वार से 6882 कुन्टल बासमती निर्यात हुई। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर से कितनी बासमती निर्यात हुई ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया। माननीय मंत्री जी, फिर बता दीजिए।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, इसमें ऊधमसिंह नगर का जिक्र नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

रुद्रपुर तो है। रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में ही है, मेरे ख्याल से, बाहर तो नहीं है कहीं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2007–08 में रुद्रपुर में 41797 कुन्टल, मण्डी समिति, गदरपुर में 13654 कुन्टल, कुल 55451 कुन्टल चावल निर्यातकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य से निर्यात किया गया।

प्रदेश में धान की खरीद में विसंगतियाँ

*4. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में चालू वर्ष में धान की फसल खरीद का लक्ष्य प्रदेश में धान की पैदावार से अधिक रखा गया है ?

यदि हाँ, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार विसंगति करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी नहीं।

वर्ष 2008–09 में प्रदेश में धान की कुल पैदावार 5,35,835 मी0टन रही है। राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद का लक्ष्य 50,000 मी0 टन निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2008–09 में प्रदेश में धान की पैदावार के सापेक्ष मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान खरीद का लक्ष्य केवल 50,000 मी0टन निर्धारित किया गया है। अतः लक्ष्य निर्धारण में कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा कितना धान स्टेट पूल में खरीदा गया और (व्यवधान) कितने चावल की सेन्ट्रल पूल में खरीददारी की गई ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ सत्र 2008–09 में कुल 10,225.300 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। लेवी योजना में 2008–09 में 30 जून, 2009 तक 3,42,204.50 मीट्रिक टन चावल की खरीद की गई। इसी तरह से उत्तराखण्ड राज्य में मूल्य समर्थन योजना और लेवी योजना में, खरीफ सत्र में वर्ष 2008–09 में, 30 जून, 2009 तक जो कुल खरीद की गई, वह 10,225.300 मीट्रिक टन स्टेट पूल में और 1,82,794.50 मीट्रिक टन तथा एफ0सी0आई0 के केन्द्रीय पूल में 1,79,410 मीट्रिक टन है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि इतना–इतना चावल खरीदा गया और विसंगति नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब स्टेट पूल द्वारा 340 मीट्रिक टन और सेन्ट्रल पूल द्वारा लगभग इतना ही धान खरीदा गया है। धान में से चावल की उपज लगभग 67 प्रतिशत होती है उत्तर में बताया गया है कि कोई विसंगति नहीं की गई है, लेवी योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत चावल सरकार को दिया जाता है और 40 प्रतिशत चावल मार्केट में बेचा जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि जितनी उपज आपने दी है, जो आपने इसमें दिया है कि इतना टारगेट रखा गया था और जितना खरीदा गया, वह सारा का सारा सरकार को दे दिया गया है तो 40 प्रतिशत वह चावल कहां गया है, जिसे मार्केट में जाना चाहिये था।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 50 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसके सापेक्ष जो हमने खरीददारी की,

वह निश्चित रूप से अधिक की और इस बार पैदावार पर्याप्त मात्रा में हुई है। तो ऐसी किसी विसंगति का सामना नहीं करना पड़ा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, लेवी स्कीम के अन्तर्गत जो नियम है कि 60 प्रतिशत सरकार खरीदेगी और 40 प्रतिशत मार्केट में जायेगा। मेरा प्रश्न यह है कि जितनी उपज हमने पैदा की, वह सारी तो हमने सरकार को दे दी है, मार्केट में 40 प्रतिशत चावल जो लेवी स्कीम के अन्तर्गत जाना चाहिये, वह चावल कहां गया है ? उसमें ही तो कालाबाजारी हुई है, मैं यह जानना चाह रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चावल भी पर्याप्त मात्रा में खरीदा गया है, धान भी पर्याप्त मात्रा में खरीदा गया है ....

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जो लेवी स्कीम के अन्तर्गत मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार कितना खरीदती है और मार्केट में कितना जाता है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो चावल की बात आप कर रहे हैं, 2008–09 में 30 जून, 2009 तक 3 लाख 42 हजार 204.50 मीट्रिक टन लेवी चावल खरीदा गया। जिसमें श्रीमन्, केन्द्रीय पूल को 1 लाख 79 हजार 410 मीट्रिक टन केन्द्रीय पूल को, भारतीय खाद्य निगम को दिया गया।

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी द्वारा अपने जवाब में बताया गया कि 3 लाख 42 हजार टन चावल केन्द्रीय व स्टेट पूल से खरीदा गया और कुल धान 5 लाख 35 हजार मीट्रिक टन खरीदा गया। 67 प्रतिशत चावल की रिकवरी इस धान में से आती है, जो साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन बैठती है। जो हमारा यह विसंगति का प्रश्न बना, वो इसलिए बना कि साढ़े तीन लाख कुन्टल प्रदेश में बना, उसके सापेक्ष में आपने 3 लाख 42 हजार टन खरीद लिया। जो लेवी स्कीम हमारी कहती है, वो कहती है कि 60 प्रतिशत चावल स्टेट गवर्नमेंट या केन्द्रीय पूलों में खरीदा जायेगा और 40 प्रतिशत चावल ओपन मार्केट में बेचा जायेगा। अब प्रश्न यह उठ रहा है, जब आपने तीन लाख पचास हजार टन चावल बनाया मिलों ने और आपने उसमें से 3 लाख 42 हजार टन खरीद लिया तो ये माना जाये कि ओपन मार्केट में कुल 8 हजार मीट्रिक टन चावल गया, जो कि आपके रूल के, जो लेवी स्कीम है, उसके खिलाफ है। बात ये है कि जो ये चावल ओपन मार्केट में सस्ता उपभोक्ता को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और सारा का सारा चावल सरकार ने मिलीभगत से खरीद लिया। इसलिए यह विसंगति का प्रश्न बना है, हम इस पर आपका स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ये बात भी आप अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दें कि आप कह रहे हैं कि वो सरकार ने खरीद लिया तो सरकार ने कोई ब्लैक मार्केटिंग में तो बेचा नहीं, सरकार ने खरीदा तो योजना के तहत ही खरीदा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, 60 प्रतिशत खरीदना था, आपने सौ का सौ परसेंट क्यों खरीद लिया, विसंगति ये आयी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो सरकार के माध्यम से खरीदा गया, उसमें जैसा कि आपने मेरे मूल प्रश्न में था कि 5 लाख 35 हजार 835 मीट्रिक टन यहां धान का उत्पादन हुआ और राईस मिलों द्वारा जो धान खरीदा गया, उसमें से 75 प्रतिशत लेवी चावल राज्य पूल में व केन्द्रीय पूल में 342 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया, ये स्पष्ट हो गया अब चूँकि ये श्रीमन्, जब सरकार ने खरीदा है तो कोई ऐसी विसंगति पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता (व्यवधान) उसके बाद जो मार्केट में ओपन है, वो मार्केट में बेचा जायेगा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने सारा उत्पादन खरीद लिया 75 परसेंट आपने कहा कि लेवी स्कीम में खरीदा जाता है (व्यवधान) तो ओपन मार्केट में जो उपभोक्ता को मिलना था, वो कहाँ गया ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो धान का समर्थन मूल्य निर्धारित हुआ था, वो इतना अच्छे समर्थन मूल्य थे, जिससे कास्तकारों ने सीधे हमारे यहां आ करके बेचा, अब जब हमारे यहां आ करके बेचा तो हम उनको मना कर दें कि तुम हमारे यहाँ बेचने के लिए मत आओ?

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, 75 प्रतिशत से ज्यादा चावल सरकार नहीं खरीदती। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो लिमिट निर्धारित की गयी थी, वो 60 हजार मीट्रिक टन थी, ये आंकड़ा साफ–साफ स्पष्ट ये कह रहा है कि 5 लाख 35 हजार 835 मीट्रिक टन हमने खरीदा और ये निश्चित रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार ने अपने समर्थन मूल्य को इतना उत्कृष्ट घोषित किया जिसके आधार पर उसको ....(व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार्य रूप से यह स्वीकार किया कि इसका 25 परसेंट खरीदा गया, जबकि लेवी स्कीम के हिसाब से 40 परसेंट ओपन मार्केट में जाना चाहिए था तो एडमिटेड रूप से लेवी स्कीम का उल्लंघन हुआ है, क्या लेवी स्कीम के उल्लंघन के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं और क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी, लेवी स्कीम के उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, जो कुल 75 प्रतिशत जो खरीददारी की गयी सरकार के माध्यम से जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था, उसके माध्यम से खरीददारी की गयी, 25 प्रतिशत जो शेष चावल था वह खुले बाजार में बेचा गया, खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बेचा गया, इसमें क्या दिक्कत हो रही है श्रीमन्। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मूल प्रश्न किया था, यदि कोई विसंगति उत्पन्न हो रही हो, तो सरकार ने कहा कि कोई विसंगति उत्पन्न नहीं हो रही है। अभी चर्चा में आया कि विसंगति उत्पन्न हो रही है। विसंगति उत्पन्न करने वाली जो लेवी स्कीम है उसको बढ़ाने का कार्य भी सरकार का है। जब उन्होंने निर्धारित किया है कि 60 परसेन्ट सरकार लेगी और 40 परसेन्ट ओपन मार्केट में जायेगा, जिन अधिकारियों ने यह विसंगति की है उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, विसंगति जब कोई हुई नहीं है तो कार्यवाही कैसे हो जायेगी। श्रीमन्, मूल्य समर्थन योजना के तहत मूल्य निर्धारित किया गया है उस मूल्य के तहत बाजार से धान क्रय किया गया। उसके आधार पर सरकार ने धान क्रय किया हमारा कोटा 50 हजार मीट्रिक टन का था, उसके बाद भी हमने अधिक खरीदा। हमने ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए तो नहीं खरीदा।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

मान्यवर, जो धान है उसका जितना चावल बना उतना आपने खरीद लिया और जो 25 परसेंट शेयर है, वह कहाँ ओपन मार्केट में आया। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इस पर कोटा निर्धारित करे। उसको देखे और उसकी जाँच कराये।

श्री प्रकाश पन्त--

मान्यवर, कहीं कोई ऐसी विसंगति परिलक्षित नहीं हो रही है तो किस बात की जाँच करायें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने की चेष्टा कर रही है, जो कतई कार्य नहीं करना चाहते हैं और इस तरह की विसंगति उत्पन्न कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न लगाने का औचित्य ही क्या है जब सही उत्तर ही नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने इसका उत्तर तो दे दिया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप सवाल पूछ लीजिए। आप क्या चाह रहे हैं, मैंने आपके सारे सवालों का उत्तर तो दे दिया। दबाव तो बनाया नहीं जा सकता कि जबरदस्ती जाँच बिठाओ, जाँच किस बात की बैठायें जब कोई विसंगति है नहीं तो।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, विसंगति उत्पन्न हुई है तो कार्यवाही भी होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने गलत उत्तर भिजवाया है। (व्यवधान)

पर्वतीय क्षेत्र में घोड़े व खच्चरों को बीमारी से बचाने हेतु उपाय

*5. श्री प्रीतम सिंह–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में घोड़ों व खच्चरों में बीमारी फैलने से कई जानवरों की मौत हो गई है व कई बीमार हो गये हैं?

क्या सरकार द्वारा घोड़े एवं खच्चरों को बीमारी से बचाने हेतु कोई कारगर उपाये किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि, पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

जी हाँ।

जी हाँ।

दिनांक 08 मई, 2009 को जनपद रुद्रप्रयाग के गौरीकुण्ड क्षेत्र में अश्व प्रजाति के पशुओं में बीमारी की सूचना प्राप्त होने पर उसी दिन पशुचिकित्सकों का दल आवश्यक दवाओं एवं सामग्री आदि के साथ प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गये तथा पशुओं की चिकित्सा का कार्य प्रारम्भ किया गया।

रोग निदान प्रयोगशाला पशुलोक राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र हिसार, हरियाणा एवं पन्तनगर विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक टीम द्वारा पशुओं की जाँच उपरान्त पशुओं में इक्वाइन इन्फ्लूएन्जा बीमारी की पुष्टि की गई।

दिनांक 15.05.2009 को अधिसूचना जारी करते हुए राज्य में समस्त अश्व वंशीय पशुओं के अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्राज्यीय आवागमन पर दिनांक 30 सितम्बर, 2009 तक के लिये रोक लगा दी गयी। जिसके परिपालन में राज्य के समस्त जनपदों में अश्व प्रजाति के पशुओं के आवागमन रोकने के लिए जाँच चौकियों की स्थापना की गई।

संबंधित जनपदों में प्रभावी रोग नियंत्रण एवं सैम्पल एकत्र करने का कार्य लगातार जारी है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र को अब तक भेजे गये कुल 1798 नमूनों में से 1154 नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसमें 422 नमूने इक्वाइन इन्फ्लुएन्जा रोग के लिए धनात्मक पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कितनी जाँच चौकियाँ स्थापित की गई हैं और अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर कितनी जाँच चौकियाँ स्थापित की गई ? इन जाँच चौकियों में कितने कर्मी कार्यरत हैं ? इन जाँच चौकियों की कार्य करने की समयावधि क्या है ? अब तक अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कितने पशुओं को रोकने का काम आपकी जाँच चौकियों द्वारा किया गया और अन्तर्राज्यीय चौकियों पर कितने पशुओं को रोकने का काम किया।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से मतलब हमारा मान्यवर, कैलाश मानसरोवर की बात कह रहा हूँ.......................

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने अपने जवाब में कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर, इसलिए मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कितनी जाँच चौकियाँ स्थापित की हैं। कितने देशों पर जाँच चौकियाँ हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, एक नेपाल देश की सीमा पर जाँच चौकी है। आप सुनें तो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आराम से प्रश्न करें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, जल्दी मुद्दे हैं। निर्धारित प्रश्न पूरे करवाने हैं। बहुत सारे प्रश्न लगे हैं। आप उत्तर दीजिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, कुल 105 चैक पोस्ट हमने बनाई थीं और उस पर 105 कर्मचारी पशुपालन विभाग के लगाये गये थे। इसके लिए हमने 3 कंट्रोल रूम बनाये हैं। एक गौरीकुण्ड, दो रुद्रप्रयाग जनपद में और तीसरा पशुलोक, देहरादून, ऋषिकेश में था।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 105 चैक पोस्ट स्थापित हैं, जिसमें 105 कर्मचारी कार्यरत् हैं। जिन चैक पोस्टों में कर्मचारी कार्यरत् हैं वह कितने घण्टे काम करते हैं? क्या ये चैक पोस्ट 24 घण्टे काम करते हैं, 12 घण्टे काम करते हैं या 08 घण्टे काम करते हैं। जरा वह समयावधि बता दें और अब तक इन चैक पोस्टों में कितने जानवरों को रोकने का काम किया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि चैक पोस्ट स्थापित होने के बाद और जब इस तरह की सूचना प्रसारित हुई कि पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, प्रवेश पर, राज्य में, तब से कोई भी अश्व प्रजातिक पशु जो बाहरी प्रदेश से आते थे, वे यहाँ पर नहीं आये हैं। ये चेक पोस्ट 30 सितम्बर, 2009 तक काम करेंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह पूछा कि एक चैक पोस्ट पर आपने एक कर्मी नियुक्त किया। मैं यह कह रहा हूँ कि चैक पोस्ट पर जो कर्मी आपने नियुक्त किया उस कर्मी के कार्य करने की समयावधि क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाता है। वहाँ पर केवल मोनिटरिंग के लिए पशुपालन विभाग का एक कर्मचारी होता है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कितने लोगों का ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार की जो चैक पोस्ट है, वहीं पर पशुपालन विभाग का भी आदमी होता है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने स्वयं कहा कि 105 चैक पोस्ट स्थापित किये हैं। मान्यवर, पशुपालन विभाग द्वारा, जो चैक पोस्ट सरकार द्वारा इक्जीस्ट हैं, क्या उन 105 चैक पोस्टों पर ही व्यक्ति काम कर रहे हैं? क्या उन 105 चैक पोस्ट में एक ही व्यक्ति काम कर रहा है? जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर चैक पोस्ट बनाई गई है क्या उस पर भी एक कर्मचारी कार्य कर रहा है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे राजस्व विभाग के पटवारी हैं उन्हें भी इसमें लिया गया है, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी इन्वाल्व किया जाता है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने अभी बताया था कि एक चैक पोस्ट में एक कर्मचारी कार्य कर रहा है। मान्यवर, यह तो गम्भीर प्रश्न हैं अब माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि इसमें पटवारी भी और ग्राम पंचायत के अधिकारी और पुलिस को भी सम्मिलित किया गया हैं तो बतायें न, कितने कर्मचारी हैं ?

श्री अध्यक्ष–

वे पशुपालन विभाग के कर्मचारी नहीं हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पशुपालन विभाग का एक कर्मचारी है। बाकी ग्राम विकास विभाग अधिकारियों को और पटवारियों को निर्देश दिये गये हैं। उसमें उन सबको माध्यम बनाकर चैक पोस्ट में कार्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, घोड़े और खच्चरों को होने वाली बीमारी से कितने घोड़े और खच्चरों की मृत्यु हुई और उनके मालिकों को कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब पूर्व में भी आ चुका है। मान्यवर, कुल 48 अश्व प्रजाति के पशुओं की मृत्यु हुई है। जिसमें से 46 जनपद रुद्रप्रयाग में एवं 02 पशुओं की मृत्यु उत्तरकाशी जनपद में हुई है। जहाँ तक मुआवजे की बात है, विभाग में मुआवजे का कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, पिछली बार भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ और इस सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी

से पत्र लिखकर अनुरोध कर रहा हूँ और आपको आश्वासन देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से इनको मुआवजा दिया जाय। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर के अन्तिम पैरा में जो आँकड़े दिये है, वे आंकड़े कब तक के हैं ? और आपने कहा कि लगातार जारी है, कल की क्या स्थिति है ? जो आपने कहा कि सम्बन्धित जनपदों में प्रभावी रोग नियंत्रण एवं सैम्पल एकत्र करने का कार्य लगातार जारी है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र को अब तक भेजे गये कुल 1798 नमूने हैं, ये कौन सी तिथि तक के हैं और कल तक की क्या स्थिति है ? (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह फिगर 6 जून से पहले के हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, ये आंकड़े मई के हैं या 06 जून तक के हैं? कल की स्थिति क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह इक्वाईन इन्फ्लूएन्जा रोग है, इस वायरस की आयु मात्र 36 घन्टे है। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने साधारण प्रश्न पूछा कि आपने जो आंकड़े दिये हैं, उन आंकड़ों के सम्बन्ध में कह रहा हूँ कि 06 जून तक के हैं और उन्होंने कहा कि लगातार जारी है। कल तक की क्या स्थिति है? क्या इसमें बढ़ोत्तरी हुई है या नहीं हुई है। यदि हुई है तो कितनी हुई है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसके बाद कोई वृद्धि नहीं होगी और इसमें सौ प्रतिशत नियंत्रण है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जांच ही नहीं करी है, अगर करी है तो बतायें कितनी है ? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो ये आंकड़े दिये हैं, वह 06 जून तक के हैं। 06 जून से आज तक कह रहे हैं लगातार जारी है। लेकिन कितने घोड़े और खच्चरों का आपने परीक्षण किया वह तो बता दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसके लक्षण दिखायी देते हैं और जब लक्षण दिखायी देते हैं तभी जानवरों के सीरम का परीक्षण करते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

क्या आज तक कोई लक्षण जानवरों में दिखायी नहीं दिये ? (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद ऊधमसिंह नगर व नैनीताल में राज्य से बाहर के संचालित एन0जी0ओ0 का पंजीकरण

*6. श्री नारायण पाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि राज्य के जनपद ऊधमसिंह नगर व नैनीताल में कुल कितने और कौन–कौन से एन0जी0ओ0 (गैर सरकारी स्वयं संगठन) चल रहे हैं ? इसमें कितने राज्य से बाहर के निवासियों द्वारा संचालित हैं?

क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इनमें से कितने समाज कल्याण से पंजीकृत हैं व कितने समाज कल्याण विभाग के दिशा–निर्देशन में कार्य कर रहे हैं ?

क्या सरकार यह भी बताएगी कि कितने अन्य विभागों से पंजीकृत हैं?

क्या मंत्रीजी यह भी अवगत करायेंगे कि यह संगठन (एन0जी0ओ0) कौन–कौन से स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? और सरकार का इन पर क्या नियन्त्रण हैं?

यदि नहीं तो क्यों?

क्या सरकार राज्य में कार्य कर रहे सभी एन0जी0ओ0 की विवेचना करती है?

यदि हाँ, तो कैसे और किसके द्वारा?

सिंचाई, समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित जनपद ऊधमसिंह नगर में चार संस्थाएं संचालित की जा रही हैं जो निम्नवत् हैं :–

(1) आदर्श मानव सेवा समिति, मढ़ीनेगी, जसपुर।

(2) भोटिया जनजाति सेवा समिति, गूलरभोज।

(3) सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी, बाजपुर।

(4) थारू जनजाति प्राथमिक विद्यालय समिति, मुहम्मदपुर, भुड़िया, खटीमा।

जनपद–नैनीताल में विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित केवल एक संस्था है :–

(1) नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, हल्द्वानी।

उक्त संस्थाओं में मात्र एक संस्था सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी, बाजपुर, राज्य के बाहर निवास कर रहे व्यक्ति द्वारा संचालित की जा रही है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा केवल विकलांगजन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं को ही पंजीकृत किया जाता है। विकलांगजन अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं में से निम्न संस्थाएं पंजीकृत हैं :-

(1) स्वैच्छिक संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लांइ, हल्द्वानी।

उक्त सभी पांच संस्थाएं समाज कल्याण विभाग के दिशा-निर्देश में कार्य कर रही हैं।

उपरोक्त पाँचों संस्थाएं सोसाइटी एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

उक्त संस्थाएं जनपद ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल में कार्य कर रही हैं। सरकार द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी की संस्तुति सहित शासन को प्रस्तुत की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पशुपालन मंत्री जी, अब प्रश्न दूसरा चल रहा है, कृपया बैठ जायें।

श्री नारायण पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से ये जानकारी लेना चाहता हूँ जैसा कि आपने अपने उत्तर में बताया है कि चार संस्थाएं हैं जिला ऊधमसिंह नगर में, जो समाज कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों में काम कर रही है। मान्यवर, जो आपने सूचना दी है कि दिशा निर्देशन, तो दिशा निर्देशन क्या है और किस तरीके से दिशा निर्देशन दिया जाता है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, दिशा निर्देशन के अन्तर्गत जो राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है उस पैसे का उपयोग सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ और

इसकी निगरानी के लिए एक समिति भी बनायी गयी है। वह समिति हर तीन वर्ष में इसका परीक्षण करती है, जिसमें एस0डी0एम0, बी0डी0ओ0, शिक्षा अधिकारी और वित्त अधिकारी होता है, जो जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी संस्तुति शासन को भेजती है।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछ रहा हूँ कितने एन0जी0ओ0 राज्य से बाहर के है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि सिर्फ एक एन0जी0ओ0 राज्य के बाहर का है और बाकी यहाँ के हैं, जिसका तीन साल में अनुश्रवण होता है और चार एन0जी0ओ0 उत्तराखण्ड के हैं। मान्यवर, मेरी जानकारी में है, आज यहाँ पर हजारों एन0जी0ओ0 काम कर रहे हैं और मुझे माननीय मंत्री जी के जवाब से लगता है कि उनका यह जवाब सत्य से परे है, जवाब में बहुत बड़ा अन्तर है। अगर माननीय मंत्री जी ठीक से पढ़ लें तो सही से जवाब दे पायेंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने कहा कि ऊधमसिंह नगर में 4 एन0जी0ओ0 हैं जो राज्य सरकार द्वारा अनुदानित हैं और 10 एन0जी0ओ0 ऐसे हैं, जो बिना अनुदान के चल रहे हैं।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, एक एन0जी0ओ0 कुमाऊँ सेवा संस्थान है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ सितारगंज में है, वह है कि नहीं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, वह लिस्ट में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह दिया कि जो नाम आप बता रहे हैं वह लिस्ट में नहीं है।

श्री नारायण पाल–

यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जबकि यह एन0जी0ओ0 सितारगंज में वृहद स्तर पर कार्य कर रहा है और जिससे हजारों लोग प्रभावित हैं, फिर कैसा नियंत्रण, जब सरकार को यह पता ही नहीं है कि कौन–कौन से एन0जी0ओ0 कार्य कर रहे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, 10 ऐसी संस्थायें हैं जो पंजीकृत हैं, मगर वह अनुदानित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री नारायण पाल जी ने जिस संस्था का नाम लिया है, क्या वह उस 10 संस्थाओं में शामिल है जो पंजीकृत हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी--

मान्यवर, जी नहीं।

श्री नारायण पाल--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि इतना बड़ा विभाग जो दिशा निर्देशन की बात करता है, 4 के नाम इसमें आ गये, तो मैं कहता हूं कि हजारों एन0जी0ओ0 हैं और मैंने एक का नाम लिया है और माननीय मंत्री जी को उस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है, क्या वह एन0जी0ओ0 जो हैं जिनका सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र जिनके रजिस्ट्रेशन में कार्यक्षेत्र पूरा भारत लिखा होता है, मगर सितारगंज जैसी जगह पर एन0जी0ओ0 कार्य कर रहा है और सरकार को उसकी कोई जानकारी नहीं है तो क्या समाज कल्याण विभाग लुटवाने का ठेका देता है कि जिसकी जानकारी नहीं तो कोई भी कुछ कर ले। मान्यवर, आर्थिक और शारीरिक शोषण हो रहा है, इसलिए मैं तो यह कह रहा हूं कि कोई भी आ जाय, कुछ भी कर ले, समाज कल्याण को पता नहीं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी--

मान्यवर, मैंने पहले ही अनुरोध किया माननीय सदस्य से, कि जो सरकार द्वारा अनुदानित हैं, उन्ही का निरीक्षण करते हैं। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में 2751, नैनीताल में 1278 संस्थायें काम कर रही हैं। मान्यवर, विभिन्न संस्थायें काम कर रही हैं, संस्थायें तो बहुत हैं, लेकिन अनुदानित 5 संस्थायें हैं।

श्री तिलक राज बेहड़--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 4 एन0जी0ओ0 अनुदानित हैं तो पिछले वित्तीय वर्ष में कितना-कितना अनुदान दिया गया और वह जो अनुदान दिया गया वह किस-किस क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है, क्या उसमें काम चल रहा है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी ने कहा कि किस-किस संस्था को कितना अनुदान दिया जा रहा है। आदर्श मानव सेवा समिति, गढ़ीनेगी, जसपुर जो कि विद्यालय का संचालन कर रहा है, इसमें वर्ष 2006-2007 में 5 लाख 99 हजार का अनुदान दिया गया, वर्ष 2007-08 में रु0 6.41 लाख का दिया गया, वर्ष 2008-09 में रु0 6.46 लाख का दिया गया।

मान्यवर, सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी, बाजपुर को वर्ष 2006–07 में रु0 37 लाख 47 हजार का अनुदान दिया गया, वर्ष 2007–08 में रु0 42 लाख 41 हजार का अनुदान दिया गया, वर्ष 2008–09 में रु0 42 लाख 70 हजार का अनुदान दिया गया। मान्यवर, भोटिया जनजाति सेवा समिति, मूलरमोज में 4 विद्यालय हैं, इसमें वर्ष 2006–07 में रु0 13 लाख 59 हजार का अनुदान दिया गया, वर्ष 2007–08 में रु0 13 लाख 11 हजार का अनुदान दिया गया, वर्ष 2008–09 में रु0 14 लाख 15 हजार का अनुदान दिया गया। थारु जनजाति प्राथमिक विद्यालय समिति, मुहम्मदपुर, भुड़िया, खटीमा में 2006–07 में रु0 7 लाख 7 हजार का अनुदान दिया गया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इनकी उपयोगिता प्रमाण–पत्र आ गया है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, हम शिक्षकों को अनुदान देते हैं और शिक्षकों को बाँट दिया जाता है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो है, लेकिन इसकी सीमा भी होती है।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इतना अनुदान दिया गया, इसका लेखा–जोखा मेरे ख्याल से सी0डी0ओ0 या डी0एम0 तो देखता ही होगा कि कैसे–कैसे उसको खर्चा किया गया और कैसे खर्च नहीं किया गया, क्या आपको इसकी जानकारी है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले बता चुका हूँ कि यह ए0टी0एस0 विद्यालय हैं, यह प्राइमरी पाठशालायें हैं और इनमें शिक्षकों का वेतन दिया जाता है और शिक्षकों को दे दिया जाता है। मान्यवर, शिक्षा अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी बाकायदा इसका निरीक्षण करते हैं।

राज्य में बी0पी0एल0 परिवारों को सरकारी दर पर खाद्यान्न

*7. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में अनावृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए सरकार बी0पी0एल0 परिवारों के साथ–साथ

गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकारी रेट पर खाद्यान्न गेहूँ, चावल, चीनी उपलब्ध करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड राज्य में खाद्य विभाग द्वारा भारत सरकार से निर्धारित मानकों के अनुसार बी0पी0एल0 परिवारों के साथ–साथ गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन–यापन करने वाले परिवारों को भी सरकारी दर पर खाद्यान्न गेहूँ, चावल तथा चीनी उपलब्ध करायी जाती है अनावृष्टि के सन्दर्भ में खाद्य विभाग द्वारा वही कार्यवाही की जाती है जिसके स्पष्ट आदेश आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा दिये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अनावृष्टि के सन्दर्भ में अब तक आपदा प्रबन्धन विभाग ने कब–कब खाद्य विभाग को आदेश निर्गत किये हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि खाद्य विभाग विभिन्न जनपदों में जो आपदा प्रबन्धन के मानक तय हैं, उनके अनुरूप यदि कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े तो राजस्व विभाग इसमें मदद करता है। आपदा के पश्चात् जीवन–यापन करने हेतु अत्यन्त जरूरतमंद परिवारों के लिए अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था इसमें है। यह अनुदान केवल उन्हें ही दिये जाने चाहिए जिनके पास आरक्षित खाद्यान्न न हो और आपदा के कारण जिनके खाद्यान्न भण्डार नष्ट हो चुके हों। इसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें 20 रु0 प्रति वयस्क और पाँच रुपये प्रति बालक प्रतिदिन के हिसाब से राजस्व विभाग के माध्यम से यह धनराशि वितरित की जाती है। मान्यवर, जो खाद्य विभाग की जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनके आधार पर जो कोटे निर्धारण हैं बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 और अन्त्योदय उसी के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करता है, आना चाहिए।

श्री गोपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अनावृष्टि के तहत चाहे सूखा पड़े या दैवीय आपदा आये उस समय खाद्य विभाग गेहूँ, चावल, चीनी कैसे मुहैया कराती है ? क्योंकि यहां पर कहा गया है कि स्पष्ट आदेश आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा दिये जाते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने सम्मानित सदन को अवगत करा दिया है कि आपदा प्रबन्धन विभाग के माध्यम से जब कोई ऐसी आपदा आ जाती है, उसके लिए राजस्व विभाग के माध्यम से जिलाधिकारी के निर्वतन में धनराशि रखी जाती है और उनके माध्यम से वह वितरित की जाती है।

राज्य में वृद्ध, विकलांग, विधवा पेंशन का बैंकों के माध्यम से वितरण

*8. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि वृद्धावस्था, विकलांगवस्था, विधवावस्था पेंशन बैंकों के माध्यम से वितरित की जाती थी ?

क्या यह सत्य है कि व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण पूर्व में उक्त पेंशन वितरण व्यवस्था पोस्ट–ऑफिस के माध्यम से की जाती रही है ?

यदि हाँ, तो वे कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि पुनः सरकार उक्त पेंशन वितरण व्यवस्था बैंकों के माध्यम से करने जा रही है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

पूर्व में पेंशन का वितरण मुख्यतः मनी आर्डर एवं इसके अतिरिक्त बैंक खातों के माध्यम से भी किया जाता था।

वर्ष 2007–08 तक पेंशन वितरण डाक विभाग से मनी आर्डर के माध्यम से तथा कतिपय जनपद/सुगम क्षेत्रों में बैंक खातों के माध्यम से की गयी। वर्ष 2008–09 में पेंशन वितरण मुख्यतः डाक घर खातों के माध्यम से किया गया। दुर्गम स्थलों हेतु मनीआर्डर से भुगतान की पद्धति भी अपनायी गयी। साथ ही बैंक खातों के माध्यम से भी पेंशन वितरित की गयी।

वर्ष 2008–09 में डाक घर खातों के माध्यम से भुगतान का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। डाक विभाग द्वारा लाभार्थी के खातों में धनराशि अन्तरण में अधिक समय लगने के फलस्वरूप लाभार्थी को धनराशि विलम्ब से प्राप्त हुयी, साथ ही शाखा डाकघर की अधिक दूरी के कारण लाभार्थियों को आवागमन में आ रही कठिनाई तथा शाखा डाकघर में प्रतिदिन की नकद धनराशि की सीमित उपलब्धता की व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत, पेंशन वितरण में उपयुक्त परिवर्तन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत बैंक खातों के माध्यम से भुगतान एक विकल्प है। जबकि

अत्यन्त वृद्धों व विकलांगों को मनीआर्डर से भुगतान को यथावत रखा गया है बैंकों में उपलब्ध भुगतान की आधुनिक ई-बैंकिंग सुविधा के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न था कि वे कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण पुनः सरकार पेंशन वितरण व्यवस्था बैंकों के माध्यम से करने जा रही है। इस पर माननीय मंत्री जी का जवाब है कि डाकघर के खातों के माध्यम से भुगतान का परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी अपेक्षाएं हैं, जिसके अनुरूप यह वितरण नहीं हुआ ? चूंकि बैंक शाखाएं हर स्थान पर नहीं होने के कारण, चाहे वह दूरस्थ का पर्वतीय क्षेत्र हो, जहां पर बैंक की शाखाएं नहीं हैं और बैंक की शाखा न होने के कारण जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, जिनको सरकार की मंशा है कि इनको पेंशन मिले तो बैंक तक जाने में उन्हें ज्यादा समय और ज्यादा पैसा लगेगा। इसलिए मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या सरकार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मनीआर्डर वितरण और पैसा वितरण के विषय को जारी रखेगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, माननीय प्रेम चन्द्र अग्रवाल ने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, क्या माननीय नारायण पाल जी द्वारा अच्छा प्रश्न नही किया गया?

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय उपाध्याय जी तो 'किशोर' हैं और धरने पर बैठने के कारण आज कल ये समाचार पत्रों में भी छाये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

वे बैठे ही इसलिए थे कि अखबार में नाम आ जाय।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, पेंशन वितरण करने के लिए डाक विभाग और समाज कल्याण विभाग के बीच 15-11-2007 को एक समझौता हुआ, उसमें यह बात हुई थी कि डाक विभाग को जैसे ही चैक और पेंशन की सूची प्राप्त होगी उसके 3 दिन के अन्दर उसको हस्तान्तरित कर दिया जाएगा, खातों में पेंशन डाल दी जाएगी। मान्यवर, यह व्यवस्था डाक विभाग द्वारा नहीं की गयी और शिकायत आयी कि समय पर पेंशन वितरण नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अभी तक नही हो पायी है। एक–एक साल तक नहीं हो पायी है।

श्रीमती अमृता रावत –

मान्यवर, 2–2 साल से पेंशन नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष–

यही कारण है, (व्यवधान) तभी तो बदल दिया गया। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने कहा, माननीय प्रेम चन्द्र अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप तो अध्यक्षीय पीठ पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। यह तो अध्यक्ष जी ने कहा है, हमने तो कहा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कोई टीका–टिप्पणी नही कर रहे है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय प्रेम चन्द्र अग्रवाल जी ने दूसरा प्रश्न पूछा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मान्यवर, ऐसे विकलांगों और वृद्धों को दूरस्थ क्षेत्रों में मनीआर्डर की व्यवस्था के द्वारा ही पेंशन वितरित की जाएगी।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें ऐसे विकलांग या वृद्ध नहीं, बल्कि सारे विकलांगों और वृद्धों के लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में बैंकों के माध्यम से भी पेंशन नहीं पहुँच पा रही है। इसका परीक्षण करा लें। (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण की कोई पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो और यहाँ तक कि छात्रवृत्ति के भी एकाउंट न तो डाक खाना और न ही बैंक खोलना पसन्द करते हैं। बामुश्किल लड़–लड़ाकर हम लोग खाते खुलवाते हैं। इस स्थिति में आप क्या व्यवस्था करवाएंगे ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने यह कहा, जहाँ पर बैंक की सुविधा है, वहां पर बैंक के द्वारा और दूरस्थ क्षेत्रों में हम मनीआर्डर के द्वारा पेंशन वितरण करेंगे। ताकि जनता को असुविधा न हो।

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पेंशन वितरण में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, क्योंकि कई जगह विभाग द्वारा पेंशन वितरण के समय एक ही व्यक्ति को 2–2 चैक दिये गये और कहीं–कहीं पर तो 3–3 चैक भी दिये गये, इस प्रकार जो गलत चैक वितरण हुआ है, जिसके कारण जिन लोगों को को अभी पेंशन नहीं मिल पायी है, क्या यह व्यवस्था ठीक होगी ? जिन लोगों को यह नहीं मिल पायी है क्या उनको शीघ्र पेंशन वितरित की जाएगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, संज्ञान में आएगा तो तत्काल उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो वृद्ध, विकलाँग और विधवा महिलाओं को समय पर पेंशन नहीं मिली है। क्या इसके लिए आपने कोई सर्वे कराया है कि उनको पेंशन उपलब्ध हो रही है या नहीं ? क्योंकि हमारे पास एक नहीं सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों वृद्ध और विकलांग आए थे, उन्होंने कहा कि हमें एक साल से किसी ने कहा, दो साल से और कहीं–कहीं जिलों में डेढ़–डेढ़ साल से वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन नहीं दी जा रही है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसका सर्वे करा लिया जाय, इसका परीक्षण करा लिया जाए जिससे कि हमारे उत्तराखण्ड की सही स्थिति आपके सामने आ जाएगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लिया जाएगा और शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यह माननीय अमृता रावत जी के प्रश्न से सम्बद्ध प्रश्न है कि जो विकलांग हैं, वृद्ध और निराश्रित हैं, उनकी जो पेंशन है, वह कितने दिन में देने का प्राविधान है, क्योंकि सालों–साल पेंशन नहीं आती, तो क्या सरकार की ओर से समयावधि तय करने का कोई प्राविधान है या नहीं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जैसे ही आवेदन–पत्र आएंगे, उन पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं है। (व्यवधान) आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की बात नहीं है। उनकी पेंशन को कितने दिन में, कितनी समयावधि में, चाहे आप बैंक खातों से दें या मनीआर्डर के माध्यम से, कितने दिन में उनके पास भेज देंगे ? उसकी कोई समयावधि सरकार ने तय की है क्योंकि लोगों को सालों साल से पेंशन नहीं मिल पा रही है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इस पेंशन की 6 माह में किश्त दी जाती है और वर्ष में दो बार दी जाती है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि सालों साल से जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनके लिये कोई समयावधि तय है ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं इसका परीक्षण करवा लूंगा, यदि किसी को कहीं पर पेंशन नहीं मिल पा रही है तो (व्यवधान) मैं यह आश्वासन देता हूँ कि प्रत्येक जनपद में बैठक लेकर इसकी समीक्षा करूंगा और जहां पर अव्यवस्था होगी, उसे व्यवस्थित किया जायेगा

(व्यवधान)

बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के लिए चीनी का कोटा बढ़ाने की मांग

*9. श्रीमती अमृता रावत–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को पूर्व में एक किलो चीनी प्रतिमाह प्रति यूनिट दी जाती रही है और अब मात्र 600 ग्राम चीनी दी जा रही है ?

यदि हाँ, तो चीनी के कोटे में कटौती किये जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक चीनी का कोटा एक किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह कर दिया जायेगा ?

श्री दिवाकर भट्ट–

भारत सरकार से आवंटित मात्रा के अनुसार ही बी0पी0एल0 परिवारों को चीनी उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में प्रचलित ए0पी0एल0/बी0पी0एल0/अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्डों की 10291891

यूनिट हैं, जबकि उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद भारत सरकार से 6033.00 मी0 टन चीनी राज्य हेतु प्रतिमाह कोटा निर्धारित किया गया, जो 586 ग्राम प्रति यूनिट है। उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात कभी भी भारत सरकार से 01 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह चीनी उपलब्ध नहीं हुई है।

चीनी का कोटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार से राज्य को आवंटित चीनी की मासिक कोटे की मात्रा 6033.00 मी0टन है, जिसके आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार द्वारा आवंटित कोटे के अनुसार ही राज्य सरकार द्वारा चीनी का आवंटन किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

शायद इसका तो उत्तर इसी सत्र में आ गया है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, पिछली बार माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा था कि 1 किलोग्राम प्रति यूनिट चीनी कभी नहीं दी गई है। लेकिन मेरे संज्ञान में बात आई है कि मार्च 2005 से जून 2005 तक 900 ग्राम प्रति यूनिट चीनी और जुलाई 2005 से फरवरी 2006 तक एक किलोग्राम चीनी प्रति यूनिट, पौड़ी जनपद के बीरोंखाल में दी गई थी। अब 600 ग्राम चीनी वितरित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि यह बात सही है या गलत।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रति वर्ष भारत सरकार के माध्यम से जितना कोटा आवंटित होता है, उसे प्रति कार्ड और प्रति यूनिट की दरों से विभक्त कर वितरित किये जाने की प्रक्रिया है और यह कोटा निर्धारण का कार्य भारत सरकार से होता है और भारत सरकार द्वारा 6033 मीट्रिक टन चीनी हमें दी जा रही है, यदि हम इसे अपनी यूनिट्स में डिवाइड करें, तो 586 ग्राम चीनी का आवंटन हो पा रहा है। पूर्व की स्थिति क्या थी, इसकी सूचना से माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे। वर्तमान में जितना कोटा भारत सरकार से मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, दो माह से चीनी नहीं मिल रही है, कब से चीनी मिलनी प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आज की स्थिति में चीनी मिल रही है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, दो महीने से तो देहरादून में चीनी नहीं मिल रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा, यह सोचा जा सकता है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आज की स्थिति में चीनी मिल रही है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, दो महीने से तो देहरादून में चीनी नहीं मिल रही है, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा, यह सोचा जा सकता है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य की बात का संज्ञान लेते हुये इसका परीक्षण करा लेंगे।

टी०डी०सी० द्वारा गेहूँ के बीज का क्रय ब्यौरा–विक्रय का ब्यौरा

*10. डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008–09 में अब तक टी०डी०सी० द्वारा कितना गेहूँ के बीज का क्रय किया गया एवं उसके सापेक्ष 31 दिसम्बर, 2008 तक कितने बीज की बिक्री हुई तथा 10 जनवरी, 2009 के पश्चात कितनी बिक्री हुई ?

श्री त्रिवेन्द्र रावत–

वर्ष 2008–09 में टी०डी०सी० द्वारा 503870.77 कु० गेहूँ बीज क्रय किया गया।

31 दिसम्बर, 2008 तक कुल 349593.00 कु० तथा 10 जनवरी, 2009 के पश्चात 18796.00 कु० बीज की बिक्री हुई।

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरे चार अनुपूरक हैं, कहें तो, एक–एक कर पूछ लूं क्योंकि बाद में आप मुझे समय नहीं देंगे, तो मैं इनमें से दो–दो एक साथ पूछ लूं या चारों एक साथ पूछूं ?

श्री अध्यक्ष–

आप जैसे चाहें, वैसे पूछ लें, माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, एकदम से उत्तर दे देंगे। (हँसी)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न यह है कि 10 जनवरी के बाद 18,796 क्विंटल बीज बेचा गया, तो जाहिर है कि 10 जनवरी को बीज बेचा गया तो कम से कम 25 जनवरी के बाद ही वह किसानों के हाथ में पहुंचा होगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि 25 जनवरी के बाद कहां पर गेहूँ की बुवाई होती है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गेहूँ का कुल बीज जितना खरीदा गया और जितना बेचा गया, उसके बाद 1 लाख 35 हजार क्विंटल गेहूँ का बीज बचता था। तो वह जो टी0डी0सी0 का बीज है, वह किस मद में बेचा गया, क्या वह गेहूँ के रूप में बेचा गया, क्या वह आटा–चक्कियों को बेचा गया या किसी अन्य मद में बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या था और बीज का विक्रय मूल्य क्या था ? तीसरा प्रश्न यह है कि इसमें कितना नुकसान हुआ, अगर वह कम मूल्य पर विक्रय किया गया तो इससे टी0डी0सी0 को इस वित्तीय वर्ष में कितना नुकसान हुआ? इसके साथ ही मेरा चौथा सवाल है कि अगर वह नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, मान्यवर, तो उसके कौन–कौन से अधिकारी दोषी पाये गये, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उस समय, इस वित्तीय वर्ष में जो जी0एम0 मार्केटिंग वहाँ पर थे, क्या उनको पदोन्नति देकर एम0डी0 बनाया गया है, क्या वे इसके लिए दोषी नहीं थे ? ये चार प्रश्न हैं मान्यवर।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो विक्रय नहीं किया जा सका (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, जनवरी के बाद गेहूँ कहाँ बोया गया ? पहले प्रश्न का जवाब दे दें। चाहे कितनी पर्चियां पलट लें, इसका जवाब ही नहीं है। इसका जवाब दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। (व्यवधान)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, तैयारी नहीं है। आपकी बात गिरा रहे हैं, आपने कहा था कि माननीय मंत्री जी बड़े विद्वान हैं, ये तो पर्चियाँ पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप किसी की विद्वता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाईये।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, गेहूँ मात्र प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी जाता है और बिहार, झारखण्ड के कुछ क्षेत्रों में यह जानकारी में आया है, लेकिन जो तकनीकी (व्यवधान)

काजी मो0 निजामुद्दीन--

मान्यवर, वहां 15 दिन हमसे पहले बुवाई खत्म हो जाती है और 15 दिन पहले ही कटाई हो जाती है। मान्यवर, गलत जानकारी है आपकी। 15 दिन का फर्क है वहां की और यहां की पैदावार में।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत--

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे, जो आपने प्रश्न उठाया है निश्चित रुप से यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। 25 जनवरी के बाद का जो आंकड़ा हमें दिया गया है, उसके बारे में हम जांच करा लेंगे। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

मान्यवर, 1 लाख 35 हजार 470 टन किस मद में बेचा गया ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत--

मान्यवर, इसको विक्रय नहीं किया गया है। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

मान्यवर, यह तो बहुत गम्भीर बात है। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत--

मान्यवर, मांड के लिए इस गेहूँ का उपयोग होता है और उसकी नीलामी कर दी जायेगी।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

मान्यवर, यही तो जानना चाह रहे हैं कि 1 लाख 35 हजार टन गेहूँ, 1800 रुपये कुन्तल इसका विक्रय मूल्य है, जिसकी लगभग कीमत 26 करोड़ रुपया है, 26 करोड़ रुपये का बीज माड में सरकार बेचने जा रही है। 26 करोड़ रुपये का गेहूँ, इसमें कितना नुकसान होगा माड में जब वह बेचा जायेगा और कौन उस 26 करोड़ रुपये के गेहूँ के बीज का स्टॉक हो गया, इसका कौन जिम्मेदार है, एक टी0डी0सी0 जो हमारा प्रतिष्ठित संस्थान था, आज वो 26 करोड़ रुपये का माल इसमें डम्प हो रहा है, यही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो हानि का आंकड़ा है, जो कुल खरीद किया गया, वह 5 लाख 3 हजार 870 कुन्टल खरीदा गया और जो अवशेष असंशोधित बीज है, वह 28 हजार 342 कुन्टल है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

मान्यवर, 1 लाख 35 हजार 470 टन गेहूँ अवशेष बचता है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो गैर संशोधित बीज है वह 1109.90 से 1102.90 प्रति कुन्टल और संशोधित 850 से लेकर 907 प्रति कुन्टल, इसका विक्रय मूल्य है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह बहुत गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के नेपाली मूल लोगों की ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की मांग

*11. श्री मयूख सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 धारचूला में रह रहे नेपाली मूल के लोगों को ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र प्रदान किये गये हैं ?

क्या यह सत्य है कि मात्र 100 मीटर से 20 कि0मी0 के दायरे में समान सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों में वि0ख0 कनालीछीना में भी नेपाली मूल के लोग निवास कर रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उन्हें भी ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने पर विचार करेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या धारचूला में नेपाली मूल के लोगों को गोरखा समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या गोरखा समुदाय के लोगों को ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं ? क्या गोरखा समुदाय को चिन्हित करने के लिए कोई मानक निर्धारित किये गये हैं ? क्या गोरखा समुदाय में शामिल होने के लिए नेपाली मूल का होना आवश्यक है ? धारचूला में किन–किन जातियों को गोरखा समुदाय का प्रमाण–पत्र दिया गया है ? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि गोरखा समुदाय के कनालीछीना के निवासियों को भी ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र दिया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, गोरखा समुदाय को 15–11–2003 को ओ0बी0सी0 की श्रेणी में शामिल किया गया और नेपाली मूल के लोगों को नहीं। भारतीय मूल के लोगों को यह प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। इसके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, मूल निवास प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है। ये सब देखकर आवेदन दिये जाते हैं, तब ओ0बी0सी0 का प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने कनालीछीना के सम्बन्ध में प्रश्न किया है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि कुल 9058 गोरखा समुदाय के लोगों को प्रमाण–पत्र जारी किये गये। विकास खण्ड वीणा में 154, मूलकोट में 433, डीडीहाट में 47, बेरीनाग में 9, धारचूला में 8187, मुनस्यारी में 28, कनालीछीना में किसी को नहीं दिया गया और गंगोलीहाट में प्रमाण–पत्र किसी को नही दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि आप कनालीछीना वालों को प्रमाण–पत्र देंगे?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, वहाँ पर अगर गोरखा समुदाय का कोई व्यक्ति होगा तो उसे देंगे।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, कैसे मालूम पड़ेगा कि वह समुदाय का आदमी है, इसके लिए कौन से प्रमाण–पत्र लागू होगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने कहा कि वह भारत का मूल निवासी होना चाहिए, यहाँ का नागरिक होना चाहिए। उसके लिए मानक हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जैसा कि आप मित्र हैं, आपने कहा कि यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। गोरखा समुदाय के लोग चाहे वह नेपाल से आये थे या यहाँ पूर्व में बसे हुए थे, बहुत सारे नेपाली समुदाय के लोग हमारे यहाँ देहरादून में भी और दूसरी जगहों में भी बसे हुए हैं और इनको आज यहाँ का मूल निवासी,

स्थायी निवासी माना जाता है, क्योंकि उन्हें जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वह नेपाल से आकर यहाँ बहुत पहले बस गये थे। क्योंकि वह भारत के अन्दर अपना वोटिंग का राइट रखते हैं और वोट देते हैं। मान्यवर, क्या उसी के आधार पर दे दें? बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। जाति प्रमाण–पत्र नहीं मिल पा रहा है। जबकि वे लोग वर्षों–वर्षों से रह रहे हैं। सदन में भी जाति प्रमाण–पत्र पर चर्चा होनी है। बहुत सारे लोगों को जिन्हें 15 साल से ज्यादा समय हो गया है, उनको भी जाति प्रमाण–पत्र नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए सरकार कोई कदम उठा रही है, या नहीं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जो मानक पूरा करता हो गोरखा समुदाय का, उसको प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

अब क्या रह गया है ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, तहसील धारचूला बहुत सैंसिटिव एरिया है। प्रश्न का मूल उद्गम ही यहीं से है। जो मेरी जानकारी में है कि नेपाली होने का प्रमाण–पत्र कैसे मिलगा, कौन उसे जस्टीफाई करेगा और कौन वैरीफाई करेगा कि अमुक आदमी नेपाली है ?

श्री अध्यक्ष–

नेपाली नहीं, गोरखाली।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इसकी प्रक्रिया जिलाधिकारी के यहाँ से और जिलाधिकारी राजस्व विभाग के माध्यम से जाँच करवाता है। जो मानक पूरा करता है उसे प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि नेपाल से प्रमाण–पत्र लेकर भारत में आ रहे हैं लोग। उस तहसील में और वहाँ पर ओ०बी०सी० का प्रमाण–पत्र मिल जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए इसका परीक्षण करवायेंगे?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं परीक्षण करवा दूँगा। यदि अव्यवस्था होगी तो दूर करेंगे।

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, नेपाली और गोरखा में क्या अंतर है ? दूसरा, किन–किन जातियों को गोरखा प्रमाण–पत्र अभी तक प्रदान किये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जो नेपाल में रहे हैं, वह नेपाली हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यहाँ पर गोरखा समुदाय को ओ0बी0सी0 में सम्मिलित किया गया है। नेपाली को नहीं। माननीय, अगर कोई अव्यवस्था हुई होगी, जैसा कि माननीय सदस्य ने धारचूला में हुई अनियमितताओं का जिक्र किया है। उसका मैं परीक्षण करवा दूँगा, मान लिया जाए ऐसा हो रहा है तो उसको निरस्त भी किया जा सकता है।

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, धारचूला में नेपाल से आये लोगों को ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र दिये गये हैं, उनको नेपाली होने का प्रमाण–पत्र देना पड़ा तब उन्हें ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र मिले हैं। किन–किन जातियों को ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र अभी तक धारचूला में दिये गये हैं उसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, अन्य काश्तकार भी हैं। धारचूला में नेपाली होने का प्रमाण–पत्र माँगा गया है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो गोरखा व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है। धारचूला में सबसे ज्यादा 8,187 को प्रमाण–पत्र दिये गये हैं।

श्री मयूख सिंह–

मान्यवर, मेरा कहना है कि धारचूला में जिनको ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र दिया गया है उनसे नेपाली होने का प्रमाण–पत्र माँगा गया है। उनके पूर्वज कब नेपाल से आकर धारचूला में बसे हैं। उनको प्रमाण–पत्र देना पड़ा है तब उन्हें गोरखा माना गया है और मैं यह भी जानना चाहूँगा कि किन–किन जातियों को गोरखा प्रमाण–पत्र दिया है?

श्री अध्यक्ष–

जातियाँ तो सभी आयेंगी। सभी आती हैं उसमें।

जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में अनाज एवं सब्जी मण्डी की स्थापना

*12. कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार, लक्सर क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न, सब्जी आदि कृषि उपज पैदा की जाती है ?

क्या यह सत्य है कि मण्डी की उपलब्धता न होने के कारण दलालों द्वारा फसल कम दामों पर खरीदकर, किसानों का शोषण किया जाता है ?

यदि हाँ, तो सरकार लोकहित में किसानों का शोषण रोके जाने हेतु लक्सर क्षेत्र में अनाज एवं सब्जी मण्डी स्थापित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

यद्यपि लक्सर क्षेत्र में मण्डी स्थल के निर्माण की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता तथापि यह सही नहीं है कि मण्डी की उपलब्धता न होने के कारण दलालों द्वारा फसल कम दामों पर खरीद कर किसानों का शोषण किया जाता है। लक्सर क्षेत्र में कृषि विपणन विनियमन के प्राविधान लागू हैं और निर्वाचित मण्डी समिति द्वारा कृषकों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने के लिए व्यापारी स्तर पर नीलामी करायी जाती है तथा अनाधिकृत कटौतियों पर रोक लगायी जा चुकी है। लक्सर क्षेत्र में मण्डी स्थल के निर्माण हेतु मण्डी समिति लक्सर द्वारा भूमि की तलाश की जा रही है। भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार मण्डी निर्माण के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

मान्यवर, जैसा कि उत्तरालेख में उल्लेख किया गया है कि लक्सर में प्रतिस्पर्धा को कम किया जा रहा है? प्रतिस्पर्धा को किसी लिहाज से कम किया जा रहा है। किन–किन स्थलों पर फलों की नीलामी हो रही है, अनाजों, खाद्यान्नों और सब्जियों की नीलामी हो रही है? दूसरा प्रश्न यह है कि यदि प्रतिस्पर्धा कम हो रही है, मण्डी समिति कार्य कर रही है तो लक्सर के मण्डी सैस में कुल कितनी धनराशि 2007–08, 2008–09 में आई और उसका किन–किन विकास कार्यों के लिए उपयोग किया गया ? यदि सरकार गम्भीर है मण्डी स्थापित करने के लिए लक्सर में तो, भूमि का चयन किस–किस जगह पर किया गया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय सदस्य ने जहाँ तक प्रतिस्पर्धा का सवाल उठाया है प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए ओपन मार्केट है और ओपन मार्केट में फार्मर अगर सीधा–सीधा भी बिक्री करता है तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक रूप से किसान को अच्छा मूल्य मिलेगा।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

मण्डी का क्या योगदान है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मण्डी सैस का आ जायेगा। जहाँ तक स्थल चयन का सवाल है मण्डी स्थल के लिए निर्देश दिये गये हैं और वहां पर मण्डी का चयन किया जा रहा है।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले प्रश्न का अनुपूरक नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

शहरी निकायों में तैनात अधिशासी अधिकारियों का समायोजन एवं नियमितीकरण

*13. श्री राजेश जुवांठा–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी निकायों में अकेन्द्रीयित सेवा से आये तथा धारा–31 में तैनात अधिशासी अधिकारियों के समायोजन एवं विनियमितीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग पर की गई कार्रवाई

*14. श्री प्रीतम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य निर्माण के पश्चात् घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ?

क्या सरकार द्वारा इस पर कोई कार्यवाही की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट–प्रश्न संख्या–12 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड में राज्य निर्माण के पश्चात घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने के 4529 मामले प्रकाश में आये हैं।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड में राज्य निर्माण के पश्चात 28707 छापे मारकर, 11558 सिलेण्डर जब्त कर 102 एफ०आई०आर करते हुए 53 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, रुपये 20,07,563.00 अर्थदण्ड वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं गंगोत्री नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया

*15. श्रीमती अमृता रावत–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री नगर पंचायतों में वर्ष 1994 से अब तक अध्यक्ष पद पर किसी जन प्रतिनिधि को नामित नहीं किया गया है और नही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है ?

यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है तथा कब तक नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी ?

क्या यह भी सत्य है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री में वर्ष 1994 से प्रशासक कार्यरत है ?

यदि हाँ, तो इतनी लम्बी अवधि तक प्रशासक के नियंत्रण में नगर पंचायतों के संचालन का औचित्य क्या है तथा नगर पंचायतों में कितनी अवधि के लिए प्रशासक नियुक्त करने का प्राविधान है ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

नगर पंचायत, बद्रीनाथ, चमोली (नगर पंचायत), केदारनाथ (रुद्रप्रयाग) तथा नगर पंचायत, गंगोत्री (उत्तरकाशी) क्षेत्रों में स्थायी आबादी/निवासीगण नहीं है। यात्राकालीन क्षेत्र होने तथा उक्त क्षेत्रों में स्थाई आबादी/मतदाता न होने के कारण नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का प्रश्न नहीं है। नगर पंचायत बद्रीनाथ में चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट पिटीशन संख्या–882/(एम०एस०)/07 गोविन्द सिंह पंवार बनाम राज्य योजित है। प्रकरण मा० न्यायालय के विचाराधीन है।

जी हाँ।

उक्त क्षेत्रों में स्थायी जनसंख्या न होने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं करायी गयी है। चूंकि उक्त क्षेत्रों में यात्रा काल के दौरान देश–विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुगणों का आवागमन होता है, जिनकी समस्याओं के निराकरण करने हेतु प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। प्रशासक को निकाय के संचालन में परामर्श/सहायता हेतु स्थानीय सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। किसी भी निर्वाचित/नामित निकायों में बोर्ड भंग होने के दिनांक से अगले बोर्ड के अस्तित्व में आने की तिथि तक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है।

नगर निगम देहरादून में निर्वाचित सदस्यों द्वारा निगम की भूमि पर कब्जा

*16. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर निगम देहरादून में ऐसे कितने निर्वाचित सदस्य हैं, जिनके परिवार व सदस्यों द्वारा नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि पर कब्जा करके मकान व दुकान बनाये गये हैं ?

क्या यह सत्य है कि ऐसे सदस्यों का चुनाव लढ़ा जाना असंवैधानिक है ?

यदि हाँ, तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता को निरस्त करने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

03 (तीन)

प्रकरण मा० न्यायालय के विचाराधीन है। मा० न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

*17. श्रीमती आशा–

(चतुर्थ गुरुवार के लिए स्थगित)

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में मिट्टी के नमूनों की जाँच की दर

1. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मिट्टी के नमूने की जाँच किस दर पर की जाती है ?

क्या सरकार मृदा की निःशुल्क जाँच करने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मुख्य पोषक तत्वों हेतु रु0 7.00 एवं सूक्ष्म/गौण पोषक तत्वों हेतु रु0 51.00 प्रति नमूना परीक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है।

जी नहीं।

मृदा नमूनों में मुख्य पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म/गौण पोषक तत्वों के परीक्षण की महत्ता एवं संतुलित उर्वरकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मृदा परीक्षण की वास्तविक लागत से काफी कम अनुदानित दरें निर्धारित की गई हैं। इसे सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति का स्रोत नहीं माना गया है।

जनपद ऊधमसिंह नगर में चालू वर्ष में गेहूँ की खरीद एवं भुगतान

2. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर में चालू वर्ष में गेहूँ की कितनी खरीद हुई है ?

क्या किसानों को गेहूँ का सम्पूर्ण भुगतान हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

यदि हाँ, तो कब ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ, रबी खरीद वर्ष 2009–2010 में जनपद ऊधमसिंह नगर में 118966.775 मी0 टन गेहूँ की खरीद हुई है।

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0, देहरादून से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद ऊधमसिंह नगर में चालू वर्ष 2009–2010 में क्रय किये गये गेहूँ के विरुद्ध कृषकों को रु0 65.61 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शेष धनराशि 0.69 करोड़ रुपये का भुगतान शीघ्र किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा रबी खरीद वर्ष 2009–2010 में क्रय एजेन्सियों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ के भुगतान हेतु धनराशि स्वीकृति कर दी गयी है तथा क्रय एजेन्सियों की देयता समाप्त हो गयी है।

रबी विपणन सत्र 2009–2010 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद विषयक नीतिगत शासनादेश दिनांक 06 अप्रैल, 2009 के प्रस्तर–9 के उप प्रस्तर–3 में यह स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि "उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ (यूसीएमएफ)/नेफैड के द्वारा अपने क्रय केन्द्रों पर गेहूँ क्रय के लिए अपने स्रोतों से धन की व्यवस्था की जायेगी। क्रय किये गये गेहूँ को स्टेट पूल अथवा केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान कर नियमानुसार बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा"। इस प्रकार क्रय केन्द्रों पर किसानों से क्रय किये गये गेहूँ का तत्काल भुगतान किये जाने का दायित्व सहकारिता विभाग का है।

सहकारिता विभाग द्वारा क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य के बिलों के सापेक्ष खाद्य विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

जनपद उत्तरकाशी में सहकारिता संचालकों एवं प्रतिनिधियों हेतु सहकारिता भवन का निर्माण

3. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री अवगत है कि जनपद उत्तरकाशी में सहकारिता के कार्य हेतु संचालकों/सहकारिता प्रतिनिधियों को अत्यधिक दूरी से जिला मुख्यालय में आना पड़ता है ?

क्या सरकार जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में उनकी सुविधा हेतु सहकारिता भवन का निर्माण करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो कब तक ?

सहकारिता पर्यावरण मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

संचालकों को मुख्यालय स्थित समितियों की संचालक मण्डल की बैठकों व प्रतिनिधियों को उस संस्था जिसकी सामान्य निकाय की बैठक है, में प्रतिभाग करने के लिये उपस्थित होना पड़ता है, जिसके लिये सहकारी समिति नियमावली 2004 के प्राविधानों के अनुसार यात्रा भत्ता आदि देय होता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक संसाधनों की कमी का होना।

जनपद पिथौरागढ़ में आवंटित अटल आवास तथा निर्धारित पात्रता

4. श्री मयूख सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद–पिथौरागढ़ में अभी तक कुल कितने अटल आवास आवंटित किये गये है ?

क्या आवास प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों की पात्रता निर्धारित की गयी है ?

यदि हाँ, तो आवास प्राप्त करने हेतु बी०पी०एल० कार्ड धारक होना तथा ग्राम पंचायत की बैठक में वरीयता निर्धारित करना आवश्यक है ?

क्या सरकार जनपद के समस्त अटल आवास से लाभान्वित व्यक्तियों के बी०पी०एल० नम्बर एवं ग्राम पंचायत में चयनित वरीयता नम्बर उपलब्ध करायेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद–पिथौरागढ़ में अभी अटल आवास आवंटित नहीं किये गये हैं।

जी हाँ।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जिला पंचायत पिथौरागढ़ द्वारा व्यक्तिगत लाभ योजनान्तर्गत आवंटित वर्क शेडों का निर्माण कार्य एवं भुगतान

5. श्री मयूख सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पंचायत पिथौरागढ़ द्वारा व्यक्तिगत लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 व 2008 में कुल कितने वर्कशेड लाभार्थियों को आवंटित किये गये एवं आवंटित कितने शेड पूर्ण हुये हैं व कितने अपूर्ण हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने शेडों के लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है व कितनों का भुगतान अभी शेष है ?

क्या सरकार द्वारा उन्हें शेष भुगतान दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

वर्ष 2007 में कुल 123 वर्क शेड पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित किये गये हैं। कोई वर्कशेड अपूर्ण नहीं है।

वर्ष 2008 में कुल 158 वर्कशेड बनाये गये जिनमें से 124 वर्कशेड पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित कर दिये गये है। 34 वर्कशेड अपूर्ण है।

वर्ष 2007 एवं 2008 में कुल 247 वर्कशेड के लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है तथा 34 वर्कशेड के लाभार्थियों का भुगतान होना शेष है।

जी हाँ।

34 अपूर्ण वर्कशेडों का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में साधन सहकारी समितियों के जर्जर व क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण

7. श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या सहकारिता मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में साधन सहकारी समितियों के भवन जर्जर अवस्था में एवं क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं ?

क्या यह सत्य है कि अधिकांश सहकारी समितियों के कार्यालय किराये के भवनों पर चल रहे हैं ?

क्या सरकार साधन सहकारी समितियों के कार्यालय भवनों का निर्माण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

जी हाँ।

जनपद में कुल 9 साधन सहकारी समितियों के भवन जर्जर अवस्था में एवं 2 साधन सहकारी समितियों के भवन क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं।

जी नहीं।

जनपद की मात्र 12 साधन सहकारी समितियों के कार्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं।

जनपद में आवश्यकतानुसार यदि समितियों के कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजे जाते हैं तो उन्हें नियमानुसार अनुदान/ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में एस0सी0पी0 योजना के तहत आवंटित धनराशि एवं निर्धारित मानक

8. श्री मयूख सिंह –

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ को गत दो वर्षों में एस0सी0पी0 योजना के तहत कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी है तथा आवंटित धनराशि से निर्माणाधीन प्रत्येक योजना का नाम निर्धारित धनराशि तथा कार्यदायी संस्था के नाम क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि एस0सी0पी0 योजना चयन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा क्या मानक (गाइड लाइन) निर्धारित किए गए हैं ?

क्या एस0सी0पी0 योजना को चयन करते वक्त उस क्षेत्र की एस0सी0 जनसंख्या की जनसंख्या मानक निर्धारित है?

यदि हाँ, तो जनपद पिथौरागढ़ में चल रही चयनित प्रत्येक एस0सी0पी0 योजना के कार्यों तथा उस क्षेत्र की एस0 सी0 जनसंख्या के विवरण क्या हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ को विगत वर्ष 2007–08 तथा 2008–09((गत दो वर्षों) में अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अवस्थापना विकास हेतु निम्नवत् धनराशि आवंटित की गयी है :–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष का नाम	आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)
1.	वर्ष 2007–08	353.30
2.	वर्ष 2008–09	140.32

समाज कल्याण विभाग की अवस्थापना मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से निर्माणाधीन प्रत्येक योजना का नाम, योजना की लागत तथा कार्यदायी संस्था का विस्तृत विवरण संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अनुसूचित जाति का मानक निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 40% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों/वार्डों में अवस्थापना विकास की योजना संचालित किये जाने का प्राविधान किया गया है। जिन ग्रामों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 से कम हो, को भी चयन के अन्तर्गत लिया जा सकता है, यदि योजना विशेष–शत–प्रतिशत अनुसूचित जाति बस्ती/मजरा के लिए स्वीकृत की जाती है।

जी हाँ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अवस्थापना मद में चयनित कार्यों तथा उस क्षेत्र/ग्राम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण उक्तानुसार संलग्न है।†

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य की स्थिति

9. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कौन–कौन से स्वीकृत मोटर मार्ग हैं जिनपर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है और ऐसे कौन–कौन से मोटर मार्ग हैं जिन पर कार्य बन्द पड़ा हुआ है अथवा अपूर्ण स्थिति में है ?

इन स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण प्रारम्भ किये जाने अथवा निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा मार्ग निर्माण में हो रहे विलम्ब के कारण क्या हैं तथा कब तक स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों, जिन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा ऐसे मोटर मार्गों, जिनका निर्माण कार्य अपूर्ण/बन्द पड़ा हुआ है, का विवरण क्रमशः परिशिष्ट–1 व 2 पर संलग्न है। †

संलग्न परिशिष्ट– एवं 2 के स्तम्भ 8, 9 तथा 10 में अंकित विवरणानुसार।

प्रदेश में हाऊस की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य

10. श्री प्रीतम सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 'हज हाऊस' स्वीकृत हुआ है ?

यदि हाँ, तो कब ?

क्या 'हज हाऊस' का निर्माण पूर्ण हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

दिनांक : 29.03.2003

जी नहीं।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 186–210 पर)

निर्माणाधीन हज हाऊस, रुड़की जनपद हरिद्वार के निर्माण कार्यों का भौतिक/वित्तीय मूल्यांकन करने हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त होने के पश्चात् ही हज हाऊस के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में राशन कार्डों का नवीनीकरण

11. श्री प्रीतम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राशन कार्डों के नवीनीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

शासनादेश संख्या 436/XIX/खाद्य/11 एम/2009, दिनांक 24 फरवरी, 2009, दिनांक 25 फरवरी, 2009 के अनुपालन में नये राशन कार्डों का सभी श्रेणियों के लिए प्रकाशन किया जा चुका है। राज्य के सभी जनपदों में इनका नवीनीकरण/वितरण का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती अमृता रावत (पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

प्रदेश की जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की बैठकों में अधिकारियों/कर्मचारियों की पात्रता

13. श्री प्रीतम सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की बैठकों में किस स्तर तक के अधिकारी/कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं ?

क्या अधिकारी/कर्मचारी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की बैठकों में सुचारू रूप से हिस्सा लेते हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

उ० प्र० पंचायतराज अधिनियम, 1947 तथा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की सुसंगत धाराओं के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय, क्षेत्र पंचायत स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी उक्त पंचायतों की बैठकों में प्रतिभाग कर सकते हैं।

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विधायक निधि से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में जारी पत्रों की उपेक्षा

14. श्रीमती अमृता रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधायक निधि से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, बीरोंखाल, पौढ़ी गढ़वाल को सम्बोधित एवं मुख्य विकास अधिकारी, पौढ़ी गढ़वाल को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 1597/विधायक/39–विधायक निधि/2008–09, दिनांक 18 मार्च, 2009 कब प्राप्त हुआ है ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पत्र में संदर्भित पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्नकर्ता को उपलब्ध न करवाये जाने के कारण क्या है तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है एवं क्षेत्रीय विधायक की उपेक्षा करने के प्रति क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मा० विधायक जी का पत्र संख्या 1597/विधायक/39–विधायक निधि/2008–09, दिनांक 18 मार्च, 2009, जो खण्ड विकास अधिकारी बीरोंखाल को सम्बोधित है, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय बीरोंखाल को दिनांक 30–03–2009 को प्राप्त हुआ।

उक्त पत्र मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को पृष्ठांकित नहीं किया गया है।

मा0 विधायक जी के पत्र संख्या : 1587/विधायक/30-विधायक निधि/2008-09, दिनांक 18 मार्च, 2009 में उल्लिखित पत्रांक संख्या 946, 1196, 1308, 1361, 1420, 1427, 1509, 1513, 1515, 1518, 1519 में से पत्र संख्या : 1196, 1308, 1427, 1515, 1518 एवं 1519 पर कार्यवाही करते हुए वस्तुस्थिति से खण्ड विकास अधिकारी, बीरोंखाल के पत्र संख्या : 154/2-लेखा/वि0नि0/2009-10, दिनांक 15-06-2009 द्वारा मा0 विधायक जी को अवगत कराया गया।

जिला विकास अधिकारी, पौढ़ी की आख्या के अनुसार शेष पत्र उपलब्ध न होने के कारण मा0 विधायक जी की उपेक्षा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत भिक्यासैंण के प्रमुख बाजारों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण

15. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा विधान सभा भिक्यासैंण के प्रमुख बाजारों जैसे भिक्यासैंण, देघाट, स्यालदे, मासी, मानीला व जालली में सार्वजनिक शौचालयों की कोई व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों के साथ-साथ स्थानीय जनता, विशेषकर महिलाओं को भारी असुविधा होती है ?

क्या सरकार उपरोक्त बाजारों में शौचालयों के निर्माण किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी-

सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में स्थिति से अवगत कराया जायेगा।

सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा भिक्यासैंण, देघाट, स्यालदे, मासी, मानीला व जालली में शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा रख-रखाव/सफाई आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने के लिये सहमत होने के उपरान्त जिला पंचायत, अल्मोड़ा की बैठक में प्रस्ताव पारित होने पर शौचालयों का निर्माण किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के ब्लॉक भिक्यासैंण व स्यालदे में विभिन्न श्रेणियों में सृजित पद एवं कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

16. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के ब्लॉक भिक्यासैंण व ब्लॉक स्यालदे में विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने पद सृजित हैं एवं पदवार कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं तत्सम्बन्धित पूर्ण विवरण क्या है ?

क्या सरकार विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की कमी को पूर्ण करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

विकास खण्ड स्याल्दे एवं विकास खण्ड भिक्यासैंण में श्रेणीवार सृजित, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण :–

पदनाम	विकास खण्ड स्याल्दे			विकास खण्ड भिकियासैंण		
	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
1. खण्ड विकास अधिकारी	01	–	01	01	–	01
2. सहायक खण्ड विकास अधिकारी	02	02	–	02	02	–
3. सहायक वि०अ० (सं०)	01	–	01	01	–	01
4. सहायक वि०अ० (समाज कल्याण)	01	–	01	01	01	–
5. स०वि०अ० (विशेषज्ञ उद्यान)	01	–	01	01	–	01
6. स०वि०अ० (वन)	01	01	–	01	–	01
7. स०वि०अ० (पंचायत)	01	01	–	01	01	–
8. क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी	01	–	01	01	01	–
9. स०वि०अ० (कृषि)	01	–	01	01	–	01
10. मुख्य सहायक	01	–	01	01	–	01
11. प्रवर सहायक	01	01	–	01	01	–
12. कनिष्ठ सहायक	01	01	–	01	01	–
13. ग्राम विकास अधिकारी	10	05	05	10	05	05
14. ग्राम पंचायत अधिकारी	07	04	03	10	03	07
15. लेखाकार/सहायक लेखाकार	03	–	03	03	02	01
16. कनि० लेखा लिपिक (मृत संवर्ग)	–	01	–	–	–	–
17. पत्र वाहक	02	01	01	02	02	–
18. स्वच्छक/चौकीदार	01	01	–	01	01	–
19. चालक	01	–	01	01	–	01
योग . .	37	18	20	40	20	20

जी हाँ।

यथा सम्भव।

प्रश्न नहीं उठता।

बी०पी०एल० योजनान्तर्गत वार्षिक पात्रता के पुनर्निर्धारण हेतु नीति व प्रगति

17. श्री नारायण पाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत वार्षिक पात्रता के पुनर्निधारण हेतु राज्य सरकार की क्या नीति है और इस दिशा में अब तक कार्य की क्या प्रगति हुई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बी०पी०एल० पुनर्निर्धारण किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो अब तक कितना पुर्ननिधारण हुआ है और कितना प्रस्तावित है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की गणना हेतु अनुसूची बनायी गयी है, जिसमें 13 सूचकांक निर्धारित हैं, जिनके आधार पर ग्रामीण परिवारों का चिन्हीकरण तथा उप श्रेणीकरण कर बी०पी०एल० श्रेणी के अन्तर्गत पात्रता हेतु निर्धारण किया जाता है।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या : 196/2001 में पारित आदेश दिनांक 14–02–2006 एवं भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय प० संख्या : क्यू–21022/4/2003–ए आई (आर०डी०), दिनांक 10–10–2005 एवं पत्र दिनांक 23–03–2006 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2008–09 में समय सारणी निर्धारित कर आपत्तियाँ प्राप्त की गई। कुल 257678 आपत्तियाँ प्राप्त हुई। जाँचोपरान्त पात्र पाये गये 31210 परिवारों को बी०पी०एल० सूची में सम्मिलित किया गया तथा 32967 अपात्र परिवारों को बी०पी०एल० सूची से हटाया गया।

जी नहीं।

बी०पी०एल० पुनर्निर्धारण का अधिकार भारत सरकार में निहित है। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष संशोधन हेतु कार्यक्रम जारी कर आपित्तयाँ प्राप्त करते हुए जाँचोपरान्त संशोधित सूची तैयार करती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौढ़ी अन्तर्गत गढोली में निर्मित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह का अधिग्रहण

18. श्रीमती अमृता रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी मुख्यालय के स्थान गढोली में रुपये 103.76 लाख से निर्मित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2009 को किया गया ?

यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौढ़ी द्वारा अभी तक इस भवन को अधिगृहीत नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो भवन के अधिगृहीत किये बिना ही माननीय मुख्यमंत्री जी के लोकार्पण कराने का औचित्य क्या है ?

तथा भवन अधिगृहीत न किए जाने के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक भवन को अधिगृहीत कर लिया जायेगा ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के मुख्यालय से लगभग 6 कि०मी० की दूरी पर गढोली में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोरी) पौढ़ी के मुख्य भवन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2009 को किया गया है।

जी हाँ।

मुख्य भवन के अतिरिक्त आवास गृहों का निर्माण पूर्ण न होने के कारण भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं हुई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मात्र मुख्य भवन का लोकार्पण किया गया है।

अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण होते ही भवन हस्तान्तरित कर लिया जायेगा।

जनपद पौढ़ी के ऐता–उमरैवा–बरेख मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

19. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौढ़ी गढ़वाल में स्वीकृत ऐता–उमरैवा–बरेख मोटर मार्ग का निर्माण कार्यदायी संस्था को धन भुगतान कर दिये जाने के बावजूद भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कार्य पूर्ण किये बिना धनराशि भुगतान करने वाले अधिकारी तथा सम्बन्धित दोषी निर्माण संस्था को दण्डित करने तथा योजना के निर्माण को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

ऐता–उमरैया–चरेख मोटर मार्ग की लम्बाई 22.40 कि0मी0 स्वीकृत है। जिसमें 17.30 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और अवशेष 5.10 कि0मी0 की लम्बाई के समरेखण में विवाद के कारण कार्य नहीं हो पाया।

उक्त मोटर मार्ग के निर्मित भाग 17.30 कि0मी0 का ही भुगतान कार्यदायी संस्था को किया गया है।

जी नहीं।

उक्त मोटर मार्ग के अवशेष 5.10 कि0मी0 की लम्बाई के समरेखण का विवाद जिला प्रशासन के सहयोग से समाप्त हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी अन्तर्गत नगर पालिका दुगड्डा के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु विशेष अनुदान की मांग

20. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल के कर्मचारियों को वेतन भुगतान किए जाने हेतु नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा (गढ़वाल) द्वारा विशेष अनुदान की मांग की गई है ?

यदि हाँ, तो विशेष अनुदान कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक स्थानीय निकाय को द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों द्वारा निर्धारित धनराशि प्रति वर्ष संक्रमित की जाती है।

जनपद नैनीताल के धारी, ओखलकांडा, बेतालघाट आदि वि0 खण्डों में निर्धारित राशन का कोटा

21. श्री नारायण पाल–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के धारी, ओखलकांडा, बेतालघाट, भीमताल व रामगढ़ विकास खण्डों में प्रति माह चीनी, मिट्टी तेल व चावल का कितना कोटा निर्धारित है ?

क्या इन सभी विकास खण्डों में प्रत्येक माह समय पर जनता को उपरोक्त वस्तुएं प्रदान की जाती हैं ?

क्या इस दिशा में खाद्य आपूर्ति अधिकारियों द्वारा समय-समय पर इन लाईसेंस धारक दुकानों का औचक निरीक्षण किया जाता है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनवरी, 2008 से जून, 2009 तक खाद्य अधिकारियों द्वारा उपरोक्त विकास खण्डों के दूरस्थ गांवों में सरकारी गल्ले की दुकानों का निरीक्षण कर क्या कार्यवाही की ?

श्री दिवाकर भट्ट–

जी हाँ।

नैनीताल जनपद के विकास खण्ड धारी, ओखलकाण्डा, बेतालघाट, भमताल तथा रामगढ़ में प्रति माह चीनी, मिट्टी का तेल, चावल एवं गेहूँ का विकासखण्डवार कोटा निम्नानुसार निर्धारित है–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	चीनी	मिट्टी का तेल	बी0पी0एल0	अन्त्योदय	ए0पी0एल
				चावल	चावल	चावल
1.	धारी	12.00	35.498	41.060	19.705	21.80
2.	ओखलकाण्डो	28.90	78.324	121.844	53.620	32.80
3.	बेतालघाट	22.50	65.793	77.294	32.638	24.70
4.	भीमताल	35.30	107.78	62.717	28.896	77.10
5.	रामगढ	21.40	50.508	59.598	25.251	16.60

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनवरी, 2008 से जून, 2009 तक उपरोक्त विकास खण्डों के गांवों में स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के कुल 415 निरीक्षण किये गये। निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप 02 राशन की दुकानें निलम्बित की गयी तथा 01 राशन की दुकान निरस्त की गयी। साथ ही अनियमितता बरतने के फलस्वरूप 43 राशन विक्रेताओं की जमा प्रतिभूति की धनराशि 10750.00 रुपया शासन के पक्ष में जब्त की गयी।

राजकीय ग्रामीण योजनान्तर्गत पक्के कार्यों को कुशल मजदूरों द्वारा कराया जाना

22. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य वित्त एवं क्षेत्र पंचायत निधि के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से अकुशल मजदूरों की मजदूरी भुगतान किये जाने का कोई प्रावधान है ?

क्या यह सत्य है कि पक्के कार्य 'नरेगा' के माध्यम से कराये जाने से कार्य में अधिक लागत आयेगी ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कार्य की गुणवत्ता को मद्देनजर रखते हुये पक्के कार्यों को कुशल एवं अनुभवी मजदूरों से कराया जाना सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी हाँ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के प्रस्तर संख्या 14.1.2 के अनुसार राज्य वित्त आयोग एवं राज्य की अन्य योजनाओं (क्षेत्र पंचायत निधि) के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना से अकुशल मजदूरों की मजदूरी भुगतान किये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

कार्य की गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए पक्के कार्यों को कुशल एवं अनुभवी मजदूरों से ही कराये जाने का प्राविधान सम्बन्धित आगणनों में किया जाता है। ऐसे कार्य, कुशल मजदूरों से ही कराये जाते हैं तथा कार्यों की गुणवत्ता के आंकलन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति न्याय पंचायत एक-एक तथा मैदानी क्षेत्र में 02 अवर अभियन्ता की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निधि से होने वाले कार्यों का वर्क ऑर्डर जारी करने का अधिकार

23. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधायक निधि से होने वाले कार्यों का वर्क आर्डर किस अधिकारी के आदेश से जारी किया जाता है ?

क्या यह सत्य है कि जनपद ऊधमसिंह नगर में विधायक निधि से होने वाले कार्यों का वर्क आर्डर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के नाम से जारी किये जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्क आर्डर कार्यदायी संस्थाओं, प्रमुखों के नाम पर जारी किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

योजनान्तर्गत मा0 विधायकगणों द्वारा संस्तुत कार्यों के साथ-साथ कार्यदायी संस्थाओं की संस्तुति की जाती है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने स्तर से वर्क आर्डर जारी किया जाता है।

मा0 विधायकगणों द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में खण्ड विकास अधिकारियों को भी नामित किया जाता हैं। विधायक निधि के कार्यों का निर्माण टेण्डर द्वारा न कराये जाने के कारण खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों को सम्पन्न कराये जाने के लिए ग्राम स्तरीय कर्मचारियों (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) के नाम वर्क आर्डर जारी किये जाते हैं।

मा0 विधायकगणों की संस्तुति के आधार पर विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं यथा विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लो0नि0वि0, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, विकास खण्ड अपनी विभागीय प्रक्रिया के अनुसार वर्क आर्डर के माध्यम से निर्माण कार्य सम्पादित कराते हैं।

प्रमुखों के नाम वर्क आर्डर दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

विधायक निधि से होने वाले कार्यों को कुशल/अनुभवी मजूदरों द्वारा कराया जाना

24. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि विधायक निधि से होने वाले कार्यों का कार्य अकुशल मजदूरों द्वारा गणवत्ता प्रभावित होती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विधायक निधि से होने वाले महत्वपूर्ण कार्य को कुशल/अनुभवी मजदूरों से ही कराना सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी नहीं।

विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिए कुशल/अकुशल दोनों प्रकार के मजदूरों की आवश्यकता होती है।

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जिन कार्यों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ऐसे कार्यों को कुशल/अनुभवी श्रमिकों से ही सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के तकनीकी अभियन्ताओं के दिशा निर्देशन में करवाया जाता है ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग अन्तर्गत अगस्त्यमुनि में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग

25. श्रीमती आशा–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग विकास खण्ड, अगस्त्यमुनि में ग्राम बष्टी में पशुचिकित्सा केन्द्र खोलने की मांग जनता द्वारा वर्षों से की जा रही है ?

यदि हाँ, तो उक्त गांव में शीघ्र पशुचिकित्सा केन्द्र की स्थापना की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी नहीं।

जी नहीं।

सम्प्रति ग्राम प्रधान, ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम वष्टी (जनपद रुद्रप्रयाग) में पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। प्रस्ताव उपलब्ध होने के पश्चात् ही विभागीय मानकों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के जिला समाज कल्याण विभाग को वर्ष, 2007–08 एवं 9 में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए विवाह/चिकित्सा हेतु आवंटित धनराशि

26. श्रीमती अमृता रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के जिला समाज कल्याण विभाग को वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए विवाह/चिकित्सा उपचार हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी के कार्यालय में सहायतानुदान चाहने हेतु कितने प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुये हैं ?

और प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष किन–किन व्यक्तियों (नाम, पता एवं धनराशि सहित) को कितनी–कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

क्या सरकार उक्त का विधानसभावार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिये विवाह/चिकित्सा उपचार हेतु अनुदान दिये जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जलागम कार्यालय ताड़खेत से भिक्यासैंण स्थानान्तरण हेतु विचार

27. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि सहायक निदेशक, जलागम का कार्यालय ताड़खेत से लगभग एक वर्ष पूर्व स्थानान्तरित होकर भिक्यासैंण में स्थापित है ?

क्या यह सत्य है कि कार्यालय का सम्पूर्ण स्टाफ भिक्यासैंण स्थानान्तरित न होने के कारण कार्य बाधित हो रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त प्रकरण की जांच करा कर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते हुए सहायक निदेशक, जलागम के सम्पूर्ण स्टाफ को भिक्यासैंण स्थानान्तरित किये जाने पर विचार करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र रावत–

जी हाँ।

कार्यालय का सम्पूर्ण स्टाफ भिक्यासैंण में स्थापित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत बैतरिया में विनोद नदी पर पुल का पुनः निर्माण

28. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पंचायती राज मंत्री अवगत है कि जनपद अल्मोड़ा के स्याल्दे विकास खण्ड में बैतरिया (बोहरागांव) में विनोद नदी पर निर्मित पुल अत्यधिक जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण क्षेत्र वासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस पुल का पुनः निर्माण करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

पुल की मरम्मत हेतु विचार किया जा रहा है।

जिला पंचायत, अल्मोड़ा की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त पुल मरम्मत हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड राज्य में वन भूमि काबिजों को अधिकार दिये जाने हेतु लागू नियम

29. श्री केदार सिंह रावत–

क्या समाज कल्याण मंत्री अवगत हैं कि जनवरी, 2008 से लागू अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों पर मान्यता) अधिनियम, 2006, नियम 2007 लागू किए गए हैं, जिसके तहत उत्तराखण्ड राज्य में भी वन भूमि पर काबिजों को अधिकार दिए जाने हैं ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में कानून एवं नियम के कौन–कौन से प्राविधानों को किस तिथि से लागू किया गया हैं व किन प्राविधानों को लागू किए जाने की वन विभाग को छूट प्रदान की गई है ?

तथा राज्य में लागू होने की जानकारी किस पत्र क्रमांक द्वारा किस जिले के किस स्तर के वनाधिकारी व कर्मचारी को कब–कब दी गई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

जी हाँ।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के प्रावधानों के तहत शासन की अधिसूचना संख्या–1061/XVII–1/2008–01(26)/2007–TC–1, दिनांक 18 नवम्बर, 2008 द्वारा उपखण्ड स्तरीय (परगना) समिति तथा अधिसूचना संख्या–1060/XVII–1/2008–01(26)/2007–TC–1, दिनांक 18 नवम्बर, 2008 द्वारा जनपद स्तरीय समिति तथा अधिसूचना संख्या–1093/XVII–1/2008–01(26)/2007, दिनांक 27 नवम्बर, 2008 द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों में किसी भी प्रकार की छूट वन विभाग को नहीं दी गई है।

शासनादेश संख्या–439/XVII–1/2008–01(26)/2007, दिनांक 15 मई, 2008 द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा राज्य में उक्त अधिनियम लागू होने की जानकारी अधिसूचना संख्या–1061/XVII–1/2008–01(26)/2007–TC–1, दिनांक 18 नवम्बर, 2008, अधिसूचना संख्या–1060/XVII–1/2008–01(26)/2007–TC–1, दिनांक 18 नवम्बर, 2008, तथा अधिसूचना संख्या–1093/XVII–1/2008–01(26)/2007, दिनांक 27 नवम्बर, 2008 द्वारा समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तराखण्ड को दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

(माननीय सदस्य कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" अपनी बात कहते हुए 'वैल' में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हो गया है, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

(व्यवधान के मध्य)

दिनांक 15 जुलाई, 1996 के सोमवती अमावस्या के पर्व पर हरिद्वार में हुई दुर्घटना की जाँच हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेकृष्ण अग्रवाल जाँच आयोग की रिपोर्ट

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से दिनांक 15 जुलाई, 1996 को सोमवती

अमावस्या के पर्व पर हरिद्वार में हुई दुर्घटना की जाँच हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेकृष्ण अग्रवाल जाँच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखता हूँ।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत हाजी तस्लीम अहमद, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री सुरेन्द्र राकेश, काजी निजामुद्दीन, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री यशपाल बेनाम, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री प्रेम चन्द अग्रवाल की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से हाजी तस्लीम अहमद, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री सुरेन्द्र राकेश, काजी निजामुद्दीन, श्रीमती आशा नौटियाल, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री प्रेम चन्द अग्रवाल की इन सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद हरिद्वार में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति ट्रेजरी से न निकलवाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना.

*हाजी तस्लीम अहमद–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार में जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अनुसूचित छात्रों की छात्रवृत्ति बांटी नहीं गई है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि समाज कल्याण विभाग को आवंटित कर दी गयी थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अपने कर्त्तव्यों का पालन न करते हुए छात्रवृत्ति की धनराशि को ट्रेजरी से नहीं निकाला, जिस कारण से हरिद्वार में अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी और छात्रों को बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। इसमें समाज कल्याण अधिकारी की लापरवाही से अनुसूचित समाज में भारी रोष व्याप्त है। इस छात्रवृत्ति को जानबूझकर ना बांटने के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जानी अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ]

उत्तराखण्ड में यूनानी पद्धति के चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, सादर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि देवभूमि को एक पृथक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के रूप में गठन एवं अस्तित्व में आए लगभग नौ (9) वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद्धति–यूनानी चिकित्सा को अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं कराया जा सका है। राज्य सरकार की सेवार्थ की गई चिकित्सकों की भर्ती में अभी तक यूनानी चिकित्सकों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि इसके समकक्ष ही बी0ए0एम0एस0 (आयुर्वेदिक पद्धति) की भर्ती लगभग चार (4) दफा की जा चुकी है।

यह अनुचित प्रतीत होता है, जबकि सरकार द्वारा आयुष प्रदेश का दावा किया जा रहा है और आयुष के तहत मात्र एक ही पद्धति की भर्ती की जा रही है, हालांकि आयुष के अन्तर्गत चार (4) पद्धतियों का समावेश है (आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं सिद्धा पद्धति) उपरोक्त कारण से ही केन्द्र द्वारा प्रेषित अनुदान राशि का भी पूर्ण उपयोग भी नहीं हो सका है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा यूनानी चिकित्सकों की भर्ती राजकीय सेवा में की जाए तथा प्रदेश में युनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाए।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की मांग करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के ब्लॉक भगवानपुर में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद के ब्लॉक भगवानपुर में अधिकतम भूमि असिंचित है। इस लिए वहां के किसानों को सिंचाई के अभाव में प्रति वर्ष बरसात पर निर्भर रह कर ही खेती करनी पड़ रही है। जबकि पिछले वर्षों में बरसात कम होने के कारण जल स्तर भी गिर गया है। इससे इस क्षेत्र में सिंचाई के साधन समाप्त हो गये हैं। इस क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट 50 ट्यूबवैल का विभाग द्वारा बनाया गया है। लेकिन अभी तक उस प्रोजेक्ट को स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना किसानों के हित में होगा। क्षेत्रीय किसान यह मांग लेकर बहुत आक्रोशित हो रहे हैं। अतः सरकार को अति शीघ्र इस प्रोजेक्ट को मंजूर कर कार्यवाही करनी चाहिए। इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तराखण्ड राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 900 रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*काजी मौ0 निजामुद्दीन-

[मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 900 पद रिक्त हैं। यथाशीघ्र रिक्तियां न निकालने के कारण हजारों की तादाद में आरक्षित वर्ग के बी0एड0 उपाधि धारक विशिष्ट बी0टी0सी0 हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर रहे हैं। आयु सीमा पार करने के कारण बी0एड0 बेरोजगार सरकारी नौकरी पाने से वंचित रह जायेंगे जो कि न्यायोचित नहीं होगा।

आरक्षित वर्ग के बी0एड0 बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु प्रदेश भर में फैली पड़ी आरक्षित वर्ग के विशिष्ट बी0टी0सी0 के लगभग 900 रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि-विजयनगर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा-

[मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि-विजयनगर में पेयजल की भारी समस्या बनी हुई है। अत्यधिक आबादी, यात्रा मार्ग, विकास खण्ड मुख्यालय, प्रमुख शिक्षण संस्थान होने से पेयजल समस्या अत्यन्त गम्भीर बनती जा रही है। जिसके निदान के लिए स्थानीय जनता जनप्रतिनिधि तथा व्यापार संघ समय-समय पर लिफ्ट पेयजल योजना की मांग करता आ रहा है। लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण स्थानीय जनता में भारी रोष व्याप्त है तथा कभी भी आन्दोलन का रूप ले सकते हैं।

अतः आपसे आग्रह है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के नायब तहसीलदार कार्यालय थैलीसैंण में दिनांक 02 अप्रैल, 2009 को दर्ज चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 581303 पर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती अमृता रावत-

[मुझे माननीय अध्यक्ष के माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि मेरे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधानसभा क्षेत्र बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत दिनांक 02–04–09 को ग्राम भाकण्ड, पट्टी सावली, पो0 वेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल में हुई चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट नायब तहसीलदार, थैलीसैंण के कार्यालय में रिपोर्ट संख्या 581303 पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण क्षेत्रीय जनता आक्रोशित एवं आशंकित है।

इस सम्बन्ध में माननीय सांसद, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के श्री सतपाल महाराज द्वारा दिनांक 25 जून, 2009 को जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को शीघ्र जांच हेतु लिखा गया है किन्तु फिर भी इस प्रकरण पर जाँच नहीं हो पा रही है।

इसी क्रम में श्री डी0एस0 रावत, संयोजक, प्रवासी भाकण्ड निवासी से प्राप्त प्रत्यावेदन संलग्नकों सहित प्रस्तुत किया जा रहा है।

मेरा मान्यवर, से निवेदन है कि, संलग्न प्रत्यावेदन में वर्णित तथ्यों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय और लम्बित प्रकरण पर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करवाई जाय।]

प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के लिए विभिन्न समूह बीमा योजनाओं पर धन व्यय होने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, प्रदेश सरकार द्वारा जनहित के लिए विभिन्न समूह बीमा योजनाओं पर धन व्यय किया जा रहा है किन्तु व्यापक प्रचार के अभाव में इन योजनाओं का लाभ सम्बन्धित प्रभावित व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। व्यापार कर विभाग का प्रत्यक पंजीकृत व्यापारी भी इसी प्रकार की समूह बीमा योजना के अन्तर्गत बीमाकृत है। प्रचार न होने के कारण सरकार द्वारा भारी राशि व्यय करने के बाद भी प्रभावित परिवारों को इससे कोई राहत नहीं मिल पा रही है। समूह बीमा योजनाएं बीमा कम्पनियों के लिए चुपचुप धन कमाने तथा भ्रष्टाचार का साधन बन कर रह गयी हैं, जिससे प्रभावित पक्षों में अत्यन्त रोष है।

अतः इस अति लोक महत्व की सूचना पर नियम 300 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

विपक्ष के सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रकरण उठाये जाने का प्रयास

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मद संख्या 05 में मेरी सूचना है। मान्यवर, 04 जून को मेरे द्वारा विशेषाधिकार की सूचना आपको दी गयी थी (व्यवधान) आपसे अनुरोध है कि उसका संज्ञान आज लिया जाय। (व्यवधान के मध्य)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह कौन सी वाली सूचना है (व्यवधान के मध्य)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय, लक्सर में लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अभी शासन से इसका उत्तर नहीं आया है। (व्यवधान के मध्य)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए इस पर। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से जल्दी आ जायेगा। (व्यवधान के मध्य)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, इसी प्रकार से एक सूचना गन्ना विभाग सम्बन्धी है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इसी सत्र में इसका जवाब आ जायेगा। (व्यवधान के मध्य)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, इसी में एक सूचना गन्ना विभाग सम्बन्धी है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब चार-पाँच माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो जायेंगे तो ये उचित नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

हरिद्वार जाँच आयोग की रिपोर्ट (2004) को सदन के पटल पर रखे जाने की माँग

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देश से हरिद्वार जाँच आयोग की रिपोर्ट सदन में रखी गयी है यह 1996 की घटना है। इसके बाद 2004 में और घटना हुई थी हरिद्वार में, जिसकी सूचना अभी तक सदन के पटल पर नहीं आयी है अगर जाँच आयोग की रिपोर्ट 20-20 साल के बाद सदन के पटल पर आयेगी तो इसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। उत्तर प्रदेश की घटना है, उत्तर प्रदेश का शासन था 1996 में, 2009 में यह रिपोर्ट आयी है, 2004 की रिपोर्ट आज तक सदन के पटल पर नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया रिपोर्ट को शीघ्र से शीघ्र प्रस्तुत करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, ठीक है। शीघ्र से शीघ्र इसको प्रस्तुत करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, आप अवगत ही हैं कि आज इस पर चर्चा लगी हुई हैं यह 310 की परिधि में नहीं आता। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यगण और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में आ गए और जोर–जोर से अपनी–अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूचना लगी हुई है, आज सदन ने इसका संज्ञान लिया है चर्चा के लिए, कृपया स्थान ग्रहण करें। इसके लिए चर्चा निर्धारित है मैं माननीय प्रेमानन्द महाजन, माननीय हरिदास, माननीय नारायण पाल, माननीय सुरेन्द्र राकेश, माननीय सदस्यों को सुनने के बाद इसे अग्राह्य करता हूँ। क्योंकि यह चर्चा का विषय सदन के संज्ञान में है और कार्य मंत्रणा समिति इसका समय निर्धारित करेगी, इस पर चर्चा होगी। चर्चा स्वीकार हो चुकी है।

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र का मामला नहीं है। यह जो फर्जी बनाया गया है, उसका मामला है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। यह फर्जी हुआ है, इसकी जाँच होनी चाहिए। फर्जी प्रमाण–पत्र बनाया गया है और इसमें जो अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा लगी हुई है, उसमें आ जायेगा। यह नियम–310 का विषय नहीं है जब चर्चा में विषय आ जाए तो जाँच के लिए दे देंगे।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह अपराधिक मामला है। इसकी जाँच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जब होगी तब यह व्यवस्था आ जायेगी। अखबार के माध्यम से आप लोग संज्ञान ले रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए, जब तक अपने स्थान पर नहीं जाते। हर एक विषय में 'वेल' में आ जाना, हर एक विषय में दबाव डालना, यह उचित नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, सचिवालय में बन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं?

डा0 हरक सिंह रावत-

मान्यवर, सचिवालय का अपना एड्रेस दिखाकर स्थाई निवास प्रमाण-पत्र बनवाया।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, जो भी प्रकरण माननीय सदस्यों के माध्यम से आया है तो इसका परीक्षण करवा लेंगे, जॉच की एक प्रक्रिया है और जॉच करवाने के बाद उसको निरस्त किया जायेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी मा0 सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-310 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से पहली सूचना माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय की है जो वन विभाग में शासनादेश की अवहेलना करते हुए चतुर्थ श्रेणी तथा वन रक्षक के पदों पर गोरखा, नेपाली, असम, मेघालय, लद्दाख, नेफा, मणिपुर, सिक्किम व भूटानी मूल के कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह आदि की है, जो जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में 21 जुलाई, 2009 को हुई बस दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु, 86 लोगों के घायल होने तथा 15 लोगों की गम्भीर हालत के सम्बन्ध में है। राजकीय चिकित्सालय विकासनगर में उपस्थित चिकित्सकों व स्टाफ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया लेकिन ट्रामा

सेंटर के अभाव में 10 लोगों की अकाल मृत्यु के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश आदि की है जो उत्तराखण्ड में अधिकारियों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण-पत्र टेलीफोन के माध्यम से जारी किये जाने के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री प्रीतम सिंह, श्री दिनेश अग्रवाल की सूचना कल 22-07-2009 को नियम 310 में प्राप्त हुई थी और पीठ से ग्राह्यता पर सुनने की इसकी अनुमति दी गयी थी, किन्तु सदन में व्यवधान के कारण यह सूचना ग्राह्यता पर नहीं सुनी जा सकी, तो मैं आज सुन लेता हूँ।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी नियम-310 की सूचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम-310 में कहीं उल्लेख नहीं किया है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ तो यह नियम-310 की परिधि में नहीं आता है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना पढ़ लें, यह नियम-310 में नहीं आती है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, नियम-58 में कन्वर्ट कर लें, यह गम्भीर विषय है, पूरे प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा मामला है, कई बार सदन के संज्ञान में आया है कि चर्चा में है, तो गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

सदन के संज्ञान में आया पर बार-बार नहीं उठाया जा सकता है, आप कल नियम-58 में दे दें, देख लेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप कल दे दें, देख लेंगे। आज नहीं हो सकता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बहुत बड़ा गम्भीर विषय है, पूरे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य का सवाल है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, यह केवल वन विभाग की बात नहीं है। संस्कृत विभाग में इस तरह की नियुक्तियाँ हुई हैं और यह पूरे प्रदेश का सवाल है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री करन मेहरा–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका अधिकार है, आप नियम–58 में ले लें।

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 में काफी सूचना हैं इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, कल आप दोबारा दे दें, आज नहीं हो सकता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय अपनी बात को जोर से कहते हुए वेल में आ गये और अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब आपकी सूचना नियम–310 की परिधि में नहीं आती है तो मैं क्या करूं? कल आप फिर दुबारा दे दीजिए। आज मैं नियम–58 के अन्तर्गत नहीं सुन रहा हूं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप इसे नियम–310 के अन्तर्गत सुनें। हमारा अनुरोध है कि आप इसे नियम–58 के अन्तर्गत सुन लें। इसमें सारे तथ्य सामने आने चाहिए। यदि इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं होगी तो फिर किस पर चर्चा होगी। माननीय प्रीतम सिंह जी का भी बहुत गम्भीर विषय है, लेकिन ये भी गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसी गम्भीर स्थिति होगी तो सदन कैसे चलेगा? कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय अपनी सीट पर चले गये।)

*श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्य करते हुए मुझे बोलने का अवसर दिया माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 21–07–2009 को मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कालसी कूटी छ्याड़ी मोटर मार्ग पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई है और 86 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 15 लोग गम्भीर रूप से घायल हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके अतिरिक्त 10–12 लोग ऐसे थे, जिन्हें कोई चोट नहीं आयी। ये, बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, क्योंकि इन लोगों को कोई चोट नही आयी, इसलिए वे अपने घर वापस चले गये। श्रीमन्, जो बस थी, वह 42 सीटर थी और इसमें लगभग 110 सवारियों को बैठाकर यह बस कालसी से कूटी छ्याड़ी की ओर जा रही थी और ये बस दुर्घटना हुई। मान्यवर, जो बसों की स्थिति इस जनजाति क्षेत्र में है, वह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। हिमाचल प्रदेश से बसें खरीदकर जनपद देहरादून के अन्दर, या मैं यह कहूँ कि इस उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर चलायी जा रही हैं। मान्यवर, किस आधार पर उस बस को फिटनेस सर्टिफिकेट दी गयी, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ और जो बसें हिमाचल प्रदेश में कंडम हो गयी हैं, वे बसें इस प्रदेश के अन्दर चलेंगी तो निश्चित रूप से ऐसी गम्भीर दुर्घटनाएं घटित होती रहेंगी। मान्यवर, इस घटना के घटित होने से क्षेत्र की जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त है, यह बहुत गम्भीर और दुःखद घटना है। जब यह घटना घटित हुई तो, जो घायल यात्री थे, उन्हें विकास नगर, लेहमन चिकित्सालय में लाया गया और देहरादून में दून चिकित्सालय में भर्ती किया गया। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि विकास नगर के अंदर सरकार द्वारा एक ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 07 जुलाई को, जब वे लांबा विकास नगर में गये थे तो उनके द्वारा ट्रामा सेंटर का लोकार्पण किया गया और 07 जुलाई को लोकार्पण करने के बाद 12 जुलाई को एक घटना इसी कालसी छ्याणी मोटर मार्ग पर हुई, उसमें भी दो लोगों की मृत्यु हुई और कई लोग उसमें भी घायल हुए। मान्यवर, जिस ट्रामा सेंटर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 07 जुलाई को किया गया था। 12 जुलाई को घटना घटित हुई लेकिन उस ट्रामा सेंटर में कोई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण निश्चित रूप से जो गम्भीर रूप से घायल यात्री थे, उन्हें लेहमन हास्पिटल या देहरादून की ओर लाना पड़ा और उसके बाद जो 21 तारीख को घटना हुई इसमें 10 लोगों की अकाल मृत्यु हुई, 86 लोग घायल हुए और 86 में 15 लोग ऐसे थे जो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं। मान्यवर, जिस ट्रामा सेंटर का उद्घाटन माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्यमंत्री जी ने 7 जुलाई को किया, उस ट्रामा सेंटर का जो लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया और इस ट्रामा सेंटर में कोई सुविधा उपलब्ध न होने के कारण 21 तारीख को जो घटना हुई, इसमें 10 लोगों की अकाल मृत्यु हुई। इस विषय पर सरकार को गम्भीर होना चाहिए। मैं तो आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनजाति क्षेत्र में जो बसें चल रही हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनकी फिटनेस ठीक नहीं है। मैं नहीं समझ पाया कि हिमाचल प्रदेश से जो बसें आयीं, उनको इस क्षेत्र में क्यों चलाया जा रहा है ? कितने हजार किलोमीटर चलने के बाद बस कंडम होनी चाहिए, इसके लिए कोई दिशा–निर्देश नहीं हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बहुत भयावह स्थिति है, क्षेत्र के लोग बदहाल हैं, क्षेत्र में बहुत तनाव है। यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

***श्री दिनेश अग्रवाल–**

मान्यवर, एक ही माह में 2 घटनाएं एक ही क्षेत्र में हो जाना और उसके अतिरिक्त पूरे पर्वतीय क्षेत्र में लगातार इस प्रकार की दुर्घटनाओं का होना, इस प्रदेश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। पिछले कुछ समय से लगातार घटनाएं हो रही हैं, रोज जीपें गिर जाती हैं, गाड़ियाँ गिर जाती हैं और हम मात्र मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी सेटअप करके, 50 हजार का मुआवजा देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 50 हजार रुपया मृतकों के आश्रितों को दे दिया गया। मान्यवर, क्या हम अपने विभागों को चाक–चौबन्द करने के लिए कुछ कर रहे हैं, यह हमको आज सोचना होगा। क्या हमारा आर0टी0ओ0 विभाग, क्या हमारा परिवहन विभाग, क्या हमारा स्वास्थ्य विभाग, क्या हमारा आपदा प्रबन्धन विभाग और क्या हमारे ट्रामा सेंटर ठीक से काम कर रहे हैं, इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारी तरफ से क्या किया जा रहा है ? हम बार–बार घिसी पिटी बातों को करके अपनी इतिश्री कर रहे हैं। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में, आप देखिए, कभी–कभी तो लगता है, चाहे कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, उसे एक हवन करके बैठना चाहिए क्योंकि जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, उसी दिन से दुर्घटनाओं की बाढ़ आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अशुभ नक्षत्र में शपथ ग्रहण कर रहे हों और इस प्रदेश के अन्दर दुर्घटनाओं की छाया पड़ रही है। आप उठा कर देखें। मान्यवर, यह प्रश्न किसी एक जगह का नहीं है, आज पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं। अनावश्यक रूप से एक–एक गाड़ी के अन्दर, जो यूटीलिटी चल रही हैं, उनमें कितनी–कितनी सवारी बैठा कर उनको ले जाया जाता है, जो वाहन चालक हैं, वह शराब पीकर चला रहे हैं, क्या इसकी चैकिंग का हमने कोई प्रबन्ध किया है ? पूरे पर्वतीय क्षेत्र में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यात्रा रूटों पर जो सुविधाएं हमको देनी चाहिए, क्या हम दे पा रहे हैं ? आज कई बार धार्मिक क्षेत्रों में आने वाले यात्रियों से भरी हुई बसें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, यह बहुत भयावह स्थित है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ इनको गंभीरता से लें। यह राज्य के लिए इस बात का सूचक न बन जाए कि उत्तराखण्ड में जाना निरापद नहीं है। उत्तराखण्ड में जाने से निश्चित रूप से दुर्घटनाओं को जन्म देने की बात होगी। क्योंकि जो वैधानिक चैकिंग होनी चाहिए, उसमें राज्य के विभाग पूर्णतः विफल रहे हैं। आर0टी0ओ0 विभाग किस तरह से फिटनेस सर्टीफिकेट दे रहा है, यह स्पष्ट उदाहरण सामने है। क्या कर रहे हैं हम लोग ? क्या ये लोग केवल सुविधा शुल्क लेने का ही काम करते रहेंगे या कुछ और भी करेंगे ? मान्यवर, मेरा कहना है कि इस मामले में सरकार को पूर्णरूप से गम्भीर होना चाहिए। यह मसला एक जगह का नहीं है यह मसला पूरे प्रदेश का है। यह मसला इस बात का भी है कि राज्य का नाम किस तरह से देश में जा रहा है। यहाँ पर आने वाले जो लाखों-लाख यात्री हैं और जो हमारे क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जो अपनी सुविधाओं के लिए इन चीजों का उपयोग करते हैं, उनको किस प्रकार इस तरह की त्रासदी से गुजरना पड़ रहा है, इस मामले में सरकार को गंभीर होना चाहिए।

*श्री मनोज तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 310 के विषय की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मान्यवर, जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता में 21-07-2009 को एक भीषण बस दुर्घटना हुई, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 86 लोग घायल हुये हैं। निश्चित रूप से आये दिन, लगातार पूरे प्रदेश के अन्दर, हर जगह पर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। निश्चित रूप से इसमें जो परिवहन विभाग के नियम हैं, उनका पालन चाहे वह बस वाले हों या टैक्सी वाले हैं, कटिबद्ध होकर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखने के लिये शायद यह सरकार गम्भीर नहीं है। साथ ही, जैसा कि मेरे सम्मानित साथियों ने बहुत ही संवेदनशील वक्तव्य रखे, उनसे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ और जैसा कि चकराता विधान सभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है और उसकी भौगोलिक परिस्थिति भी विपरीत है, अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, वहां पर न तो व्यवस्थित रूप से मोटर के साधन हैं, सड़कों का पूरी तरह से डामरीकरण नहीं किया गया है, जो नियम हैं, उनके अनुसार चौड़ीकरण और पैराफिटों का निर्माण नहीं किया गया है। इसलिये आये दिन उस विधान सभा क्षेत्र में दुर्घटनायें होती रहती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो एक अहम बात सामने आई कि जिस ट्रामा सेन्टर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर टेक्नीशियन का अभाव है और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी साज–सज्जा पूरी तरह से नहीं हुई है। इस तरह की कोई भी घटना होने पर, चाहे इस तरह के स्वास्थ्य केन्द्र हों या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हों, उनको अगर सुसज्जित नही किया जायेगा, वहां पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को व्यवस्थित नही किया जायेगा, तो जो इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, उनमें निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जितने भी ट्रामा सेन्टर हैं, उनमें सभी संसाधन होने चाहिये और टेक्नीशियन वहां पर होने चाहिये। सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह आज परिवहन विभाग पर लगा है कि वह बस 45 सीटर थी और उसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसमें 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 86 लोग घायल हो गये, कुल 96 लोग उस बस में बैठे थे। यह बहुत ही गम्भीर विषय है, इस पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग हम लोग करते हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, आने नियम 310 के विषय की ग्राह्यता पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, चकराता विधान सभा के अन्तर्गत दिनांक 21–07–2009 को बस दुर्घटना हुई, जिसमें 10 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा, यह तो सरकार तय करेगी। लेकिन सरकार को इस मंतव्य के पीछे अवश्य जाना होगा कि वह 96 लोग उस सवारी बस में जाने के लिये, एक साथ जाने के लिये क्यों तैयार हुये। यह उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस रूट पर बसों का संचालन समय–समय के अंतराल पर नहीं किया जाता है, यह इससे परिलक्षित होता है। एक ही क्षेत्र के 96 लोग उस बस पर सवार हो रहे हों, क्योंकि वह अपनी सुविधा से उस पर सवार नहीं हुये होंगे, असुविधा से ही उसमें बैठे होंगे। तो इसके मूल कारण में सरकार को भी जाना होगा और विभाग को भी सोचना होगा कि किस तरह के परमिट उन क्षेत्रों में दिये जा रहे हैं, किस तरह की बसों का वहां पर संचालन होता है। क्या वह बसें फिटनेस में सही पाई जाती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता साथियों ने कहा कि किन्हीं दूसरे राज्यों से रिजेक्टेड बसें यहां लाई जाती हैं और उनको फिटनेस देकर यहां पर संचालन किया जाता है। यह तो और भी गम्भीर विषय है। मान्यवर, कहीं से रिजेक्टेड बसें और उनको फिटनेस देकर परिवहन विभाग, आर0टी0ओ0 विभाग ने अगर ऐसा काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि एक मन्तव्य पहले भी आया था कि आर0टी0ओ0 विभाग द्वारा गत वर्षों में एक घटना घटी थी जिसमें यही दुर्घटना के तहत फिर संज्ञान लिया गया था कि बिना फिटनेस के रिजेक्टेड बसें कैसे चलाई जा रही हैं। तो उस समय भी एक जाँच बैठायी गयी, अगर आर0टी0ओ0 विभाग की वह जाँच समय पर पूरी हो जाती कि 6 बसें बिना किसी चैसिस नम्बर के यहां पर चलायी गयी और उस समय आर0टी0ओ0 की जाँच बैठी, विभाग की जाँच बैठी। लेकिन मान्यवर, जाँच का संज्ञान आया नहीं, उत्तर आया नहीं, विभाग निरंकुश हो गया है, आज भी उसी निरंकुशता का परिणाम है कि आर0टी0ओ0 विभाग किस तरह से फिटनेस दे रहा है और किस

तरह से रिजेक्टेड बसों को यहाँ चला रहे हैं, हमारे स्थानीय नागरिकों को कालग्रसित करने के लिए सड़क पर दौड़ा रहे हैं कि ये बसें दौड़ती चली जाएं और हमारे लोग कालग्रसित होते चले जाएं। मान्यवर, यह बहुत ही अहम मसला है, इस मसले पर जैसा कि कहा गया है अगर विकास नगर के पास लेहमन अस्पताल न होता तो मैं समझता हूँ कि ये जो 88 घायल हुए हैं, उनमें से भी कुछ न कुछ काल के ग्रास में समा जाते। जब ट्रामा सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, लोकार्पण करते हैं और उसके बाद भी ट्रामा सेंटर अगर संचालित नहीं होता है तो ये प्रश्न तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे इस प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि जनता के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उनको भरोसा होता है कि ट्रामा सेंटर में हमको तात्कालिक वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जिससे प्राणों को बचाया जा सके, प्राथमिक उपचार किया जा सके। मान्यवर, यही स्थिति लगभग पूरे प्रदेश में है। कोई समय ऐसा नहीं गुजर रहा है, जब बसों की दुर्घटना न हो, जीपों की दुर्घटना न हो, यूटिलिटी की दुर्घटना न हो। अभी–अभी एक दुर्घटना तीन दिन पूर्व कुठाल के पास घटी जिसमेंएक यूटिलिटी ने एक सेंट्रो को ध्वस्त करते हुए, उन दो नौजवान बच्चों को, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गयी और वो हमारे ही क्षेत्र से थे, लेकिन इतनी तेज रफ्तार पर यूटिलिटी सामने से आ रही थी कि वो उसको बचा न सके और दो कालग्रसित हो गये। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके लिए सरकार को कड़ा निर्देश देना होगा, जाँच भी बिठानी होगी, कड़ा निर्देश देकर अगर आर०टी०ओ० विभाग, परिवहन विभाग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है तो आने वाले समय में कोई भी दुर्घटना के लिए सीधे–सीधे उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ये इतनी आसान बात नहीं है कि हमारे एक इंसान की कीमत 50 हजार देकर राहत में डाल दिया जाय। कत्ल का मुकदमा उन पर चलना चाहिए और उन तमाम लोगों के लिए 5 से 10 लाख और 20 लाख तक की मुआवजे की बात होनी चाहिए। जीवन इतना हल्का नहीं है मान्यवर, कि हमारे जीवन से खिलवाड़ किया जाय। तो मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बल देते हुए सारे काम को रोकते हुए चर्चा की मांग करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी, माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला जी, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी द्वारा इस अति महत्वपूर्ण विषय पर ग्राह्यता पर विचार रखे गये। श्रीमन् घटना का जिस प्रकार से उल्लेख माननीय सदस्यगणों ने किया श्रीमन्, निश्चित रूप से यह घटना एक दुखद घटना है। दिनांक 21.07.2009 को प्रातः साढ़े सात बजे बस संख्या–एच०पी० 07 4214, जो विकास नगर से लूनी की ओर जाते हुए कोटी ग्राम के पास हुई दुर्घटना के

सम्बन्ध में अवगत कराया गया। मान्यवर, यह वाहन, जिसकी परमिट संख्या–पी0एस0टी0पी0 3232 की वैधता 20 दिसम्बर, 2008 से 19 दिसम्बर, 2013 तक है। वाहन स्वामी का नाम श्री नसीर अहमद पुत्र स्व0 बशीर अहमद, निवासी विकास नगर, देहरादून है। यह वाहन, जिसका फिटनेस 02 दिसम्बर, 2009 तक है तथा बीमा 11 दिसम्बर, 2009 तक वैध है, इस वाहन की कुल क्षमता केवल 42 सीटर की थी, लेकिन इस वाहन में दुर्घटना के समय 96 यात्री सवार थे, जिनमें दुर्घटना में 10 यात्रियों की मृत्यु हो गयी और 86 घायल यात्रियों को उपचार हेतु अस्पताल में दाखिल किया गया। वाहन दिनांक 21–07–2009 को प्रातः लगभग 7.30 बजे विकास नगर से त्यूनी की ओर जा रहा था, कोटी ग्राम से लगभग 01 किलोमीटर पूर्व वाहन, मार्ग पर चालक की विपरीत दिशा में मार्ग से लगभग 100 फीट नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह जो घटना है, निश्चित रूप से एक अत्यन्त दुःखद घटना है और इस सूचना के माध्यम से कई सवाल माननीय सदस्यगणों ने उठाये हैं। इस दुर्घटना में तत्काल सरकार ने कार्य किया और जो पहला कार्य दुर्घटना में घायल यात्रियों को उपचारार्थ मदद करना, स्थानीय जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग के साथ इस कार्य को सम्पादित किया गया और तत्काल राहत राशि वितरित की गई, मृतकों को 50 हजार और गम्भीर रूप से घायलों को 35 हजार, कम गम्भीर घायलों को 25 हजार और सामान्य घायल को 05 हजार। ये दुर्घटना, जैसा कि माननीय सदस्यगणों ने कहा कि निश्चित रूप से हम सबको विचार करने के लिए मजबूर करती है। अगर हम देखें तो वाहन दुर्घटना के कारणों पर गौर करें तो चालक की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनायें, जिसमें यह दुर्घटना भी शामिल है, यह लगभग–लगभग 60.14 प्रतिशत चालक की लापरवाही दुर्घटना में परिलक्षित होती हैं, तकनीकी खराबी से होने वाली दुर्घटनायें लगभग 22.38 प्रतिशत है और अन्य कारणों से विभिन्न मार्ग की खराबी के कारण और ओवर लोड के कारण, ओवर लोड भी दुर्घटना का एक कारण है। इसमें लगभग 15.73 प्रतिशत ऐसे हैं जो ओवर लोड के कारण होते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि सरकार आखिर इस संबंध में क्या कार्यवाही करती है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार के माध्यम से इन दुर्घटनाओं को रोके जाने के लिए गम्भीरता से चिन्तन किया गया और उसके प्रयास भी प्रारम्भ किये गये। जैसा मैंने अवगत कराया कि चालक की लापरवाही से 60.14 प्रतिशत, वाहन की तकनीकी खराबी से 22.38 प्रतिशत, ओवर लोडिंग से 15.73 प्रतिशत दुर्घटनायें होती हैं। इसको कैसे हम न्यून करें, कैसे सीमित करें कि दुर्घटनायें न हों। अगर हम इस मूलभूत तथ्य पर चले जाते हैं तो हम इस पर अंकुश लगाने में कामयाब हो जायेंगे। इसके माध्यम से सरकार द्वारा प्रयास प्रारम्भ हुए, इसमें दो तरह के प्रयास किये गये, जिसके माध्यम से एक संयुक्त चैकिंग अभियान चलाया गया और इस संयुक्त

चैकिंग अभियान में पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग के माध्यम से यह अभियान चलाया जाता है। चूंकि इस रूट पर मैंने अभी जानकारी ली तो मान्यवर, इस रूट पर परिवहन विभाग की चैक पोस्ट नहीं है, पुलिस की चैक पोस्ट है और जो भी वाहन इस तरह से ओवर लोडेड गुजरते हैं उस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। मैं अभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर रहा हूँ कि इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करें कि जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, उनकी पुनरावृत्ति न हो। हमने प्रयास किया है कि विशेष चैकिंग अभियान चला करके भी और उसके तहत वर्ष, 2008–09 में 4815 ऐसे वाहनों को सीज किया गया। एक विषय जो माननीय सदस्यगणों ने उठाया कि वाहनों को लम्बे समय तक, लम्बी अवधि तक चलाते है। जैसा कि गुनसोला जी ने भी कहा। श्रीमन्, हमारे राज्य में जो वर्तमान प्रक्रिया परमिट दिये जाने की है उसके तहत उत्तराखण्ड में 15 वर्षों तक वाहन की आयु सीमा है। अगर हम इसको थोड़ा सा तीन राज्यों के साथ अगर हम इसका सामन्जस्य करें, तुलानात्मक अध्ययन करें तो उत्तर प्रदेश में 20 वर्ष, हिमाचल में 10 वर्ष और हमारे राज्य में 15 वर्ष। पूर्व में इसका आदेश निकाला गया था। यह सत्य है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो वाहन फिट हों वही चलने चाहिए जिससे दुर्घटनायें न हों, मान्यवर, 2005–06 में सम्भवतः इसका प्रयास किया गया था। वाहनों की आयु सीमा 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। किन्तु वह मामला उच्चतम न्यायालय में गया और वह आदेश वहाँ क्वैश हो गया। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम इस पर पुनर्विचार करें। निश्चित रूप से हमको इस पर पुनर्विचार करना होगा। विभागीय अधिकारियों को सरकार की तरफ निर्देशित कर रहा हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र करायें। हम इस बात पर भी विचार करें कि जिन राज्यों में वाहनों की आयु सीमा कम है वहाँ पर दुर्घटनाओं की क्या स्थिति है ? मान्यवर, वाहनों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती जारही है। इस वृद्धि के फलस्वरूप एक प्रतिस्पर्धा होती है और उस प्रतिस्पर्धा के कारण भी कई बार दुर्घटनायें होती हैं और इसको हम रोक भी नही सकते हैं, लेकिन हम संयुक्त चैकिंग के माध्यम से विभागीय चैकिंग के माध्यम से, अपनी चैक पोस्ट के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। मान्यवर, राज्य गठन के समय 2 लाख 75 हजार वाहन थे और आज हम 2008–09 के आंकड़ों को देखें तो 9 लाख 75 हजार वाहन संचालित हो रहे हैं। निश्चित रूप से प्रयास यह हो कि दुर्घटनाओं का मूल कारण क्या है ? जो मूल कारण हैं उस पर हमको जाना पड़ेगा। सरकार इस सम्बन्ध में प्रयासरत् है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि वाहनों की फिटनेस जारी करने की प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने का प्रयास हो रहा है और अन्य राज्यों से भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उत्तराखण्ड में आने वाले वाहनों की भी सघन चैकिंग अभियान, जैसा कि माननीय प्रीतम सिंह जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के भी वाहन

वहाँ चलते हैं, उसको भी हम गम्भीरता से लेंगे। जिन बिन्दुओं को भी माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण के उद्देश्य से उठाया है, उन सभी बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए श्रीमन्, मैं माननीय सदन से और आपसे अनुरोध करूँगा कि सरकार इस विषय पर गम्भीर है, सरकार ने त्वरित कार्यवाही की है इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करें।

श्री प्रीतम सिंह-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सभी बातों पर अपनी बात कही। जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखण्ड प्रदेश के अंदर जो वाहनों की आयु सीमा है वह 15 वर्ष है मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जहाँ आपने एक ओर 15 वर्ष की अवधि रखी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि उसमें यह भी देख लें कि वाहन कितने कि0मी0 चले हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है। मान्यवर, आयु सीमा तो 15 वर्ष है, ठीक है। लेकिन कई वाहन तो निर्धारित सीमा से अधिक चल जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री प्रीतम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दूसरा यह जानना चाह रहा हूँ, जो विकास नगर के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ट्रामा सेंटर का लोकार्पण किया, लेकिन उसके बाद भी वह ट्रामा सेंटर वहां पर संचालित नहीं हो रहा है। यह एक गम्भीर विषय है और मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी उसको तत्काल संचालित करने के निर्देश अभी देंगे और साथ ही साथ आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस रूट पर यानी चकराता जनजाति क्षेत्र में रोडवेज बस सेवा संचालित करने के निर्देश देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। साथ ही साथ मैं इस समय अखबार के समाचारों का संज्ञान ले रहा हूँ कि जब बस दुर्घटना हुई उस घटना के बाद जो बस मालिक था, उसने आर0टी0ओ0 के पास जाकर जो उसके टैक्सेस थे, उसको जमा करने का काम किया। निश्चित रूप से यह एक गम्भीर विषय है। वैसे समाचार-पत्रों का संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया जाता है, लेकिन ये दुःखद घटना है इसलिए इसका मैं संज्ञान ले रहा हूँ। चूंकि यह दुःखद घटना है इसमें तत्काल दस लोगों की मृत्यु हुई है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस घटना में माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे कि 02 लाख रुपया मृतक को, 01 लाख रुपया अधिक घायल हुए लोगों को और 50 हजार रुपया जो घायल हुए हैं, उन लोगों को दिये जाने की घोषणा करेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है, धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रीतम सिंह जी ने दो–तीन विषय कहे हैं जिस पर मैं, सम्मानित सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वाहन की आयु सीमा के संबंध में, उसके साथ–साथ कि0मी0 के प्राविधान को विचार कर लिया जाय। मै परिवहन विभाग निश्चित रूप में इस पर विचार करेगा, इस संबंध में मैं उनको निर्देशित कर रहा हूँ। मान्यवर, जहाँ तक ट्रामा सेन्टर को प्रारम्भ करने का विषय है, अगर हम उस दिन की संपूर्ण घटना क्रम को देखें तो निश्चित रूप से ट्रामा सेन्टर की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है और सदन के संज्ञान में माननीय सदस्यगण लाये हैं कि वह विधिवत संचालित नहीं हो पा रहा है तो इसको भी मैं निर्देशित करता हूँ कि वह तत्काल शुरू हो। मान्यवर, उस घटना की जानकारी ली तो 108 सेवा का बहुत अच्छा योगदान देखने को आया वहाँ पर आठ गाड़ियाँ लगी हुई थीं, वे लगातार घायलों को मदद कर रही थीं और जो सामुदायिक अस्पताल है उसका भी बहुत अच्छा रोल रहा है। श्रीमन्, इस प्रकार से सम्पूर्ण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जनता और जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सबका अधिक योगदान रहा है और वे सभी बधाई के पात्र हैं। श्रीमन्, जहाँ मुआवजे की बात रह गयी, इसमें नियमावली प्रभावित होती है, जिसमें हम 50 हजार रुपये तत्काल अवमुक्त करते हैं। इसके सम्बन्ध में हमारे द्वारा यही कार्यवाही की गयी। बस चलाने की बात कही थी, हम उस मार्ग में बस संचालित कर देंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उस मोटर मार्ग को ठीक करा देंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मोटर मार्ग भी ठीक करा देंगे।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री केदार सिंह रावत, श्री बलवीर सिंह नेगी, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा, श्री राजेश जुवाँठा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री रणजीत सिंह रावत, चौ0 यशवीर सिंह, हाजी तसलीम अहमद, श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री नारायण पाल, मौ0 शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा की कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री प्रीतम सिंह, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री केदार सिंह रावत, श्री बलवीर सिंह नेगी, हाजी तसलीम अहमद, श्री प्रेमानन्द महाजन

तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा की सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आप लोगों से अनुरोध किया है कि आप पार्टी स्तर पर तय कर लिया करें कि कौन सी सूचना देनी है और कौन सी नहीं देनी है, या आप लोग कोई रास्ता हमें बता दें। मैंने छः सूचनाएँ ले ली हैं। किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाए। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने कई बार आपसे कहा कि आप लोग पार्टी स्तर पर तय नहीं कर पाते हैं, आप लोग सदन का समय खराब कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

(श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री रणजीत सिंह रावत, श्री किशोर उपाध्याय, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा, 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान)

माननीय प्रीतम सिंह जी, आप पुराने सदस्य हैं,कृपया आप देखें यह अच्छी बात नहीं है। कृपया आप अपने सदस्यों को समझाएँ। श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी, आप तो मंत्री रहे हैं, आप ऐसी बात करेंगे, आपको पता है कि सदन कैसे चलता है। श्री रणजीत सिंह रावत जी, अगर आपको कष्ट हुआ है तो फिर मुझे बहुत बड़ा कष्ट पहुँचा है, आप इतने सुलझे हुए पुराने विधायक हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया सदन का समय न नष्ट करें। आप प्रदेश के इस महत्वपूर्ण सदन का समय खराब कर रहे हैं। आप अपने पार्टी स्तर पर तो तय नहीं कर पाते हैं और अगर मुझे करना है तो मैं अपने विवेक से करूँगा। कल देख लेंगे। कल कितनी महत्वपूर्ण सूचना होगी, मुझे मालूम नहीं है, अगर नियमों में होगा तो जरूर सुनेंगे।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

अगर धमकी वाला मामला है तो इनको पुलिस में जाना चाहिए।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री करन महरा जी और माननीय श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल जी, आपस में बात न करें।

श्री प्रीतम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरी सूचना को नियम-58 में ग्राह्य किया, उस

पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना मैंने नियम–58 के अन्तर्गत दी है वह सूचना खेल से जुड़ी हुई सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

यह साहसिक खेल अधिकारी हैं या साहसिक प्रयुक्त खेल अधिकारी हैं?

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के 8 जनपदों में जिला साहसिक खेल अधिकारी की नियुक्ति संविदा के आधार पर वर्ष 2004–05 में की गई थी, जिनका कार्यकाल वर्ष 2009 में समाप्त होने जा रहा है। श्रीमन्, वर्तमान समय में प्रदेश में सैफ गेम का आयोजन किया जाना है और ऐसी स्थिति में साहसिक खेल अधिकारियों की संविदा अवधि को नहीं बढ़ाया जायेगा, तो जो सैफ गेम प्रदेश के अन्दर होने वाले है, इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो साहसिक खेल अधिकारियों की नियुक्ति संविदा पर वर्ष 2004–05 में की गई थी, जिसकी समयावधि वर्ष, 2009 में समाप्त होने जा रही है, इसलिए मेरा आग्रह है कि इनकी संविदा पर पुनर्नियुक्ति करने की कृपा की जाए, ताकि प्रदेश के अन्दर जो सैफ खेल होने जा रहे हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है इसलिए मेरा आग्रह है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करने की कृपा करें। धन्यवाद।

*आबकारी, पर्यटन, नगर विकास एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री प्रीतम सिंह जी ने जो कार्य स्थगन के रूप में इसे सदन के सामने रखा है, उसके लिए 14 अक्टूबर, 2004 को प्रदेश में साहसिक पर्यटन की असीम सम्भावनायें और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए शासनादेश संख्या–716/VI/2004–1(6)/2004 के द्वारा 11 जनपदों में 11 जिला साहसिक खेल अधिकारियों के पद संविदा या आऊट सोर्सिंग के माध्यम से रु0 15,000 प्रति माह में 5 वर्ष की अवधि के लिए सृजित किये गये थे। इन पदों को भरने के लिए एक अर्हता निश्चित थी, एक चयन समिति का गठन भी किया गया और दिनांक 05–11–2004 को इनके लिए आवेदन मांगे गये और इनमें चयन किया गया और चयन के उपरान्त दिनांक 17–10–2005 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध हुई, इसके क्रम में 2005 में श्रेष्ठता सूची के आधार पर 8 जिला साहसिक खेल अधिकारियों को 15,000 रुपये में संविदा के आधार पर अनुबन्ध निष्पादित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए चयनित किया गया, एक वर्ष की संविदा पूर्ण होने के उपरान्त एक–एक वर्ष की संविदा बढ़ायी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाती रही और अन्तिम बार संविदा अवधि दिनांक 30-09-2009 तक के लिए बढ़ाई गई। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा तो निश्चत रूप से प्रदेश में साहसिक खेलों की असीम सम्भावना है तो उनको दृष्टिगत रखते हुये, उनके पदों की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुये उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की 12वीं बोर्ड की बैठक में दिनांक 19-01-2009 में 11 संविदा के पदों के स्थान पर 11 जिला साहसिक खेल अधिकारियों के अस्थायी पद को वेतनमान रु0 8000-13,500 में सृजित करने का प्रस्ताव रखा गया था। मान्यवर, जिसका अनुमोदन पर्यटन परिषद् की 12वीं बोर्ड बैठक में दिया गया, जिसके क्रम में पर्यटन परिषद् के पत्र संख्या-08/2-2-425/005, दिनांक 17-04-2009 द्वारा परिषद् के अधीन स्वीकृत रिक्त पदों का पदनाम परिवर्तित कर जिला साहसिक खेल अधिकारी किये जाने तथा इन पदों का वेतनमान रु0 8000-13,500 में उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इनमें वैयक्तिक सहायक, वेतनमान 5,500-9,000, एक पद, स्वागत अधिकारी, वेतनमान रु0 5,000-8,000, चार पद, आशुलिपिक वेतनमान रु0 5,000-8,000, छः पद हैं। मान्यवर, इस तरह से कुल 11 पद हैं। इसके अतिरिक्त जिला साहसिक खेल अधिकारी के पद प्रदेश में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सृजित किये गये हैं। जिनकी आवश्यकता सैफ विंटर गेम्स 2009 आयोजन तक के लिए ही न होकर प्रदेश के अन्दर वर्ष पर्यन्त निरंतर चलने वाली साहसिक गतिविधियों की संभावनाएं हैं, इसे बढ़ाने का काम भी सरकार की जिम्मेदारी है। मान्यवर, इन 08 जिला साहसिक खेल अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के संरचनात्मक ढाँचे के अन्तर्गत साहसिक पर्यटन का पृथक विंग बनाये जाने की मांग उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के माध्यम से की गयी थी, वह भी वर्तमान में शासन में विचाराधीन है, जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सितम्बर में इनकी समयावधि समाप्त हो जायेगी। क्या सितम्बर से पूर्व सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, सितम्बर में इनकी अवधि समाप्त होगी, उससे पहले ही सब सारा मामला सुलझा लिया जायेगा। हम तो संविदा की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि इनके लिए सब कुछ तैयार है हमारे पास।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लोक महत्व की सूचना पर बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के बाद उत्तराखण्ड में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्ववर्ती सरकार के समय में की गयी थी, चूंकि यह राज्य के लिए और हम सब के लिए एक सपना है कि यह राज्य एक एजुकेशनल हब के रूप में परिवर्तित हो और इस राज्य की तकनीकी शिक्षा में भी अधिक से अधिक प्रगति हो, इसके लिए तकनीकी विश्वविद्यालय बनाया गया है। मान्यवर, इस तकनीकी विश्वविद्यालय में आज स्थिति यह है कि इसमें जिन लोगों की नियुक्ति हुई, वह नॉन तकनीकी लोग हैं। यहाँ का रजिस्ट्रार ही नॉन तकनीकी है, उसको जो तकनीकी जानकारियाँ होनी चाहिए थी, इसके अंदर जितने विषय सम्मिलित होते हैं, उनमें क्या-क्या कठिनाईयाँ आती हैं, क्या-क्या दिक्कतें आती हैं ये कांउन्सिलिंग का सीजन चल रहा है। मान्यवर, वह व्यक्ति इन सबसे अनभिज्ञ रहते हुए, उसको इन सब बातों की जानकारी नहीं है और ऐसे व्यक्ति को तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का पद यदि सौंपा जायेगा तो निश्चित रूप से जो हमारा इस प्रदेश को आगे ले जाने का सपना था, उसमें निश्चित रूप से एक चिंता का विषय हमारे सामने आता हैं मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो वहां पर एल०डी०सी०, यू०डी०सी० में नियुक्तियां प्रदान की गयी हैं, इसमें एक व्यक्ति को एल०डी०सी० से स्टोरकीपर बना दिया गया है। इस तरह की अनियमितताएं यहाँ पर रजिस्ट्रार महोदय द्वारा बराबर की जा रही हैं। मान्यवर, आज इस बात का संज्ञान लेने की आवश्यकता है वह जो सब इस तकनीकी विश्वविद्यालय में हो रहा है। यह विश्वविद्यालय आगे बढ़े, सरकार ने अभी तकनीकी विश्वविद्यालय को जगह दी है कि यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय का स्वरूप बने और यह राज्य एजुकेशनल हब के रूप में आगे बढ़े, जो हम सब का सपना है। इसके लिए आवश्यक है, हम तकनीकी विश्वविद्यालय को अच्छी तरह से सुदृढ़ करें, इसमें जितनी नियुक्तियाँ हों, वे तर्कसंगत हों, नियुक्तियाँ मानक के अनुरूप हों और नियुक्तियों में कोई ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति न हो, जो व्यक्ति तकनीकी शिक्षा का ज्ञाता ही न हो और हम उसको वहाँ का सर्वेसर्वा बना दें। मान्यवर, मैं नहीं समझता हूँ कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिसकी ओर हम बढ़ना चाहते हैं, बढ़ पायेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस मामले में सरकार तुरन्त कार्यवाही करे और इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-58 के अन्तर्गत मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, प्रदेश में एक मात्र तकनीकी

विश्वविद्यालय है और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी पॉलीटेक्निक हैं, जितने भी आई0टी0आई0 हैं, वह तकनीकी विश्वविद्यालय से संचालित होते हैं और जैसा कि माननीय दिनेश अग्रवाल जी ने अपनी बात में कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय का ढाँचा ही या तो स्वीकृत नहीं हुआ है या अगर ढाँचा स्वीकृत हुआ है तो ढाँचा स्वीकृति के उपरान्त उसके अनुरूप नियुक्तियाँ क्यों नहीं की जाती ? अगर नियुक्तियाँ स्वीकृत ढाँचे के अनुरूप की जा रही हैं तो उसमें सबसे पहली नियुक्ति मैं समझता हूँ, कुलसचिव की है, जो जाँच के दायरे में आती है वह इसलिए क्योंकि जो कुलसचिव हैं, शायद वह अर्हताएं नहीं रखते। तात्कालिक व्यवस्था तो हो सकती है। तात्कालिक व्यवस्था में किसी को डेपुटेशन पर लाकर कार्य लिया जा सकता है, लेकिन यदि तकनीकी विश्वविद्यालय को संचालित करना है और कुलसचिव की नियुक्ति गलत हुई है तो जाँच के दायरे में लाकर निश्चित रूप से गलत नियुक्ति को निरस्त करते हुए, नियुक्ति के नियमों का कायदे से पालन किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरा आपके मार्फत सरकार से अनुरोध है, साथ ही जब वही कुलसचिव, जो आज उस विश्वविद्यालय को रन करते हैं, वहीं पर व्यवस्थाओं को चलाने के लिए यू0डी0सी0 और एल0डी0सी0 की नियुक्तियाँ होती हैं और नियुक्ति में भी 8 पद हैं और 10 अभ्यर्थी हैं। मान्यवर, कैसे 10 अभ्यर्थियों के बीच से 8 का चयन कर लिया गया, यह एक जाँच का विषय है। यह सब होने के बाद माननीय अध्यक्ष जी, अलग–अलग पदों के लिए अलग–अलग अर्हताएं रखी गयी हैं। मान्यवर, इंटरव्यू तो मैं देने जाता हूँ, एल0डी0सी0 का और मुझको जो नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता है, वह स्टोरकीपर का किया जाता है तो शायद अपने आप में ही यह जाँच का विषय बन जाता है। इस पूरे प्रकरण की जाँच होनी नितान्त आवश्यक है। मैं समझता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, कि तकनीकी विश्वविद्यालय का मतलब मात्र एक एफीलिएशन देने से ही नहीं है, एक काउन्सिलिंग कराने से ही नहीं है कि आपने काउन्सिलिंग करा दी तो तकनीकी विश्वविद्यालय का कार्यक्रम समाप्त हो गया। जब किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को आप एफीलिएशन देते हैं तो निश्चित तौर पर तकनीकी विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बन जाती है उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अन्दर दाखिला लेने वाले बच्चे की स्थिति क्या है ? वह इंजीनियरिंग कॉलेज मानकों के अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, वहाँ पर प्रिन्सिपल की नियुक्ति है कि नहीं, वहाँ पर फैकल्टी की नियुक्ति है कि नहीं, यह सब देखने का दायित्व उस टैक्निकल यूनिवर्सिटी का शायद होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं है तो यह एक बहुत गम्भीर अनियमितता है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, घुड़दौड़ी, जो कि पौड़ी के अन्दर संचालित किया जा रहा है, वहां पर एक खेद का विषय सामने आया, शायद वहाँ पर परमानेंट प्राचार्य की कोई व्यवस्था नहीं है, खाली देख–भाल के लिये ही वहाँ पर कोई प्राचार्य का पद ग्रहण कर रहा है। मान्यवर, वहाँ पंत नामक एक

बालक, जो वहाँ पर चौथे वर्ष का छात्र था, उसे इसी साल अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, यह उदाहरण इसलिये देना पड़ रहा है क्योंकि कितनी अजीब बात है कि यह पंत नाम का, चौथे वर्ष का छात्र, अपने ही विद्यालय के छात्र के हाथों से मारा जाय। यह प्रश्न इसलिये और गम्भीर प्रश्न बन जाता है कि यह तकनीकी विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं। खाली यहां पर तकनीकी विश्वविद्यालय के वी0सी0 के रूप में, कुलसचिव के रूप में बैठे रहना। जब उस छात्र का हत्यारा भी उसी परिसर में रह रहा हो, तो ....।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुनसोला जी, कृपया सीमित करें, माननीय दिनेश जी ने भी बहुत विस्तार से बात रखी है, आपका भी विषय आ गया है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, एक परिवार का इकलौता बेटा समाप्त होता है तो उस समय जैसी तकलीफ होती है, मैं उसका और उन माँ–बाप की भावना का इजहार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सरकार को कम से कम इस पर खेद तो प्रकट करना चाहिये कि हमारी वहां पर व्यवस्थायें सुचारू नहीं हैं, प्राचार्य वहां पर नियुक्त नहीं है। कोई न कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर नियुक्त होना चाहिये, मैं आज टैक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ तो जो हमारे पालीटैक्निक हैं, उनको भी यही तकनीकी विश्वविद्यालय संचालित करता है। पालीटैक्निकों की स्थिति आज जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि जितने भी पालीटैक्निक हमारे प्रदेश में हैं, उनमें अनुदेशक नहीं हैं और यदि अनुदेशक हैं, तो आज सरकार ने यह स्थिति कर दी है, यह और बड़ा तथा महत्वपूर्ण प्रदेश है कि देश के अन्दर यह पहला प्रदेश होगा, जिसमें पालीटैक्निक को आउटसोर्सिंग में दिया जा रहा है, यह कौन सा तौर–तरीका है कि जो अध्यापक वहाँ पढ़ा रहा है, वह आउटसोर्सिंग के मार्फत पढ़ाने के लिये वहाँ आयेगा। मैं समझता हूँ कि अगर आउटसोर्सिंग के मार्फत पालीटैक्निक कॉलेजों में नियुक्ति होती है, तो इस प्रदेश के निर्माण के लिये जिन आन्दोलनकारियों ने आन्दोलन किया, उनके ऊपर भी यह प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्योंकि वहाँ के लोगों को इनमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आदमी दिल्ली और महाराष्ट्र से आयेगा और अपने साथ और भी लोगों को वहाँ से लायेगा। हम सरकार से माँग करते हैं कि यह आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त की जाय, वहाँ पर परमानेंट नियुक्तियाँ की जायें और हमारे छात्र–छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, एक अंतिम बिन्दु है कि आई0टी0आई0 के अन्दर भी अनुदेशकों की भर्ती की जानी चाहिये, हमारे प्रदेश में जो 106 आई0टी0आई0 हैं, वह भी उसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दायरे में आते हैं। तो इन सबके लिये कौन

जिम्मेदार होगा? कम से कम जो भी उसके लिये जिम्मेदार है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिये। जांच का विषय यह है कि कुलसचिव की नियुक्ति पर जाँच बिठाई जाय, गलत प्रक्रिया से अगर किसी की नियुक्तियाँ हुई हैं, उस पर जाँच बिठाई जाय और जो प्रकरण मैंने आपके सामने रखा है, पंत का, उस पर भी जाँच बिठाई जाय कि किसकी कमी की वजह से उस बच्चे की हत्या हुई। साथ ही पॉलीटैक्निकों में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी जाय और आई०टी०आई० में अनुदेशकों की भर्ती की जाय। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की हम माँग करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल एवं श्री जोत सिंह गुनसोला जी ने राज्य की तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुये इस अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है श्रीमन्, चूँकि उत्तराखण्ड राज्य अब तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम स्थापित कर चुका है और बेहतर तरीके से इसका संचालन हो, तकनीकी शिक्षा में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों का भविष्य उज्जवल रहे और इसके संचालन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण किया जा सके, इस उद्देश्य से तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसे इस सदन ने अपनी स्वीकृति वर्ष 2005 में दी थी, यह तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसमें वर्तमान में तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संबद्धता, प्रवेश, उनकी परीक्षाएं इत्यादि का संचालन और अंक तालिकाएं समय पर उनको प्राप्त हो जाएं, इस उद्देश्य से यह विश्वविद्यालय अपना कार्य करने लगा, श्रीमन्, वर्तमान में उक्त विश्वविद्यालय हेतु ग्राम सुद्धोवाला, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून में कुल 8.372 हैक्टेयर भूमि विश्वविद्यालय को उपलब्ध हो चुकी है और निर्माण प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद इसका विधिवत् अपना भवन स्थापित हो जायेगा। जहां तक विश्वविद्यालय के ढाँचे का प्रश्न है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में एक नियमित कुलपति कार्यरत हैं, प्रति कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक के पद, ये सभी प्रतिनियुक्ति से रखे गये हैं तथा लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कुल 16 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 13 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं और जब-जब आवश्यकता पड़ती है श्रीमन्, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं श्रीमन्, ताकि विश्वविद्यालय का सामान्य कार्य प्रभावित न हो। इस बार पहली बार श्रीमन्, उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर हमने विकेन्द्रीकृत काउन्सिलिंग व्यवस्था, जो कम्प्यूटर आधारित है, उसको इस राज्य के छात्रों के सुविधानुसार प्रारम्भ किया है श्रीमन्, राज्य के 9 केन्द्रों में कम्प्यूटरीकृत, विकेन्द्रीकृत व्यवस्था सम्पादित की जायेगी श्रीमन्, माननीय सदस्यगणों ने कुछ सवाल खड़े किये हैं और कुछ जिज्ञासाएं भी की हैं। मैं,

माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रति कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, जिनके पद प्रतिनियुक्ति से भरे गये हैं, जैसा कि माननीय सदस्यगणों ने सवाल खड़ा किया है और प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं इसका परीक्षण कर लूँगा और अगर कहीं कोई कमी होगी तो उसका सुधार किया जायेगा। श्रीमन्, क्योंकि हमारा लक्ष्य उत्तराखण्ड में गुणात्मक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना है और जिसमें जो बेहतर हो सकता है, हम करने का प्रयास करेंगे। आपके महत्वपूर्ण सुझाव इस ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से आये और कुछ सवाल माननीय जोत सिंह जी ने जो बहुत विद्वान सदस्य हैं, उन्होंने कुछ और प्रश्न भी खड़े किये कि पुरुदौड़ी में नियमित प्रधानाचार्य की वहाँ पर नियुक्ति हो। पॉलिटैक्निक में अनुदेशक आउटसोर्सिंग के माध्यम से न रखे जाएं तो ये सारे विषयों का मैं परीक्षण करा लूँगा और आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारा लक्ष्य है श्रीमन्, उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा इस राज्य के बच्चों को दी जाय। ताकि राज्य एक तकनीकी शिक्षा के हब के रूप में इसकी जान पहचान बने और उस पहचान को हम कायम रख सकें। श्रीमन्, इस विषय पर सरकार पूर्व से काफी गम्भीर है, इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, दिनांक 20–07–2009 को बड़कोट तहसील, जनपद उत्तरकाशी में कोटी, बखरेटी थानी, भानकी एवं टिहरी जनपद की तहसील घनसाली में घनसाली बौर, देवंजधुरा, ज्यूदाणा, हिन्दाव, गोनगढ़, बूढ़ाकेदार, नैलचामी, केमर आदि गाँवों में बादल फटने से बहुत तबाही हुई है, वहाँ सैकड़ों खेत मय फसलों के बह गये। सरकार की ओर से अभी तक कोई पर्याप्त राहत सहायता नहीं पहुँचायी गई और मौके पर जिम्मेदार अधिकारी नहीं भेजे गये इससे पूर्व भी इस तरह की कई घटनायें प्रदेश में हो चुकी हैं। लेकिन सरकार के द्वारा समुचित, चाहे वह राहत सहायता संबंधी मामला हो, चाहे पुनर्निर्माण सम्बन्धी मामला हो, इस तरह की घटनाओं में नहरें, रास्ते आदि भी बह जाते हैं। इसमें दैवी आपदा या अन्य मदों से उसमें निश्चित रूप से सरकार के द्वारा कोई निश्चित नीति नहीं बनाई गई है। क्योंकि ऐसी घटनाओं में पूरे प्रदेश में कौन सी नीति अपनायी जाय, पुनर्निर्माण के लिए, राहत के लिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, विशेष रूप से जो सी0आर0एफ0 है, केन्द्रीय रिलीफ फंड के द्वारा दैवी आपदाओं में राहत के मानक बढ़ाये गये हैं, हालाँकि दुगुने किये गये हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वह भी अपर्याप्त है, कृषि भूमि के लिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि बाढ़ के जो मानक है वह पर्वतीय क्षेत्र के लिए भिन्न हैं और मैदानी क्षेत्र के लिए भिन्न हैं, क्योंकि जब मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो खेत जमीन मात्र डूब जाती है और कुछ समय के बाद जब पानी का स्तर कम हो जाता है, खेत यथावत् अपने स्थान में रहता है, ज्यादा से ज्यादा फसल का नुकसान होता है। पर्वतीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जब पर्वतीय नदी नालों में बाढ़ आती है और बादल फटने की घटनाओं से पूरा का पूरा खेत और जमीन ही समाप्त हो जाती है, इस तरह दोनों तरफ ही मानक भिन्न हैं, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि बाढ़ के मानकों को पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बिल्कुल अलग से निर्धारित किया जाय क्योंकि उसमें पूरी जमीन ही समाप्त हो जाती है। यह जो घटना दिनांक 20-07-2009 को हुई इसके लिए तत्काल राहत सहायता और पुनर्निर्माण होने चाहिए चाहे नहरें हों या चाहे रास्ते हों उसके लिए सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी। मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री बलबीर सिंह नेगी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस बेहद संवेदनशील विषय पर, इसकी ग्राह्यता पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। श्रीमन्, दिनांक 20-07-2009 को जनपद उत्तरकाशी में और जनपद टिहरी गढ़वाल में इससे पहले भी घनसाली के अन्दर घनगोला गिरने से केवल घनसाली में ही नहीं, हिन्दाव में, नैलचामी में, न्याय पंचायत क्षेत्र अपर केमर में, गोनगढ़ में, बासर में और थाती गकड़ पट्टी में जगह-जगह घनगोले गिरने से किसानों के खेतों की गम्भीर क्षति हुई है, उनकी फसलों की गम्भीर क्षति हुई है। केवल खेतों की ही नहीं, कितने ही जगह जैसे पिनस्वाड़ का क्षेत्र है, जो 09 हजार फीट की ऊँचाई पर बसा गाँव है, मान्यवर, वहाँ राशन भेजने के लिये भी कोई रास्ता नहीं है। सम्पर्क मार्ग टूट गये हैं, खच्चर, मार्ग टूट गये हैं, पुलों की क्षति हो गई है। सम्पर्क मार्ग के पुल टूट गये हैं। मान्यवर, उसी तरह से मेढ में मरवाड़ी में, नेवाल गाँव में, गैंवाली में, जो भी सम्पर्क मार्ग थे, सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दूसरी ओर मान्यवर, इस प्रदेश का आपदा प्रबन्धन मंत्रालय हाथ पर हाथ धरे बैठा है। खाद्यान्न का गम्भीर संकट पैदा हो गया है दूर-दराज के क्षेत्र, जो साधन विहीन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में खाद्यान्न कैसे पहुँचे, भूख से लोगों के जीवन को कैसे बचाया जाए, इसके बारे में प्रदेश सरकार कुम्भकर्णी निद्रा में सोई हुई है। तमाम पेयजल की योजनायें ध्वस्त हो गई हैं।

पुल सम्पर्क मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं। कई जगहों के मोटर मार्ग जैसे बूढ़ाकेदार, कोट विसण–च्यूणी मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी ओर आपदा प्रबन्धन मंत्रालय की ओर से कोई रिलीफ, इसकी समस्या के समाधान के लिए आपदा प्रबन्धन मंत्रालय की ओर से कोई भी आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है। यह बहुत ही गम्भीर चिन्तनीय विषय है। इसलिए मान्यवर, मैं इस विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत जी और माननीय सदस्य श्री बलवीर सिंह नेगी द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2009 को बड़कोट तहसील, जनपद उत्तरकाशी में कोटी बखरेटी थानी, मानकी एवं टिहरी जनपद की तहसील घनसाली में घनसाली बौंर, देवजपुत, ज्यूदाणा, हिन्दाणा, गोनगढ़, बूढ़ाकेदार, नैलचामी, केमर आदि कई गाँवों में बादल फटने से हुए नुकसान से सम्बन्धित यह सूचना दी गई है। मान्यवर, इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 18.07.09 को जनपद की तहसील बड़कोट के अन्तर्गत बनाल पट्टी में रात्रि लगभग 11.00 बजे अत्यधिक वर्षा होने के कारण बनाल खड्ड तथा गनोल्टा खड्ड में अत्यधिक पानी से व भूस्खलन के कारण खड्ड से लगे हुए ग्राम गौना, ईडक, गडोली, कोटी बनाल, थानकी, कुड, क्वालगाँव तथा डख्याटगाँव के काश्तकारों की लगभग 3.00 है० कृषि भूमि मय फसल के मलबे से दबकर तथा कुछ भूमि दरियाबुर्द हो गई थी। उपरोक्त के अतिरिक्त भूस्खलन के कारण ग्राम कुड में श्री विजयपाल सिंह, महिदेव सिंह एवं श्री चैन सिंह के आवासीय भवनों को खतरे की सम्भावना है। उक्त घटना में किसी प्रकार की जन/पशु हानि नहीं हुई है। उक्त तिथि को हुई अतिवृष्टि से गडोली–राजगढ़ी मोटर मार्ग पर कुड पुल से मानी तक मोटर मार्ग जगह–जगह क्षतिग्रस्त हुआ है तथा उपरोक्त खड्डों से निकलने वाली क्षेत्र की सिंचाई गूलों के हेड भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तत्काल मरम्मत/वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि की क्षति का आंकलन करवाया जा रहा है। विस्तृत आंकलन के पश्चात् प्रभावित काश्तकारों को अनुमन्य राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी और तहसीलदार, बड़कोट को निर्देशित किया गया है। जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील घनसाली से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20.07.2009 को बादल फटने की क्षति की कोई सूचना नहीं है। यद्यपि 10 जुलाई, 2009 को हुई वर्षा से ग्राम होल्टा में 3.023 है० भूमि, दिनांक 12.07.09 को हुई वर्षा से ग्राम तोली थाती कठूड़ में लगभग 2 है० भूमि, दिनांक 14.07.09 को हुई वर्षा से घनसाली के समीप पट्टी नैलचामी के बांध में 0.5 है० भूमि एवं दिनांक 18.07.09 को हुई वर्षा से ग्राम देवन

मिलंग में 0.80 है0 कृषि भूमि की क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है। इन घटनाओं की जांच एवं क्षति का आंकलन कर नियमानुसार अनुमन्य राहत सहायता वितरित करने के निर्देश दे दिये गये हैं। यहाँ जिन विषयों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यगणों के द्वारा अवगत कराया गया कि इस आपदा राहत धनराशि के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जाय। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2005 से 2010 के लिए आपदा राहत कोष (सी0आर0एफ0) व राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष (एन0सी0सी0एफ0) से देय सहायता हेतु पुनरीक्षित मदों एवं मानकों की सूची गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.06.2007 को आदेश निर्गत किये गये हैं और उनके मानक निर्धारण किये गये थे। सम्पूर्ण आपदा राहत कोष से जो भी अनुसूचित दस आपदाएं हैं, उन दसों आपदाओं के लिए धनराशि राहत कोष से अनुमन्य है और जो राहत सहायता दी जाती है, वह इसी आपदा राहत कोष के आधार पर जो मानक निर्धारित हैं, वह छोटे एवं सीमान्त कृषकों को सहायता दी जाती है, एक कृषि भूमि से अवसाद हटाने के लिए इसमें रुपया 6,000 प्रति हैक्टेयर, दूसरा पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से मलबा हटाने के लिए, इसमें रु0 6,000 प्रति हैक्टेयर, तीसरा भू-स्खलन, हिमस्खलन या नदी के मार्ग बदलने के कारण भूमि की क्षति पर रु0 15,000 प्रति हेक्टेयर और बादल फटने व भू-स्खलन से कृषि एवं बागवानी फसलों को हुई क्षति के सम्बन्ध में कृषि, बागवानी व सालाना फसलों के लिए असिंचित क्षेत्रों में रु0 2,000 प्रति हैक्टेयर, सिंचाई वाले क्षेत्रों में रु0 4,000 प्रति हेक्टेयर, बंजर या अनबोयी भूमि के लिए कृषि निवेश अनुदान देय नहीं होगा, कम भू-स्वामित्व वाले किसी भी छोटे कृषक को देय सहायता राशि रु0 250 से कम नहीं होगी। इसमें मानक निर्धारित किये गये हैं। उन्हीं मानकों के आधार पर धनराशि वितरित की जाती है इस धनराशि में 75 प्रतिशत केन्द्रांश और 25 प्रतिशत राज्यांश सम्मिलित होता है, दिया जाता है।

श्री बलवीर सिंह नेगी—

मान्यवर, जो मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जहां यातायात की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गयी है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

श्री प्रकाश पन्त—

मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि जो भी मोटर मार्ग जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन मोटर मार्गों को तत्काल विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप इनकी मरम्मत करें, सरकार पूरी तरह से इस विषय पर बहुत गम्भीर है। अतः इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री केदार सिंह रावत—

मान्यवर, 2,000 रुपये प्रति हैक्टेयर बताया गया है। यह 40 रुपये प्रति नाली

हिसाब से है, जबकि पर्वतीय जिले में अधिकतर बाढ़ के द्वारा पूरी जमीन ही बह जाती है। क्या इस प्राप्त राशि को बढ़ाने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपदा राहत कोष के मानकों के हिसाब से ही होता है।

श्री अध्यक्ष–

श्री केदार सिंह रावत तथा श्री बलवीर सिंह नेगी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर मेरा विषय नियम–58 में आज उर्दू पढ़ने वाले बच्चे और उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापकों की नियुक्ति पर है मान्यवर, प्रदेश में बेरोजगार बच्चे, उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर अल्पसंख्यक हैं, इस पर आज सरकार गम्भीर नहीं है वर्ष, 2005 से लेकर प्रदेश में इस तरह का कोई सर्वे नहीं कराया गया है कि कितने विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं और कितने पढ़ाने वाले अध्यापक हैं ? इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। वर्ष 2005 में सिर्फ लक्सर ब्लॉक की रिपोर्ट है और प्रदेश की बहुत दूर की बात है, जहां पर सिर्फ 19 विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने वाले सहायक अध्यापक हैं और जहाँ पर 43 विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ अध्यापक नहीं थे, इसके बाद भी सरकार इस पर कभी भी गम्भीर नहीं हुई है और उनमें भी सिर्फ 06 नियुक्तियाँ हुई हैं। उसमें भी उन लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, उसके बाद ही यह सरकार उनको नियुक्तियाँ दे पायी। पहले तो इन उर्दू अध्यापकों को नियुक्तियाँ देने को कोई तैयार ही नहीं है। आरक्षित पद हैं, जो आरक्षण है वह भी पूर्ण नहीं हुआ है। मान्यवर, ऐसे विद्यालयों की सूची हमारे पास है जहाँ पर उर्दू पढ़ने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चे अध्ययनरत् हैं, परन्तु वहाँ पर सहायक अध्यापक, उर्दू नियुक्त नहीं है। वे विद्यालय निम्न है :–रा०प्रा०वि० लादपुर कलां–228, रा०प्रा०वि० मखियाली खुर्द–271, रा०प्रा०वि० भुरना–14, रा०प्रा०वि० भुरनी खतीरपुर–15, रा०प्रा०वि० नरोजपुर–117, रा०प्रा०वि० मुबारिकपुर–58, रा०प्रा०वि० बहादरपुर डेरा–162, रा०प्रा०वि० मखियाली कलां–164, रा०प्रा०वि० सेठपुर–34, रा०प्रा०वि० सुभाषगढ़–12, रा०प्रा०वि० अकौढ़ा कलां–23, रा०प्रा०वि० केहड़ा–23, रा०प्रा०वि० गंगनौली–1, रा०प्रा०वि० लक्सर बाजार–47, रा०प्रा०वि० लक्सर ग्राम–88, रा०प्रा०वि० सीमली–1, रा०प्रा०वि० खेड़ी कलां–12, रा०प्रा०वि० सलेमपुर बक्काल–102, रा०प्रा०वि० मुंडाखेड़ा कलां द्वितीय–40, रा०प्रा०वि० खरजा कुतुबपुर–158, रा०प्रा०वि० नगला खिताब–38,

रा०प्रा०वि० पीपली–20, रा०प्रा०वि० सुल्तानपुर प्रथम–280, रा०प्रा०वि० सुल्तानपुर द्वितीय–123, रा०प्रा०वि० सुल्तानपुर आदमपुर–510, रा०प्रा०वि० महतौली–74, रा०प्रा०वि० मिक्कमपुर जीतपुर–198, रा०प्रा०वि० बाढ़ीटीप–61, रा०प्रा०वि० निरंजनपुर–34, रा०प्रा०वि० खानपुर–80, रा०प्रा०वि० ब्रह्मपुर–15, रा०प्रा०वि० कंकरखाता–47, रा०प्रा०वि० महाराजपुर खुर्द–12, रा०प्रा०वि० डूंगरपुर–12, रा०प्रा०वि० पुरवाला–7, रा०प्रा०वि० रायसी–3, रा०प्रा०वि० दरगाहपुर–103, रा०प्रा०वि० कुड़ी हबीबपुर–33, रा०प्रा०वि० हबीबपुर–2, रा०प्रा०वि० नैतवाला सैदाबाद–2, रा०प्रा०वि० कुड़ी नैतवाला–14, रा०प्रा०वि० बीजोपुर–58। मान्यवर, इन विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त नहीं हैं, इसके अलावा ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पर उर्दू पढ़ने वाले बच्चे, अल्पसंख्यक बच्चे, अध्ययनरत नहीं हैं परन्तु वहाँ पर सहायक अध्यापक उर्दू की नियुक्ति की गयी है। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इसलिए मैं इस पर सारी सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

*विद्यालयी शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, उल्लेखनीय है कि जनपद हरिद्वार में सहायक अध्यापक उर्दू के कुल 106 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 81 पद सामान्य वर्ग के लिए, 21 पद अनुसूचित जाति एवं 4 पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। वर्तमान में केवल 12 पद सहायक अध्यापक उर्दू के रिक्त हैं, जिनमें से 08 पर अनुसूचित जाति के एवं 04 अनुसूचित जनजाति के हैं। इन रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की जायेगी। पदों पर तैनाती के लिए, कार्यवाही के लिए निदेशक को निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र तो हैं पर उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जिस विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 25 या 25 से अधिक हो वहीं पर अध्यापकों की मानकानुसार तैनाती की जाती है।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, वर्ष, 2005 के बाद में आपने कितनी नियुक्तियाँ दी हैं, इन्हें स्पष्ट कर दें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, वर्ष, 2005 के बाद 13 रिक्त पद भरे गये हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, 13 में से 43 पूरे हो गये।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, 12 पद अन्य भरे जाने हैं, जिसके लिए निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है और शीघ्र इनकी नियुक्ति हो जायेगी और बाकी के जो विद्यालय हैं जहाँ 25 बच्चों से ज्यादा उर्दू पढ़ने के इच्छुक होते हैं, उनमें एक अध्यापक को भरने का प्राविधान है और जो 36 विद्यालय हैं, जहाँ पर सम्भावना है कि छात्र हैं, तो उनकी गणना कराई जा रही है, शीघ्र ही प्रक्रिया होगी।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, मेरा एक सवाल है माननीय मंत्री जी से, कि हम यह कहते हैं कि पूरे उत्तराखण्ड में जहाँ जितने विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं और जहाँ 10 बच्चों की कम से कम संख्या है वहाँ उर्दू अध्यापक अनिवार्य होने चाहिए, यह सर्वे कराकर होना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अभी 25 बच्चों का प्राविधान है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि उर्दू की किताबें कब दी जा रही हैं और क्या लगातार दी जा रही हैं और कब दी गई ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उर्दू की किताबें लगातार दी जा रही हैं, हर साल सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसको छपवा रहे हैं, जहाँ किताब कम होंगी वहाँ तत्काल व्यवस्था करेंगे।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, उत्तराखण्ड बने 9 साल हो गये हैं और किताबें छप रही हैं, बच्चों के साथ घोर अन्याय है, किताब कहाँ से दी जायेंगी जब उसको पढ़ाने वाला ही नहीं है, बच्चों को वैसे भी शिक्षा से वंचित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हाजी तस्लीम अहमद और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड में निवास कर रहे बंगला भाषी, जिनकी जातियाँ, उप जातियाँ नमः शूद्र, पौण्ड, मांझी जाति के लोग हैं, इन लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति की सूची में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए जब से बसे हैं तब से आंदोलन किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को एन्थ्रोपोलिजिकल सर्वे के लिए लिखा था क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रदेश सरकार के द्वारा संस्तुति गई है, भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट को, लेकिन सर्वे रिपोर्ट न होने के कारण वहाँ कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई। मान्यवर, पिछली सरकार के समय में चिट्ठी आयी थी, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री एन0डी0 तिवारी जी ने पंतनगर यूनिवर्सिटी को पैसा भी दिया और वह जो मेरी जानकारी में है कि सर्वे रिपोर्ट आये हुये लगभग ढाई–तीन वर्ष हो गये, शासन में आये हुये, परन्तु अभी तक वह सर्वे रिपोर्ट सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट को नहीं गयी। उसके बाद इसी बीच वर्तमान सरकार ने दिनांक 27 फरवरी, 2009 को इसी विधान सभा से सर्वसम्मति से संकल्प पारित करवाकर उसकी कॉपी भी भारत सरकार को भिजवा दी है परन्तु अभी तक जो सर्वे की रिपोर्ट है, वह सर्वे की रिपोर्ट नहीं गई है और जब तक सर्वे रिपोर्ट नहीं जायेगी तब तक इस विषय पर भारत सरकार कोई कार्यवाही शायद करने के लिए राजी नहीं है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा–पत्र में और कॉग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा–पत्र में सब ने उत्तराखण्ड में रह रहे बंगाली जो 2–3 उप जातियाँ हैं जो भारत वर्ष के सात स्टेटों में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। मान्यवर, यहाँ पर हमारी सरकार अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ाई के मामले में समान वजीफा दे रही है परन्तु इनको अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित कराने का वायदा करके, उस वायदे को पूरा नहीं कर रही है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि अतिशीघ्र वह रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेण्ट को भिजवा दें और इसके लिए जो आवश्यक प्रयास है, क्योंकि ये थोड़े से लोग हैं, जब तक प्रदेश स्तर पर यहाँ के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के मंत्री और कॉग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ और प्रतिपक्ष के माननीय नेता से भी कहना चाहता हूँ कि जब तक आप लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर सम्मिलित प्रयास नहीं होगा तब तक इस समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल पायेगा, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, बंगाली विस्थापित समुदाय चाहे वह नमः शूद्र, पौण्ड व मांझी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो इनको अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए हमारी सरकार दिनांक 27 फरवरी, 2009 को एक सरकारी संकल्प लायी और यह संकल्प भारत सरकार को भेज दिया गया है। दूसरा मेरा निवेदन है जैसा कि माननीय प्रेमानन्द महाजन ने कहा इस जाति के सर्वे के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया है और माननीय विधायक जी भी स्वीकार करते हैं कि 99 प्रतिशत बंगाली समुदाय, जो कि नमःशूद्र हैं, पौण्ड हैं व मांझी हैं, इनका स्तर निम्न है, अर्थात् इनका शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर निम्न हैं। इनकी संस्तुति इन्होंने 90 प्रतिशत की है। आपने कहा कि सरकार ने यह रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि दिनांक 19 अगस्त, 2008 को भारत सरकार को अग्रेतर कार्यवाही हेतु यह संस्तुति भेज दी गयी है और हमारी सरकार बंगाली समुदाय की नमःशूद्र, पौण्ड व मांझी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है यह भारत सरकार के द्वारा निर्णय होना है और हम प्रयास करेंगे कि भारत सरकार द्वारा इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाय।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, हमारे समाज कल्याण विभाग से अभी मैंने पूछा था, जो मुझे वहाँ से पत्रावली मिली, इसमें सर्वे रिपोर्ट का कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी मुझे यह रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अब बात आ गयी है मा0 मंत्री जी ने जो सूचना दी है, माननीय मंत्री जी से आप बाद में बात कर लीजिए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरे पास दोनों पत्र पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रेमानन्द जी और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं अपराह्न 3:00 (तीन) बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–8 पर माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1604450 हजार (एक सौ साठ करोड़ चौवालीस लाख पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कृषि एवं कृषि शिक्षा से सम्बन्धित वर्ष, 2009–10 का आय–व्ययक प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। विभागीय कार्यकलापों का प्रगति विवरण एवं कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका सदन के समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें प्रगति के बिन्दुओं को समेटने का प्रयास किया गया है। कृषि विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ, तराई भाबर के मैदानों से लेकर शीत कटिबंधीय क्षेत्र तक फैले उत्तराखण्ड राज्य को चार एग्रोक्लाइमेटिक जोनों में विभक्त किया गया है, जो समुद्र तल से लगभग 300 मीटर से 7000 मीटर तक फैला हुआ है राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का 56 प्रतिशत भाग पर्वतीय तथा 44 प्रतिशत भाग मैदानी है। जलवायिक विविधता के कारण जैव विविधता इस राज्य की मुख्य विशेषता है, जो इसे अन्य राज्यों की तुलना में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। इन विशिष्टताओं के कारण ही यहाँ कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं सिंचित भूमि में प्रायः धन्य फसलें ली जाती हैं तथा वर्ष में कम से कम दो फसलें अवश्य ली जाती हैं, जबकि वर्षा आधारित क्षेत्र में कदन्न धान्य जैसे मंडुवा एवं सांवा तथा दलहनी, तिलहनी फसलें प्रमुखता से ली जाती हैं वर्षा आधारित क्षेत्र में मिश्रित फसलें लेने से सूखे जैसी आपदा से उत्पादन में जोखिम कम रहता है। अतः मिश्रित फसलों की बुवाई का प्रचलन काफी लोकप्रिय है, तराई भाबर का क्षेत्र काफी उपजाऊ है, गेहूँ, धान एवं गन्ना यहां की मुख्य फसलें हैं। समशीतोष्ण क्षेत्र फसलों की विविधता से परिपूर्ण है, इससे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र सगंध पादपों एवं औषधीय पादपों की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। उत्तराखण्ड राज्य में कुल 56.68 लाख हेक्टेयर में से 7.61 लाख हेक्टेयर में खेती होती है, जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 13.42 प्रतिशत है। कृषि के अन्तर्गत बहुत कम क्षेत्रफल होने के बावजूद इसका कृष्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा जैसे पर्वतीय राज्यों से बड़ा है। अतः कृषि विकास के दृष्टिकोण से अन्य पर्वतीय राज्यों की तुलना में उत्तराखण्ड एक महत्वपूर्ण राज्य है। पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट धान्य एवं दलहनी फसलें, बेमौसमी सब्जियां,फल, औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती के समुचित विकास से राज्य की आर्थिक विकास की गति को तीव्र

किया जा सकता है। अतः वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना में सीमित संसाधनों के बावजूद कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर प्राप्त रखने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, राज्य में गेहूँ के अन्तर्गत 30.8 प्रतिशत क्षेत्राच्छादन के साथ-साथ कुल बोये गये क्षेत्र का महत्तम भाग आच्छादित होता है, जबकि धान 23.9 प्रतिशत, मंडुवा 10.9 प्रतिशत, गन्ना 9.1 प्रतिशत, सांवा 5.4 प्रतिशत, मक्का 2.7 प्रतिशत, दलहनी फसलें 2.5 प्रतिशत, तिलहनी फसलें 1.9 प्रतिशत तथा अन्य फसलों के अन्तर्गत 12.8 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित होता है। गेहूँ के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र होने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में इसका स्थान सर्वोपरि है। गेहूँ में अधिक उपजदायी प्रजातियों के बीज प्रतिस्थापन तथा सिंचन क्षमताओं के साथ-साथ पौध सुरक्षा के समुचित उपायों से उत्पादन में लगातार सुधार हुआ है। वर्ष, 2006-07 में गेहूँ का उत्पादन 8.01 लाख मैट्रिक टन तथा वर्ष 2007-08 में 8.14 लाख के उच्चतम स्तर पर पहुँचा है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक परिस्थितियाँ विपरीत होने के बाद भी पर्वतीय क्षेत्र में अनावृष्टि होने के कारण, इसके बाद भी 07-08 में उपज में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वर्ष, 2008-09 में पर्वतीय क्षेत्रों में रबी के मौसम में सूखे के कारण रबी उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। किन्तु इसके विपरीत मैदानी क्षेत्रों में, जहां सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हो रही है, वहां गेहूँ के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 48 हजार मीट्रिक टन की अतिरिक्त वृद्धि प्राप्त हुई है। राज्य में अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण सिंचाई की सुविधायें मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित है। मैदानी क्षेत्र में ....

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो बजट भाषण पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह परिपाटी है कि आप पढ़ेंगे नहीं, यदि आंकड़े आदि के लिये चाहें तो इसकी सहायता ले सकते हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी पर्वतीय कृषि का जो लगभग 88 प्रतिशत भू-भाग है, वह असिंचित है। जबकि मैदानी क्षेत्र में 90 प्रतिशत का हमारा सिंचित क्षेत्र है, इसके बावजूद हमारे कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह हमारे प्रदेश के लिये एक उत्साहवर्द्धक खबर है और अच्छा लक्षण है, मैं समझता हूँ कि हमारे सम्मानित विधायक, काजी साहब, वह भी इस बात से प्रसन्न होंगे। मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि आई0सी0डी0पी0 में जो श्रीधान पद्धति है, इससे भी हमारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इस योजना को और लोकप्रिय

बनाने के लिये हम समय–समय पर जनजागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे कि जो हमारी धान्य फसलें हैं, उनमें और वृद्धि की जा सके। दूसरी बात मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि वर्ष, 2008–09 में 100 मीट्रिक टन जैव उर्वरक वितरित किये गये थे, जिसके सापेक्ष वर्ष, 2009–10 में 112 मीट्रिक टन जैव उर्वरक के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। हमारे यहां सूक्ष्म तत्व के रूप में जिंक की अत्यधिक कमी पाई गई है। अतः वर्ष, 2009–10 में 2400 मीट्रिक टन सूक्ष्म तत्व के वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश में कृषि कार्यक्रम के विकास के लिये हमने सिंगल विंडो सिस्टम को अपनाया है। हमारा प्रदेश, देश में ऐसा पहला प्रदेश है, जहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है और कृषि विभाग का जो ढाँचा है, वह मंडल स्तर पर ही अभी तक था, जो 95 विकास खण्ड हमारे प्रदेश में हैं, उनमें ही कृषि निवेश उपलब्ध होता था। मान्यवर, आज हम न्याय पंचायत स्तर तक कृषि निवेश अपने किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और प्रदेश की 670 न्याय पंचायतों तक विभागीय ढाँचा प्रशासनिक निर्णय के आधार पर हमने लिया है और उसके कारण आज पूरे प्रदेश में कृषि के प्रति एक जागृति आयी है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में आज जो कृषक महोत्सव हम कर रहे हैं, ये रिकार्ड है कि तीन कृषक महोत्सव अभी हमारे प्रदेश में हुए हैं। साल में दो बार कृषक महोत्सव कर रहे हैं। लगभग दो लाख से अधिक किसानों ने इन कृषक महोत्सव में कुल मिला कर अभी इसमें भागीदारी की है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन कृषक महोत्सवों के माध्यम से हमारे वैज्ञानिक जो शोध कर रहे हैं, उन शोधों की लेटेस्ट जानकारी किसान तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसमें पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सहकारिता और जो रेखीय विभाग हैं, मत्स्य है, पशुपालन है, उनकी बड़ी मात्रा में इसमें भागीदारी होती है और मैं बताना चाहूँगा कि आज किसानों की इसके प्रति लगातार रूचि बढ़ रही है और मैं सम्मानित सदन को यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि इस बार इसके लिए हमने न्याय पंचायत स्तर पर कृषक महोत्सव के लिए हमने एक समिति बनाई है जिसमें हमने कहा है कि न्याय पंचायत में जितने भी गाँव के प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं, वो सब भी उस आयोजन समिति के सदस्य होंगे और उन सब के माध्यम से कृषक महोत्सव को और व्यापक बनाने की कोशिश हो रही है और सभी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की गयी है कि वो निश्चित रूप से अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों में इन महोत्सवों में भाग लें, ये हमारी कोशिश हो रही है। हम प्रति माह सात तारीख को कृषक दिवस के रूप में मना रहे हैं और प्रत्येक सात तारीख को न्याय पंचायत केन्द्र पर हमारे कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं, हमारे पशुपालन विभाग के जो कर्मचारी हैं, डाक्टर हैं और साथ ही जो हमारे मत्स्य से जुड़े हैं, उद्यान

से जुड़े जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, वे प्रत्येक माह की सात तारीख को कृषक दिवस के अवसर पर न्याय पंचायत केन्द्र पर उपलब्ध रहेंगे और वहाँ पर किसानों की जो जरूरतें हैं, उनकी जो डिमांड है, उसको भी लेंगे और जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी करेंगे और ज्ञान का आदान–प्रदान करेंगे, मैं समझता हूँ कि जो बहुत बड़ी चीज है तो सात तारीख को ज्ञान का आदान–प्रदान भी किया जायेगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 कृषकों को रु0 10 हजार की प्रति कृषक, जिला स्तर से 8 श्रेष्ठ कृषकों को 25 हजार रुपये प्रति कृषक तथा राज्य स्तर पर 10 श्रेष्ठ कृषकों को 50 हजार रुपये प्रति कृषक की दर से पुरस्कार भी देंगे। साथ ही कृषकों को दूसरे प्रदेशों में अध्ययन के लिए भी हमने भेजने का निर्णय लिया है और प्रत्येक विकास खण्ड में 4–4 फार्म स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक स्कूल पर 61 हजार रु0 उनको वार्षिक दिया जायेगा। इस तरह से एक यह नई पहल, जिसमें किसानों को उन्नत तकनीकों की जानकारी और जो भी रिसर्च होती है, उसकी जानकारी फार्मर्स को दी जायेगी। मैं साथ ही यह भी बताना चाहता हूँ कि मानसून की अनियमितता के कारण जरूर कुछ दिक्कतें आ रही हैं और उसके लिए हमने फसल बीमा योजना लागू की है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो फसल बीमा योजना है, उसमें हमने कुछ जिले और आच्छादित किये हैं और हमारी कोशिश है कि किसानों को जो भी नुकसान हो रहा है, उसको हम इन्श्योरेंस कम्पनियों के माध्यम से (व्यवधान)

255 मिलीमीटर होती थी, जनवरी से अप्रैल–मई के बीच में, इस बार केवल 65 एम0एम0 हुई है। मैं गोविन्द बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहां पर कृषि ग्रामीण उद्योग व्यापार एवं शोध कार्यों को लगातार हम बढ़ावा देते रहे हैं और विश्वविद्यालय में 49 वर्षों की अपनी यात्रा में कृषि, बागवानी, पशुपालन, पशु चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, मौलिक विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन तथा वानिकी और मत्सकीय के क्षेत्र उच्चतम शिक्षा शोध के माध्यम से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। देश में हरित क्रान्ति के जनक के रूप में पंतनगर विश्वविद्यालय को जाना जाता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं कुछ उपलब्धियाँ पंतनगर विश्वविद्यालय की रखना चाहूँगा, इस विश्वविद्यालय के 10 महाविद्यालयों में वर्तमान में 136 पाठ्यक्रमों, जिनमें 16 स्नातक, 70 मास्टर्स तथा 50 पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम हैं। इनमें शिक्षण कार्य सम्पन्न हो रहा है। विश्वविद्यालय के शिक्षण सत्र 2008–09 में बी0 टेक, बायोटैक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि तथा संरचनात्मक प्रौद्योगिकी में पी0एच0डी0 उपाधि के नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण हेतु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा देश–विदेश की 14 शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थियों एवं संकायों के आदान–प्रदान हेतु अनुबंध किये गये हैं। अमेरिका, कनाडा,

फ्रांस, आस्ट्रेलिया तथा हंगरी के शिक्षण संस्थायें इनमें प्रमुख हैं। विश्वविद्यालय की जो शोध उपलब्धियाँ रही हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि शोध कार्य उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में स्थापित है। उत्तराखण्ड की विभिन्न भौगोलिक पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र की जलवायु से सम्बन्धित कृषि बागवानी, पशुपालन एवं गृह विज्ञान संबंधी जो हमारी समस्यायें हैं उनके समाधान हेतु जिनमें अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। शोध कार्य हेतु वर्तमान में विश्वविद्यालय में 30 शोध केन्द्र हैं तथा 12 मुख्य परिसर में 18 बाह्य परिसर हैं, उनमें शोध केन्द्र चल रहे हैं। प्रसार की जो उपलब्धियाँ हैं विश्वविद्यालय द्वारा वह विभिन्न स्थानों पर स्थापित 11 जो हमारे कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, वह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। दो कृषि विज्ञान केन्द्र, केन्द्र के द्वारा यहाँ पर संचालित किये जा रहे हैं। हमारे राज्य के 13 जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र प्रसार के कार्य में लगे हुए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि कृषि में आज परिवर्तन आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा दो बार अखिल भारतीय स्तर पर किसान मेलों का आयोजन और प्रदर्शनी की जाती है, लगभग 20 हजार किसान और 300 प्राइवेट संस्थान प्रत्येक मेले में सहभागिता करते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र पर भी 20 किसान मेले विगत वर्ष में आयोजित हमने किये हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अंत में बताना चाहता हूँ कि राज्य में कृषि शिक्षा के विकास के लिए सुनिश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2009–10 के लिए योजनागत पक्ष में 65 करोड़ 62 लाख 96 हजार तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रुपया 01 अरब 13 करोड़ 38 हजार 54 का बजट मैं सदन के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करूँगा कि इसका अनुमोदन करें।

श्री अध्यक्ष–

आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए हिमालयन पब्लिक स्कूल के 17 बच्चे यहाँ पर आये हैं, उनके साथ 4 स्टाफ मैम्बर भी हैं।

*श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या–17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से कृषि विभाग की जो उपलब्धियाँ हैं, उनको अपने भाषण के माध्यम से इस सदन में रखने का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयास किया और उनके भाषण से ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारे इस प्रदेश में कृषि में बहुत बड़ी तरक्की हुई है। जबकि वास्तविकता यह है कि जिस समय इस राज्य को बनाने की माँग उठी थी और जिन बिन्दुओं को लेकर के जिन बातों को लेकर के राज्य बना था उन बातों को, उन विषयों का, उन बिन्दुओं का इस बजट पर जरा सा भी संज्ञान नहीं लिया गया है और विशेष रूप से जो परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश में रहते हुए इस राज्य की थीं, ठीक वही परिस्थिति आज भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की है। मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य बनने के बाद हो सकता है, कि मैदानी क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में थोड़ा काम हुआ हो लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की कृषि पर सरकार ने जरा भी ध्यान नहीं दिया है। जबकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र की जनता और वहाँ के रहने वाले लोगों की आर्थिक तरक्की का स्रोत बनता है और साथ में रोजगार मुहैया कराता है। इस विषय पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया गया है। कोई परिवर्तन राज्य बनने के बाद भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, या कहें प्रदेश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, नहीं आया है। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में कोई फायदा नहीं हुआ है। आज भी अगर बजट की मदों को उठाकर देखते हैं तो अधिकांश मदें वही हैं जो उत्तर प्रदेश में हुआ करती थीं, कुछ मदें ऐसी भी हैं, जिन मदों का मतलब वहाँ के किसान से नहीं पड़ता है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लखनऊ के ए0सी0 कमरे में बैठ कर बजट बनता था, आज वही काम देहरादून में ए0सी0 के कमरों में बैठकर बजट बनता है। दूसरा और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज पहाड़ की स्थिति यह है कि पहाड़ के अधिकाँश गाँवों से जबरदस्त पलायन हो रहा है। कई गाँव ऐसे हो गये हैं कि अगर पलायन की यही रफ्तार रही तो एक दो साल में वह गाँव वीरान हो जायेंगे। उन गाँवों में कक्षा 10–12 पढ़े हुए नौजवान हैं। वो कृषि का कार्य उनकी नीतियों के अनुसार ऐसा कोई कार्यक्रम बना होता, कोई ऐसी नीति बनी होती, तो उनका झुकाव, उनका मन खेती के काम में लगता। वे आज सारे के सारे नौजवान रोजी–रोटी के प्रयास में मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। उस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आज पहाड़ का कृषक अपनी अधिकाँश कृषि भूमि को बेचने को मजबूर है। दूसरे प्रदेशों से लोग आकर अपने आवासीय भवनों के लिए भूमि क्रय कर रहे हैं और भवन निर्माण कर रहे हैं। आज अधिकाँश कृषि योग्य भूमि बिक रही है। मान्यवर, आपको याद होगा नैनीताल जिले का रामगढ़ का क्षेत्र, जहाँ कभी बहुत अच्छी फसलें होती थीं और बगीचे हुआ करते थे, बहुत अच्छा वहाँ घना जंगल भी था, वहाँ पर आज बड़े भवन बनते जा रहे हैं और एक तरह से सीमेंट का जंगल बन गया है। मान्यवर कृषि के क्षेत्र में हम पहाड़ों का किस तरह से विकास करें, इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से यह भी कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है

कि उस क्षेत्र की जमीनों की चकबंदी होनी आवश्यक है, उस चकबंदी को करने के लिए सरकार को बहुत जिम्मेदारी के साथ, मजबूती के साथ राजनैतिक परिवेश से दूर हटकर कार्य करना होगा। मान्यवर, सरकार ने जहाँ कई उत्पादों का समर्थन मूल्य तय कर रखा है, चाहे वह गेहूँ का हो, या धान का हो, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसमें विशेष रूप से मंडुवा, जिसको आज वैज्ञानिकों ने बहुत ही उपयोगी मनुष्य के जीवन के लिए बताया है और वह कम खर्चे में और कम मेहनत में अधिक पैदावार की जा सकती है। लेकिन सरकार ने उसका समर्थन मूल्य तय नही किया है और मैं माँग करता हूँ कि पहाड़ की उस फसल को अच्छा समर्थन मूल्य तय करें जिस से उन लोगों का झुकाव उसको बोने में अधिक हो और उसका लाभ अधिक लोग ले सकें और उसका फायदा हो सके। इसी प्रकार से वहाँ की दूसरी दलहन फसलें हैं, दाल की फसलें हैं, उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। आज दुनिया का जैविक खेती की तरफ बहुत अधिक ध्यान जा रहा है। उस तरफ भी सरकार ने इस बजट में कोई जोर नहीं दिया है और उसके लिए बजट नहीं रखा है। अगर सरकार इस तरफ गम्भीरता से सोचे, जो पर्वतीय क्षेत्र में उत्पाद होते हैं वे जैविक उत्पाद के रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं, इस दिशा में भी सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि के क्षेत्र में जो उपकरण आज काम आते हैं, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में आज भी वही पारम्परिक उपकरण जरूर काम आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आज पन्तनगर यूनिवर्सिटी ने और विवेकानन्द अनुसंधान, अल्मोड़ा ने और अन्य संस्थानों ने कुछ उपकरण तैयार किये होंगे और इन्होंने प्रयोगशालाओं में नये कुछ निर्णय लेने का काम किया होगा। लेकिन आज ये सारी चीजें कृषक तक नहीं पहुँच पा रही हैं। वैज्ञानिक जो भी नये आविष्कार करें या खोज करें वह किसानों के खेतों तक पहुंचें और किसान उसका लाभ ले सकें, ताकि हमारी पैदावार बढ़ सके, इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए और इस पर मजबूती से काम होने चाहिए, यह भी मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ी दिक्कत पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात यानी सामान ढोने की है। जिससे पहाड़ की महिलाएं बहुत पीड़ित रहती हैं, जैसे, कोई चीज उत्पादित होती है, उसको सड़क पर लाने के लिए कृषक को बहुत अधिक भाड़ा देना पड़ता है। उसको सब्सिडी देने के लिए भी सरकार ने इसमें कोई प्राविधान नहीं किया है। मैं अपनी तरफ से माँग करता हूँ कि सरकार इसमें भी सब्सिडी देने का प्रयास करे। एक सिंचाई के क्षेत्र में, जैसा हम जानते हैं कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, वर्षा कम हो रही है और पानी का स्रोत सूख रहा है। सरकार की इन तमाम योजनाओं के बाद भी हम यह नहीं कर पा रहे हैं कि वे स्रोत रह सकें और उनमें पानी बढ़ सके, ये तमाम विभाग, चाहे वन विभाग हो, कृषि विभाग हो और सिंचाई विभाग हो आदि मिलकर इस दिशा में कार्य करते हैं। लेकिन इसका वास्तविक लाभ जमीन पर देखने को नहीं मिलता है।

आप दो-तीन सालों के आँकड़े उठाकर देख लीजिए, जल संवर्धन के नाम पर और हमारे स्रोत बढ़ सकें, इस पर विभाग ने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, लेकिन उस पैसे का कहीं लाभ नहीं मिला है। उस दिशा में भी गम्भीर रूप से सोचने की आवश्यकता है सरकार को, ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा। आज बहुत बड़ा सूखा पड़ा है और पिछली रबी की फसल भी खराब हो गयी थी और यह फसल भी बरबाद हो गयी है। पहाड़ की दो फसलें लगातार सूखा पड़ने से बरबाद हो गयी हैं। लेकिन इतनी फसल बरबाद होने पर भी सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है और विशेष रूप से भी किसानों को इस बजट में कुछ राहत दी जाय, इस दिशा में सरकार ने कोई प्रयास नहीं किये हैं। मैं चाहूँगा पर्वतीय क्षेत्र के इन कृषकों को जो आगे बुवाई होगी उसमें बीज मुफ्त देने का काम सरकार करें ताकि आने वाले समय के लिए, आज उनके पास बीज के लिए भी अनाज नहीं रह गया है। बीज मिलने से वे अपनी फसल को तैयार कर सकें, ये मैं आपसे यह कहना चाहूँगा। एक निवेदन मैं माननीय मंत्री जी से और करना चाहूँगा। मान्यवर, वर्षा कम हो रही है और सूखा पड़ रहा है लेकिन जो वर्षा हो रही है वह खण्डित वर्षा हो रही है, कहीं पर बादल फट रहे है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है, उससे भूमि कटाव हो रहा है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में भूमि संरक्षण विभाग भी है, उस दिशा में भी काम नहीं हो पा रहा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विभाग को, कम से कम पर्वतीय क्षेत्रों में इसको, सक्रिय किया जाए और इसमें बजट दिया जाय, जिससे कि वह विभाग उस दिशा में काम करने का प्रयास कर सके। मान्यवर, जो बी0एस0सी0 ए0जी0 के कुछ छात्र हैं, जिन्होंने इसकी पढ़ाई की है, वे बेरोजगार हैं, हमारे यहाँ बहुत से पद खाली हैं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उन पदों को भरा जाए जिससे कि इन बेरोजगारों को, जो कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षित हैं, उनको रोजगार मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

पहले पशुपालन विभाग फिर कटौती, फिर कृषि विभाग, उसके ऊपर कटौती, फिर ग्राम्य विकास, उस पर कटौती, फिर सब पर एक साथ चर्चा हो जायेगी। ठीक है तो कर लेंगे। निजामुद्दीन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज मत होइये, हँसते हुए अच्छे लगते है।

अनुदान संख्या–28, पशुपालन

कृषि एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28,

पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 624562 हजार (बासठ करोड़ पैंतालीस लाख बासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में पशुपालन परम्परागत व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है। जहाँ कृषि से मात्र कुछ महीनों का रोजगार हम प्राप्त करते हैं, वहीं पशुपालन हमारे काश्तकारों के लिए, हमारे किसानों के लिए, 12 महीने आय देने वाला एक महत्वपूर्ण जरिया है और हमारे प्रदेश की जो पशु सम्पदा 2007 की गणना के अनुसार 51.41 लाख पशु और लगभग 26.01 लाख कुक्कुट सम्पदा है, हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है, वह है 361 ग्राम। जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है, 341 ग्राम, इस प्रकार हमारे प्रदेश में दूध की उपलब्धता राष्ट्रीय उपलब्धता से 20 ग्राम अधिक है। हमारे यहाँ पशुपालन सकल उत्पाद 1633 करोड़ रु0 रहा। मान्यवर, यह जो आंकड़े हैं यह बेसिक एनिमल स्टेटिक्स का जो डाटा है, उससे लिया गया है मान्यवर, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो पशुपालन सेक्टर है इसकी वार्षिक विकास दर 17.06 प्रतिशत है और इस समय हमारे यहाँ जो एक महत्वपूर्ण आय का जरिया है, अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रॉज की बिक्री से लगभग 68 लाख की आय कर रहे हैं, साथ ही हम बताना चाहते हैं कि प्रदेश में और देश में पहली बार गौमूत्र का व्यवसायिक उपयोग हमने शुरू किया है। एक वर्ष में 10 लाख से अधिक आय किया है और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि एक एम0ओ0यू0 साइन होने वाला है जिसमें 5 हजार लीटर प्रतिदिन अर्क देंगे। एक हजार लीटर गौमूत्र की हमारे पास डिमाण्ड आई है और बहुत जल्द एम0 ओ0 यू0 साईन करेंगे और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि एक नई दिशा गौमूत्र को लेकर प्रारम्भ की है। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष, 2009–10 में योजनागत पक्ष में 1277.70 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसमें से 114.28 लाख स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में और 115.46 लाख ट्राइबल सब प्लान में तथा 185.59 लाख केन्द्रीय पोषित योजना के अन्तर्गत है। आयोजनेत्तर पक्ष में कुल 6143.89 लाख की धनराशि प्राविधानित है, वर्ष, 2009–10 में विभाग की योजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष में यह योजनायें चलाई जा रही हैं। मैं एक बात और माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि देश में पहली बार एक गौ विज्ञान संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, पशुलोक, ऋषिकेश में, और जो विशेषरूप से पंचगव्य पर महत्वपूर्ण शोध करेगा। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से पंचगव्य और विशेषरूप से गोबर और गोमूत्र के प्रयोग हो रहे हैं और जो बात सामने आ रही है तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो स्वरोजगार की बात आ रही है, गाँव में रोजगार की बात आ रही है, पलायन रोकने की बात आ रही है, तो पलायन रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इस शोध संस्था के माध्यम से होगी और आज गोबर जो है जिसका मूल्य 25 पैसा किलो भी

नहीं है, आज इससे टाईल्स, डिस्टेम्पर बन रहा है, इसके बारे में जो भाभा अनुसंधान संस्थान है उन्होंने इस पर रिसर्च की और उन्होंने कहा कि गाय के गोबर में रेडिएशन का भी असर नहीं होता और जो हमारा मिलिट्री डिपार्टमेण्ट है, आज उसमें भी इससे बने हुये टाईल्स की डिमाण्ड हो रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश के लिए जिस तरह से पशुधन है, एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत और जो गाँवों से पलायन रोकने की बात आ रही है, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका इससे निभाई जा सकती है। मान्यवर, दुनिया की पहली संस्था होगी जिसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा और देश और दुनिया को एक नई दिशा देगा। मान्यवर, गौवंश पशुओं के संरक्षण पर गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 पारित किया गया है, जिसमें जो हमारे गौवंश हैं इसको प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए बिना जिलाधिकारी की अनुमति से कोई भी इसे प्रदेश से बाहर नहीं ले जा सकेगा, साथ ही जो संस्थान गौ सदन चला रहे हैं, जो पंजीकृत संस्थायें हैं, और जिनको कम से कम 3 वर्ष संस्था को संचालित करते हुये हो गये हैं, उन गौ सदनों को सहायता अनुदान के रूप में सहायता भी प्रदेश सरकार दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कुक्कुट पालन के क्षेत्र में हमने दो चीजें वहाँ पर नई प्रारम्भ की हैं, एक तो कड़कनाथ, जिसको कालामांसी भी कहते हैं, यह विशेषकर मध्य प्रदेश झाबुआ की प्रजाति है। मान्यवर, जिसका मांस बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, विशेषकर जो एनीमिया के पेशेंट होते हैं, उनके लिए यह विशेष लाभप्रद है। इस तरह से कालामांसी का पालन हमने शुरू किया है, इसके साथ ही बटेर का पालन भी हमने शुरू किया हैं वर्तमान समय में इसकी हमारे पास काफी वृद्धि हो गयी है और इसको हम धीरे-धीरे पब्लिक को भी देंगे। यह हमने एक नयी शुरूआत की है। मान्यवर, हमारे जो कृषक महोत्सव हुए हैं, इसमें पशुपालन विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कारण मैं समझता हूँ कि जो हमारे पशुपालक हैं, वे पूरे प्रदेश में हैं। मान्यवर, हमारे प्रदेश का कुछ भाग मैदानी क्षेत्र है और अधिकतर भाग पहाड़ी क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में पशुओं को लाने और ले जाने में बड़ी असुविधा होती है और सामान्यतः बीमार पशुओं की भी इस कारण देखभाल नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर चिकित्सालय बहुत दूर होते हैं, ऐसे में जो हमारे कृषक महोत्सव हुए हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका पशुपालन विभाग की रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जो 01 नवम्बर, 2008 से 16 नवम्बर, 2008 तक जो कृषक महोत्सव 'रबी' हुआ था और इस वर्ष 01 जून, 2009 से 10 जून, 2009 तक जो हुए हैं, इसमें राज्य के 8640 गाँवों के 43041 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया, जो मैं समझता हूँ कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और जिसमें 62071 पशुओं की चिकित्सा की गयी, 113515 पशुओं का टीकाकरण किया गया, 35597 पशुओं को कृमिनाशक दवापान किया गया, 27577 पशुओं को परजीवीनाशक दवास्नान, 101315 कुक्कुट चूजों का वितरण किया गया, यह केवल 01 जून से 10 जून, 2009 के बीच किया गया। यदि तीनों महोत्सवों का लगायें तो इससे लगभग दो लाख से अधिक पशुओं को लाभ मिला। मान्यवर, इसमें हमने चारा बीज वितरण भी किया,

साथ ही जो किसान कुछ जानना चाहते हैं, उनको जानकारियाँ भी दी जाती हैं और इसमें ज्ञान का आदान-प्रदान भी किया जाता है। मान्यवर, इस बार मई माह में 08 जून को जब हमारी केदारनाथ यात्रा चल रही थी तो यहाँ दोपहर में खबर आती है कि गौरीकुण्ड में जो हमारे अश्व प्रजाति के पशु हैं उनकी मौत हो रही है और तत्काल, मैं समझता हूँ कि एक घंटे के अंदर यहां से टीम रवाना कर दी गयी और वह टीम रात को 11 बजे वहाँ पर पहुँच गयी और वहाँ पर उसकी जाँच की गयी। मान्यवर, हिसार अश्वशोधशाला से वहाँ पर वैज्ञानिक बुलाये गये, आर०बी०आर०आई०, बरेली से वैज्ञानिक बुलाये गये और पन्तनगर के वैज्ञानिक भी वहां पर भेजे गये और जब वहां पर घोड़ों का टेस्ट लिया गया तो पता चला कि यह इक्वाइन इन्फ्लुएंजा है, जिस पर तत्काल हमारे वैज्ञानिकों, डाक्टरों, पशुधन प्रसार अधिकारियों, कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सहयोग से रोक लगायी गयी। आज हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जो कि एक महामारी की तरह से फैल सकती थी, एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती थी, हमारी यात्रा प्रभावित हो सकती थी। जिस कारण अन्य प्रदेशों एवं विदेशों से जो यात्री/पर्यटक प्रदेश में आते हैं, इससे एक बड़ा भारी नुकसान हमारे पर्यटन व्यवसाय को हो सकता था। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे पशुपालन विभाग ने निभायी है और एक बड़ी भारी क्षति से प्रदेश को बचाया है, मैं समझता हूँ कि इसमें विभाग की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मान्यवर, मैं डेरी विकास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, वर्तमान में प्रदेश में कुल 3113 दुग्ध सहकारी समितियाँ गठित हैं, जिसमें से एक लाख पच्चीस हजार चार सौ उन्तीस दुग्ध उत्पादक सदस्य हैं। राज्य में कुल 11 जनपद स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हैं, जिनके अन्तर्गत 09 दुग्धशालायें, जिनकी प्रसंस्करण क्षमता दो लाख पाँच हजार लीटर प्रति दिन तथा 11 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, जिनकी अवशीतन क्षमता 73 हजार लीटर प्रति दिन है, स्थापित किये गये हैं। सुदूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के विस्तार हेतु 39 बल्क मिल्क कूलर्स जिनकी क्षमता 74 हजार लीटर प्रति दिन है, स्थापित किये गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि दुग्ध समितियों के माध्यम से वर्ष 2008-09 में एक लाख बीस हजार एक सौ इक्कीस लीटर दूध प्रतिदिन संग्रहित किया गया है। मान्यवर, जिसके सापेक्ष दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को लगभग 15 लाख 50 हजार रुपये प्रति दिन का दूध मूल्य भुगतान किया जा रहा है। मैं यह भी बताना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में जब हमने कार्यभार संभाला था, तो हमारे सामने किसानों के भुगतान की समस्या थी। हम उनको समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे थे। कुछ भुगतान पुराने पड़े हुए थे। आज हमारे सामने भुगतान की कोई समस्या नहीं है। किसान अगर एक हफ्ते में पेमेंट माँगता है, तो हम उसको भुगतान करने के लिए तैयार हैं। वह 3 दिन में माँगता है, तो हम देने के लिये तैयार हैं। हमारे सामने भुगतान की इस तरह की कोई समस्या डेरी विभाग में नहीं है। मान्यवर, मैं एक-दो बातें और बताना चाहता हूँ, जिसमें हमारे प्रदेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 'योगर्ट', फल मिश्रित दही, हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश है, जिसने फल मिश्रित दही उत्पादित किया है,

जिससे हमारे किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा पेद्दार चीज बनाने वाले तमिलनाडु के बाद दूसरा प्रदेश हमारा है। वहाँ पर सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा है, प्राईवेट लोग वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आज पेद्दार चीज बनाना हम लोगों ने यहाँ ने पर शुरू किया है, जिससे कि हमारे पशुपालकों को अच्छा मूल्य मिला है। यह एक नई चीज है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, क्या यह बाजार में उपलब्ध है ? (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, इसका स्पष्टीकरण बाद में भी दे दूँगा। अभी यह नैनीताल में जा रहा है, ऋषिकेश में जा रहा है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, बन कहाँ रहा है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, देहरादून की जो डेरी है, उसमें बन रहा है। (व्यवधान) अगर उपलब्ध होगा तो कल खिलाने पर विचार किया जा सकता है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, कड़कनाथ और बटेर की भी व्यवस्था कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, वह सावन के बाद। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, दाम हमारी वजह से ही मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, सुना आपने, माननीय दिनेश अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इनके लिए बटेर की व्यवस्था की जा रही है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष, 2009–10 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 1 करोड़ 90 लाख 41 हजार व आयोजनागत पक्ष में रु0 10 करोड़ 77 लाख 21 हजार तथा कुल रु0 12 करोड़ 67 लाख 62 हजार

का वित्तीय प्राविधान प्रस्तावित किया गया है, जिसके माध्यम से 104 नई दुग्ध समितियों का गठन, 107 बन्द समितियों का पुनर्गठन, दुग्ध समिति सदस्यों को विभिन्न तकनीकी निवेश सुविधाएं, नैनीताल स्थित दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष, 2009–10 में दुग्ध समितियों के माध्यम से 1 लाख 63 हजार लीटर प्रति दिन दुग्ध उपार्जन तथा 1 लाख 68 हजार लीटर प्रति दिन दुग्ध विक्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष, 2009–10 में डेरी विकास विभाग हेतु रू0 12 करोड़ 67 लाख 62 हजार की धनराशि प्राविधानित है। मान्यवर, मत्स्य विभाग के बारे में बताना चाहूंगा, मत्स्य विभाग की जो विशेष उपलब्धियाँ रही हैं, यह हम सब जानते हैं कि मछली प्रोटीनयुक्त सुपाच्य भोजन है, जिसकी डिमाण्ड बहुत बढ़ रही है। प्रीतम सिंह जी की बड़ी नजर उस पर रहती है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि कुल 06 जलाशय हमारे पास हैं। वर्ष, 2004–05 से पूर्व इन जलाशयों से हमको मात्र 121 लाख की आय प्राप्त हो रही थी। वर्तमान में इनसे हमको रु0 264 लाख की आय प्रति वर्ष हो रही है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को वर्ष, 2008–09 में प्रदेश के विभिन्न जलस्रोतों, नदियों और जलाशयों से लगभग 3150 टन मत्स्य उत्पादन प्राप्त हुआ है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि मत्स्य पालक विकास अभिकरण एवं शीतजल मात्स्यिकी तथा जलजीव पालन योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र के 164 तालाब, 3.16 हैक्टेयर के मत्स्य पालन हेतु स्वीकृत किये गये एवं 68 तालाब 0.98 हैक्टेयर के कार्य पूर्ण किये गये तथा 153 व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये हैं। मैदानी भागों में 27 तालाब 16.752 हैक्टेयर के मत्स्य पालकों को दस वर्षीय पट्टे पर मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध कराये गये। अंत में मैं यह बताना चाहता हूँ कि राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिये वर्ष, 2009–10 में जिला सेक्टर में 130 लाख, राज्य सेक्टर में 122.75 लाख, कुल 252.75 लाख का बजट प्राविधानित किया गया है। वर्ष, 2009–10 में राज्य में नई हैचरियों की स्थापना और वर्तमान हैचरियों मत्स्य प्रक्षेत्रों का आधुनिकीकरण तथा मत्स्य क्षेत्रों के प्रबंधन के लिये रु0 120 लाख तथा 10 लाख, कुल 130 लाख रुपये की धनराशि प्राविधानित की गई है। राज्य सरकार के अन्तर्गत विशेष संघटक योजना एवं जनजाति योजना के अन्तर्गत क्रमशः 102.75 व 20 लाख रुपये कुल 122.75 लाख रुपये की धनराशि प्राविधानित की गई है। अतः वर्ष, 2009–2010 में आयोजनागत मद में कुल 252.75 लाख का अयोजनागत मद का रुपये 2.87 लाख, कुल रु0 455.62 लाख का बजट प्राविधानित किया गया है। अतः मेरा सदन से अनुरोध है कि इसका अनुमोदन करने का कष्ट करें।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के बजट भाषण को सुनने और बजट को पढ़ने के बाद मैंने पाया कि कोई भी विभाग बिना निर्माण के, बिना साज-सज्जा और उपकरण के, खासकर जब पशुपालन विभाग हो, चाहे उसमें कुक्कुट पालन उद्योग हो, उसमें बच्चे उत्पन्न करने के लिये मशीनरी का प्रयोग हो, चाहे मत्स्य पालन में कृत्रिम रूप से बीज का उत्पादन हो, सब चीजों में मशीनरी का उपयोग होता है। इस बजट में निर्माण को 44.85 प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में घटाया गया है। दूसरा, मशीन, उपकरण और संयंत्र, जिनकी नितान्त आवश्यकता होती है, उसका भी 36.66 भाग घटाया गया है। मान्यवर, इसी प्रकार से अनुरक्षण, जिसमें कि इन सबकी देखभाल और परिसम्पत्ति को संभालने का कार्य किया जाता है, उस बजट को भी 27.88 भाग घटाया गया है। इसके अतिरिक्त औषधि और रसायन, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है, चाहे वह दूध को बढ़ाने के लिये गायों को जो रसायन दिया जाता है, उसकी बात हो, चाहे उनकी देखभाल और चिकित्सा देने में हो, उसमें भी 11.18 की कटौती की गई है। साथ ही परीक्षण व्यय को भी 30.48 घटाया गया है। मान्यवर, जहां पशुपालन से संबंधित विभाग है, वहां यदि दवाईयों के अंश को घटाया जायेगा, धन की व्यवस्था को कम किया जायेगा, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, यह पूरी हो पायेंगी और यह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे। क्योंकि अभी एक बात माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कही कि जितनी हमारी मांग है, हम उससे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन यह संतोष करने लायक बात इसलिये नहीं है क्योंकि इस नये राज्य में हम यह चाहते हैं और सदन भी यह चाहता है कि हम लोग इतना उत्पादन करें कि लोग उसकी बिक्री करके राज्य की आमदनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

मान्यवर, भेड़ और ऊन की जहाँ पर बात आती है, उसमें चाहे अंगोरा शशक की बात हो या भेड़ की बात हो, जहां भी ऐसे क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिला है, जहां भी हमारे बुनकर हैं या शॉल फैक्ट्रियां है या स्वीट बनता है, मैंने अवसर पाया है कि यह सारा ऊन पंजाब से मंगाया जा रहा है हमारे यहां पर ऊन की इतनी उपलब्धता नहीं हुई है कि हम लोग अपने संसाधनों से अपने राज्य के बुनकरों की आवश्यकता पूरी कर सकें। इसके लिये इस बजट में किसी प्रकार का प्राविधान नहीं किया गया है। अंगोरा का उद्योग, मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में इसका इतना बड़ा सेटअप था, जो आज खाली बिल्डिंग के रूप में ताड़ीखेत, विकास खण्ड के नजदीक में पड़ा हुआ है, लाखों की सम्पत्ति वहां पर बरबाद हो गई है। इसके बारे में भी कहीं कोई प्रावधान इस बजट में नहीं है कि इन सेटअप को दोबारा चलाया जायेगा या बंद किया जायेगा या ऐसे ही बरबाद होने दिया जायेगा। दूध उत्पादन के बारे में जो हमारे यहां जो काली नस्ल की गायें हैं, हमारे पहाड़ी ऊपर के क्षेत्र में जो हैं जिनके दूध से लेकर गौमूत्र तक में यह माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण बहुत ज्यादा हैं और उसका अपना एक विशेष महत्व है। कई किस्म की बीमारियों में उसके दूध, उसके गौमूत्र का प्रयोग होता है, उनके संरक्षण और संग्रहण के

लिए कहीं पर भी इस बजट में व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, जो अपने आप मेंएक चिंता का विषय है, क्योंकि जो गांव की छोटी प्रजाति की गायें हैं, भले ही वो दूध कम देती हों, उनका दूध उत्पादन कम है, लेकिन वे जड़ी बूटियां खाकर, जंगलों में चरकर आती हैं, उनके दूध में विशेषता पायी गयी है कि उनका दूध, उनका घी स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा है। अगर हम उसके उत्पादन को बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर राज्य की आमदनी बढ़ेगी और उसकी मांग भी बढ़ेगी। शहरों में जिस तरह से जैविक उत्पादों की माँग बढ़ रही है, उस तरह से विशेष रूप में अगर उनका विपणन किया जाय, मार्केटिंग की जाय तो निश्चित रूप से राज्य की आमदनी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो पशुलोक मंे विज्ञान संस्थान की स्थापना ऋषिकेश में की है, मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, निश्चित ही रिसर्च की आवश्यकता है, अनुसंधान की आवश्यकता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बजट आपने रखा है, उसमें रिसर्च करने के लिए इसमें जो टीमें गठित की गयी हैं, उसमें एक प्राविधान और होना चाहिए कि जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली नस्लें हैं, उनको यहां लाकर ऋषिकेश में नहीं रखा जा सकता तो वहां जाकर ये टीमें रिसर्च करें और उनमें क्या गुण पाये गये, क्या उनका लाभ है, इस विषय में भी जानकारी उपलब्ध करें। आयुर्वेद से सम्बन्धित जितने भी हमारे ग्रन्थ या किताबें हैं, उनसे भी इनका सामंजस्य बिठाने के लिए कोआर्डिनेशन ग्रुप की आवश्यकता है, जिसमें वैद्याचार्य और जो हमारे पशु से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, मिलकर काम करें और रिसर्च करें कि नयी चीजें कहाँ से उपलब्ध की जा सकती हैं, उनकी क्या उपयोगिता होगी, उसके लिए भी कोई बजट में प्राविधान नहीं है इसके लिए थोड़ी निराशा मुझे हुई। दूसरी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि मुआवजे की राशि, चाहे वो गाय की मृत्यु हो, चाहे भैंस की मृत्यु हो, चाहे खच्चर की मृत्यु हो, वो इतनी कम है कि ऐसा लगता है कि पीड़ित व्यक्ति की मजाक उड़ाई गई है। वो सात हजार, आठ हजार रुपये लेने के लिए डाक्टरों के चक्कर काटता है, दफ्तरों के चक्कर काटता है। ऐसा महसूस होता है कि हमने एक ऐसा काम कर दिया है कि एक गरीब आदमी को और परेशान करने का काम हमने कर दिया है और उसमें कई बार तो ये देखने को मिला है कि बाघ ने अगर गाय मार दी तो कहा जाता है कि बाघ ने जहाँ गाय मारी है, वहाँ की फोटोग्राफी होनी चाहिए। जब जंगल में ऐसी-ऐसी जगहों में बाघ रहते हैं, ऐसे-ऐसे इलाकों में गाय मारी जाती है कि जहाँ काश्तकार या उसको पालने वाला व्यक्ति नहीं जा सकता है, उसको कहीं से स्पेशियली हायर करके एक फोटोग्राफर लेकर वहां जाना पड़ता है। गांव के लोगों की स्थिति ऐसी कतई नहीं कि घरों में कैमरे हों। वो गरीब व्यक्ति जो गाय पाल कर, दूध बेचकर अपने बच्चों का भरण-पोषण कर रहा है, उस व्यक्ति को बाजार से किसी फोटोग्राफर को लेकर जाना पड़ता है, जिसके लिए वो इतने पैसों की डिमांड करता है, जिसको पूरा किया जाना उस काश्तकार के लिए सम्भव नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इस पर्वतीय राज्य को सोचने की आज आवश्यकता है

कि क्या हम लोग अपने नियमों को थोड़ा परिवर्तन करेंगे? किस तरह से उनकी हम सेवा कर सकें, मदद कर सकें, अपने यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सोचने का विषय है, इसमें जरूर सरकार विचार करे, ऐसा मेरा मानना है। मछली पालन में मुझे केवल इतना कहना है कि महाशीर और ऐसी मछली नदियों में रहती हैं और खासकर जो लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, वो लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ठंडे पानी में रहने वाली मछली को बहुत स्वादिष्ट माना जाता है, उसकी बहुत ऊँची कीमत होती है। हमारे यहाँ की नदियों में छोटे-छोटे जलाशय बनाने की जरूरत है, पानी को बाँधों के रूप में रोके जाने की जरूरत है, क्रीड़ा और पर्यटन से इसको जोड़े जाने की जरूरत है, जहाँ मछली के आखेट की व्यवस्था हो और इसके लिए कोई भी व्यवस्था बजट में नहीं की गयी है, ताकि हम पर्यटन और मछली उद्योग को जोड़कर देख सकें, जिससे हमारी आमदनी बढ़े। इसके लिए भी बजट में प्राविधान नहीं है। ये भी एक बहुत चिंता का विषय है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें कोई विचार करे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे द्वारा कही गयी बात हो, चाहे वो माननीय मंत्री जी के द्वारा कही गयी सभी बातें हैं, उनमें जो सबसे दुखद विषय है, वो इस बात का है कि हम लोग कितने भी आँकड़े दिखा दें, कितने भी आँकड़े प्रस्तुत कर दें, कितनी बड़ी-बड़ी बाते सदन में कर दें मान्यवर, लेकिन जब तक हमारे पास स्टाफ नहीं होगा काम करने के लिए, कर्मचारी नहीं होंगे तब तक कोई भी विभाग सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो इस विषय से थोड़ा कट करके है, रेशम विभाग ने वर्ष, 2001 में बागेश्वर में एक रिसर्च सेंटर खोला रेशम को लेकर, उसमें 96 समूह गठित हुए और रेशम उत्पादन बढ़ने लगा, कर्मचारी न होने से आज बागेश्वर का वह रेशम का उद्योग बंद हो गया। मान्यवर, उसी तरह आज मैं पशुपालन में देख रहा हूँ, कुल स्वीकृत पद हैं 3963 और रिक्त पदों की संख्या है 1168, मान्यवर, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, ज्येष्ठ शोध अधिकारी समूह 'ख' के हैं, मुख्य तकनीकी अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी और सबसे गम्भीर विषय यह है कि पशु चिकित्सा अधिकारी, जिन पर पशुओं के स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा भार है उनकी संख्या 390 के सापेक्ष 150 रिक्त है। एक बहुत ही बड़ी चिन्ता की बात है कि जहाँ कुल पद 390 हैं वहाँ 150 चिकित्सक नहीं होंगे तो हम कैसे मान सकते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था सही ढंग से चल रही है? दूरस्थ क्षेत्रों में बात आ रही थी कि पशु मेले लग रहे हैं, लेकिन पशु अधिकारी विधायकों के साथ इन मेलों में बैठे रहते हैं और गाँव का आदमी, जो वहाँ अस्पताल तक अपना पशु लेकर जाता है, उसको पशु अधिकारी नहीं मिलता है, क्योंकि पहले से कमी है और जो हैं भी, वह मंत्रियों के पीछे दौड़ते हैं। कहाँ से गाँव के आदमी को सुविधा प्राप्त हो रही होगी, यह मेरी समझ नहीं आता। इसके अलावा प्रवेक्षण अधिकारी, जो स्पेशल कम्पोनेंट को देखते हैं, इसमें कहा गया है विशेषकर एस0सी0, एस0टी0 के लोगों को विशेष सुविधायें दी जा रही हैं। उनके लिए विशेष पैकेज बनाये जा रहे हैं ताकि उनके यहाँ पशुओं से आमदनी

को बढ़ाया जा सके। बड़े अफसोस के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि इसमें जो स्पेशल कम्पोनेन्ट देखने वाले प्रवेक्षण अधिकारी है, उनके केवल तीन पद हैं, ये तीन के तीन रिक्त पड़े हैं। यह बड़ा चिन्ता का और गम्भीर विषय है। उसके अलावा क्षेत्रीय अधिकारी सांख्कीय एक पद है, वह भी रिक्त है। प्रचार अधिकारी, जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आती है लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका एक पद है, वह भी रिक्त है। चारा विकास अधिकारी, यह बड़ी हँसी की भी बात है, कभी–कभी हँसी भी आ रही है इस बात पर, तीन पद हैं, ये तीनों पद रिक्त पड़े हैं, तीनों पद खाली हैं, अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि पशु खा क्या रहे हैं ? लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जो ये तीन चारा विकास अधिकारी के पद हैं, उनके दायित्वों का निर्वाह कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है ? कहीं बिहार की तरह तो नहीं हो रहा है, यह एक चिन्ता का विषय है। लाइफ स्टाक मार्केटिंग, जिसके माध्यम से जो हमारे पशु पालने वाले लोग हैं, कुक्कुट पालने वाले लोग हैं, मछली पालने वाले लोग हैं, उनको मार्केटिंग की जो व्यवस्था होनी थी, ये जो मार्केटिंग के दो पद हैं, वह दोनों रिक्त पड़े हैं। इससे भी विभाग की क्या स्थिति है, वह सामने आती है। अन्वेषक के 36 पद रिक्त हैं, 39 की अपेक्षा, पशुधन प्रसार अधिकारी के 882 पद हैं जिनमें से 341 पद रिक्त पड़े हैं। ऊन पर बड़ी–बड़ी बातें बजट में कही गयी हैं और लिखी गयी हैं। ऊन विश्लेषक का एक पद है, वह भी रिक्त पड़ा है और समूह 'ख' में प्रभारी अधिकारी ऊन क्षेत्रीकरण का एक पद है, वह भी रिक्त है। मान्यवर, इन सब चीजों को देखकर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जहाँ वृहद निर्माण के कार्य हैं उसका पैसा कम है।

श्री अध्यक्ष–

मानलीय मंत्री जी कह रहे हैं, मैं तो हूँ।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, मंत्री जी की क्षमता में हमें कोई शक या संदेह नहीं है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की मंशा ऐसी नहीं लगती। मंत्री जी को कहीं कोई सुविधा या बजट इस तरह का दिया जा रहा हो जिससे वह इन सारी कमियों को दूर कर सकें। ऐसा लगता है कि सरकार उनके विभाग को गम्भीरता से नहीं ले रही है, न उनके विभाग को, न हमारे जो पशुपालने वाले लोग काश्तकार हैं। मान्यवर, सरकार कतई इतो गम्भीरता से नहीं ले रही है। अनुरक्षण अधिकारी नहीं और दवाइयों और औषधियों के लिए पैसे की कमी है। यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि सरकार पशुपालन विभाग को कतई गम्भीरता से नही ले रही है। दुख का विषय है कि राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए जो विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उस विभाग को सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही है, ऐसा मेरा मानना है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके आशीर्वाद से एक बात और

कहना चाहता हूँ। पशुपालन विभाग और वन विभाग का आपस में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक कॉर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए ताकि हमारा जो पशुपालन का काम है, उसको हम बढ़ावा दे सकें। पहाड़ों में चीड़ के जंगलों में आग लगने से घास मिलती नहीं है बांज के, बुरांस के और शहतूत के पेड़ जंगलों में थे, वे आज खत्म हो चुके हैं। लोगों ने गाय, बछिया पालना छोड़ दिया है। मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, पिछले वर्ष इसी सदन में हम लोगों ने काफी व्यवधान इस वजह से भी डाला था कि द्वाराहाट में गौ सदन की बात आई थी लेकिन आज यह देखा जा रहा है कि अमूमन सभी छोटे शहरों और कस्बों में खुले आम गायें छोड़ दी जा रही हैं, चारे की कमी की वजह से। द्वाराहाट की महिलाओं ने, जब उनके खेतों में आवारा छोड़ी हुई गायों ने नुकसान करना शुरू किया तो उन्होंने उन्हें गौ सदन में भेजने की माँग करी, जब यह पूरी नहीं हुई तो उन्होंने आन्दोलन करने का फैसला किया, 14 महिलाओं के खिलाफ सरकार को मुकदमा दर्ज करना पड़ा यह गम्भीर चिन्ता का विषय बनता जा रहा है। यही स्थिति रहेगी तो गौ सदन बनाने से इन चीजों का समाधान नहीं होने जा रहा है। इसलिए मैं, माननीय मंत्री जी से, चाहूँगा कि जो कस्बों में छोड़ी हुई गायें हैं जैसे भिक्यासैण का एक उदाहरण देना चाहूँगा। स्वर्गीय डा0 प्रताप बिष्ट जी, आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो विधान सभा थी जो मेरे भाई जीना जी की विधान सभा है, उनके विधान सभा क्षेत्र में पंचायत घर में 07 गायों को वहाँ के लोगों ने बंद कर दिया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई और वहां उनके कंकाल पड़े रहे कई महीनों तक। यह चिन्ता का विषय है कि हिन्दू धर्म के लोग, सनातन धर्म के लोग आज गायों के प्रति इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो उसकी जड़ कहाँ पर है ? कहाँ उनके मन में ऐसी शंका आ गई कि वे लोग आज गायों का वध करने को मजबूर हो गये ? ताकि उनके खेतों में नुकसान न हो। कहीं न कहीं चारे की कमी कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में कमी है, तब जाकर इस तरह की घटनाओं का घटनाक्रम जारी है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल जी और श्री करन मेहरा जी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखता हूँ और उनके कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। माननीय कृषि मंत्री जी ने 2–3 विभागों का बजट रखा। कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग। मान्यवर, तीनों हर प्रदेश के लिए और खासतौर से उत्तराखण्ड के लिए बड़े अहमियत के हैं। लेकिन तीनों की असलियत मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आज उत्तराखण्ड में हो रहा है। कृषि अधिकारी, जो हर जिले में तैनात होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ

मुझे तो एक काम दिखाई देता है। मेरे विचार से सभी माननीय सदस्य भी हाँ करेंगे। हरिद्वार जैसे जिले में कृषि अधिकारी होता है तो वह कलेक्टर का हैल्पिंग हैण्ड बन जाता है। उसको मुख्तलिफ मौकों पर अलग-अलग जगह, चाहे कुम्भ हो, अर्द्धकुम्भ हो, सावन में कावड़ का मेला हो या चुनाव में मजिस्ट्रेट का काम उससे लिया जाता है इसके अलावा उसके पास कोई काम नही है।

श्री अध्यक्ष–

(विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर इशारा करते हुए) जब यहाँ से कोई प्रतिनिधि है ही नहीं हरिद्वार का, तो आप उस तरफ हाथ क्यों कर रहे हैं?

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, वे उठकर चले गये हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इस बार तो लोक सभा की सारी की सारी सीटें जीत चुके हैं और अगली बार भी सारी ही सीटें जीतेंगे लोक सभा की। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यदि लोक सभा की बात होती तो ठीक था, लेकिन यह तो उत्तराखण्ड विधान सभा की बात हो रही है। (व्यवधान के मध्य)

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, पशु अधिकारी जहाँ भी है, उसके पास सिर्फ इतना काम है और न तो उसके पास दवा होती है न कोई काम है। उसका जो एक काम है जिससे आम आदमी को भी सुकून मिलता है वह एटेस्टेड करता है, क्योंकि वह गजेटेड ऑफिसर होता है और वह फोटो भी एटेस्टेड कर देता है। एक मत्स्य विभाग, चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक अगर सत्ता में कोई पॉवरफुल आदमी, यदि उसे किसी आई0ए0एस0 अधिकारी हो या पी0सी0एस0 अधिकारी से चिढ़ या बैर हुआ तो वह सीधी धौंस देता है कि मत्स्य विभाग में भेज दूँ क्या? है इस काम के लिए मत्स्य विभाग काम के लिए मत्स्य विभाग है। तीन विभागो के तीन काम क्लीयर कट आपके सामने हैं। आम किसानों को ये मालूम नहीं है कि इन विभागों का गठन किया गया है या इन विभागों का पैसा उसके लिए दिया जाता है, अरबों रुपया उनके नाम पर खर्च किया जाता है। सबसे पहले माननीय मंत्री जी ने पन्तनगर यूनिवर्सिटी का नाम लेकर, जो कि राष्ट्र धरोहर है। पूरा देश उसकी ओर देखता है कि पन्तनगर यूनिवर्सिटी क्या शोध करती है कि उसके पैटर्न पर किसान लोग खेती करेंगे। अगर कैग की आप पीछे की रिपोर्ट पढ़ें, कैग का काम ही घोटालों का जाँच करना है। कैग की रिपोर्ट में एक बिन्दु है, जिसमें कहा गया है, पन्तनगर

यूनिवर्सिटी के जो एग्रीकल्चर फील्ड हैं, जो उन्होंने अपना टारगेट रखा था, वह उसको एचीव नहीं कर पाये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस देश की नम्बर एक यूनिवर्सिटी अपने खेतों में अपने टारगेट से कम खेती करेगी तो देश का आम किसान अपने खेत में क्या उत्पादन कर सकता है, यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं। आप अपने पन्तनगर यूनिवर्सिटी को बधाईयाँ दे रहे थे, यह मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मान्यवर, इण्डिया टुडे में इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी का एक्स जिक्र आता है। लेकिन बॉयो टैक्नोलॉजी का जिक्र कहीं नहीं आता है। भारत टुडे के नाम पर हम बॉयो टैक्नोलॉजी को जानते हैं। अगर खेती में बॉयो टैक्नोलॉजी को लगायें तो कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको आपसी खींच–तान से फुर्सत ही नहीं होती, आप बॉयो टैक्नोलॉजी लगायेंगे ही कहां ? मान्यवर, कृषि विभाग का काम है कि किसानों की कैसे मदद् कर सकता है। कब कहाँ कौन सी फसल बोनी है यह बताना। उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्र है लेकिन यहाँ तराई भी है और मैदान भी है। यहाँ किसानों को यह मालूम नहीं कि किसान को कहाँ कौन सी खेती करनी है। ऊँचाई वाले क्षेत्र में भी गेहूँ बोया जा रहा है जबकि वह ऊँचाई वाला क्षेत्र है। फसल चक्र कैसे अपनानी है उसकी जानकारी नहीं है। (व्यवधान के मध्य)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यहाँ इतने लोग कृषि करते हैं, क्या उनको जानकारी नहीं होगी ?

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, चीमा जी, आप जैसे किसानो को होगी, जिनके पास हजारों हैक्टेयर की खेती होती है। चीमा जी, फसल चक्र की जानकारी किसी किसान को नहीं है। सौयल टैस्टिंग के बारे में यानी रिपोर्ट के बारे में किसी को पता नहीं है। मेरे खेत में पी0एच0 एसिडिक या बेसिक है इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कृषि अधिकारी कोई भी हो, उसको यह नहीं मालूम। कृषि अधिकारी ब्लॉक स्तर पर होता है, उसे हर गाँव में दो–दो सौ हैक्टेयर में पता होना चाहिए कि यहाँ पी0एच0 कितनी है और उसका फिर इलाज बताना चाहिए कि इसमें एक उर्वरक डालो तो ये फायदा होगा। मान्यवर, सुबह एक प्रश्न था जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे पाये आपने उसे स्थगित किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि बीज उपलब्ध कराने का काम कृषि विभाग करता है लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि बीज उस समय उपलब्ध कराता है, जब समय निकल जाता है। कितने अफसोस की बात है। मंत्री जी बता रहे हैं कि 10 जनवरी के बाद, मान्यवर, 10 जनवरी के बाद गेहूँ का बीज उपलब्ध कराया गया, मैं माननीय मंत्री जी से, उस समय मुझे मौका नहीं मिला, अब पूछना चाहता हूँ कि आप बताइये कि उत्तराखण्ड का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ 10 जनवरी, के बाद छोड़िये, 5 जनवरी के बाद गेहूँ बो लें और उस पर फसल आ जाए, हम

उत्तराखण्ड की बात कर रहे हैं, आप बिहार की बात कर रहे हैं, मैं फिर यह कह रहा हूँ कि 15 दिन पहले वहाँ फसल बोई जाती है और 15 दिन पहले कटती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाकर देखिये, मान्यवर, आज मार्केटिंग का टाईम है, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज हो, क्वालिटी उसकी कैसी भी हो यह बाद की बात है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह उसकी मार्केटिंग करते हैं तो उसकी ब्राण्ड वैल्यू बढ़ती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, ये काम सरकार को करना होगा यहाँ की फसलों को बढ़ावा देने के लिए, मंडुवा जिसके बारे में बार-बार कहा जाता है, मंडुवा के बारे में मशहूर है वहाँ अखबारों में हमने पढ़ा था कि जापान की टीम आयी थी और उसने आकर यहाँ मंडुवा की खरीद की थी, यहाँ के लोगों को नहीं मालूम कि मडुवा कितनी कीमती चीज है लेकिन जापान को पता है। जापानियों को मालूम है और जब यहाँ के लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्यों मडुवा ले जाना चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि बड़ा पौष्टिक आहार है इससे हम अपने बच्चों के लिए बिस्किट बनाते हैं। मान्यवर, उत्तराखण्ड के लोगों को यह नहीं मालूम कि मडुवा में पौष्टिक आहार है और न्यूट्रीशियस वैल्यू उसकी क्या है, मान्यवर, मार्केटिंग किसी भी फसल की न्यूट्रीशियस वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू, अगर कृषि विभाग मार्केटिंग करेगा तो यकीनन उत्तराखण्ड के किसान को फायदा होगा। अब मैं जो बिन्दु कहने जा रहा हूँ तो माननीय मंत्री जी शायद यह कहें कि मेरा विभाग नहीं है लेकिन कृषि से जुड़ी बातें हैं तो इनका विभाग हर हालत में होगा, एग्रोफॉरेस्ट्री, ओर्नामेन्टल प्लान्ट्स, फ्लोरीकल्चर, जड़ी-बूटियाँ आपका विभाग है या नहीं है, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार का तो विभाग है, मान्यवर, सिंचाई और किसान का चोली-दामन का साथ है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया सीमित करें, बहुत लोगों को बोलना है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, मुझे बोलना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है यह जरूरी नहीं कि एक दिन में 6 बजट पास हों, दो बजट पास हों, ज्यादा समय ले लें या फिर वैसे पास कर दें। चीजें सामने आनी चाहिएँ।

श्री अध्यक्ष-

वह करना होता तो कल कर सकते थे।

काजी मौ0 निजामुद्दीन-

मान्यवर, इन्सेक्टीसाइड्स और पेस्टीसाईड्स की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता, अभी जर्मनी ने हिन्दुस्तान की कॉटन बैन की है सिर्फ इस

वजह से कि अब यह कैन्सर कर रही है और हिन्दुस्तान में अच्छी इन्सेक्टीसाइड्स और पेस्टीसाइड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कृषि विभाग ध्यान दे कि सही और सेफ इन्सेक्टीसाइड्स और पेस्टीसाइड्स का इस्तेमाल हो। मान्यवर, गुड़ मण्डी मंग्लौर एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मण्डी मानी गयी है लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आज वह मण्डी आखिरी सांस ले रही है और यू०पी० से लगे हुए चांदपुर की मण्डी डेवलप हो रही है। आपके लिए यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप वहाँ के आढतियों को बुलाएं, बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है वह भी राष्ट्र धरोहर है एशिया में, जिसको नहीं खत्म होना चाहिए। पशुपालन विभाग में, बहुत छोटी सी बात है आपने बकरा पालन का, मेरे ख्याल से, कोई जिक्र नहीं किया। मान्यवर गाय का जिक्र माननीय श्री करन जी ने किया कि काँजी हाऊस हर शहर मे, हर कस्बे में हुआ करते थे, आज की तारीख में कहीं काँजी हाऊस नहीं है, अगर आप काँजी हाऊस की रिपोर्ट मंगाकर देखें तो हर काँजी हाऊस अवैध कब्जे हुये मिलेंगे। मान्यवर, पशु विभाग के जितने अस्पताल हैं उनमें आज स्टाफ होगा तो दवा नहीं होगी और दवा होगी तो स्टाफ नहीं होगा, दोनों चीजें हों, एक जिले में एक हॉस्पिटल डेवलप कर लें कि उसमें कोई अपने जानवर ले जाये तो निराश न लौटे। मान्यवर, इन्श्योरेंस पर कोई ध्यान नहीं है, इन्श्योरेंस चाहे खेती का हो, अगर कागजों में, अखबारों में, विज्ञापनों में तो जरूर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में मैंने नहीं देखा किसी फसल का इन्श्योरेंस होते हुये। मान्यवर, मैं आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जंगली जानवरों से यहाँ फसल को बचाते हुये मौसम विभाग का, पंतनगर यूनिवर्सिटी का और यहाँ के वैज्ञानिकों का इस्तेमाल करते हैं, कृषि और पशुपालन विभाग में इसका इस्तेमाल करिये ताकि आपका बजट जरा सा सार्थक हो जाये। आज की तारीख में उत्तराखण्ड का किसान बहुत दुःखी है, तकलीफ में है, इस समय शेरो शायरी का हिसाब नहीं है, क्योंकि किसान दुःखी है। फिर भी मैं एक शेर कहता हूँ-

जब जेब में पैसे बजते हैं, जब पेट में रोटी होती है।
तब ये जर्रा हीरा है, तब ये शबनम मोती है।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कृषि और पशुपालन पर अपना विचार रखने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, अभी-अभी माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा कृषि महोत्सव के बारे में बताया गया, इस बारे में, मैं किसान होने के नाते और किसानी से जुड़े होने के नाते यह जरूर कहना चाहूँगा कि यह सरकार का कृषि महोत्सव प्रोग्राम बहुत सफल प्रोग्राम सिद्ध हुआ है। इसमें विशेष तौर पर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट और कृषकों के बीच में जो समस्याओं और विचारों का आदान-प्रदान होता है उससे किसानों को बहुत ही लाभ पहुँचा है और इस प्रोग्राम के प्रति, इस योजना के प्रति, यहाँ का किसान इस सरकार का आभारी है। मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहूँगा, सुझाव तो कई हैं

लेकिन विशेष बात यह है कि प्रदेश में कृषि और खाद्य आपूर्ति के बीच में आपस में कोई मेल–मिलाप नहीं है, कृषि विभाग खेती करता है, खेती के ऊपर उसकी नजर है, लेकिन उसकी खरीद और उसका वितरण कैसे करना है और कब होना है इसके ऊपर विशेष तौर पर जब तक कृषि विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग का तालमेल आपस में नहीं होगा तब तक किसान इससे लाभान्वित नहीं होगा। मुझे यह कहते हुये कोई झिझक नहीं है कि इस साल किसानों के गेहूँ के उठान में काफी भारी समस्या आई है, समय से सरकारी तौल का शुरू न होना, समय पर बारदाना न मिलना और गर्मी के समय में किसानों ने अपने गेहूँ की फसल को जिस तरीके से सरकार के तौल केन्द्रों तक पहुँचाया और जिस कीमत पर पहुँचाया। यह शोचनीय विषय है, इसके प्रति विचार होना चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी, अगर आज हम कहें कि खेती एक इकोनॉमिकल व्यवसाय है तो यह कहना शायद गलत होगा, आज खेती इकोनॉमिकल व्यवसाय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि आंकड़ों से बात करेंगे और किसान की बात सुनेंगे तो किसान अवश्य इस बात को कहने के लिए तैयार है कि आज खेती इकोनॉमिकल नहीं है। मान्यवर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे देश में खेती की भूमि पर सीलिंग लगी हुई है जिसे बहुत समय हो गया है। एक तो कानून की सीलिंग और दूसरी परिवार की सीलिंग, इन दोनों सीलिंगों ने किसान की जो भूमि है वह इतनी कम कर दी है कि आज किसान के पास दो एकड़, ढाई एकड़ और तीन एकड़ तक भूमि रह गई है और तीन एकड़ की भूमि कहीं भी इकनॉमिकल नहीं है चाहे आप किसी भी वैज्ञानिक या किसान से बात कर लें, आप किसी भी एंगिल से इसको देख लें यह इकनॉमिकल नहीं है। मान्यवर, जैसे अभी पंजाब सरकार केन्द्र सरकार को इसके प्रति यह सुझाव दे रही है कि लम्बे समय से लगायी गयी जो सीलिंग है, इसके ऊपर केन्द्र सरकार को फिर से विचार करना चाहिए और सीलिंग कानून को सरकार को समाप्त करना चाहिए।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह तो राज्य सरकार का मामला है, केन्द्र सरकार का नहीं। यह तो जे0ए0एल0आर0 है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, केन्द्र की सीमा अलग है और राज्य की सीमा अलग है, यह प्रदेश का मामला है। मान्यवर, जे0ए0एल0आर0 एक्ट अलग है, सीलिंग प्रदेश का मामला है। प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार को सुझाव देना चाहिए। मान्यवर, जो सीलिंग सीमा है, यह प्रदेश के द्वारा निर्धारित है, इसके लिए व्यवस्था प्रदेश सरकार की है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारे राज्य को केन्द्र को यह सुझाव देना चाहिए कि जो सीलिंग किसान के ऊपर लम्बे समय से चली आ रही है, उसको

वापस लिया जाय। मान्यवर, खेती और सिंचाई का आपस में बड़ा सम्बन्ध है, सिंचाई के बगैर खेती हो नहीं सकती। आज हमारे प्रदेश में सिंचाई जिस तरीके से होती है ट्यूबवेलों के द्वारा धरती से पानी निकाल कर, इससे पानी खेती में ज्यादा लग रहा है। हमारी जो असमतल भूमि है, उसको समतल करने में लगा हुआ है और जब वह भूमि समतल करता है तो उसका बहुत भारी खर्च जमीन को समतल करने में आता है। यदि स्प्रिन्कल सिस्टम से पानी लगाया जाए जो इससे मात्र पाँच प्रतिशत पानी से उतनी ही सिंचाई हो सकती है, जितनी हम ट्यूबवेल के माध्यम से करते हैं और पाँच प्रतिशत पानी और उससे बिजली का खर्चा मात्र 10 प्रतिशत रह जाता है। मान्यवर, 90 प्रतिशत बिजली की सेविंग और 95 प्रतिशत पानी की सेविंग सिर्फ हमें अपने किसान को इस सिस्टम के प्रति जागरूक करने में और इस सिस्टम में कुछ सब्सिडी देकर किसान को ये मुहैया करने में बचत हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, गेहूँ और धान का हमारे प्रदेश में जो स्टोर है उसकी भी बड़ी समस्या है। हम अपने पूरे प्रदेश की उपज का यदि आज प्रदेश में स्टोरेज करना चाहें तो हमारे पास स्टोर की इतनी व्यवस्था नहीं है, किसान स्टोरेज चाहते हैं। मान्यवर, इस बार मैंने देखा कि काशीपुर में जो गेहूँ सरकार के द्वारा खरीदा गया, उसे कहा गया कि हरिद्वार से ऊपर ले जाकर गढ़वाल में गोदामों में रखें और जो गेहूँ हरिद्वार में खरीदी गयी उसको कहा गया कि इसे कुमायूं में रख दें, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई फायदा हुआ होगा। मान्यवर, किसानों के लिए पंजाब ने एक योजना चलायी थी कि किसानों को कंस्ट्रक्शन कास्ट का 75 प्रतिशत, 4 प्रतिशत ब्याज पर बैंकों के द्वारा लोन दिलवाया गया और किसानों ने इसके बड़े–बड़े वेयरहाऊस बना दिये और वह किसानों की आय का अच्छा साधन बन गया। चार प्रतिशत पर कर्जा मिल गया। मान्यवर, 5–6 साल में उनका कर्जा उतर गया और वह बिल्डिंग किसानों के हवाले हो गयी और सरकार का हमेशा के लिए स्टोरेज करने का एक साधन बन गया। मैं कहूँगा कि इस पर उत्तराखण्ड में भी हमें विचार करना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी आयी थी, तो ऐसा भी समय आया था कि जब हमारे एक प्रधानमंत्री जी द्वारा एक टाईम खाना खाने के लिए भी मना किया गया था कि खाना एक टाईम बन्द कर दो। मान्यवर, आज अनाज है, लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, इसमें शक नहीं कि ये अनाज भी हमारी बढ़ती हुई आबादी के खाद्य को पूरा कर पाएगा, इससे भी खाद्य पूर्ति नहीं हो पाएगी। जिस तरह से हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो नई–नई हाईब्रिड वैराईटी उस समय लेकर आई थी, नई–नई रिसर्च की थी। अब मैं समझता हूँ कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वे भी नई हाईब्रिड वैरायटियाँ लाने में सुस्त हैं। हमारे जो यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट हैं, उनको इसके प्रति जागरूक करना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी यूनिवर्सिटीज की जो खोज है और किसानों को जो ज्ञान देना है, उसके लिए

प्रचार–प्रसार हमारी यूनिवर्सिटीज प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रही हैं। टेलीविजन के जो चैनल हैं, अगर हमारी यूनिवर्सिटीज उनको हायर करें और उनमें एक नपा–तुला प्रोग्राम दें, जिसमें हमारे साइंटिस्ट बोलें और हमारे किसानों को पता हो कि इस चैनल पर इतने बजे से इतने बजे तक हमारा कृषि प्रसारण आता है। इससे हमारे किसान लाभान्वित होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पशुपालन के बारे में बहुत सारे आंकड़ों के साथ बात कही है लेकिन मैं एक बात के प्रति अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पशुपालन में नस्ल सुधार के लिए कोई बात नहीं आयी और जब तक नस्ल सुधार पर विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारी ये गाय, जिसके हम मूत्र की बात करते हैं, जिसके हम गोबर की बात भी करते हैं, धीरे–धीरे इनकी नस्ल इतनी नीचे जा ही है कि इनके दूध तो क्या, इनके गोबर और मूत्र से भी हमें जाना होगा। इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होगा। मान्यवर, मैं इसके प्रति एक और बात बताना चाहूँगा क्योंकि यह मेरे क्षेत्र की विशेष समस्या है। पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोग, गायें जब बूढ़ी हो जाती थी, पुरानी हो जाती थीं तो उस गाय को किसी तरह से एक खूँटे से बांध कर तब तक चारा देते थे, जब तक उसका अन्तिम समय नहीं आ जाता था। क्योंकि गाय को गौमाता मानते थे। आज यह परम्परा खत्म होती जा रही है और गायों के वृद्ध होने पर पर्वतीय क्षेत्र में लोग उनको खूंटे से खोल देते हैं कि वह जहाँ मर्जी चली जाय। हमारे इलाके के जो व्यापारी लोग हैं, वह लोग जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट या 100–200 रुपये में ले आते हैं। वहाँ से लेकर ये, मान्यवर, मेरा जिला ऊधमसिंह नगर, रामपुर जिले से लगा हुआ है, वहाँ चले जाते हैं। मान्यवर, यू0पी0 का रामपुर जिला गौवध के लिए मशहूर है। उस बॉर्डर से ले जाकर जितनी गायों का वध हो रहा है, वह एक चिन्तनीय विषय है।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

इस सरकार में ? शेम–शेम (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, एक ही बिन्दु रह गया है। माननीय मंत्री जी ने डेरी फार्म के बारे में बात कही, बड़े आकड़े आए, वे सब सही हैं, लेकिन डेरी फार्म के लिए हमें एक चीज की ओर ध्यान देना होगा। आज हम किसी शहर में हों, हमारा दूध पीने का मन नहीं करता, दूध पीने से डर लग रहा है, पनीर खाने से डर लग रहा है, मावा खाने से डर लग रहा है। (व्यवधान) आज प्योर दूध, प्योर मावा और प्योर पनीर मिलना मुश्किल हो गया है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरा सुझाव माननीय मंत्री जी को है कि इसकी प्योरिटी की जाँच के प्रति हमारी सरकार का ध्यान जाना अति आवश्यक है, जिससे हमारे प्रदेश का जो दूध है, यहाँ

का दुग्ध व्यवसाय है, इसके प्रति किसानों का, दूध पीने वालों का, मावा खाने वालों का, इस पर विश्वास जम सके। मान्यवर, मत्स्य पालन के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, शायद मुझे जानकारी नहीं है, माननीय मंत्री जी बता देंगे कि हमारे यहां मत्स्य पालन के लिये बहुत बड़े डैम हैं, जैसे नानक सागर डैम, तुमड़िया डैम, बैगुल डैम, बौर डैम, ऐसे बड़े–बड़े डैम हैं ....।

(माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

उन्हें शायद डर लग रहा है कि अगर उन्होंने टिहरी का नाम ले लिया तो कहीं आप धरने पर न बैठ जायें, उस पर तो आपका एकाधिकार है। (हँसी)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह जो हमारे बड़े–बड़े डैम हैं, जिनमें मत्स्य पालन का बहुत स्कोप है, वह आज भी यू0पी0 के कंट्रोल में हैं और हमारा यह जो करोड़ों रुपये का धन्धा हो सकता है, जो हमारी सम्पदा है। आज भी यह सम्पदा उत्तर प्रदेश के पास है। यह हमारे लिये बहुत खेद का विषय है, मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कि जितनी जल्दी हो सके, यह सम्पदा हमारे प्रदेश के अधिकार में आनी चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, चीमा जी ने समर्थन किया या विरोध किया, पता ही नहीं चला। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

वह उन्होंने पहले ही बता दिया था।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री कुंजवाल जी और करन मेहरा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, अभी माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा कृषि महोत्सव के बारे में कई बातें कही गई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी देहरादून जिले की 11–12 ग्राम सभायें आती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कृषि मंत्री जी जिन कृषि महोत्सवों की बात की जाती है, उनमें कृषि अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय विधायकों को आमंत्रित तक नहीं किया जाता है। इस बात की चर्चा मैं एक बार माननीय कृषि

मंत्री जी से कर भी चुका हूँ, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में क्या जांच कराई और जिन अधिकारियों ने इतने महत्वपूर्ण महोत्सव, जो कि न्याय पंचायत स्तर पर किये गये, में स्थानीय विधायक को बुलाने के लिये कष्ट भी नहीं किया, उसके बारे में उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से दूसरी बात मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने अभी गौ मूत्र की बात की और उससे धन उपार्जन की भी बात की,गोबर से धन उपार्जन की बात की। तो क्या माननीय मंत्री जी, हमारे उत्तराखण्ड के अन्दर जो पशुधन है, वह घट रहा है कि बढ़ रहा है? पशुधन के क्षेत्र में मेरे अनुमान से पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पशुधन घट रहा है, पशुधन बढ़ नहीं रहा है और जब हमारा पशुधन ही नहीं बढ़ रहा है तो हम किस प्रकार से अपने कार्य में इन चीजों को लागू कर पायेंगे, यह चिन्ता का विषय है। अभी आपने कड़कनाथ और बटेर की भी बात की, लेकिन पूरे पर्वतीय क्षेत्र में पहले लोग बकरी पालने का व्यवसाय करते थे, साथ ही इस क्षेत्र में भेड़ पालने का भी चलन था। हमारे यहां पर माघ मेले में बकरे काटे जाते हैं, ऐसे ही नीचे के क्षेत्र में रमजान के महीने में कुर्बानी दी जाती है। तो बहुत बड़ा फील्ड हमारे यहां पर है और आज आप यह देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में इनकी मांग पूरी करने के लिये बकरे आदि राजस्थान और दूसरे प्रदेशों से आते हैं। माननीय मंत्री जी ने मत्स्य पालन में कहा कि जो हमारे प्रदेश के ठंडे पानी की ट्रॉट मछली है, उसकी ओर भी शायद सरकार का ध्यान नहीं है, ट्राट मछली बहुत ही स्वादिष्ट और महंगी मानी जाती है। वह कर्णप्रयाग की तरफ पाई जाती है और वहां पर मच्छी और चावल के कई ढाबे हैं तो यह चीजें हैं, जिनको पर्वतीय क्षेत्रों में सुगता से पनपने का ....।

(माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा द्वारा अपने स्थान पर बैठे-बैठे कुछ कहे जाने पर)

मान्यवर, प्रीतम सिंह जी तो खाते नहीं हैं। टौंस में इतनी बढ़िया मछली होती है कि यदि आप कभी जाएं तो (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, ये कुछ चीजें हैं और एक मैं ये जरूर कहूँगा कि अपने अधिकारियों पर जरूर इस बात का अंकुश लगाएं और उनको उत्तरदायी बनाएं कि वे भविष्य में इस बात की अवहेलना न कर पाएं कि कार्यक्रमों में जिनकी उपस्थिति होनी चाहिए, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो। अन्यथा मैं, समझता हूं कि खाली अपनी उपलब्धि का बखान करने से ही कोई उपलब्धि नहीं रह जाती। तो मैं, साथियों ने, जिन्होंने ये कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देता हूँ।

*श्री शेर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष, 2009–10 में कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कृषि उत्पादन के सामान्य स्तर को बढ़ाने के लिए बजट के अंदर राज्य में उत्तम बीजों और उर्वरकों की उन्नत कृषि उपकरणों के प्रोत्साहन के लिए कृषि के बजट में समुचित व्यवस्था की गयी हैं इसके अलावा अपने इस राज्य की लगभग 50 प्रतिशत कृषि वर्षा पर आधारित है, इसके कारण अपने क्षेत्र में परम्परागत कृषि का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें स्थानीय रूप से फसलें बोयी जाती हैं और बावजूद इसके भी अपने पर्वतीय अंचल में जो स्थानीय कृषि की बुवाई में धान, मडुवा, गेहूँ का उत्पादन किया जाता है, उसमें जागरूकता लाने के लिए इस बजट के अन्तर्गत कृषि तंत्र और सुधारीकरण हेतु कृषि विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम, जो इस बजट के द्वारा अपनाया गया है उसके तहत कृषि क्षेत्रों को प्रत्येक न्याय पंचायत में सभी किसानों की जागरूकता के लिए दूरस्थ ग्रामों के कृषकों के निकटवर्ती केन्द्रों से कृषि निवेशों, मशीनरी आदि की आपूर्ति के लिए तकनीकी जानकारी को सुनिश्चित किया जाना, इस बजट में रखा गया है इसके अलावा इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र पर श्रम का उत्पादन विशेष रूप से कराने का प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, उत्तराखण्ड दुग्ध ब्रेड का सुधारीकरण, पर्वतीय क्षेत्रों में आई0डी0बी0एस0 प्रोत्साहन का न्यूनतम साग कार्यक्रम, इसके द्वारा कृषि नीति को मजबूत किया जाना, इस बजट के प्राविधान में है और राष्ट्रीय जलागम योजना के द्वारा इसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को खाद, बीज और उर्वरकों कृषि निवेश और क्रय की सुनिश्चितता के लिए इस क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि ऋण की व्यवस्था भी समुचित रूप से स्वयं सहायता समूह के द्वारा इस बजट के माध्यम से की गयी है किसान मेले का आयोजन किया गया है, किसान काल सेंटर की समुचित व्यवस्था है, कृषि सेम की स्थापना भी इसके अंदर की गयी है, पर अभी तक जो सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में पिछले वर्षों के लेकर अभी तक लगभग 670 न्याय पंचायतों में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भड़िया जी, कुछ सुझाव देना चाहें तो दें। ये सब योजनाएं सबको मालूम हैं।

श्री शेर सिंह–

मान्यवर, किसानों के लिए विशेष कृषि मेले का आयोजन किया गया है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय कुंजवाल जी और करन मेहरा जी द्वारा रखे कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी ने जो कृषि पशुपालन

और मत्स्य के लिए जो बजट रखा और जो बजट भाषण माननीय मंत्री जी ने इस सदन में दिया, बजट को सुनने पर ऐसा लग रहा था कि माननीय कृषि मंत्री जी प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने का काम करेंगे, पशुपालन और मत्स्य को बढ़ावा देने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत लम्बी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से कृषि की मद में जो बजट रखा गया है जब उसको मैंने देखा, मैं समझता हूँ कि जो हमारे साथी जो बजट के पक्ष में बोल रहे थे, अगर वह भी इस पुस्तिका का अवलोकन कर लेते तो शायद उन्हें भी लगता कि माननीय कृषि मंत्री जी ने बजट सदन में रखा है उसमें कितनी खामियाँ हैं, हाथी के दाँत होते हैं खाने के और दिखाने के और होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और उनसे कहना भी चाहता हूँ कि आपने अपने बजट भाषण में जो बातें कही हैं, अपने कृषकों के हित में लम्बी चौड़ी बात भी कही, लेकिन मजदूरी की मद में जो मजदूरी की मद है उसमें 9.80 की बजट में कटौती करने का काम किया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कटौती करने के बाद आप किस आधार पर कृषि को और उन्नत करने की बात कर रहे हैं? व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, इसको भी जब मैंने देखा इसमें भी आपने 35.62 की कटौती करने का काम किया। किस आधार पर आप खेती को उन्नत करने की बात कर रहे हैं? सहायता अनुदान अंशदान और राज सहायता जो कृषकों को मिलती है, उसमें भी आपने 22.96 की कटौती करने का काम किया। मुझे नहीं लगता कि किस आधार पर माननीय कृषि मंत्री जी सूबे के अन्दर कृषि को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं? लघु निर्माण कार्य में हम समझते थे कृषि मंत्री जी स्वयं कृषक हैं, निश्चित रूप से प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने का काम करेंगे, लेकिन लघु निर्माण कार्य में 81.60 प्रतिशत कटौती करने का काम आपने किया। यह एक ऐतिहासिक काम आपने किया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूँ या धन्यवाद कहूँ, यह समझ नहीं पा रहा हूँ। अनुरक्षण एक ऐसी मद है जिसमें आप जितना भी धन का प्राविधान करते निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलता। अनुरक्षण मद में भी आपने 3.41 की कटौती करने का काम किया है, यह भी शोचनीय विषय है। सामग्री और सम्पूर्ति इसमें 90.71 प्रतिशत की कटौती करने का काम आपने किया है। एक ओर आप बजट में कटौती करते जा रहे हैं, दूसरी ओर आप कह रहे हैं इस प्रदेश में हम कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। प्रशिक्षण व्यय, आपने स्वयं कहा, जब आप अपना बजट भाषण कह रहे थे कि, हम उत्तराखण्ड के किसानों को इस देश के अन्य हिस्सों में भेजने का काम करेंगे, उनको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, लेकिन प्रशिक्षण के व्यय में भी 12.38 की कटौती करने का काम किया है। किस आधार पर आप प्रशिक्षण देने का काम करेंगे? मान्यवर, अवकाश यात्रा व्यय, इसमें आपने अवश्य उपलब्धि हासिल की है इसमें आपने 271.51 बजट वृद्धि करने का काम किया है। इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। कृषकों को सब्सिडी देने की बात सरकार करती है किन्तु इसमें भी कटौती की गई है। अगर आप कृषि के बजट को देखें तो 14.16 लाख की कटौती करने का काम सरकार ने किया

है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कृषि मंत्री जी किस आधार यह बात कह रहे हैं कि हम कृषि को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, कृषक महोत्सव कर देने से कोई फायदा होना वाला नहीं है। जब तक कृषि के लिए धन की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कितने ही कृषक महोत्सव करवा लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए, कृषि को कोई फायदा नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि महोत्सव हेतु जो प्रचार और फोटो आदि का प्रकाशन हुआ उसके लिए कोई निविदाएं भी आपने आमंत्रित नहीं कीं। बिना निविदा आमंत्रित किये ही आपने यह कार्य कराने का काम किया। जो बाजारी दरें है, मेरी सुस्पष्ट जानकारी है उससे ज्यादा दरों पर आपने यह कार्य कराने का काम किया है। इससे कृषि को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इससे कृषि को कैसे मजबूती प्रदान करेंगे? मान्यवर, कृषक दिवस प्रत्येक माह 7 तारीख को मनाया जाता है किन्तु कृषकों को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो हम कृषि को बढ़ाने में कामयाब होने वाले नहीं हैं। दूसरे प्रदेशों के भ्रमण का मैं जिक्र कर चुका हूँ। इस मद में तो आपने ही कटौती कर दी है। तो किस आधार पर आप दूसरे प्रदेशों में कृषकों को भेजेंगे, मैं नहीं समझ पाया। मान्यवर, किसान मेलों के आयोजन की भी आपने बात कही। मैं समझता हूँ कि अब आपके पास यही काम रह गया है। इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं रह गया है। आप कृषि महोत्सव और प्रत्येक माह की 7 तारीख को किसान मेले का आयोजन करने का काम आप करें तो जो थोड़ा बहुत धन है आपके पास, वह इस तरह के कामों में व्यय कर दें। अभी आपने चीमा जी की पीड़ा को सुना। वे काफी पीड़ित हैं। आप तो खुद भी बाल-बाल बच गये। (हँसी) श्रीमन्, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष, 2007-08 लगभग 50 करोड़ रुपया आपको केन्द्र से मिला था। उस धन को न तो आपने 2007-08 में खर्च किया और न ही 2008-09 में खर्च किया। आप उस धन को व्यय नहीं कर सके फिर भी आप कहते हैं हम कृषि को बढ़ावा देंगे, कृषि की व्यवस्था को मजबूत करेंगे और मजबूत करेंगे, कृषकों के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए कार्य करेंगे। मान्यवर, आपने वह धन खर्च नहीं किया लेकिन धन का आहरण कर लिया गया। जब खर्च नहीं किया गया तो धन के आहरण की क्या आवश्यकता पड़ गई? अब आप उस धन को भी खर्च कर रहे हैं। ऐसी स्थित में प्रदेश की कृषि व्यवस्था को पटरी में कैसे लायेंगे? मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ और मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृषि व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार धन की व्यवस्था करे। जब धन की व्यवस्था होगी तभी इस प्रदेश की कृषि व्यवस्था मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही साथ में मान्यवर, पशुधन का जिक्र किया, इसके बजट में भी आपने कमी कर दी। जो 0.73 की कटौती कर दी। जब बजट प्रस्तुत होता है हर चीज महंगी हो गयी है। आप बजट बढ़ाते तो हम कहते कि माननीय मंत्री जी ने बजट बढ़ाया और हम साधुवाद देते कि बहुत अच्छा काम किया। माननीय मंत्री जी ने, पशुपालन का बजट है, उसमें बढ़ोत्तरी की है, कृषि के बजट में आपने बढ़ोत्तरी की है। हम आपको साधुवाद देते, धन्यवाद देते, लेकिन जिस तरह से आपने बजट को प्रस्तुत करने का काम किया, निश्चित रूप से इससे प्रदेश की कृषि व्यवस्था मजबूत

नहीं हो सकती और प्रदेश की जो पशुपालन व्यवस्था है, वह मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए मैं माननीय कुँजवाल जी द्वारा और माननीय करन माहरा जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव इस सदन में रखा गया उस पर बल देता हूँ, धन्यवाद।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 85 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी यज्ञ में हमारा उत्तराखण्ड अपनी आहुति प्रदान करें प्रदेश के अन्दर जो कृषि मेले आयोजित किये गये और आपने बताया कि इसमें दो लाख कृषकों ने भागीदारी की। मैं समझता हूँ कि ये मेले कृषि को बढ़ाने में अहम रोल अदा करेंगे। जहाँ कृषि दिवस की बात होती है। मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव भी है, आपसे भी पहले अनुरोध किया था और अधिकारियों से भी अनुरोध किया था। जिस प्रकार से सरकार की अपनी मंशा है कि कृषकों को इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और ठीक रूप से इसकी जानकारी मिले और लाभ उठा सकें, इस हेतु होता है। लेकिन इसका प्रचार–प्रसार और अधिक हो सके जिससे किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, देहरादून जनपद पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी बासमती के नाम से पहचाना जाता है जब मैं दूसरे प्रदेश में गया तो वहाँ के लोग, वहाँ की बासमती को देहरादून के नाम से चिन्हीकरण करके उसको बेचते हैं कि देहरादून का प्रसिद्ध बासमती चावल। मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने भी स्वीकार किया जो यहाँ का प्रमुख माजरा, दूधली आदि, इन क्षेत्रों में कहीं न कहीं बासमती की उपज कम होने लग गयी है। उसका एक कारण यह ही हो सकता है कि जहाँ धान होता था वहाँ कहीं न कहीं प्लाटिंग होने लग गयी है और कृषि क्षेत्र कम होने लग गया है। इसके साथ–साथ यह कारण भी है कि जो बासमती धान के पुराने किसान हैं वे स्पेशल बासमती को बढ़ाते थे, यदि उनको भी उगाने के लिए अलग से अनुदान मिलता तो उनको भी लाभ होता और देहरादून का नाम, जो बासमती के रूप में पहचाना जाता था और आगे बढ़ता। मान्यवर, गेहूँ की बात आती है, इससे पहले इन्होंने बताया कि गेहूँ का उत्पादन बढ़ा है। मान्यवर, यदि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपद को छोड़ दें तो राज्य के तमाम जिले गेहूँ का उत्पादन न करके गेहूँ का उपभोग करते हैं यानी उपभोक्ता ही है। यदि इन दो जनपदों में उत्पाद बढ़ा है, मेरा कृषि मंत्री जी से आग्रह रहेगा, चूंकि पहले देहरादून शहर में गेहूँ का उत्पादन फिर भी ज्यादा होता था लेकिन अब मुझे भी लगता है कि देहरादून में गेहूँ का उत्पादन कम हो रहा है। मान्यवर, गेहूँ उत्पादन की ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, इसके साथ–साथ जैसे पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर अदरक, आलू, मिर्च, गागले, जौ, मंडुवा, इस प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उनके विपणन की ओर सरकार ध्यान दे तो निश्चित रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र के हमारे कृषक हैं उनको लाभ मिलेगा। यह

बात बिलकुल सच है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में छोटे–छोटे किसान होते हैं, मान्यवर, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी का, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में थानो न्याय पंचायत जो कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र है और उसके अलावा रानी पोखरी न्याय पंचायत का, जो ऊपरी क्षेत्र, है वहाँ पर देखने को आता है कि वहाँ जब अदरक पैदा होगी या मिर्च पैदा होगी लेकिन जब वर्षा की स्थिति आ जाती है तो उनको अपना उत्पाद नीचे लाने में बहुत ही परेशानी होती है, मैं यह चाहूँगा कि या तो कम से कम आने जाने की सुविधा उनको हो, नहीं तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, क्योंकि आप भी डोईवाला क्षेत्र के विधायक हैं और मेरा भी क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है, तो उस क्षेत्र के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए ताकि किसानों को फायदा पहुँचे चूँकि भले आप ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में नहीं हो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपनी विधान सभा क्षेत्र, डोईवाला में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करवा देंगे तो निश्चित रूप से जो छोटे किसान हैं खासकर पर्वतीय समाज का जो छोटा किसान है उसको लाभ होगा, इसके लिए इस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की अगर व्यवस्था हो जाए। माननीय मंत्री जी, आप यहीं पर डोईवाला क्षेत्र से विधायक हैं, जिससे छोटे–छोटे कृषकों को लाभ होगा, इसके साथ–साथ माननीय कृषि मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, यह बात सच है कि पंतनगर विश्वविद्यालय विश्व की धरोहर है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन यदि इस प्रकार का संस्थान हमारे देहरादून में भी कहीं खोल दिया जाए चाहे वह ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र में या फिर किसी भी क्षेत्र में खोलें तो निश्चित रूप से यहाँ के जो किसान हैं उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, पशुपालन के क्षेत्र में, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ आपने 2007 में गो–वंश संरक्षण अधिनियम जो पास किया, इसके माध्यम से निश्चित रूप से गो–हत्या पर, गो–वंश पर रोक लगी है, जिस प्रकार से गो–मूत्र का संरक्षण करके और उसका विपणन करके अभी जैसा आपने कहा कि एम0ओ0यू0 किया जा रहा है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और इससे गो–हत्या पर भी रोक लगेगी। लेकिन जिस प्रकार से एक विषय आया अभी जिसका हवाला माननीय चीमा जी ने कहा और करन मेहरा जी भी बता रहे थे कि ऐसे पशु खासकर गो–वंश के जो लोग लाभ न लेकर उसको छोड़ देते हैं सड़कों पर और स्थिति यह आती है, यह सच बात है कि, अगले दिन वे पशु दिखाई नहीं देते, उनके व्यापारी, या उनको आप चोर कह सकते हैं, उन पशुओं को उठा ले जाते हैं। उनका परिणाम क्या होता है वह तो आप भी समझते होंगे, मैं भी समझता हूँ। मैं कल ऋषिकेश में था और जब रात को यहाँ आ रहा था तो दो बछड़े जंगल में बैठे हुए थे, मैंने इस बात को माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में डाला था। जब वे पशुलोक में आये हुए थे, कि इस प्रकार के जो पशु, बछड़े चरते–चरते जंगल की ओर चले जाते हैं, मैं नहीं समझता कि अगले दिन वे बच पाते होंगे जैसा कि आपने बताया कि चोर उनको उठाकर ले जाते हैं और उनका वध कर दिया जाता है। इसलिए मेरा आपसे

विशेष आग्रह है कि पशुपालन क्षेत्र में इस प्रकार के जो पशु हैं, उनके संरक्षण के लिए गो-सदन बनाए जाए, चाहे कोई और प्रावधान किया जाए इस बजट में ऐसा प्रावधान हो। मेरा अनुरोध है और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'मदू भाई'-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मान्यवर, मुझे एक बात कहनी थी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने आज बहुत बड़े विभाग का बजट प्रस्तुत किया, परन्तु एक पार्ट बिल्कुल छोड़ दिया, मण्डी परिषद् के बारे में आज बजट भाषण, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई तो मैं, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में एक बात रखी है कि मण्डी परिषद् के माध्यम से जितनी सड़कें बनी हैं उनके रख-रखाव की बात मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था तो माननीय मंत्री जी ने धन की उपलब्धता न होने का कारण बताया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन सड़कों का रख-रखाव मण्डी परिषद् नहीं कर सकता है तो क्या उन सड़कों को आप लोक निर्माण विभाग को सौंपेंगे ?

श्री प्रेमानंद महाजन-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, 2-4 बातें हैं, ज्यादा नहीं हैं। मान्यवर, यह बात सच है कि कृषि विभाग का बीज जब मार्केट में आता है और किसानों को जिस समय बीज मिलना चाहिए था उससे 15-20 दिन लेट मिलता है, जिससे कृषि विभाग के बीज से जो भी फसल की पैदावार है जैसे गेहूँ और चावल जो हम लोग खाते हैं यह कृषि विभाग के बीज की पैदावार नहीं है। मान्यवर, इसके साथ-साथ पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय की 70-75 परसेन्ट कृषि भूमि ठेके पर दी गयी है, बाहरी लोग जोत रहे हैं, इसके साथ-साथ पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में छठे वेतन आयोग की संस्तुति को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इस आंदोलन को जल्दी खत्म करायें क्योंकि कांसलिंग चल रही है। मान्यवर, यह जो कृषि यंत्र में छूट दिया जाता है, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसमें आकृष्ट करना चाहूँगा कि यह जो छूट दी जाती है प्रत्येक जिले में इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ कृषि रक्षा के लिए कीटनाशक जो दवाईयाँ सही समय पर किसानों को नहीं मिल पाती है। इसके साथ-साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्या पूरे ऊधमसिंह नगर में गर्मी के समय धान की खेती होती है, बहुत बड़ी खेती कृषि उपज के रूप में है, तो मैं समझता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूँ कि धान की खेती जितने क्षेत्र में होती है उससे कम क्षेत्र में धान की खेती गर्मी के समय में नहीं होती है, पैदावार बहुत अच्छी मिलती है परन्तु उसके इस फसल को बेचने में किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उसमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं रहता है। अभी इस बार 5-6 सौ प्रति कुन्टल धान बिका। निश्चित रूप से यह किसानों का शोषण है। यह खेती किसान अपने दम पर करता है। उसमें कृषि विभाग को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, तो कम से कम इसको बचाने में तो सरकार मदद करे। मान्यवर, इसके साथ-साथ मण्डी परिषद्, जो माननीय महरा जी ने अभी बताया कि मण्डी परिषद् द्वारा बनी सड़कों की हालत बहुत खराब है, इसका रख-रखाव विभाग नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष-

आप नई बात करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सड़कें मण्डी समिति ने पिछले 2-3 वर्ष में स्वीकृत कीं उसमें कहीं मिट्टी डाल दिया, कहीं पुलिया बना दिया, 4-5 साल हो गये उसको कम्प्लीट नहीं किया वह आज भी अधूरी है और जो भी मुखिया मण्डी परिषद् के बने वह मनमर्जी के बने और जब वह हट गया, तो वह पीछे वाले के सेंक्शन के अधूरे कार्य को पूरा नहीं कराता। मान्यवर, यह निश्चित रूप से जो भी मुखिया मण्डी परिषद् के बने, उन्होंने अपनी मनमर्जी के मुताबिक कार्य किया। यदि कोई हट गया और दूसरा बना तो दूसरा पहले के स्वीकृत हुए अधूरे कार्यों को पूरा नहीं करवाता है। निश्चित रूप से यह राजनीतिकरण से होता है। इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र की है जो नगर पंचायत दिनेशपुर है। यहां पर उप मण्डी की मांग बहुत समय से हो रही है। यहां की जो फसल है, गर्मी का, धान का एक हिसाब से आप इसे पूरे जिले का हेडक्वाटर कह सकते हैं। यहां पर मण्डी न होने से बिचौलिये के माध्यम से खरीदफरोख्त होती है, इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान होता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वहाँ पर उप मण्डी की माँग करता हूँ।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, मैं माननीय करन माहरा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कुछ ऐसे पहलुओं को छूना चाहता हूँ जो मुझसे पहले बयान नहीं किये गये हैं। मान्यवर, जनपद हरिद्वार में और जनपदों में भी गन्ने की फसल पर भीषण प्रकोप हुआ सफेद कीट का। इसकी रोकथाम के लिए बहुत कम काम सरकार ने किया है, जो कि पर्याप्त नहीं था। मान्यवर, जो हमारे यहाँ न्यूट्रेशन फौडर हमारे मवेशियों के लिए दिया जाना चाहिए था उसके लिए

सरकार ने कोई भी उल्लेख नहीं किया और सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है और ट्रेडिशनल फौडर हमारे यहां मवेशियों के लिए दिया जा रहा है, जिससे उनमें तरह–तरह की डिसीजें पैदा हो रही हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में तो बांझपन की कई बीमारियां हैं और वहां पर चारे की व्यवस्था है, लेकिन जो मैदानी और तराई के क्षेत्र हैं वहां पर इस बात पर गौर फर्माया जाय। मान्यवर, इसके अलावा जो जहरीले हार्मोंस, जो दुधारू पशुओं को दिये जाते हैं, जिससे उनके दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एक तरह से यह जहर का पर्याय है। नाम लेने के लिए औक्सीटोसिन है और भी लेक्टोजेनिक्स हार्मोंस हैं, जिनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर, इसके बाद जो सब्जियां हैं, सायं के समय यदि लौकी तीन इंच की है, उसमें इंजेक्शन लगा दिया, सुबह वह दो किलो की हो जाती है, यह भी बिल्कुल जहर है, इसको जो खायेगा उसको भी नुकसान होगा, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। मान्यवर, इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम चीज है वायु प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषण का जिक्र और संज्ञान कतई माननीय मंत्री जी के बजट में नहीं किया गया और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर इसका पार्ट्स पर मिलियन रेशियो और पी0पी0एम0 रेशियो अगर निकाला जाय तो इस कदर बेंजीन, कार्बन, कार्बन मोनोआक्साइड, वहां पर निकलेगी कि एसिड रेन तक की वहां पर संभावना बन जाती है और जहां एसिड बरसता होगा आसमान से तो जरा सोचिये कि क्या कहर वहां बरपता होगा। मान्यवर, वहां पर सब्जियां, फल, खाद्यान्न या बाग तो बिल्कुल तहस–नहस हो जाते हैं। मान्यवर, यदि देखना चाहें तो लक्सर क्षेत्र में आप आकर देखें यहां ईंट–भट्टों की इतनी ज्यादा बहुतायत है कि यहां पर सल्फर डाई आक्साईड पॉल्यूशन इतना अधिक है कि, सल्फ्यूरिक एसिड की इतनी ज्यादा रेन है कि इसका कोई सानी ही नहीं है। उसकी रोकथाम होनी चाहिए। मान्यवर, हालांकि मेरा प्रश्न भी आया था, लेकिन प्रश्नकाल समाप्त हो गया था। यह इत्तेफाक ही है कि आज मैं मण्डी की बात ला रहा हूं। मैंने मंत्री जी से तीन सवाल किये थे लक्सर में जो मण्डी परिषद् कार्यरत् है, वहां पर प्रतिस्पर्द्धा रोकने के लिए मंत्री जी ने कहा था कि हम प्रतिस्पर्द्धा रोक रहे हैं। किस तरह से रोक रहे हैं? कहां–कहां पर रोक रहे हैं? इसका बयान मैंने मांगा था। दूसरी बात मैंने अर्ज की थी कि जो मण्डी के सैस का पैसा है, उस सैस के पैसे का उपयोग किन–किन विकास योजनाओं के लिए कहां–कहां किया गया और कब–कब किया गया। वर्ष, 2008–2009 व 2009–2010 के विषय में और जानकारी चाह रहा था। मान्यवर, तीसरी बात मैंने यह जाननी चाही थी कि हम मण्डी के स्थान को तलाश रहे हैं। मान्यवर, ढाई साल सरकार को बने हो गये हैं। मण्डी परिषद् के अध्यक्ष जी, वहां चुने गये हैं। क्या उनके पास इतना समय नहीं है कि मण्डी के लिए स्थल का चयन किया जाय? मान्यवर, मुझसे कहा जाय मैं जमीन देने को तैयार हूं। मान्यवर, खानपुर क्षेत्र

में जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन मिल जायेगी मण्डी के लिए। मान्यवर, जो जमीन का उपजाऊपन है, उसमें कमी आ रही है, कमी इसलिए आ रही है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हद से ज्यादा बढ़ रहा है और उसके ज्यादा होने से मिट्टी की क्षमता कम हो जाती है और इससे मिनरल लॉस होता है, उसको कन्जर्व करने के लिए क्या आप क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी का उपयोग फैयाफायसी और ऐलगी है, उनको आप समायोजित कर रहे हैं या फसलचक्र का समावेश कर रहे हैं और किसानों को बता रहे हैं कि फसलचक्र कैसा होना चाहिए क्योंकि फसल चक्र जब तक सही नहीं होगा तब तक भूमि की उर्वरक क्षमता कायम नहीं रहेगी। मान लीजिए ग्रोमिनी फेमिली के प्लान्ट्स गन्ना और गेहूँ हैं और एक ही प्लांट को बार-बार उगायेंगे जो पर्टिकुलर उसके जो जीवाणु हैं वे वहां से कम हो जाते हैं। इसलिए क्रॉप रोटेशन यानि कि फसल चक्र स्थापित करना एवं किसानों को इसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए। मान्यवर, ऐसे में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की फसल वहाँ पर उगाई जाय तो नाइट्रोजन का एसीमिलेशन बढ़ जाता है। ऐसी क्रॉप रोटेशन्स का माननीय मंत्री जी को प्राविधान करना चाहिए। मान्यवर, वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आपने समय कम दिया है। मैं बल दे रहा हूँ कि इनका बजट काट कर एक रुपया कर दिया जाय।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कुंजवाल जी, माननीय करन मेहरा जी, माननीय काजी निज़ामुद्दीन जी, माननीय भीमा जी, माननीय दिनेश अग्रवाल जी, माननीय शेर सिंह गड़िया जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय प्रेम चन्द्र अग्रवाल जी, माननीय माहरा जी, माननीय प्रेमानन्द महाजन जी और कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" जी द्वारा कुछ स्पष्टीकरण यहाँ पर मांगे गये हैं। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, जल संवर्धन के बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जल संवर्धन को हमारी सरकार एक महत्वपूर्ण कार्य मानती है। इस दृष्टि से प्रदेश में कृषि विभाग के द्वारा पहली बार पिछले वर्ष 2 करोड़ 34 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था, जिससे कि किसान अपने खेतों में अपनी खेती की आवश्यकता के लिए और जल संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से वाटर टैंक का निर्माण कर सकें, इस तरह से महत्वपूर्ण व्यवस्था सरकार के द्वारा की गयी थी। मान्यवर, दलहनी और तिलहनी फसलों के बारे में पूछा गया। दलहनी फसल और अरहर की फसल को हम बढ़ावा दे रहे हैं और उसके लिए योजनाएं सरकार के द्वारा चलायी जा रही हैं। मान्यवर, समर्थन मूल्य की बात आयी, मंडुआ के समर्थन मूल्य के बारे में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया। मान्यवर, कोई भी समर्थन मूल्य भारत सरकार घोषित करती है फिर भी जैविक उत्पाद परिषद् द्वारा इसमें सहायक की भूमिका निभाई जाती है। पिछले वर्ष हम लोगों ने साढ़े आठ रुपये किलो के मूल्य पर मंडुआ किसानों से खरीदने की व्यवस्था की थी।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, 80 रुपये किलो मंडुआ बिक रहा है। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, कहीं बिक रहा होगा। (व्यवधान) कहीं प्रदर्शनियों में यह मूल्य मिला होगा। सामान्यतया ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ यदि 80 रुपये किलो मिल रहा होता तो किसानों को बताने की जरूरत नहीं थी। वे अपने आप बोना शुरू कर देते।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने कहा समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार घोषित करती है। राज्य सरकार भी तो समर्थन मूल्य घोषित कर सकती है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ही घोषित करती है। (व्यवधान) केन्द्र सरकार ने नहीं किया तभी तो हमने साढ़े आठ रुपया मंडुआ खरीदने की व्यवस्था की। (व्यवधान) मान्यवर, परम्परागत फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कोर वैली योजना चल रही है और उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। किसानों को जो बीज हम देते हैं, उससे 2 रुपये अधिक मूल्य पर बीज हम खरीदते हैं। कृषक महोत्सवों और कृषि सूचना एवं सलाहकार केन्द्र की विकासखण्ड स्तर पर स्थापना आदि की योजना प्रारम्भ की जा रही है। मान्यवर, जो बात आई कि हमारे प्रदेश में बी०एस०सी०, एग्रीकल्चर वाले छात्र कितने ही बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इनको न्याय पंचायत स्तर पर बी०एस०सी०, एग्रीकल्चर वाले छात्र जो बेरोजगार हैं, उनको विशेषज्ञ के रूप में रखने का प्रावधान किया गया है।

काजी मो० निजामुद्दीन–

मान्यवर, क्या इसी वर्ष रख लिये जायेंगे ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, प्रावधान कर दिया गया है, करेंगे। गत वर्ष में रबी की फसल में जो हानि हुई, उसकी भरपाई के लिये कृषि विभाग द्वारा 39 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, उसमें मैं चाहता हूँ कि सहयोग के लिये आप लोग भी थोड़ा सा हाथ लगा दें, तो शायद यह सहायता मिल जायेगी। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग पैकेज की जानकारी को कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है और न्याय पंचायत के क्षेत्र पर व्यक्तिगत आधार पर मृदा परीक्षण की बात आई है तो उनके परीक्षण का कार्य किया जा रहा है, इसकी जानकारी उनको उपलब्ध करा दी जायेगी। जैविक उत्पाद

की बात यहां पर आई तो वर्ष 03–04 से 08–09 तक 1585.74 लाख क्विंटल जैविक उत्पाद बिक्री किया गया और इसमें लगातार वृद्धि की कोशिश हो रही है, जैसे अभी सुबह ही माननीय सदस्यों द्वारा जैविक बासमती के बारे में पूछा गया था, तो इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम 9000 हैक्टेयर तक जैविक उत्पाद का क्षेत्र बढ़ायें। रसायनों के सुरक्षित प्रयोग के लिये गोष्ठियों के माध्यम से सलाह दी जाती है, वर्ष में दो बार हम जो कृषक महोत्सव करते हैं, उनके माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, प्रदेश में जो बीमे की बात आई तो प्रदेश में गेहूँ, चावल, मंडुवा, आलू और अदरक का बीमा लागू है और अब तक 1,41,946 कृषक बीमित हुये हैं और 31,471 कृषकों को 1339 लाख रुपये का लाभ भी इससे दिया गया है। मैदानी क्षेत्रों में समतलीकरण की बात आई, इस हेतु टी०डी०सी० को तीन लेबल लेपर उपलब्ध कराये गये हैं। उनके माध्यम से लेबलिंग का कार्य किया जा रहा है और माननीय सदस्य श्री चीमा जी ने प्रश्न उठाया कि स्प्रिंगर सिस्टम का, तो उसके लिये हार्टिकल्चर मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में योजना का प्रावधान है।

(माननीय सदस्य कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" द्वारा अपने स्थान पर बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, विचार करेंगे, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जा सकता है। माननीय प्रीतम सिंह जी ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात उठाई, तो मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूं कि वर्ष, 2007–08 में 2754 लाख रुपये इसमें प्राप्त हुये थे, जिसमें से 23 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या यह धनराशि 2007–08 में मिली और 2007–08 में खर्च कर दी गई?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह सही समय में खर्च हो गई है, यदि आपको इसका विस्तृत स्पष्टीकरण चाहिये तो दे दिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि आपको वह धनराशि 2007–08 में मिली, तो क्या इसे 2007–08 में ही खर्च किया गया ? कहीं ऐसा तो नहीं कि 08–09 में भी पैसा खर्च हुआ हो, या 09–10 में खर्च हुआ हो?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, 07–08 में पैसा आया और कुछ शायद 08 तक आ गया होगा। (व्यवधान) जहां तक किसानों को बीज उपलब्ध कराने की बात आई है तो मैं समझता हूँ कि लगभग सभी जगह समय से बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। क्योंकि यह बड़ा गम्भीर विषय है, अगर कहीं पर ऐसा मामला हो तो मेरा अनुरोध है कि किसी भी माननीय सदस्य के संज्ञान में ऐसा प्रकरण आता है तो, मान्यवर, आप सीधे मुझे इस बारे में सूचित करेंगे, क्योंकि बीज अगर समय पर नहीं पहुँचता तो मैं समझता हूँ कि कृषि इंतजार नहीं करती है। इसलिए बीज समय पर पहुँचना चाहिए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब हम मई व सितम्बर में कृषि महोत्सव, इसीलिए हम चाहते हैं कि बीज समय पर मिले इसलिए इस बार भी 21 सितम्बर से कृषि महोत्सव हो रहे हैं जिससे कि, जो किसानों के लिए निवेश है, उसको घर घर जाकर, नजदीक जाकर उपलब्ध कराया जा सके और आगे जाकर भविष्य में मई और सितम्बर में हम ये महोत्सव करेंगे और माननीय सदस्य ने चारा की बात को, माननीय करन मेहरा जी ने बड़ी गम्भीरता से उठाया था, मैं आपको जानकारी दे दूँ कि प्रदेश में पहली बार दो फैक्ट्रियां हमने स्थापित की हैं एक देहरादून कालसी में और दूसरी रुद्रपुर में, ऊधमसिंह नगर जिले में, देहरादून में उत्पादन शुरू हो गया है और 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन तैयार कर रहे हैं इसके अलावा पंतनगर और पशुलोक में भी हो रहा है, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी कम है। इस समय हमारे दो चारा बैंक स्थापित हो चुके हैं। 58 ब्लॉकों में हमने चारा बैंक स्थापित करने के लिए धन भी आवंटित किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी वो बैंक वहां पर स्थापित हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक में हम चारा बैंक स्थापित करें। हमारा प्रयास है कि जहां चारे की कमी है, उन विकास खण्डों को हम वरीयता दे रहे हैं। दूध की बात आयी कि अच्छा दूध नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो असंगठित क्षेत्र से दूध आ रहा है, उस पर डेयरी विभाग का नियंत्रण नहीं है, लेकिन आंचल जो हमारा ब्राण्ड नेम है, आंचल दूध में इस तरह की शिकायत अभी तक नहीं है, मानकों के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पाद को मार्केट में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। मंडी से कुछ सड़कों की मरम्मत के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था तो हम सब जानते हैं कि मंडी परिषद् की आय सीमित है फिर भी कुछ सड़कों की मरम्मत का काम किया जा रहा है, लेकिन इसको स्वीकार किया जा सकता है कि जो सड़कें मंडी परिषद् द्वारा बनायी गयी हैं, उनको पी0डब्ल्यू0डी0 को स्थानान्तरित करने के लिए मैं लिखूँगा, क्योंकि सड़कें सबके काम आती हैं और सड़क विकास का एक प्रमुख माध्यम है।

श्री प्रेमानन्द महाजन –

मान्यवर, जो सड़कें अधूरी हैं, केवल मिट्टी डाल दिया, उनका क्या होगा ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो अधूरी सड़कें हैं, उनका मैं परीक्षण करा लूँगा, कहीं पर ऐसा हुआ तो उसको करेंगे। मंडी सेस की बात माननीय सदस्य ने सुबह भी उठायी थी चैम्पियन साहब ने और मंडी स्थापना की बात की थी। सुबह भी मैंने लिखित जवाब में कहा था कि भूमि उपलब्ध होने पर हमारी योजना है कि वहाँ पर मंडी स्थापित हो, अगर भविष्य में मंडी स्थापित की जायेगी। (व्यवधान)

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, प्रतिस्पर्धा रोकने की बात की थी, उसके बारे में बता दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर हम चाहते हैं कि किसान को अच्छा मूल्य मिले, ये कोशिश हो रही है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि लक्सर के लिए किन–किन स्थानों पर आप यह सुविधा दे रहे हैं और कहाँ–कहाँ आपका देने का प्रयोजन है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, ऐसा है कि जहाँ पर मंडियाँ स्थापित हैं, वहीं पर हम खरीदारी करते हैं, वहीं पर किसान अपना माल लेकर आता है और वहाँ उसकी बोली लगती है और बोलियों के आधार पर उसका माल बिकता है। जहाँ तक मंडी स्थापना की बात है, प्रस्तावित है, भूमि उपलब्ध होने पर वहाँ पर बनेगी। (व्यवधान) सेस की जो राशि है, ये जानकारी अभी है नहीं, आपको उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात आ रही थी_ माननीय प्रेमचन्द अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाया था कि किसानों के लिए वे जो उत्पादन करते हैं, उसके लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष रायपुर में संग्रह केन्द्र के लिए 35 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। ऐसे ही माननीय प्रीतम सिंह जी के क्षेत्र में कालसी में एक संग्रह केन्द्र स्थापित हो रहा है, ऐसे ही चमोली जिले में, पौढ़ी जिले में मान्यवर, वैसे इसकी टोटल जानकारी नहीं है। हम किसानों के लिए स्थान-स्थान पर संग्रह केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं ताकि किसान वहाँ पर आकर जो, उनका माल है, उसको डम्प कर सकें, इकट्ठा कर सकें, ताकि व्यापारी उनके पास जाये, वह व्यापारी के पास न आयें, इस तरह की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, वायु प्रदूषण से जो खेती को नुकसान हो रहा था। उस विषय पर जवाब नहीं आया है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सॉयल टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। बता दिया कि न्याय पंचायत द्वारा व्यक्तिगत आधार पर किसानों से लिया जाता है, उसके बाद उसका परीक्षण किया जाता है। गौ सदन के लिए शासन ने शासनादेश जारी किया है कि सरकार कोई भी गौ सदन नहीं बनायेगी, सरकार जो एन0जी0ओ0 हैं या जो स्वयं सेवी संस्थायें हैं उनको इसके लिए मदद कर रही है और उनको प्रेरित करने का काम करेगी। अनेक जो धार्मिक संस्थायें हैं, सामाजिक संस्थायें हैं वह इस काम को कर रही हैं, उनको हम इस काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मान्यवर, वायु प्रदूषण... यह विभाग से संबंधित तो नहीं है, लेकिन आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, आपने जो एसिड रेन की बात की है, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, इसके बारे में हम परीक्षण करा लेंगे, उसके बारे में जो संबंधित विभाग है उनसे इसके बारे में जानकारी एकत्रित करके जो किया जा सकता है, ऐसी परिस्थितियों से किसानों को न जूझना पड़े, जिससे हमारी खेती प्रभावित होती है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, जो हॉरमोन्स की सब्जियाँ आती हैं इसके लिए क्वारेंटाइन फैसीलिटी होगी कि मण्डियों से ऐसे उत्पाद बाजार में न जायें जिससे कि कंज्यूमर्स को नुकसान न हो।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, ये समाचार पत्रों के माध्यम से दूरदर्शन के माध्यम से, इस तरह की लगातार खबरें मिल रही हैं। आपने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इसके लिए हम जहाँ पर इस तरह की सब्जियाँ हैं और इस तरह के फल हैं, उसके लिए हम इसका वैज्ञानिक परीक्षण करायेंगे प्रयोगशाला से।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, फसल चक्र के बारे में बतायें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, फसल चक्र हमारे प्रदेश में ठीक है, आपने जिज्ञासा प्रकट की है, आपने सवाल खड़ा किया है, क्योंकि आप एक सम्मानित सदस्य हैं, इस बात को सत्त माना जायेगा, आप जो भी बात बता रहे हैं। इसलिए हम इसको दिखवा लेंगे अगर फसल चक्र में कहीं अनियमितता हो रही है, उसको नियमित करने के लिए सरकार प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब तो पूरी जानकारी आपको मिल गई है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर भाषण दिया उसमें न तो उन्होंने कृषि के बजट में जो कटौती की है, न उसको बढ़ाने की घोषणा की, न सम्मानित सदस्यों ने जिन विषयों पर उत्तर चाहा, उन विषयों पर उनका उत्तर संतोषजनक नहीं मिला और किसानों के हित में यह बजट नहीं है और सरकार कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गम्भीर नहीं है। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना को स्वीकार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2009–10 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि, कर्म एवं अनुसन्धान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1604450 हजार (एक सौ साठ करोड़ चौवालीस लाख पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

मेहरा जी, आप तो संतुष्ट होंगे?

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, जी नहीं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। (हँसी)

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जिन–जिन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण माँगा था उनमें से अधिकतर के जवाब संतोषजनक नहीं प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले मशीन उपकरण, औषधियों आदि के विषय में मैंने माँग की थी इसके लिए

जो बजट कम किया है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। अपने उत्तर भाषण में माननीय मंत्री जी ने उसको बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कहा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपकी एक बात रह गई मैं उसे बताना चाहता था, आपने पर्वतीय काली गाय का जिक्र किया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी भी इच्छा है कि हम दो ऐसे केन्द्र स्थापित करें। उसके लिए मैं निर्देशित भी किया हैं पर्वतीय क्षेत्र में जो अच्छे नस्ल की गायें है हमने यह कहा है कि प्रत्येक विकास खण्ड से ऐसी पाँच गायों का चरन करें जिनमें दूध अधिक होता हो। उसका हम एक केन्द्र गढ़वाल में और एक कुमाऊँ में स्थापित कर रहे हैं।

श्री करन महरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। काली गायों की संरक्षण की बात आपने कही। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक संशय था अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा कि जो असंगठित क्षेत्र में दूध उत्पादन है, उसमें नियंत्रण नहीं है। मैं चाहता था कि मंत्री जी कहें कि वह जो असंगठित क्षेत्र है उसके नियंत्रण के लिए हम फलाना–फलाना उपाय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब आप मंत्री जी से अपेक्षा कर रहे हैं तो आप सुझाव दीजिए।

श्री करन महरा–

मान्यवर, सुझाव यही है कि उसके नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किये जायें। मान्यवर, सुझाव तो हम अलग से भी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री करन महरा–

मान्यवर, जैसे संगठित क्षेत्र में व्यवस्था है, इस प्रकार से समूह बनाकर लोगों की मदद की जा सकती है। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने सड़कों के उल्लेख में उत्तर दिया कि पैसा कम है और मण्डी से सड़कें बनाया जाना सम्भव नहीं है। मरम्मत के लिए पत्र लिखूँगा। अच्छा होता यदि मंत्री जी कहते कि मैं आदेश करूँगा और सरकार इसकी ओर देख रही है और उनको तुरन्त ठीक करवायेंगे तो ज्यादा अच्छा होता। माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और चीज की ओर आकृष्ट करना चाहता था। मेरा सुझाव है कि हमारे यहाँ जो रोपवे पहाड़ों में लगे हुए हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र रानीखेत की बात करता हूँ। पाँच रोपवे मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगी हैं जिनमें एक भी दिन काम नहीं किया, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। काफी पैसा सरकार का व्यय हुआ लेकिन ये कार्य नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके संचालन के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, इसमें

क्वासी और चकराता की बात हुई है। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, मैं सुझाव देना चाहता हूँ, अच्छा होता जो मुख्य मार्ग है, उन्हें गाँव तक जोड़ने के लिए जीप के जो मार्ग है, वे मण्डी परिषद् से बनाकर उनसे गाँवों को जोड़ा जाए जिससे गाँव के लोगों की सब्जियाँ और फल और अनाज आसानी से मण्डी तक पहुँचे और वे लोग उत्पादन करने में अपनी सोच बढ़ा सकें क्योंकि आज स्थिति यह है कि 4–5 कि0मी0 दूर गाँव में लोग बसे हैं। खेत है, पानी है, लेकिन उत्पादन करने से डरता है कि उसको नीचे लाने तक, मण्डी तक पहुँचाने तक उसका इतना व्यय और श्रम खर्च होता है कि उन्हें वह व्यवहारिक नहीं लग रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि रोपवे या छोटी सड़कें बना दी जाएं तो निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के काश्तकारों को उसका लाभ मिलेगा। ऐसा मेरा सुझाव है। मान्यवर, मछली उत्पादन में आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, वहाँ पर बात आई थी ट्राउट मछली की, वहाँ पर बात आई थी गोल्डन महाशीर की, इन विषयों पर आपने उत्तर भाषण में कोई उत्तर नहीं दिया।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, गोल्डन महाशीर के लिए पौड़ी गढ़वाल में न्याल स्थान पर तालाब बनाया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। ट्राउट फिशेस के लिए मण्डल गोपेश्वर में मत्स्य बीज तैयार कर रहे हैं।

श्री करन मेहरा–

क्या उसको भविष्य में व्यापार में बढ़ाने की कोई योजना है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, किसानों को इसका बीज दिया जा रहा है।

श्री करन मेहरा–

मान्यवर, इसका मतलब व्यापारीकरण करने की संभावना है। मैं मंत्री जी के कई जवाब पर संतुष्ट नहीं हूँ, कृषि क्षेत्र में तो संतुष्ट नहीं हूँ और सबसे बड़ा मेरा आरोप है जिसकी वजह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, चाहे वह पशुपालन के चिकित्सा अधिकारी की बात हो, चाहे वह चारा विकास अधिकारी की बात हो इस तरह से जो 1100 पद रिक्त पड़े हैं, इस विभाग में, यह एक बड़ा गम्भीर विषय है इस पर माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया इसलिए मैं अपने कटौती के भाषण पर जोर देता हूँ और प्रस्ताव करता हूँ कि इस पर कटौती की जानी आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या: 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 624562 हजार (बासठ करोड़ पैंतालीस लाख बासठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2686363 हजार (दो सौ अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख तिरसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, देश की आत्मा गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक उन्नयन हेतु ग्राम्य विकास विभाग कटिबद्ध है। प्रदेश में चिन्हित बी0पी0एल0 परिवारों पर आधारित बहुआयामी रोजगारपरक, स्वरोजगारपरक, ग्रामीण आवास, ग्रामीण संयोजकता ....।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पढ़ा कम करें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, क्षेत्र विकास कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। आर्थिक उदारीकरण तथा संरचनात्मक बदलावों को देखते हुए, विशेषकर ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों को एक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्यसरकार द्वारा ग्रामीण विकास को उच्चतम बवरीयता प्रदान की है। मान्यवर, निवेदन सहित यह भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अनुदान संख्या : 19 के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा पूर्व स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2686363 हजार (दो सौ अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। ग्राम्य विकास विभाग केन्द्र पोषित योजनायें श्रीमन्, योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके वित्त पोषण की कार्यवाही बैंकों के माध्यम से की जाती है। तथापि व्यक्तिगत

स्वरोजगारियों को भी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। योजनान्तर्गत राज्य में वर्ष, 2002 के बी0पी0एल0 सर्वेक्षण के आधार पर कुल 6.24 लाख परिवार उपलब्ध हैं। इन परिवारों को समयबद्ध रूप से कौशलवृद्धि प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत स्वरोजगारी को रुपये 7500 तथा समूहों को रुपये 1 लाख पच्चीस हजार तक अधिकतम अनुदान जो प्रति स्वरोजगारी रुपया दस हजार से अधिक न हो, के रूप देने का प्राविधान है। मान्यवर, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को रुपये दस हजार अनुदान के रूप में दिया जाता है। मान्यवर, ये केन्द्र पोषित योजनाएं हैं। जिसमें केन्द्रांश 75 प्रतिशत है और राज्यांश का 25 प्रतिशत है। मान्यवर, एस0जी0एस0वाई0 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं, वर्ष 2009–10 हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 85126 हजार का बजट प्राविधान प्रस्तावित है जिसमें एस0सी0पी0 हेतु 36863 हजार रु0 (तीन करोड़ अड़सठ लाख तिरसठ हजार रु0) तथा टी0एस0पी0 हेतु रु0 3205 हजार रु0 (बत्तीस लाख पाँच हजार रु0) व्यय हेतु मात्राकृत है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, नरेगा प्रदेश के समस्त 13 जनपदों में वित्तीय वर्ष, 2008–09 से क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराये जाने की कानूनी गारण्टी व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत अकुशल श्रमिकों की मजदूरी पर होने वाला शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा कुशल श्रमिकों एवं सामग्री पर होने वाले व्यय में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान है, मांग आधारित रोजगार उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस योजना के लिए वर्ष, 2009–10 में 202319 हजार रु0 (बीस करोड़ तेइस लाख उन्नीस हजार रु0) का राज्य सैक्टर में बजट प्राविधान प्रस्तावित है, प्रस्तावित बजट व्यवस्था में रु0 78736 हजार रु0 (सात करोड़ सत्तासी लाख छत्तीस हजार रु0), अनुसूचित जाति तथा रु0 16576 हजार रु0 (एक करोड़ पैंसठ लाख छिहत्तर हजार रु0), अनुसूचित जनजाति के लिए मात्राकृत है। मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना के बारे में अभी जो बात कही गयी है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहती हूँ कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले आवास विहीन, भूमिहीन, कच्चे आवासों वाले मुक्त बन्धुआ मजदूरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवार को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है, योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अंकन रु0 38500 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु अंकन रु0 35000 प्रति आवास नव निर्माण में अनुदान के रूप में दिये जाने का प्राविधान है, लाभार्थी का चयन वरीयता क्रम में तैयार आवास विहीन, कच्चे आवासों के बी0पी0एल0 परिवारों की सूची से वरीयता के

आधार पर किया जाता है। जनपद में आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के पश्चात कच्चे आवासों वाले परिवारों को वरीयता क्रम में आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2009-10 के लिए इन्दिरा आवास योजना में रु0 232110 हजार रु0 (तेईस करोड़ इक्कीस लाख दस हजार रु0) का बजट प्राविधानित है और प्रस्तावित बजट में रु0 129982 हजार रु0 (बारह करोड़ निन्यानबे लाख बयासी हजार रु0), अनुसूचित जाति के लिए तथा रु0 9284 हजार रु0 (बयानबे लाख चौरासी हजार रु0), अनुसूचित जनजाति के लिए मात्राकृत है, मान्यवर इस योजना के अन्तर्गत 69400 रु0 का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, मान्यवर, एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना, आई0डब्लू0डी0पी0 कार्यक्रम भी भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित है, यह राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष, 2009-10 के लिए रु0 22622 हजार का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, अभी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जिक्र हुआ है, इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं इससे अधिक आबादी के सभी असंयोजित बसावटों को सर्व ऋतु मार्गों से संयोजित किया जाना है, मान्यवर, यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है इसमें मार्गों के निर्माण हेतु नियोजन चरण में समरेखण में आने वाली निजी भूमि प्रतिकर, निजी सम्पत्ति प्रतिकर, वन भूमि प्रतिकर में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं 50 मी0 से अधिक स्पान के सेतुओं के निर्माण हेतु अनुपातिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा मार्गों के पूर्ण होने के पश्चात उनके रख-रखाव पर होने वाला व्यय भी राज्य सरकार का दायित्व है। मान्यवर, मदों पर राज्य सरकार द्वारा मार्ग के निर्माण पर होने वाले व्यय का लगभग 25 प्रतिशत धन नियोजन चरण में व्यय किया जाता है। मान्यवर, इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों का निर्माण 6 फेसों पर किया जा रहा है, हम छठे और सातवें फेस पर अग्रसर हैं, इसमें वित्तीय वर्ष, 2007-10 में 53 करोड़ एक हजार रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, जो निजी भूमि प्रतिकर, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 तथा 25 मी0 से अधिक स्पान वाले सेतुओं एवं व्यावित्व हेतु की गयी है जिसमें दस करोड़ रुपये अनु0 जाति तथा तीन करोड़ रुपये अनु0ज0जाति हेतु मात्राकृत है। मान्यवर, डी0आर0डी0ए0 प्रशासनिक मद में वित्तीय वर्ष, 2009-10 के लिए केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश हेतु दो करोड़ अट्ठावन लाख अड़सठ हजार रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, बायोगैस संयंत्र निर्माण कार्यक्रम ग्रामीण विकास के अन्तर्गत आता है इसमें वित्तीय वर्ष, 2009-10 हेतु अट्ठाईस लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर द्वारा वर्ष, 2008-09 में 80 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2009 तक कुल 71 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 2274 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें कम्प्यूटर प्रशिक्षण 13, पंचायतीराज प्रतिनिधियों का सी0ए0जी0

एकाउन्टिंग प्रशिक्षण 11, एन0आर0ई0जी0एस0 7, एन0आई0आर0डी0 के सहयोग से 1, जलागम प्रशिक्षण 18, त्रिस्तीय पंचायतों हेतु आर0टी0आई0 एण्ड जेण्डर इश्यू प्रशिक्षण 2, डी0ओ0पी0टी0 प्रशिक्षण 3 तथा अन्य विभागों के 18 प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। इसके लिए वित्तीय वर्ष, 2009–10 हेतु बीस लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र में कई कार्य हैं इसके लिए वित्तीय वर्ष, 2009–10 के लिए पचपन लाख रुपये का बजट है जिसमें नये प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जायेगा। मान्यवर, हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना (आई0एफ0ए0डी0) के लिए वित्तीय वर्ष, 2009–10 हेतु पच्चीस करोड़ बयानबे लाख अट्ठासी हजार रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है जिसमें चार करोड़ बयानब्बे लाख पैंसठ हजार रुपये अनु0 जाति तथा एक करोड़ तीन लाख बहत्तर हजार रुपये जनजाति कल्याण पर व्यय हेतु मात्राकृत है। मान्यवर, लीडर परियोजना भी संचालित की जा रही है जिसमें वित्तीय वर्ष, 2009–10 हेतु अट्ठाईस लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित हैं। जी0टी0जेड0 परियोजना है, जिसमें वित्तीय वर्ष, 2009–10 में परियोजना हेतु पाँच लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, राज्य सैक्टर योजनाओं में विधायक निधि में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 150 लाख रुपये प्रति विधायक धनराशि दिये जाने का प्राविधान है, जिससे प्रत्येक विधान सभा के माननीय सदस्य द्वारा क्षेत्र में अनुभव की जा रही मूलभूत बुनियादी आवश्यकताओं तथा स्थानीय जनता की मांग आधारित कार्यों की पूर्ति हेतु संबंधित मुख्य विकास अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। कार्यों का कार्यान्वियन सरकारी विभाग, पंचायतीराज संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किया जाता है। इन कार्यों के लिये निजी ठेकेदारों को लगाने पर प्रतिबन्ध है। योजनान्तर्गत निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के लिए होने आवश्यक हैं। योजनान्तर्गत स्थाई परिसम्पत्तियों पर विशेष बल दिये जाने की व्यवस्था है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2009–10 में विधायक निधि के अन्तर्गत एक सौ छः करोड़ पचास लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, जिसमें बीस करोड़ तेईस लाख पचास हजार रुपये अनु0 जाति तथा चार करोड़ छब्बीस लाख रुपये जनजाति कल्याण पर व्यय हेतु मात्राकृत है। मान्यवर, राज्य ग्रामीण स्वरोजगार मिशन में योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार सामाजिक गतिशीलन आधारित समूह पद्धति द्वारा बैंक ऋण तथा अनुदान के माध्यम से आय सृजक परिसम्पत्तियां मुहैया कराकर उन्हें तीन वर्ष के अन्दर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना अर्थात एक परिवार की शुद्ध मासिक आय कम से कम 2000 रुपये हो जाये। मान्यवर, दो हजार रुपया हो जाय, यह हमारा उद्देश्य है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2009–2010 हेतु राज्य सेक्टर से रु0 एक हजार का प्रतीक बजट प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, उत्तरांचल सार्वभौम रोजगार योजना, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मान्यवर, हम उत्तराखण्ड के

ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्तियों एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध जनशक्ति एवं सामाजिक पूंजी पर आधारित यह रोजगार योजना ऐसे इच्छुक शिक्षित, अर्द्धशिक्षित एवं अशिक्षित युवक/युवतियों, पुरूषों एवं स्त्रियों को लक्षित करती है जो स्थानीय रूप से स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन करना चाहते हैं। मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष, 2009–2010 हेतु तीन करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार रू0 का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, जिसमें एक करोड़ चार लाख पचास हजार रुपये अनुसूचित जाति एवं बाईस लाख रुपये जनजाति कल्याण पर व्यय हेतु मात्रायुक्त है। मान्यवर, राज्य ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास हेतु केन्द्रीय योजनाओं के अतिरिक्त राज्य के संसाधनों से यह योजना पृथक रूप से संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत रू0 32 हजार तक वार्षिक आय वर्ग के आवासविहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु कुल रू0 50 हजार, जिसमें से 10 हजार अनुदान तथा रू0 40 हजार बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष, 2009–2010 में रू0 तीन करोड़ हजार का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, जिसमें रू0 सत्तावन लाख रुपये अनुसूचित जाति एवं बारह लाख रू0 जनजाति कल्याण पर व्यय हेतु मात्राकृत हैं। मान्यवर, व्यवसाय विकास योजनान्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेष परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत एवं निर्मित विपणन केन्द्रों एवं शिल्प केन्द्रों को सुचारू रूप से सक्रिय करने के लिये रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जायेगा ताकि ये केन्द्र पूर्ण क्षमता से अपना कार्य कर सकें। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2009–2010 हेतु एक हजार का प्रतीक बजट प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, आवासविहीन परिवारों के लोगों के लिए दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना, जो आवासविहीन लोगों को तथा कच्चे आवासों में रह रहे ग्रामीण परिवारों के सभी लाभार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक और कदम उठाते हुये 25 सितम्बर, 2007 से राज्य पोषित दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना प्रारम्भ की गयी है योजना का उद्देश्य आवासविहीन बी0पी0एल0 परिवारों को 11वी पंचवर्षीय योजनाकाल तक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। मान्यवर, वर्ष, 2009–2010 हेतु सात करोड़ बीस लाख रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, जिसमें एक करोड़ नब्बे लाख रुपये अनुसूचित जाति एवं तीस लाख रुपये जनजाति कल्याण पर व्यय हेतु मात्राकृत हैं। मान्यवर, सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या–7 के आयोजनागत मद में वित्तीय वर्ष, 2009–2010 हेतु में बाईस करोड़ सत्तानब्बे लाख रुपये का बजट प्राविधान राज्य सैक्टर से प्रस्तावित है। जिसमें चार करोड़ तेरह लाख छियालिस हजार अनुसूचित जाति कल्याण पर व्यय हेतु मात्राकृत है। मान्यवर, जिला सैक्टर योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सी0डी0पी0) में जिला सैक्टर योजना के अन्तर्गत जनपदों के विकास भवनों तथा विकास खण्डों के

आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कराये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष, 2009–2010 में दो करोड़ रुपये का बजट प्राविधान जिला योजनान्तर्गत से प्रस्तावित है। मान्यवर, पंचायती विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष, 2009–2010 हेतु अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत आयोजनागत मद में उन्यासी करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार रुपये तथा आयोजनेत्तर मद में चालीस करोड़ आठ लाख अठारह हजार रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए वर्ष, 2009–2010 हेतु अनुदान संख्या–19 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में तीन करोड़ सत्तर लाख पिचानब्बे हजार रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अधिष्ठान के लिए वित्तीय वर्ष, 2009–10 हेतु अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में 18 करोड़ 49 लाख 17 हजार रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, मैं गरीबी उन्मूलन तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तुत विभागीय बजट पर सदन द्वारा व्यक्त विश्वास पर माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक उन्नयन हेतु विभागीय बजट जन अपेक्षाओं के अनुरूप सार्थक सिद्ध होगा। धन्यवाद।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा जो प्रथम वक्तव्य दिया गया, वह था, देश की आत्मा गाँवों में निवास करती है परन्तु इस सरकार की आत्मा इस उत्तराखण्ड में भी निवास करती है या अपनी आलीशान कोठियों में निवास करती है, इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। इसका मुख्य कारण है, आपका जो बजटीय प्राविधान है, पिछले साल प्लान के अन्दर लगभग 35 लाख हजार रुपये का प्राविधान था, जिसमें मात्र 18 लाख हजार रुपया व्यय किया गया और इस वर्ष वह राशि घटाकर मात्र 29 लाख हजार रुपया कर दी गयी, जो पिछले साल 35 लाख हजार रुपये थी। इसी प्रकार मान्यवर, जो वृहद् निर्माण के कार्य आप करवाएंगे, पिछले साल 10 लाख हजार रुपये के कार्य कराए गए और इस बार जो प्राविधान किये गये हैं, वह 4 लाख 25 हजार रुपये के हैं। मान्यवर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस कार्य में 67 प्रतिशत राशि की कटौती ग्राम्य विकास विभाग के बजट में की गयी। इसलिए मैंने अपना सम्बोधन शुरू किया कि इस सरकार की आत्मा कहाँ बसती है, इस प्रश्न का उत्तर शायद अभी माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में देंगी। मान्यवर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बी0पी0एल0 सर्वे जो किया गया, 2006 में उसे सार्वजनिक किया गया और धीरे–धीरे उसमें अनेकानेक त्रुटियाँ देखने को मिली। पूरे प्रदेश के हर गाँव से यह आवाज आ रही है कि बी0पी0एल0 सर्वे में जो त्रुटियाँ रह गयी हैं, उनका सुधार कि जाय और जो पात्र लोग इस सूची में रह गये हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाय। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में, इस पूरे प्रदेश में गरीबों की जो आवाज गूँज रही है, उसके लिए कोई जिक्र नहीं किया। उसके लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? केन्द्र द्वारा नरेगा, पिछले साल जो योजना पूरे देश को दी गयी, वह हमारे उत्तराखण्ड में क्रियान्वित की गयी और उसके अन्दर पिछले वर्ष 73 रुपये प्रति दिन के हिसाब से केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को एक दिन के श्रम के लिए दिया गया था। मान्यवर, इसी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा उसे बढ़ाकर पिछले साल 100 रुपया किया गया। इस बार केन्द्र सरकार ने उस राशि को 73 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया है। पिछले साल राज्य सरकार द्वारा 27 रुपये का अनुदान इसमें दिया गया। क्या इस वर्ष भी माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करेंगी ? चूँकि पिछले वर्ष 27 रुपये का अनुदान दिया गया तो इस वर्ष इस राशि को बढ़ाकर 125 रुपया करने की घोषणा की जानी चाहिए थी। पिछली बार आपने 27 रुपये का अनुदान दिया परन्तु ऐसी कोई घोषणा इस बार देखने को नहीं मिली। मान्यवर, पिछले साल जो बजट था, उसमें मात्र 75 प्रतिशत पैसा नरेगा का जरूरतमंदों को दिया गया और उसका 25 प्रतिशत पैसा लैप्स हुआ था, उसका कारण क्या था कि ब्लॉक स्तर पर आपके पास अवर अभियंता नहीं थे, अभी भी आपने संविदा पर भेजे हैं। किसी ने ज्वाइन किया है, किसी ने नहीं किया है। सहायक लेखाकार, जो उसका रिकार्ड रखते, प्राविधान था कि दो ग्राम पंचायत पर एक सहायक लेखाकार होगा, वह भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। कौन उसका एम0बी0 बनायेगा और कौन रोज की राशि लिखेगा? किसी प्रकार की व्यवस्था आपने नहीं की है। एक मखौल बन गया है नरेगा इस प्रदेश के अन्दर। अनेकानेक जनपदों का पैसा लैप्स हो रहा है, पूरे प्रदेश का पैसा लैप्स हो रहा है। गरीबों की यह योजना है और उसके प्रति सरकार बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है। मान्यवर, नरेगा, जो ग्रास रूट लेवल के व्यक्तियों की योजना है, उसका लाभ उनको मिले, उसके लिये सरकार की स्पष्ट नीति नहीं है। जिन लोगों को 15 दिन तक कार्य नहीं दिया जाता, उनको बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्राविधान है और उसे राज्य सरकार देगी, क्योंकि इसको अभी आपने बताया है कि केन्द्र सरकार नहीं देगी। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को यह बेरोजगारी भत्ता सरकार ने पिछले वर्ष दिया और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिये, क्योंकि राज्य सरकार का यह मैटर है, तो बेरोजगारी भत्ते के लिये आपने क्या प्राविधान बजट के अन्तर्गत किया है, यह भी मैं जानना चाहूंगा।

मान्यवर, अगर हम स्वयं सहायता समूह की बात करें तो 1999 से अब तक लगभग 21 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ और 10 साल बाद क्या

रिजल्ट मिल रहा है कि उसमें से आधे सहायता समूह द्वितीय चक्र में चयनित किये गये। यह आपकी व्यवस्था को बताता है, हम गरीबों को काम देने की, सहायता देने की बात करते हैं और मात्र 50 प्रतिशत समूह द्वितीय चक्र में चयनित हो पाये हैं। इसके क्या कारण हैं, वह आपने नहीं बताये हैं, आप यह भी बतायें कि सरकार उनको गतिशील करने के लिये क्या कर रही है। इसी प्रकार से इन्दिरा आवास योजना केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के लिये है। लेकिन हमारे क्षेत्रों में अभी तक यह परिभाषित नहीं है कि किसको आवास विहीन कहा जायेगा। अगर एक आदमी ने बचने के लिये अपने कच्चे मकान में ईंटों की एक छोटी सी दीवार बना दी, गारे से चिनी हुई तो उसको वह कह देते हैं कि यह आवास है और यह आवासविहीन नहीं है। इसको परिभाषित किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। वहां पर कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है तो इसे परिभाषित किया जाना बहुत आवश्यक है कि किसको आप पक्का मकान मान रहे हैं और किसको नहीं मान रहे हैं। अगर मात्र एक दीवार या दो दीवार उसने खड़ी कर दी या गारे की कच्ची चिनाई कर दी या किसी का कच्चा छप्पर ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसे आप आवास मान रहे हैं, यह अभी परिभाषित नहीं है। इसकी वजह से कई हमारे ऐसे पात्र लोग, जिनको आवास विहीन की श्रेणी में आना चाहिये था, उनको आवास विहीन की सूची में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है और यह बहुत बड़े रोष का कारण बन रहा है।

मान्यवर, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात यहां पर कही गई और सरकार द्वारा बार-बार यह कहा जाता है कि यह योजना बहुत जोरों से चल रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम अभी सिर्फ छठे फेस के अन्तर्गत हैं और छठे फेस का बहुत बड़ा कार्य अभी नहीं हुआ है। मान्यवर, अनेकानेक राज्य ऐसे हैं, जो आठवें फेस तक पहुंच चुके हैं और हम अभी छठे फेज पर ही हैं। हमारे छठे फेज में कई सड़कें ऐसी हैं, जिनमें टेण्डर हुये साल भर हो गया है और कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है और न ही वन भूमि का अधिग्रहण उसमें हुआ है, तराई के क्षेत्र में जो हैं, उनमें भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है। तो इस तरह की योजनायें इस समय चल रही हैं, इससे यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में गम्भीर है या सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं। अगर हम प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें तो पिछले साल भी लगभग 800 करोड़ रुपया सरकार का लेप्स हुआ है, क्योंकि उसमें कार्य नहीं हुआ है। मान्यवर, इसी सदन में जिला स्तर पर जो डी0आर0डी0ए0 विभाग है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, मान्यवर, अनेक विभागों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। इन डी0आर0डी0ए0 में जो भ्रष्टाचार है, उसकी रोकथाम सरकार कैसे करेगी? उनके पीछे क्या विजिलेंस की लगातार जांचें होंगी और डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से जो जांचे अगर हुई भी हैं, विजिलेंस द्वारा उसको भी ठंडे बस्ते में दबाया गया है। उन जांचों पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो

रही है। इनको भी देखने की जरूरत है डी०आर०डी०ए० में अगर भ्रष्टाचार है उसको कैसे रोका जाय, क्योंकि उसी के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हैं, उनको ग्रास रूट तक कैसे ले जाए? मान्यवर, एक और बहुत बड़ी परेशानी हो रही है कि चाहे उत्तराखण्ड सार्वभौम योजना हो, राज्य ग्रामीण स्वरोजगार योजना हो, गृह सह अनुदान योजना हो, इसमें भी जो अनेकानेक योजना हैं जिनसे पात्रों को बैंकों से ऋण लेना पड़ता है। बैंक ऋण नहीं देते हैं। वो फाईल बैंक में जाती है फिर ब्लॉक में वापिस आ जाती है, फिर बैंक जाती है, फिर ब्लॉक में आ जाती है। आदमी एक साल, छः महीने चक्कर लगाता रहता है और अंत में घर बैठ जाता है कि हमें यह पैसा नहीं मिलेगा। तो इस पर भी हमारी जो बैंकों की मीटिंग होती हैं, उसके अंदर भी इस बात को क्या सरकार उठायेगी कि बैंकों द्वारा जिस प्रकार का रवैया, हमारे पात्रों, गरीब लोगों के प्रति जो रवैया है, उनकी फाईलें आती हैं, क्यों वापिस जाती हैं ब्लॉक के हमारे ए०डी०ओ० और बी०डी०ओ० क्या करते हैं, क्यों नहीं इनको मंजूरियां मिलती? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार ऐसे पात्रों का उत्पीड़न बैंकों के द्वारा किया जा रहा है और हमारे जो विकास के ब्लॉक्स हैं, खण्ड विकास के दफ्तर में किसी तरह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश सरकार की पिछले बार एक अटल आवास योजना आयी। इस पूरे भाषण में शायद अटल जी को भारतीय जनता पार्टी भूलती जा रही है,उनकी कार्यशैली को भूलती जा रही है। उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया था। शायद फिर से इसमें अटल आवास योजना का नाम पूरे भाषण में नहीं है। (व्यवधान) दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना, पिछली बार कितना बजट था एक लाख साठ हजार रुपये और इस वर्ष कितना हो गया मात्र 72 हजार रुपये। आप जिस आवासीय योजना की बात कर रहे हैं इसके अंदर भी 54 प्रतिशत राशि की कटौती हो गयी है। तो दीन दयाल के प्रति भी आपकी क्या आस्था है, वह उजागर हो रही है। मान्यवर, सरकार द्वारा जो क्षेत्र विकास निधि दी है वह हर खण्ड को 25 लाख रुपये दी जाती है। क्या सरकार इसे बढ़ायेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई क्षेत्र विकास निधि का जिक्र नहीं है। मैं मांग करता हूँ कि वो क्षेत्र विकास निधि, क्योंकि एक-एक ब्लॉक में 40-40 बी०डी०सी० मेम्बर होते हैं और बहुत कम राशि उन्हें मिल पाती है। मात्र 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, तो इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो लोग भी अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है, उसको पूरा कर सकें। हम खण्डों की बात करेंगे तो ग्राम्य विकास अधिकारियों की कमी, कार्य बढ़ता जा रहा है ग्राम सभाओं पर और ग्राम्य विकास अधिकारी कम होते जा रहे हैं। कुछ अधिकारी अभी उनके मूल विभागों को भेज दिये गये और इस समय बहुत बड़ा अभाव ग्राम्य विकास अधिकारियों का इन खण्डों में है, सरकार उसमें क्या करना चाह रही है, उनके रिक्त पदों को भरना चाह रही है या

नहीं चाह रही है? भरना चाह रहे हैं तो कब तक करेंगे? हम तो दो साल से यही सुनते आ रहे हैं कि उनको भरने का प्रयास किया जा रहा है और दो साल में मुझे तो कोई उसमें प्रगति नजर नहीं आती है। इसके प्रति भी सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्षेत्र में किस तरह से विकास होंगे यह सबसे बड़ी चिन्ता है कि हमारे पास एक ग्राम रूट लेविल का अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। हम बड़ी-बड़ी बातें आगे क्या करें? मान्यवर, इस तरह खण्ड विकास अधिकारी हमारे खण्ड बिना बी0डी0ओ0 के चल रहे हैं। जो ठीक से उन व्यवस्थाओं को नहीं देख सकते उन्हें प्रभारी बना दिया गया, यह भी एक समस्या लगातार चल रही है। मान्यवर, पंचायती राज विभाग का उल्लेख तो आया, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पंचायती राज विभाग का मात्र तीन लाइनों में बजट भाषण समाप्त कर दिया गया। कहीं पंचायतों के बारे में पंचायती विभाग क्या करना चाह रहा है, कौन-कौन से विभागों को वह किस तरह से चलाना चाह रहा है, उसमें सारे महत्वपूर्ण विभाग पंचायती राज के अन्तर्गत आ गये। इसमें किस तरह की सरकार की योजनायें है, कहीं कुछ नहीं लिखा। इतना लिखा है कि हजार रुपये इतने करोड़ रुपये का प्राविधान किया जाता है। इसी प्रकार आर0ई0एस0 के मामले में भी मात्र बजट में दो लाइनों के भाषण में समाप्त कर दिया। सरकार ही हमें कुछ नहीं बताना चाह रही है तो हम उस पर क्या कहें। मान्यवर, जो वित्तीय संस्थान राज्य वित्त आयोग द्वारा गाँवों को, ग्राम सभाओं को जो धनराशि दी जाती है उससे जो पक्के कार्य होते हैं, उससे सी0सी0 रोड बनते हैं। हम पिछले सरकार में विदेशों में गये। हम अपने गाँवों की बात कर लें विदेशों की बात तो बाद में करें, वहाँ टाइल्स रोड, विदेशों में भी टाइल्स रोड मिलती है। हमारे देहातों में जो हमारे पूर्वजों से लगायी जा रही हैं वह भी टाइल्स रोड लगायी जा रही हैं। जो खड़ंजा है वह ईंट भी टाइल है। पता नहीं क्यों इसको सी0सी0 रोड में परिवर्तित कर दिया गया। होता क्या है, एक ग्राम सभा में 40 हजार मिला, 40 हजार में उसने सी0सी0 रोड बनाई, पता चला कि 35 मीटर सी0सी0 रोड बन गई न इधर की रही न उधर की रही, उधर पानी भर गया वह ऊँची हो गई, थोड़े दिनों में वह उखड़ गई और 35 हजार रुपये बेकार हो गये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करूँगा कि पुनः इन ग्राम सभाओं को खड़ंजा लगाने की इजाजत दी जाय। ये जो बहुत से सुझाव हैं, आत्मा कहाँ बस रही है, यह माननीय मंत्री जी बतायेंगे। अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री खड़क सिंह बोहरा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने ग्राम्य विकास के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग जो वास्तव में देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार है और देखा जाय तो कृषि

विभाग, पशु पालन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज्य विभाग की स्थापना हुई तो उस विभाग के कार्यकर्ता गाँवों के विकास के लिए रखे जाते थे, उसको ग्राम सेवक के नाम से पुकारा जाता था। आज धीरे-धीरे इस विभाग की तरफ ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से पूरे विभाग में कुछ कमियाँ आने लगीं। मान्यवर, इस विभाग द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है और इनमें से केन्द्र पोषित योजनायें विशेष रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, आदि जो केन्द्र पोषित योजनायें हैं उनका अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिए। इस ओर मेरा सुझाव है कि हमारी सरकार मान्यवर, ट्रनिंग कार्यक्रमों में विशेष जोर दे ताकि हम राष्ट्रीय रोजगार योजना में क्या-क्या काम कर सकते हैं। उसमें डेपिटेलिंग भी कर सकते हैं हम सारे कच्चे काम राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के तहत कर सकते हैं और पक्के काम राज्य वित्त आयोग, विधायक निधि या सांसद निधि आदि योजनाओं से पूरा कर सकते हैं। कच्चे कामों के लिए योजना में प्राविधान हों। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि बजट घटा करके एक रुपया कर दिया जाए जैसा कि सिंघल साहब ने कहा कि एक रुपया कर दो। एक रुपया तो नहीं किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे राज्य में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भयंकर वित्तीय संकट पैदा हो गया। चूँकि हमारा छोटा, नवोदित और एक पर्वतीय राज्य है, लगातार सूखे और दैवी आपदाओं से प्रभावित राज्य है। मान्यवर, हमें केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा लेना चाहिए। हमारे विपक्ष के मित्र यह भी स्वीकार करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जो कार्य था उसमें काफी विलम्ब हुआ। उसके कई कारण हैं, वे भी जानते हैं। एजेन्सियों का तय न होना और भी तमाम कारण यदि योजनाओं पर पहले ध्यान दिया होता जैसाकि अब दिया जा रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं के लिए हमारी सरकार ने 10 खण्ड बनाये तब से कार्य प्रगति पर है। हमारा पर्वतीय राज्य है। वन भूमि के प्रपोजल लेने में, भूमि के क्लीयरेंस लेने में बहुत बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी सिंघल साहब भी इस बात को कह रहे थे मान्यवर, पण्डित दीन दयाल आवास योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस महत्वाकांक्षी योजना में, चाहे अनुपूरक के रूप में लायें, धनराशि बढ़ायी जाना चाहिए। बल्कि बढ़नी ही नहीं चाहिए इसमें मरम्मत की मद भी सम्मिलित होनी चाहिए। बहुत से गाँवों में ऐसे लोग हैं जो आवास विहीन तो नहीं कहे जा सकते हैं लेकिन उनके आवास टूटने के कगार पर हैं। ऐसे लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना में ऐसा प्राविधान था किन्तु केन्द्र सरकार ने वह प्राविधान हटा दिया है। राज्य सरकार अपनी ओर से इस प्राविधान को पण्डित दीनदयाल आवास योजना में रखे। क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ आदि गिरती रहती है। हमारे यहाँ आवास कच्चे और जीर्ण-शीर्ण भी रहते हैं। कभी-कभी अधिक

बर्फबारी से मकानों पर बर्फ का वेट पड़ जाने के कारण कच्चे मकान टूट जाते हैं। तो कहीं पर छतों को बदलने के लिए या मकानों की दीवारें बदलने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए मरम्मत मद में कुछ प्राविधान होना चाहिए था, कुछ धनराशि होनी चाहिए। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हों, वे सभी महसूस करते हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में तकनीकी कर्मचारियों की बहुत कमी है। ए0डी0ओ0 आर0ई0एस0 हमारे पास नहीं है। ए0डी0ओ0 एम0आई0 की हमारे पास कमी है। हमारी जो तकनीकी व्यवस्था है वह इस तरह की है कि बिना जे0ई0 के हमारे कोई काम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चाहे विधायक निधि का हो, सांसद निधि का हो। मान्यवर, कोशिश तकनीकी स्टाफ को बढ़ाने की हो और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो इन योजनाओं के लिए पहले से प्रत्येक विकास खण्डों में एक विभागीय ए0डी0ओ0 आर0ई0एस0 और एक ब्लॉक का रहता था साथ ही ब्लॉक का एक एम0आई0 रहता था। आज यह हो गया है कि दो–तीन ब्लॉकों का एक एम0आई0 रहता है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि इन कर्मचारियों की पूर्ति हो। अन्त में मेरा एक सुझाव है कि जो हमको केन्द्र द्वारा वित्त पोषित मिलता है, हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, छोटा राज्य है और हमारा नवोदित राज्य है। छठा वेतनमान लागू होने से राज्य के ऊपर वित्तीय भार बहुत है। ऐसी स्थिति में हमें केन्द्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाते हुए राज्य के विकास में भी तेजी लायी जा सकती है। हम अपने गांव को अधिक मजबूत कर सकते हैं और उनसे लोगों को रोजगार भी मुहैया करा सकते हैं और अधिक न कहते हुए पुनः मैं माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद अदा करता हूँ और बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कार्यसूची के मद संख्या : 9(3) में ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के लिए मान्यवर, यह देख लें और जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है, वह विभागीय बजट रखा है ग्राम्य विकास और पंचायतीराज का, इसमें पंचायतीराज का जिक्र ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अनुदान संख्या : 19 के अन्तर्गत जितने भी विभाग आयेंगे सब इसके अन्तर्गत आ जायेंगे।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कार्यसूची में तो इसका उल्लेख नहीं है। बाकी में देख लें जैसे शिक्षा,

खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति इनमें तो आ रखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह अनुदान का नाम है। इसमें कोई विसंगति नहीं है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सरकार का संख्या बल अधिक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें संख्या बल का मतलब नहीं है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल –

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने ध्यानाकर्षित किया है कि बी0पी0एल0 परिवारों के सर्वे के विषय में आपने ध्यानाकर्षित किया है, पहले बी0पी0एल0 परिवारों का सर्वे 2001 में किया गया था। जिसके क्रम में पात्रता के अनुसार जो लोग छूट गये थे, वर्ष, 2008–09 अप्रैल में इस कार्य हेतु समय सारिणी निर्धारित की गयी थी जिस पर 02 लाख 88 हजार आपत्ति प्राप्त हुई है, जिनका निस्तारण कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में पूर्व में सर्वे की गई सूची में से अपात्र परिवार को हटाया जायेगा तथा पात्र परिवार को सम्मिलित किया जायेगा, परन्तु भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित संख्या है, 6 लाख 23 हजार 790, की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। पुनः इस वर्ष की समय सारिणी के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा कि जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको हटा कर उनकी जगह पर पात्र व्यक्ति को सम्मिलित किया जायेगा। दूसरा आपने नरेगा में 70 रुपये को 100 रुपये बढ़ाने की बात की। मान्यवर, यह वर्ष, 2008 में पहले मजदूरी दर 70 रुपये निर्धारित की थी, को बढ़ाकर 100 रुपये किया गया है। इससे अधिक अभी इसको और अधिक बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इतने प्रतिशत मजदूर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं इसलिए अभी इसकी संभावना नहीं है। अभी आपने क्षेत्रीय विकास निधि की बात कही है क्योंकि इस वर्ष छठे वेतनमान की सिफारिशों को लागू करने के कारण बजट नहीं आ पाया, इसको पूरा करने का प्रयास किया जायेगा। जैसा कि रिक्त पदों को भरे जाने की व्यवस्था के बारें में आपने कहा है, ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारियों के कुल 950 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 668 पद भरे हुए हैं शेष 282 पद रिक्त हैं, प्रत्येक माह कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण पद रिक्त होते जा रहे हैं, इसके संबंध में यह स्पष्ट करना है कि 1999 में पूर्वोत्तर राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा विकास खण्ड स्तर पर 8 विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को, उनके मूल संवर्ग को, मृत घोषित करके पंचायतीराज विभाग में सम्मिलित करते हुए बहुद्देशीय कर्मचारी के रूप में ग्राम स्तर पर कार्य करने की व्यवस्था की गयी थी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है जिसे उत्तराखण्ड में भी लागू करते हुए पुनः सभी संवर्ग, जिन्हें अब पुनर्जीवित किया गया है। वर्तमान में ग्राम विकास

अधिकारी संवर्ग पुर्नजीवित कर दिया गया है, परन्तु पंचायती राज विभाग से ग्राम्य विकास विभाग के बहुद्देशीय कर्मचारियों को ग्राम्य विकास विभाग को वापस नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 282 पदों, जिनमें निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है, की नियुक्ति संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में आपने ध्यान आकृष्ट किया है, इसमें मैं माननीय सदन को बताना चाहती हूँ कि इस योजना के फेज-6 में स्वीकृत 79 मार्ग हैं जिसकी लम्बाई 675.35 कि0मी0 है जिसकी लागत रु0 19790.29 लाख के सापेक्ष 56 मार्गों में वन भूमि नहीं है अथवा पूर्व से हस्तान्तरित है या वन भूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इन कार्यों की निविदाएं आमंत्रित कर 48 मार्गों के कार्य आरम्भ कराए जा चुके हैं, 6 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष पर कार्यवाही गतिमान है। मान्यवर, फेज-7 के अन्तर्गत 136 मार्ग लिए गए हैं। जिनकी लं0-1204.53 कि0मी0 है, के प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया है। जिन पर इम्पावर्ड कमेटी भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक प्रदान की जा चुकी है। इसमें 57 कार्यों की निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। मान्यवर, इस योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है जिससे हम सड़क निर्माण में काफी आगे बढ़ सकें और मुझे आशा है कि इस योजना के माध्यम से हमारे गांव सड़कों से जुड़ सकेंगे।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण भाषण में जो बातें रखी, उससे नही लगता कि अभी इस सरकार की आत्मा गाँव की तरफ आयेगी। अभी लग रहा है कि गाँव से दूर रहेगी, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 2686363 हजार (दो सौ अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख तिरसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 21223902 हजार (दो हजार एक सौ बाईस करोड़ उन्तालीस लाख दो हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा विभाग इस राज्य का सबसे बड़ा विभाग है और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की इसमें अपेक्षायें भी ज्यादा हैं और सीधे–सीधे मानव संसाधन से जुड़ा होने के कारण अति संवेदनशील विभाग भी है और मानव संसाधन के इस विभाग राज्य में 15356 प्राथमिक विद्यालय, 4296 जूनियर हाईस्कूल, 1055 हाईस्कूल एवं 1298 इण्टर कालेज के साथ हम शिक्षा के प्रचार–प्रसार में प्रयासरत हैं। मान्यवर, बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, इस प्रदेश में संचालित है और मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत वर्ष, 2008–09 में 17484 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 1084196 को लाभान्वित किया गया। वर्ष, 2009–10 हेतु राज्य के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 50 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है। योजना के अन्तर्गत कनवर्जन कॉस्ट एवं भोजन माताओं व सहायिकाओं को मानदेय आदि की इस योजना में व्यवस्था की जाती है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु वर्ष, 2009–10 में 41 शिक्षा गारण्टी केन्द्रों का प्राथमिक विद्यालय में उच्चीकरण, 12 नवीन प्राथमिक विद्यालय व 129 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों में 106 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 387 पद स्वीकृत किये गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष, 2009–10 में 53 प्राथमिक विद्यालय भवन तथा 129 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, 1456 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, 2438 बालिका शौचालय, 824 पेयजल स्थापना, 681 विद्यालयों में चहार दीवारी, 926 विद्यालयों में विद्युतीकरण, 29007 बच्चों हेतु फर्नीचर की व्यवस्था किये जाने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने व समय से कार्य पूर्ण कराने के लिए और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। मान्यवर, केन्द्रीय भवन अनुसंधान रुड़की से थर्ड पार्टी मूल्यांकन का

कार्य कराया जा रहा है, जिससे कि इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी बनी रहे। मान्यवर, सभी बच्चों को अपेक्षित गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिनके अभिभावक खनन कार्य में लगे हुए हैं या जो सीजनल मजदूर हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके के बच्चों को ठीक से शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु "मुस्कान प्रोजेक्ट" संचालित किया जा रहा है तथा जो कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले, सपेरे, अनाथ, अतिनिर्धन तथा घुमन्तू जैसे अपवंचित वर्ग के बच्चे हैं, इनके लिए भी हम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए "पहल" कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यान्वित कर रहे हैं। मान्यवर, शहरी क्षेत्रों के घुमन्तू बच्चों की शिक्षा ठीक ढंग से हो इसके लिए हम "मोबाईल" स्कूल व अल्प संख्यक बच्चों की शिक्षा के लिए सभी "मकतब मदरसों" को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ते हुए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करायेंगे। इन केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान के लिए वर्ष, 2008–09 में कुल स्वीकृत बजट रु0 272.96 करोड़ था, जो वर्ष, 2009–10 में बढ़कर रु0 330.57 करोड़ हो गया, जिसमें से 132.23 करोड़ राज्यांश तथा रु0 198.34 करोड़ केन्द्रांश है। मान्यवर, यह धनराशि विगत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत कुल लागत की 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी है और 60 प्रतिशत धन केन्द्र का रहता है, इसमें हमने केन्द्र से रु0 80 करोड़ की मांग की है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों के वेतनादि के लिए रु0 1092.28 करोड़ की मांग की जा रही है। मान्यवर, राज्य के समस्त ई0जी0एस0 केन्द्रों, ए0आई0 केन्द्रों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे कि कोई भी छात्र-छात्रा पाठ्य–पुस्तक क्रय न कर पाने के कारण प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित न रहे। योजना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के साथ–साथ सामान्य जाति के लगभग 16.84 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों एवं समस्त बालिकाओं को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराये जाने हेतु रु0 4.00 करोड़ की मांग है। मान्यवर, अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत बेसिक के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 126.02 करोड़ एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 1164.25 करोड़ की मांग की गई है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा निदेशालय, मण्डलीय, जनपदीय एवं विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों के अधिष्ठान हेतु आयोजनागत पक्ष में रु0 19.66 करोड़ तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 16.30 करोड़ की मांग की जा रही है। मान्यवर, राज्य में संचालित राजकीय हाईस्कूल एवं

इंटर कालेजों के वेतन आदि के भुगतान के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 90.09 करोड़ एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 959.14 करोड़ की धनराशि का प्रस्ताव है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों को ग्राण्ट इन एड एवं अन्य मदों के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 1254 करोड़ तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 224.50 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की है। मान्यवर, शिक्षा विभाग में सर्वाधिक व्यय मानव संसाधन पर किया जा रहा है, जिसके कारण पूँजीगत कार्यों के लिए बहुत कम राशि उपलब्ध करायी जा रही है। वार्षिक योजना का आकार घटने के कारण भी पूँजीगत पक्ष में अनुदान संख्या–11 के अधीन रु0 16.42 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों हेतु आयोजनागत पक्ष में रु0 151.66 करोड़ एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 1224.70 करोड़ का प्रस्ताव है। मान्यवर, यहाँ पर शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों का भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा, उत्तराखण्ड में महिला एवं पुरुषों की साक्षरता में जो 23 प्रतिशत का अन्तर है, राज्य सरकार इस 23 प्रतिशत के अन्तर को पाटने के लिए भी प्रयासरत् है, कृत संकल्प है और इस अन्तर को दूर करने के लिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने का इस सरकार का मन है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा–5 के बाद विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु शैक्षिक रूप से पिछड़े 25 विकास खण्डों में 26 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना की गयी है। कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों की बालिकाओं की माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु इन विद्यालयों की कक्षा 9 और 10 की बालिकाओं की निःशुल्क आवासीय शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। इन बालिकाओं की शिक्षा, आवास, पुस्तकों व गणवेश पर आने वाले व्यय का वहन भी सरकार द्वारा किया जायेगा। मान्यवर, साथ ही छात्रों से ली जाने वाली विद्यार्थी निधियों की प्रतिपूर्ति भी इस सरकार द्वारा की जा रही है। इस हेतु रु0 2.17 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए भी यह सरकार कृत संकल्प है और उन बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण बालिकाओं को कक्षा 9 में प्रवेश लेने हेतु रु0 1000 तथा कक्षा 9 उत्तीर्ण कर कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाली बालिका को रु0 2000 का प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है। इस हेतु रु0 1 करोड़ का इस बजट में प्राविधान किया गया है। बालिकाओं को आवासीय शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाने हेतु राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों एवं डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों में 60 प्रतिशत स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं, जिससे बालिकाओं की शिक्षा में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर

कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। 25 राजकीय इन्टर कालेजों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। 100 नये विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। पी0पी0पी0 के अन्तर्गत 500 नये विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाये जाने का प्रस्ताव इस लोकप्रिय सरकार ने किया है। इस हेतु रु0 3.30 करोड़ का प्रस्ताव किया है। मान्यवर, अध्यापकों को, इस सरकार द्वारा, आज तक होता था कि अध्यापक विद्यालयों में शिक्षा देने के बजाय निर्माण कार्य में व्यस्त रहते थे। इस सरकार ने अध्यापकों को, केवल शिक्षण कार्य करने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए निर्माण कार्य में उनको लगाया जाना प्रतिबन्धित किया है। अब शिक्षक केवल शिक्षा के कार्य में लगेंगे। ऐसा प्राविधान किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा सार्वभौमीकरण का लक्ष्य लगभग पूर्णता की ओर है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का संचालन किया जायेगा, जिसका प्रमुख लक्ष्य है माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण। प्री-प्रोजेक्ट एक्टीविटी के लिए रु0 4 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा का सुव्यवस्थित एवं सुचारू संचालन करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना इस सरकार का मुख्य ध्येय है। मान्यवर, मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि इस बजट को पारित करने की कृपा करें।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप भी और बजट भी शायद अन्य मदों में कुल मिलाकर बजट से अधिक धनराशि इसमें दर्शायी गई है। इसके लिये दो हजार एक सौ बाईस करोड़, उनतालीस लाख, दो हजार रुपये के बजट की व्यवस्था इसमें की गई है। मान्यवर, स्वाभाविक भी है कि एक से लेकर बारह तक की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करना है और माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में इसे रखा कि इन विद्यालयी शिक्षा के लिये, मध्यान्ह भोजन से लेकर, भवनों की स्थिति से लेकर, भवनों के निर्माण को लेकर, अतिरिक्त कक्षाओं और कक्षों के निर्माण को लेकर, इन तमाम चीजों को मिलाकर लगभग प्रस्तावित बजट का 60 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान और 40 प्रतिशत राज्यांश का उल्लेख यहां पर किया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की अनेक मदों में अलग-अलग, प्राथमिक शिक्षा से लेकर जूनियर

हाईस्कूल और जूनियर हाईस्कूल से लेकर हाईस्कूल और इण्टरमीडियेट की शिक्षा का अगर वर्गीकरण किया गया है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े बजट का उल्लेख होना तो स्वाभाविक ही था। लेकिन उन विद्यालयों से हमारे उत्तराखण्ड की अधिकांश जनसंख्या, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, इस विश्वास के साथ कि हमको, हमारे छात्र और छात्राओं को विद्यालयी शिक्षा आसानी से उपलब्ध होगी, यह विश्वास आम जनता का होता है और सरकार भी सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी देती है और सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी में कहती है कि सबसे पहले प्रत्येक परिवार से हर बालक और बालिका को शिक्षित करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमारा एक बहुत बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर इस पर काम करता है। लेकिन राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों का विवरण जब हम वर्ष, 2008 का पढ़ते हैं, उसको देखते है तो ऐसा लगने लगता है कि प्रधानाचार्यों के स्वीकृत पद 965 हैं, मैं यह वर्ष, 2008–09 की सरकार की अपनी इस रिपोर्ट को पढ़ रहा हूँ। इसमें प्रधानाचार्यों के स्वीकृत पद हैं 965, और उन पर कार्यरत हैं मात्र 321 प्रधानाचार्य। मान्यवर, रिक्त हैं 644, ऐसे ही प्रधानाध्यापक हाईस्कूल स्वीकृत पद है 798, कार्यरत हैं 522, रिक्त हैं 276। यही स्थिति प्रवक्ताओं की है। प्रवक्ताओं के स्वीकृत पद है 9364, कार्यरत है 6271 और इनकी रिक्ति दर्शायी गयी है 3093। यही स्थिति सहायक अध्यापक एल0टी0 की है जिसमें स्वीकृत पद हैं 17214, कार्यरत है 14298 और इस पर भी रिक्ति 2916 की है। इसी तरह से माध्यमिक में ही स्वीकृत पद कुल 28341, कार्यरत है 21412, रिक्तियाँ उसमें 6929 हैं। यही स्थिति मान्यवर, प्रधान अध्यापक जूनियर हाईस्कूल की है। उसमें स्वीकृत पद हैं आपके 2132, कार्यरत हैं 1450, रिक्त पद हैं 682, सहायक अध्यापक जूनियर हाईस्कूल के स्वीकृत पद हैं 11181, कार्यरत हैं 9543, रिक्त पद हैं 1638, प्राथमिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक के स्वीकृत पद हैं 8736, कार्यरत है 7500, रिक्त पद हैं 1236, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के स्वीकृत पद हैं 20676, कार्यरत हैं 15675 और रिक्ति दर्शाती हैं 5001, मान्यवर, इसका योग आ जाता है मान्यवर, कुल स्वीकृत पद हैं 42725, कार्यरत हैं 34168 और रिक्तियां हैं 8597। अब यह बिन्दु अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस व्यवस्था के तहत इतने पद रिक्त हों और इस रिक्ति के चलते हुए मान्यवर, हमारी माध्यमिक शिक्षा, प्राईमरी शिक्षा, जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा निश्चित रूप से बाधित भी हुई और प्रभावित हो रही हैं अब अगर इसका बाइफरकेशन सरकार दे देती, इसको ब्रेकअप करके दे देती तो मैं समझता हूँ कि माध्यमिक में भी जहां एल0टी0 के पद दर्शाये तो कम हैं, लेकिन इनकी वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया हैं सरकार एक ब्रेकअप और बना देती कि क्या पी0सी0एम0 ग्रुप के सारे पद भरे हैं, क्या बॉयो ग्रुप के सारे पद भरे हुए हैं। क्योंकि पी0सी0एम0 ग्रुप फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ का होना उस ग्रुप में अनिवार्य है। अगर मैथ्स के टीचर नहीं है तो पी0सी0एम0 ग्रुप अधूरा रह जाता है, फिजिक्स का टीचर नहीं है, केमेस्ट्री के हैं और मैथ्स के हैं

तो शायद वह ग्रुप भी अछूता रह जाता है। यही स्थिति बायोलॉजी, बॉटनी में है। मैं समझता हूँ कि यदि वह बैकअप हमारे सामने आ गया होता तो ये चिंता का विषय और ज्यादा दर्शा देता कि सरकार इसके लिए चिन्तित नहीं है। एक ओर हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं, दूसरी ओर मेडिकल कालेज की बात करते हैं, उसका बैकअप निकलेगा, वो इसी ग्रुप से आकर निकलेगा। इन्हीं गांव और देहात के माध्यमिक स्कूलों से वह छात्र आगे भविष्य की रूपरेखा को तय करेगा। मान्यवर, अगर आज यह रूपरेखा यहाँ पर सरकार इसको परिलक्षित नहीं करती है तो मैं समझता हूँ कि खाली आँकड़ों की बाजीगरी में लगकर हम लोग 80 फीसदी तो सर्वशिक्षा के मार्फत केन्द्र सरकार का अनुदान प्राप्त कर लेंगे, अतिरिक्त खर्च भी हम केन्द्रीय सरकार के अनुदान से चला लेंगे और जो वास्तविक चित्रण है, उस चित्रण से हमारा उत्तराखण्ड का छात्र और छात्रायें महरूम न रह जायें। क्योंकि जिसके लिए यह कहा गया है कि पूर्व में इन विद्यालयों से एक अपेक्षा की जाती थी कि उत्तराखण्ड का नौजवान या तो फौज में दिखाई देगा, एक फौजी होगा या उत्तराखण्ड के नौजवान के लिए, चूँकि शिक्षा की एक धरोहर बनायी है, हम उसको 12 तक बढ़ाने के बाद अंगोरा खाने के बाद वह 12 तक पढ़ जाये और बाबू या चपरासी की सीमा तक ही हम उसको एक स्वाध्यायी बनाना चाहते हैं। जो एक बहुत चिन्ता का विषय है। हमारा यह मानना था कि शिक्षा इस कलेण्डर के अन्दर थोड़ा सा यह भी दर्शाया गया होता तो इस प्रदेश के अन्दर इन माध्यमिक विद्यालयों में, इन प्राइमरी विद्यालयों में, जिसका कि यहाँ पर कोई बैक–अप नहीं दिया गया है। अगर यह दर्शा दिया गया होता कि हमारी प्राइमरी शिक्षा को प्रदान करने के लिए हमारे पास कई विद्यालयों में आज भी उर्दू के शिक्षक मौजूद हैं और वह शिक्षा दे रहे हैं। यह बैक–अप कहीं नहीं आ पाया क्योंकि कई विद्यालय ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से इन अध्यापकों के मार्फत ही चलाये जा रहे हैं। यह स्थिति समान रूप से हमारे सामने आ जाती है। शहरों का और ग्रामीण क्षेत्र का निश्चित रूप से आपके द्वारा इस पर कोई न कोई मानक तय किये गये होंगे कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलने चाहिए, अर्बन क्षेत्रों में भी चलने चाहिए, शहरी क्षेत्र में चलने चाहिए। शहरी क्षेत्रों की स्थिति कुछ प्राइमरी विद्यालय और जूनियर हाईस्कूल की इस तरह की बन जाती है जिसका उल्लेख मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूँ कि कई–कई विद्यालय तो ऐसे हैं जिन विद्यालयों को निश्चित तौर पर कहीं एकल अध्यापक के विद्यालय चल रहे हैं। कहीं–कहीं पर तो स्थिति यह है कि एक अध्यापक को दो विद्यालय का चार्ज दिया गया है। मैं उदाहरण अपने मसूरी क्षेत्र का दे रहा हूँ, नगरीय क्षेत्र में 16 विद्यालय प्राइमरी के चल रहे हैं, 15 एकल के मार्फत चल रहे हैं। आने वाले समय में यदि हम नीतिगत फैसला नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये स्कूल धीरे–धीरे बंद हो जायेंगे। यह चुनौती हमको स्वीकार करनी पड़ेगी सरकार में बैठकर, कि हमारी नीतियों की कमी की वजह से हम वहाँ शिक्षक नहीं दे पाये, हम शिक्षकों का वहाँ स्थानान्तरण नहीं कर

पाये, हम शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पाये, यह सीधा जीता जागता उदाहरण इस सरकार का होगा और जिस पर जनता कहेगी कि बुनियादी शिक्षा से हमारे बच्चों को महरूम करने का यह एक प्रयास है। मान्यवर, मैंने यह तो एक उदाहरण शहर का दिया। दूसरा उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र का दे रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि पूर्व सरकार ने एक सदाशयता दिखाई और हम सब विधायकों ने एक इण्टरमीडिएट कालेज और दो हाईस्कूलों की अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में उनकी शुरूआत कराई, भले ही वह मानकों के विपरीत था, लेकिन विशेषाधिकार के तहत विधायकों की रिकमण्डेशन पर मानकों का आधार न मानते हुए क्षेत्रफल और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए व्यवस्था को लागू किया गया था। स्कूल खुले, प्राथमिक विद्यालय भी खुले, जूनियर हाईस्कूल भी खुला, उसको भले ही हमने जूनियर हाईस्कूल को हाईस्कूल में प्रमोट किया। मान्यवर, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में एक स्कूल को प्रमोट किया। पहले वह जूनियर हाईस्कूल था, मैंने उसे हाईस्कूल करवाया और जब वह हाईस्कूल हो गया तो मैंने उसे इण्टरमीडिएट करवाया। लेकिन अब मैं जब आज उसकी स्थिति देखता हूँ तो सोचता हूँ कि बेकार ही मैंने उसका उच्चीकरण करवाया। वहाँ पर मानक के अनुसार नहीं है और न ही प्रधानाचार्य मानक को पूरा करता है। वहाँ पर जो विषय हैं उनके अध्यापकों की नियुक्ति ही नहीं हुई है। मैं यह मानता हूँ कि हमने वहाँ पर उचित तरीके से अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की। तो मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने अपने क्षेत्रवासियों के साथ ज्यादती की है। गलती की कि वहाँ मैंने विद्यालय खुलवाया। शिक्षक विहीन विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, शायद आप हमारी जगह होते तो आपको हम से ज्यादा तकलीफ होती। जीना साहब आपको इसका भान नहीं है। आप जिरह पर मत जाइये। मैं आपको आँकड़ों के आधार पर बता दूँगा कि वहाँ की जनता कह रही है, हे भगवान विधायक जी, आपने यह स्कूल क्यों क्षेत्र के लोगों के लिए खुलवा दिया। हमार बच्चा झंगोरा खाकर 12 जमात कर रहा है, हमारा बच्चा झंगोरा खाकर 10 जमात पढ़ रहा है। यह बात आप नहीं सोच पायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

जीना जी, आपको मौका मिलेगा। तब आप अपनी बात कहियेगा।

श्री ओत सिंह गुनसोला--

मान्यवर, जिस जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, उस बात को मैं यहाँ पर कहूँगा। यहाँ नहीं कहूँगा तो कहाँ कहूँगा, चूँकि इस मद में मैं अपनी बात कर रहा हूँ और सब की भावना इस मद में रख रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा मान्यवर, एक विद्यालय की बात। और भी कई विद्यालय हैं। पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। अपने माध्यम से क्षेत्र की जनता की भावना को सदन के समक्ष रख रहा हूँ। यह स्थिति केवल एक विद्यालय की ही नहीं है। यह स्थिति आज प्रदेश के

अधिकांश विद्यालयों की है। इससे भी बड़ी दिक्कत आज यह हो गई है कि पूर्व की सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जो प्राइवेट मैनेजमैंट के विद्यालय हैं उन पर शिक्षकों के कई पद रिक्त थे। सैक्शन–18 के अंदर पूर्ववर्ती जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वहां पर वह सैक्शन विदड्रा कर दिया गया था। मैनेजमैंट को सैक्शन–18 में व्यवस्था दी गई लेकिन उसमे एक खामी आ गई। कई–कई विद्यालय ऐसे हैं, कई शहरों में यह चल रहे होंगे कि जो प्राइवेट मैनेजमैंट के तहत संचालित हैं वे रिक्त हुए पदों पर कोई नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। सैक्शन–18 में यह तय था कि नियुक्ति का मैनेजमैंट को दिया गया था। आज तीन वर्ष हो गये हैं तीन वर्षों में उन पर नियुक्ति नहीं हो पाई। कारण कुछ भी हो सकता है। अगर शिक्षा विभाग इसी तरह से उदासीन रहेगा जो संस्थायें संचालित कर रही हैं, अपने संसाधनों से संचालित कर रही है, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यालयों का भविष्य क्या होगा, वहाँ भी स्थिति लगभग यही बन रही है। उन बच्चों के लिए कहीं गणित के मास्टर नहीं, तो कहीं संस्कृत के मास्टर नहीं हैं। कैसे हम इस व्यवस्था को इतना मजबूत कहेंगे जिसका कि बजट 2139 करोड़ रु0 का बजट है। इस बजट को हम भारी भरकम बजट ही तो कहेंगे। जिसके तहत हमको बुनियादी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। इस बजट के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री जी सैक्शन–18 के लिए भी पुख्ता तरीके से डायरेक्टर साहब हों, डायरेक्टर साहब के नॉमनी हों। वे तो कृपा करके चले गये लेकिन व्यवस्थायें अपनी जगह यथावत् हैं। इसलिए मैं अपनी पीड़ा को दर्शा रहा हूँ। यह पीड़ा मात्र मेरी ही नहीं, ये तमाम इधर बैठे विधायकों की भी है और उधर बैठे विधायकों की भी है सब की पीड़ा एक ही जैसी है। क्योंकि कहने का अवसर मुझे दिया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसलिए मेरा कहना स्वाभाविक है और यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने नया पदभार ग्रहण किया। हमने उनको बधाई दी। उन्होंने एक व्यवस्था दी, दो विद्यालय का भवन, एक इन्टर और एक हाईस्कूल, दो विद्यालय भवन सहित हैं, या भवन ही भवन है, बाकी नहीं हैं। दो विद्यालय के भवनों को आपके द्वारा प्रतिपादित किया है। उसके लिए निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि अगर दो की जगह थोड़ा और जोर मारिये माननीय शिक्षा मंत्री जी, कम से कम 05 तो करायी दो और फिर देखा जायेगा। मिलजुल के बैठ लेंगे तभी और बीच में कटौती कर देना परन्तु विद्यालय भवन जरूर चाहिए और विद्यालय भवन के बिना न तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित है न शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित है और न हमारा भविष्य सुरक्षित है। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा ये विद्यालय भवन रहित बच्चे कहां पढ़ेंगे, इस पर सरकार विशेष व्यवस्था करेगी। मान्यवर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। पूर्व में यदि हम थोड़ा सा पीछे जायें। एक बार इन छात्र–छात्रों के भौतिक विकास की बात की गयी थी। इनके हाथों से एक उन्मुक्त जिसको बोला जाता था पी0डी0टी0सी0। वर्तमान में तो वह समाप्त हो गयी है। लेकिन इसमें रचनात्मक कार्य हुआ करते थे उन रचनात्मक कार्यों से वे

अपने जीवन में आगे जाकर, चाहे इंजीनियर ग्रुप में जायें, चाहे मेडिकल ग्रुप में चले जायें, किसी में भी जायें, वे उनको एक व्यवस्था देते थे। आज ऐसे विषयों को इनके अन्दर समाहित करने की आवश्यकता है। जैसे किसान का बेटा है बेहतर कृषि की शिक्षा को लेकर अपनी उस पुश्तैनी जमीन को बेहतर तरीके से रख-रखाव कर सकता है। हमने कभी कहीं पर की अपने पाठ्यक्रम में कृषि और बागवानी को कक्षा 6 से 12 तक हटा दिये गये हैं, और ये कहा जा रहा है कि बी०एस०सी० एग्रीकल्चर में जायें। बी०एस०सी० एग्रीकल्चर के लिए कहाँ से प्रोडक्ट आयेगा? जब नीचे से ही बच्चा तैयार नहीं हो रहा है और कृषि और बागवानी को जानता ही नहीं है। बी०एस०सी० में एग्रीकल्चर तो मिल जायेगा लेकिन वह पुख्ता नहीं होगा। अगर आप एक विषय के रूप में इस विषय को भी समाहित कर दें, हम समझते हैं कि हम सब लोग जो पुश्तैनी जमीन को छोड़कर भाग रहे हैं, हम उस पुश्तैनी जमीन से ज्ञान अर्जित करके अपनी आय को भी बेहतर कर सकते हैं, यह मेरा विशेष सुझाव है। कुछ जगह पर शिक्षा विभाग की आवश्यकता पड़ेगी। मान्यवर, एन०सी०सी० एक ऐसा फिजीकल विषय है जिसमें विद्यालयों का चयन होता है और तब एन०सी०सी० बिग्रेड ग्रुप उनको अनुमोदित करती है और तब उन बच्चों को वो सहूलियत मिलती है। हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हर इण्टर कालेज में एन०सी०सी० नितांत आवश्यक है। मान्यवर, एन०सी०सी कम्पलसरी हो जाय और जिसके लिए वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी और उस वित्तीय सहायता के लिए आपको व्यवस्था कुछ न कुछ करनी होगी, ऐसे ही शिक्षा तब अधूरी रह जायेगी जब हमारे अध्यापकगण तो होंगे और एक्स्ट्रा कैरेकलिज के लिए पी०टी०आई०, अगर विद्यालय में नहीं है तो वह शिक्षा का पूरक गुण नहीं हो सकता क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य बिना खेल के अनुशासित भी नहीं हो सकता और बिना खेल के स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता और तब आप चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी कि हमारा ग्रामीण बच्चा बिना मैदान के और बिना खेल शिक्षक के राष्ट्रीय अवार्ड ले आए, अन्तर्राष्ट्रीय अवार्ड ले आए, राज्य का अवार्ड ले आए, यह संभव नहीं है, जब तक शिक्षा में यह चीज समाहित नहीं होगी, मान्यवर, यह भी उतना ही जरूरी है और सब लोग घड़ी की तरफ देख रहे हैं मुझे भी लग रहा है लेकिन विषय वाकई महत्वपूर्ण है और बजट भी महत्वपूर्ण है और इसका निदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात मान्यवर, शिक्षा विभाग में अभी वर्तमान में कोई स्थानान्तरण नीति नहीं बनी है, हो सकता है पूर्व में स्थानान्तरण नीति बनी हो, मेरा एक सुझाव है इसका परीक्षण करा लें। शायद सभी माननीय सदस्य इससे सहमत हों या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक सुझाव कि जो भी नीति आप बनाए उस नीति को माननीय मंत्री जी कम से कम तीन-तीन वर्ष का एक कार्यकाल दो स्थानान्तरण एक साथ कर दिये जाँए जिससे कम से कम 6 साल के लिए शिक्षक भी सिक्योर हो और उसके बाद वह तीसरे विद्यालय में जाने के लिए तैयार हो और ऐसा ही रोस्टर अगर आप सब जगह बना देंगे तो मैं समझता हूँ

कि कहीं पर किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी और रोस्टर में पूरे विद्यालय हमारे संचालित होते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यह मेरा एक सुझाव है, हो सकता हो कि सब लोग सहमत न हों, लेकिन हो सकता है क्योंकि एक शिक्षक को निश्चित तौर पर यह रहेगा कि तीन वर्ष तक मेरा यहाँ कार्यकाल है और अगर किसी का कार्यकाल तीन वर्ष देहरादून बनाया और फिर उसके बाद कहीं और जायेगा तब तो यह आपकी स्थानान्तरण नीति सफल हो सकती है, वरना हर साल आप स्थानान्तरण करेंगे और हम जैसे लोग हर साल रूकवाते रहेंगे, कहीं न कहीं सिफारिशें भी होंगी और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि वे लोग हम पर आयेंगे तो हम कहेंगे और आपने शायद कुछ सदाशयता दिखायी है और कहाँ तक करेंगे यह तो बाद में पता चलेगा, पूर्व शिक्षा मंत्री भण्डारी जी ने जब यही सदन में कहा था तो सब लोगों ने मेजें थपथपा दी थी, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि 5–5 रिकमेन्डेशन दे हम कर देंगे लेकिन मान्यवर, 5 में से एक भी नहीं हुआ और जब नहीं हुआ तो हम तो ऐसे ही कहेंगे कि इस नीति का हम क्या करें, अगर हम कहते हैं और आपने कुछ दिया है तो उसका अनुपालन भी होना चाहिए, तो मान्यवर, स्थानान्तरण की नीति सुनिश्चित कर ली जाए क्योंकि आने वाले समय में सबसे चिंता का विषय यही होगा, मान्यवर, अभी इसमें ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु है, खेल का भी है, खेल मंत्रालय का भी है। मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह साफ कह दिया सदन में और हम लोगों ने भी थोड़ा सुना था कि किसी भी कार्य को, राज्य के अन्य कार्यों को करने के लिए शिक्षक को नहीं दिया जायेगा उनके लिये कोई अतिरिक्त व्यवस्था शिक्षा विभाग करेगा, तो इसमें आपको नीतिगत संशोधन लेना है। मान्यवर, खेल मंत्रालय पर भी 2 मिनट बोल देता हूँ कि जहाँ तक हम लोग कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश।.........

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, क्या खेल की बात नहीं आई?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी पढ़ा नहीं आप कहें तो पढ़ दें।

श्री जोत सिह गुनसोला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, आप पढ़ दें तब हम आगे कह देंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है बता दें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन

हेतु यह सरकार प्रतिबद्ध है तथा खेल कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, उच्चीकरण एवं विस्तारीकरण पर बल दिया जा रहा है। राज्य के प्रत्येक जनपद में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण शिविर संचालित किये जाते हैं। यह विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बालक/बालिकाओं को प्रशिक्षित कर राज्य/राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु तैयार किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष, 2009–10 में जिला योजना आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत प्रशिक्षण शिविर मद में 60 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, राज्य के प्रत्येक जनपद में विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यह भी विभाग की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विभिन्न खिलाड़ियों तथा जनपद के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे कि वे अपनी कमियों को सुधारने के साथ ही प्रतिस्पर्धा अनुभव प्राप्त कर सकें। चालू वित्तीय वर्ष, 2009–10 में जिला योजना आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन मद में 50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाने वाली स्पोर्ट्स किट हेतु आयोजनागत पक्ष में 10 लाख रुपये एवं आयोजनेत्तर पक्ष में 15 लाख रुपये कुल रुपया 25 लाख का आय–व्ययक रखा गया है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2008–09 में राज्य टीमों के 2425 खिलाड़ियों/ऑफिशियल्स को खेल किट निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है। मान्यवर, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले राज्य टीम के खिलाड़ियों को निर्धारित मानक के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में 5.00 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष, 2008–09 में राज्य के 160 पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मान्यवर, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून, जिसमें वालीबॉल, फुटबाल, एथलेटिक्स, बाक्सिंग, हॉकी एवं क्रिकेट खेल के खिलाड़ियों को निःशुल्क सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, के संचालन हेतु 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता में 120 लाख रुपया एवं वेतन मद में 60 लाख रुपया है जो कि कुल 180 लाख रुपये की बजट व्यवस्था अयोजनेत्तर पक्ष में की गयी है। नेहरु पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी को पर्वतारोहण कार्यक्रम के संचालन हेतु आयोजनागत पक्ष में 10 लाख रुपये एवं आयोजनेत्तर पक्ष में 184 लाख रुपये, कुल 194 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, हल्द्वानी, नैनीताल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त स्टेडियम के निर्माण हेतु रु0 50 लाख की बजट में व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, खेल विभाग के लिए वित्तीय वर्ष, 2009–2010 में आयोजनागत पक्ष में कुल रु0 882.95 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में कुल रु0 676.06 लाख की बजट व्यवस्था की

गयी है, जिसमें एस0सी0पी0 के अन्तर्गत रू0 45 लाख तथा टी0एस0पी0 के अन्तर्गत रू0 11.01 लाख की धनराशि सम्मिलित है। मान्यवर, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों के माध्यम से युवाओं को सुदृढ करने, ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे लाने एवं खेल अवस्थापना सुविधाओं को सृजित करने के उद्देश्य से खेल मैदानों एवं मिनी स्टेडियमों के निर्माण का, कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही पी0आर0डी0 तथा स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिनको अनेक आपदाओं में तथा अन्य ड्यूटियों में शामिल किया जाता है। युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग को वित्तीय वर्ष, 2008–09 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत कुल रू0 1897 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया था, इसमें से जिला योजना के अन्तर्गत रू0 598 लाख, मिनी स्टेडियमों के निर्माण पर 140 लाख, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के आयोजन पर रू0 15 लाख, निदेशालय के आवासीय भवनों के निर्माण पर रू0 38 लाख मान्यवर, युवाओं के प्रशिक्षण हेतु 18 लाख तथा अनुसूचित जाति, उप योजना के अन्तर्गत पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते के भुगतान तथा इन स्वयं सेवकों के रोजगार के अवसर बढ़ाये जाने हेतु आई0टी0 का प्रशिक्षण दिये जाने पर रू0 232 लाख की धनराशि व्यय की गई। मान्यवर, पी0आर0डी स्वयं सेवकों को विभिन्न ड्यूटियों पर तैनात कर 204490 मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2009–2010 में युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग हेतु बजट की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, जिला योजना के अन्तर्गत 755 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी है, इस धनराशि से न्याय पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन, चयनित युवक/महिला मंगल दलों को रू0 दो हजार की प्रोत्साहन सामग्री उपलब्ध कराये जाने, महिला संगठनों के मानदेय, पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों की ट्रेनिंग, ब्लॉक कमाण्डर, हल्का सरदारों के मानदेय, ड्यूटी के भत्ते के भुगतान, विवेकानन्द यूथ एवार्ड, युवा केन्द्रों के रखरखाव, ब्लॉक एवं जनपद स्तरीय सेमिनार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, युवक/महिला मंगल दलों को दिया जायेगा। मान्यवर, इसके अन्तर्गत 140 लाख की धनराशि एस0सी0एस0पी0 तथा रू0 15 लाख की धनराशि टी0एस0पी0 के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के उद्देश्य से कुल 37 मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है। 21 मिनी स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें से 06 मिनी स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष मिनी स्टेडियमों का निर्माण कार्य माह दिसम्बर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष, 2009–2010 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत निर्माणाधीन शेष 16 मिनी स्टेडियमों को पूर्ण करने करे लिये रू0 एक करोड की धनराशि की व्यवस्था है, जिसमें से

50 लाख की धनराशि एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत है। भारत सरकार द्वारा संचालित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान में राज्यांश के रूप में रु0 127 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गई है, इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 750 ग्राम पंचायतों एवं 10 क्षेत्र पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण किया जायेगा। मान्यवर, पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों को अधिक से अधिक ड्यूटी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जिला योजना के अन्तर्गत 224 लाख, एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत 108 लाख, टी0एस0पी0 के अन्तर्गत 14 लाख एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रु0 118 लाख अर्थात् कुल 464 लाख की धनराशि की बजट में व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, अनुसूचित जाति के पी0आर0डी0 के स्वयं सेवकों एवं युवक व महिला मंगल दलों के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से एस0सी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत दो मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु रु0 200 लाख की धनराशि की बजट व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक में जिला सैक्टर के अन्तर्गत रु0 600 लाख, राज्य सैक्टर के अन्तर्गत रु0 192.68 लाख, एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत रु0 510 लाख तथा टी0एस0पी0 के अन्तर्गत रु0 28.80 लाख अर्थात् कुल रु0 1331.48 लाख की धनराशि आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत एवं रु0 825.09 लाख की धनराशि आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत बजट व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, अन्य विभागों का बजट भी रख दूँ। अभी और भी विभाग हैं, सब साथ-साथ ही पढ़ दूँ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, संस्कृति, तकनीकी शिक्षा सब कर दीजिए। (व्यवधान) इस अनुदान संख्या में है।

श्री जोत सिंह गुनसोला-

मान्यवर, तकनीकी शिक्षा तो उच्च शिक्षा में होगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट-

मान्यवर, इसमें तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और संस्कृति भी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या-11 में जो कुछ भी होगा, सब आएगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

मान्यवर, अनुदान संख्या-11 के अन्दर सभी आ गये हैं। कुल 31 ही अनुदान माँगे हैं। यह प्रक्रिया आज से नहीं, राज्य स्थापना के बाद से ही चली आ रही है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, संस्कृति विभाग के बारे में बताना चाहता हूँ, संस्कृति विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण, संवर्द्धन एवं उसका सर्वांगीण विकास करना है। इसी क्रम में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव एवं उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाटक लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का विकास तथा इनका प्रचार–प्रसार प्राचीन अभिलेखों को संग्रहीत कर उनका संरक्षण तथा उत्तराखण्ड की पौराणिक सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना, इसका मुख्य कार्य है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में प्रचलित पारम्परिक मेलों, त्योहारों, पर्वों,उत्सवों तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हेतु सांस्कृतिक दलों को अनेक राज्यों में, जिलों में और अनेक स्थानों पर भेजा जाता है। मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश की महान विभूतियों व शहीदों की स्मृति में मूर्ति स्थापित करना तथा स्मारकों का निर्माण करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रदेश के वृद्ध कलाकारों, साहित्यकारों, लेखकों, जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, को उनके अविस्मरणीय अनवरत् योगदान के लिये पेंशन भी स्वीकृत की जाती है, जिसमें आज तक 110 लोगों को पेंशन की सुविधा दी जा चुकी है। प्रदेश के संरक्षित एवं संरक्षणाधीन स्मारकों, स्थलों के अनुरक्षण व जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जाता है। सरकारी एवं गैर सरकारी स्रोतों से प्राप्त प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों व पाण्डुलिपियों की संरक्षण हेतु स्थानान्तरित करने की भी व्यवस्था की गयी है, इनको जिलों से राजकीय अभिलेखागार में स्थानान्तरीत किया जाना भी इस विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। मान्यवर, प्रदेश में शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वादन एवं लोक संगीत के इच्छुक छात्रों को प्रमाणिक एवं मानकाधीन शिक्षा देना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मान्यवर, प्रदेश में यत्र–तत्र बिखरे कलावशेषों का अधिग्रहण करना, उन कलावशेषों का संरक्षण करना और उनका अभिलेखीकरण, प्रदर्शन, प्रकाशन एवं शोध कार्य करना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासियों को 25–25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। प्रदेश की स्वायत्तशासी सांस्कृतिक संस्थाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नाट्य समारोहों, लोक विधाओं का अभिलेखीकरण एवं वीडियोग्राफी करना और उनके अभिलेख बनाना तथा वाद्य यंत्र एवं वेश–भूषाओं के क्रय आदि हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है और जो हमारे प्रदेश की महान विभूतियां हैं, उनकी भी वर्षगांठ का आयोजन किया जाता है। मान्यवर, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड हेतु वित्तीय वर्ष, 2008–09 के लिये अनुदान संख्या 11, 30 और 31 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रुपये 1188.55 लाख मात्र के सापेक्ष रुपये 634.01 लाख मात्र धनराशि व्यय की गई तथा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मेले आदि के कार्य किये गये, जिसमें 198.60 लाख रुपये व्यय किये गये। प्रदेश

के वृद्ध कलाकारों को उनके अविस्मरणीय योगदान के लिये एक-एक हजार रुपये की मासिक पेंशन स्वीकार की गयी है। जिसमें आज तक 74 वृद्ध कलाकारों सहित 110 लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई और 46 के आवेदन अभी विचाराधीन हैं, जिनमें कार्यवाही चल रही है। मान्यवर, प्रदेश की 20 गैर सरकारी संस्थाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक विधाओं की वीडियोग्राफी हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनका विवरण चाहें तो मैं पढ़ दूं।

मान्यवर, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जो कार्यक्रम किये जाते हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि राजकीय संस्कृत पाठशालाओं, सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान नामक दो योजनाओं, जो नवसृजित संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून के लिये लाया गया है चालू वित्तीय वर्ष, 2009-10 के लिये, यह एक नया निदेशालय है, जिसमें निदेशक और उप निदेशक और अन्य पद के लिये संस्कृत शिक्षा निदेशालय, देहरादून में अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के 11 पद स्वीकृत हैं, इसमें 53.63 लाख तथा स्थापना मद में 15.15 लाख रुपये, कुल 68.77 लाख रुपये का आय-व्ययक अनुमानित किया गया है।

मान्यवर, वर्ष, 2007-08 में इसमें कोई धनराशि स्वीकृत नहीं थी, इस बार इसका नया गठन हुआ है। इसके तहत जो राजकीय संस्कृत पाठशालायें हैं, उनमें कुल 6 विद्यालय स्वीकृत हैं। इनमें से एक विद्यालय उत्तरकाशी में खरसाली स्थान पर और 5 विद्यालय टिहरी जनपद में मुखेम, साटू, आमली, चम्बा और नई टिहरी में स्थापित हैं। प्रत्येक विद्यालय में 14 सहायक अध्यापक के पद स्वीकृत हैं और इस प्रकार से 10 पद परिचालक आदि के स्वीकृत हैं। मान्यवर, 2007-08 में इस परियोजना में वास्तविक व्यय आयोजनागत 2.63 लाख रुपया और आयोजनेत्तर पक्ष में 36.20 लाख रुपया खर्च हुआ और वित्तीय वर्ष, 2009-10 के लिये इस योजना की अनुदान संख्या-11 के लिये आयोजनागत मद में वेतन भत्ते के लिये 226.40 लाख रुपये और स्थापना मद में 03.96 लाख रुपये के साथ ही 6 लाख रुपया संस्कृत पाठशालाओं के भवन मरम्मत तथा अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु प्राविधानित है। मान्यवर, 2009-10 के लिये इस योजना में कुल आय-व्ययक 336.36 लाख रुपया रखा गया है। मान्यवर, उच्च शिक्षा के प्रति उत्तराखण्ड के निवासियों का प्रारम्भ से ही रूझान रहा है और यह प्रदेश हमेशा शिक्षा के रूप में समृद्ध रहा है और उच्च शिक्षा के प्रति यहां के नागरिकों का रूझान वास्तव में अनुकरणीय है जिसकी पुष्टि उत्तराखण्डवासियों द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति, नौकरशाही, सेना, विज्ञान एवं तकनीकी, जनसंचार, शोध इत्यादि क्षेत्रों में गरिमामय उपस्थिति एवं योगदान में प्रतिबिम्बित होती है। उच्च शिक्षा में सूचना, संचार, तकनीकी का

प्रारम्भ किया गया है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैंने महत्वपूर्ण शिक्षा का विषय रखा है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा में सूचना, संचार का प्रारम्भ हुआ है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2008–09 में उच्च शिक्षा विभाग की निम्न उपलब्धियां रही हैं। उच्च शिक्षा की जन सामान्य तक पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु स्थान रिखणीखाल, पौड़ी तथा थत्यूड़, टिहरी में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना, प्रदेश के 15 शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी०एड० पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र में प्रारम्भ किया जाना। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के 623 रिक्त पदों के प्रति वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु 453 विजिटिंग प्रवक्ता तथा संविदा शिक्षकों की व्यवस्था करना है। राजकीय महाविद्यालय मानिला, चम्पावत, नैनीडाण्डा, लम्बगांव, महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी तथा नई टिहरी में रोजगारपरक स्ववित्त पोषित डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना प्रक्रियारत है। उच्च शिक्षा निदेशालय का संरचनात्मक ढांचा पुनर्गठित किया गया है जिसके फलस्वरूप निदेशालय में पदों की संख्या 45 से बढ़कर 65 हुई। दूरस्थ शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की कन्वर्जेंस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के 9 शासकीय तथा 2 अशासकीय महाविद्यालय सहयोगी संस्था के रूप में आच्छादित किये गये हैं। 12 शासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों को राज्य बायोटैक्नोलोजी कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। शासकीय महाविद्यालय, जैंती यू०जी०सी० की धारा 2 एफ एवं 12 बी के अन्तर्गत सहायकता सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश को स्वायत्त महाविद्यालय बनाये जाने के संबंध में यू०जी०सी० की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और शासन से शीघ्र की स्वीकृति मिलनी है। हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना है। दून विश्वविद्यालय में भवन के कार्यों को गति तथा जवाहर लाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिरिजेश पंत द्वारा विश्वविद्यालय के नये कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करना है और मान्यवर, इसमें 5 करोड़ का सामान्य बजट और 5 करोड़ का एस०सी०पी० का बजट भी स्वीकृत किया गया है। कुमायूं विश्वविद्यालय तथा दून विश्वविद्यालय के छात्रों को शैक्षणिक व आवासीय सुविधायें तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय कार्यक्रमों का संचालन करना। मान्यवर, उच्च शिक्षा के तहत जिला योजना संचालित नहीं है। वित्तीय वर्ष, 2008–09 में विभाग की अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में रुपये 69 करोड़ 92 लाख 61 हजार मात्र तथा आयोजनागत पक्ष में कुल रुपये 41 करोड़ 91 लाख 95 हजार मात्र कुल व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या–07 में कुल 60 75 लाख तथा ब्याज अदायगी मद में रुपये 5 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2009–10 में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से संचालित होने वाली योजनाओं को, मैं कहना चाहूँगा मान्यवर, लेखानुदान सहित विश्वविद्यालयों को सहायता के अन्तर्गत कुमायूँ विश्वविद्यालय के लिए 2 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, विश्वविद्यालय को सहायता के अन्तर्गत दून विश्वविद्यालय

हेतु रुपये 10 करोड़ की माँग की थी इसमें रुपये 05 करोड़ एस0सी0पी0 में और रु0 05 करोड़ की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन एवं नए संकायों एवं विषयों के समावेश हेतु रुपये 04 करोड़ 08 लाख 62 हजार की बजट व्यवस्था की गई है। प्रदेश में नये महाविद्यालयों की स्थापना के अन्तर्गत रुपये 05 करोड़, 98 लाख 66 हजार के बजट की व्यवस्था की गई है। इन विद्यालयों को वर्ष, 2007–2008 और 2009 को जो विद्यालय खुले हैं और आगे जो खुलेंगे उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। मान्यवर, अराजकीय कालेजों/संस्थानों को सहायता दिए जाने हेतु रुपये 01 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है, जो वेतन और भत्तों के लिए है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2009–10 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत कुल रुपये 21223902 हजार मात्र का बजट प्राविधान प्रस्तुत है, उसको स्वीकृत करने का कष्ट करें।

मान्यवर, तकनीकी शिक्षा के कुछ बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् 20 नये राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना की गयी है। वर्तमान में इनकी कुल संख्या–37 है। 12 निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संचालित हैं। राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, कालाढुंगी, बीरोंखाल, गंणाई, गंगोलीहाट, लाकुला, सतपुली, गरुड़ की स्थापना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति हो चुकी है तथा राजकीय पॉलीटेक्निक रुद्रप्रयाग की स्थापना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृत भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है। उक्त पॉलीटेक्निकों हेतु शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद् रुड़की के भवन निर्माण हेतु के0एल0 पॉलीटेक्निक, रुड़की के परिसर में 2614 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराते हुए गत वित्तीय वर्ष में रु0 90 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण विभाग है इस पर मदवार चर्चा हो जाय।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, राजकीय पॉलीटेक्निक, सहिया, कोटद्वार, कोटाबाग, गौचर, गदीश्यामपुर, पित्थुवाला (देहरादून). ———— (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आने दीजिए, उसके बाद विचार कर लीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण है इसमें अनुदान प्रस्तुत की जाती है, अनुदान की माँग माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत की, आप ब्यौरेवार अनुमान तो देखिये।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, पहले शिक्षा पर करा लीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो शिक्षा की अनुदान माँग संख्या–11 के अन्तर्गत सभी तरह की शिक्षाओं को समाहित किया गया है। यह प्रक्रिया आज की नहीं है, जब से राज्य स्थापित हुआ तब से है और उसी में कटौती की माँग प्रस्तुत की जायेगी। हम भी विपक्ष में 5 साल रहे हैं, हमने भी एक–एक मद पर चर्चा करवाई है।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने जब उद्यान का जिक्र किया तो मंत्री जी एकदम बोले कि उद्यान का कल आयेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उद्यान उद्यानीकरण अलग है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, वित्तीय वर्ष, 2009–10 में तकनीकी शिक्षा विभाग हेतु बजट प्रदान किया गया है उसकी सेक्टरवार स्थिति निम्न प्रकार है–प्राविधिक शिक्षा निदेशालय हेतु आयोजनागत में रु0 14.72 लाख और आयोजनेत्तर 55.57 लाख रुपये है। अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता 1.00 लाख और आयोजनेत्तर पक्ष में 190 लाख रुपये है। पॉलीटेक्निक विद्यालय हेतु आयोजनागत में रु0 522.62 लाख और आयोजनेत्तर में 1687.78 लाख रुपये। इंजीनियरिंग कालेज और विश्वविद्यालय हेतु 560 लाख आयोजनागत में और आयोजनेत्तर में 905 लाख रुपया और अन्य टी0एच0यू0आई0 में 10 लाख और आयोजनेत्तर में 167.71 लाख। मान्यवर, कुल रु0 2308.80 लाख आयोजनागत में और आयोजनेत्तर में रु0 3006.06 लाख है। मान्यवर, इस प्रकार कुल 2308.80 आयोजनागत में और आयोजनेत्तर में 3006.6 लाख। इस प्रकार 2009–10में तकनीकी शिक्षा विभाग के आयोजनेत्तर मद में 2308.80 तथा आयोजनेत्तर मद में 3006.06 और कुल 5314.86 लाख के बजट को पारित कराने का अनुरोध माननीय सदस्यों के सम्मुख रख रहा हूँ।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, शनिवार को प्रश्न काल और जीरो ऑवर मत करिये।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो कार्यमंत्रणा समिति डिसाइड करती है। कार्यमंत्रणा समिति जैसा निर्देश देगी वैसा किया जायेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति सदन की समिति है। अगर सदन सामूहिक रूप से तय कर लेता है तो क्या दिक्कत है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह प्रक्रिया है। कार्यमंत्रणा समिति ही डिसाइड करती है। सदन समाप्ति के बाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री जोतसिंह गुनसोला जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में जो शिक्षा की व्यवस्था है वह अधिकांश क्षेत्र में राज्य की शिक्षा व्यवस्था चाहे वह प्राइमरी की हो, चाहे वह जूनियर हाईस्कूल की हो या इण्टर की शिक्षा व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष–

एक कठिनाई तो आयेगी। ऐसा है न कि जैसे एक मद में, एक अनुदान में आपको बोलने का अवसर दिया फिर आप कहेंगे स्पोर्टस में अलग से अपनी बात को कहूँगा अन्य पर भी मैं अलग से अपनी बात को कहूँगा तो उसमें दिक्कत आ जायेगी।

काजी मौ० निजामुद्दीन–

मान्यवर, चर्चा होनी आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

एक ही बार में बोल लीजिए जितना बोलना है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में चर्चा होनी बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

मैं मना नहीं कर रहा हूँ। एक जो अनुदान प्रस्तुत किये गये उस अनुदान में एक माननीय सदस्य जितना बोलना चाहे, बोलें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, ऐसा नहीं है। चर्चा कराना चाहते हैं। चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते हैं ?

काजी मौ० निजामुद्दीन–

मान्यवर, एक–एक सब्जैक्ट पर तो बोलेगा आदमी। यह तो राज्य के बच्चों के भविष्य और राज्य के भविष्य से जुड़ा सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर चर्चा नहीं करानी होती तो कल ही करा लेते हम। यह तो पहले होता आया है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, अनुदान तो एक है। एक ही अनुदान पर दो–तीन लोग बोलेंगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं माफी चाहता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चर्चा से पीछे कौन हट रहा है। लेकिन मान्यवर, जो प्रक्रिया है उसे तो अपनाना ही पड़ेगा। पहले अनुदान माँग प्रस्तुत की जाती है माननीय मंत्री अपना भाषण रखते हैं, विचार रखते हैं कि किस विषय को लेकर हम अनुदान माँग प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। कटौती के प्रस्ताव में उस अनुदान माँग के अंदर जितने भी विषय होते हैं उन विषयों पर कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्यगण रखते हैं उसके बाद माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण होता है। यह प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ेगा। मान्यवर, अब कटौती का प्रस्ताव रख लिया माननीय मंत्री का उत्तर भाषण आ गया उसके बाद निरन्तरता चलती रहेगी क्या।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर एक बात बार–बार आ रही है इस सदन में कि हम कल ही पूरा करा लेते हैं। मान्यवर, ये पीठ से भी आ रही है यह अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, आप तो हम सब लोगों के संरक्षक हैं विभिन्न प्रकार के निर्देश आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

ये मंशा बिलकुल नहीं है। आप बार–बार ये क्यों कह रहे हैं बिना चर्चा के पास करा लीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह बात तो कहीं से आयी नहीं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह तो प्रदेश के साथ मजाक हो रहा है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं शुरू में विद्यालयी शिक्षा पर थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहूँगा क्योंकि विद्यालयी शिक्षा ही पहले टेकअप की गयी थी, अन्य चर्चाओं पर बाद में बात करेंगे। विद्यालयी शिक्षा को हम यह मान कर चल रहे थे कि बी0पी0एल0 परिवारों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का सृजन किया गया, आज मंत्री जी से जानना चाहेंगे। कहाँ–कहाँ यह विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं ?

*श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, कल मेरे साथ जो घटना हुई थी उस विषय को रखा था मुझे पुख्ता जानकारी मिली है और मेरे पास सबूत भी है जिसके खिलाफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वारंट इश्यू हैं वह इन्द्रलोक होटल में बैठकर प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है ? (शेम-शेम की ध्वनि के साथ भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

जानकारी तो प्राप्त कर लें, आपने अभी बताया है आपको तीन दिन का समय दिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत वेल में खड़े रहकर अपनी-अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त-

श्रीमन्, कल इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय सदस्यगणों को अवगत करा दिया था कि तीन दिन के अन्दर हम माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करवायेंगे और जो बात माननीय सदस्यगण अभी लाये हैं उसका संज्ञान लेते हुए हम परीक्षण करवा लेते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है इसमें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री तिलकराज बेहड़-

मान्यवर, अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करेगी ?

(घोर व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल-

मान्यवर, इस सदन के अंदर यह परम्परा है कि जो सदस्य अपनी बात को कहता है उसको यह माना जाता है कि सदस्य सच कह रहा है, कल प्रेस कांफ्रेस हुई जिसकी प्रति माननीय अध्यक्ष जी को दी गयी, कल क्या सरकार के पास यह जानकारी नहीं है सरकार के पास क्या कोई तंत्र नहीं है कि एक अपराधी जिसके न्यायालय से वारंट हो रखे हैं वह अपराधी एक जगह पर बैठकर कल प्रेस कांफ्रेस करता है तो पूरी सरकार क्या मूकदर्शक है, सोयी हुई है कि

एक अपराधी को ढूँढने के लिए सरकार को कहीं जाना पड़ेगा और आज वही अपराधी देहरादून के अंदर वह हिम्मत कर रहा है, उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वह देहरादून में बैठकर सारी प्रेस को बुलाकर प्रेस कॉफ्रेंस करने की बात कर रहा है तो मान्यवर, सरकार का संरक्षण नहीं है तो क्या है, इससे ज्यादा और क्या चीज चाहिए?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, अब तो आप गिरफ्तारी के लिए आदेश दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

गिरफ्तारी के लिए तो पहले से ही आदेश जारी है।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर मैं सदन से उठने से पहले वस्तुस्थिति से अवगत करा दूँगा। जानकारी लेने के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है।

(घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को अवगत कराया, मैंने आपको अवगत कराया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। उसने स्टे को माननीय न्यायालय में खारिज कराने के लिए दाखिल किया है, हमसे कहा कि नहीं वह जेल जायेगा और आज उसकी हिम्मत देखिये रुद्रपुर से देहरादून आकर आज प्रेस कांफ्रेस कर रहा है, इससे ज्यादा क्या समझा जाय। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपका सदस्य हूँ और आप निर्देश दे कि देहरादून के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहाँ से अपराधी को नहीं जाना चाहिए।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर पूर्ववत् खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, कल इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आपने जो जाँच सी०बी०सी०आई०डी० की करी है इससे सारी चीजें बाधित हो जायेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने चेम्बर में आश्वस्त किया कि मैंने लॉ सेक्रेटरी को बुलाकर, जो कानूनविद हैं उनको बुलाकर मैंने जानकारी ले ली है, इससे कहीं पर भी कुछ बाधित नहीं होगा और उसकी गिरफ्तारी कहीं बाधित नहीं होगी। मैंने कहा सी०बीसी०आई०डी० जाँच होगी

वह बाधित होगी, वह अपराधी इस बात को कहेगा कि सी0बी0सी0आई0डी0 होगी इसलिए मैं पुलिस जाँच से प्रभावित नहीं होता हूँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आश्वस्त किया तो हम आश्वस्त होकर सदन में आये। मान्यवर, माननीय श्री प्रकाश पन्त जी ने स्पष्ट सबके समक्ष इस बात को रखा कि 3 दिन के अन्दर इन्सपेक्शन हो जायेगा, लेकिन अपराधी कल प्रेस कांफ्रेंस करता और आज उसकी हिम्मत है कि सरकार की नाक के नीचे देहरादून में आकर प्रेस कॉफ्रेंस करता है, इससे क्या लगता है, क्या कहा जाये, क्या सुना जाये। मान्यवर, यदि हमें हमारे सदन से भी संरक्षण नहीं मिल सकता है और माननीय नेता सदन के कहने से भी संरक्षण नहीं मिल सकता है तो फिर मैं समझता हूँ कि किसी बात का कोई औचित्य नहीं रह गया। वह रुद्रपुर में प्रेस कॉफ्रेंस करे। हम किसी बात पर विश्वास करें। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर संवैधानिक संकट की ओर भी इंगित करता है कि न्यायपालिका और विधायिका के निर्देश का पालन करने के लिए कार्यपालिका अक्षम है, जानबूझकर न्यायपालिका और विधायिका के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, यह संवैधानिक संकट की ओर भी इशारा करता है। मान्यवर, यह संवैधानिक संकट की भी स्थिति आ सकती है कि जो न्यायपालिका और विधायिका का निर्देश नही मान रहे हैं, वह संवैधानिक कागजों का परिपालन नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने कहा है कि मैंने रिपोर्ट मंगा ली है और रिपोर्ट जैसे ही मेरे पास आती है तो मैं अवगत करा दूँगा, आपकी जानकारी का संज्ञान लेकर के ही कहा।

श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, लगातार चार बार से सदस्य हूँ, मुझे यहाँ से संरक्षण नही मिलेगा तो कैसे होगा।

श्री अध्यक्ष–

इसमें निर्देश देने की क्या जरूरत है, मैं तो नहीं रोक रहा हूँ।

*श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, वह प्रेस कांफ्रेंस कर रहा है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, सारी चीज सदन के समक्ष है, आप किस चीज का संज्ञान लेना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, खुले रूप से उसका स्वागत किया गया और सरकारी गेस्ट हाऊस में मीटिंग हो रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जानकारी तो आ जाने दीजिए कि वाकई में प्रेस कांफ्रेन्स हो रही है या नहीं हो रही है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जिन्हें जाना है वही बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मालूम कर लें कि प्रेस कांफ्रेन्स हो रही है या नहीं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने जानकारी के लिए भेजा है और कल सदन बैठने से पहले आपको अवगत करा देंगे। सम्पूर्ण कार्यवाही से कल आपको प्रातःकाल तक अवगत करा देंगे। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जो कल प्रेस कांफ्रेन्स हुई है उसकी जानकारी सरकार को है या नहीं।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, यदि आपके संज्ञान में आ जायेगा कि 8 बजे प्रेस कांफ्रेन्स कर रहा है तो क्या आप उसकी गिरफ्तारी करेंगे, पुलिस गिरफ्तार करेगी, सवाल यह है।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन जी पूर्ववत् 'वेल' पर खड़े थे और सभी सदस्य जोर–जोर से अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय पर मैं कल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा कि आज वह कहां था, आज प्रेसवार्ता की या नहीं की। सम्पूर्ण जानकारी लेने हेतु मैंने निर्देशित कर दिया है और अभी तत्काल मेरे पास जानकारी आ जाती है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। (व्यवधान) श्रीमन्, तीन दिन का समय मांगा है तो आपको तीन दिन का समय देना चाहिए। (व्यवधान)

घोर व्यवधान के मध्य

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आपको तीन दिन का समय दिया गया है, आपको बात पर यकीन क्यों नहीं है।

घोर व्यवधान के मध्य

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपकी ही बात का संज्ञान लेकर मैंने तत्काल निर्देश दिया है कि अभी जाकर इसे देख लें। श्रीमन्, इस पर अभी तत्काल रिपोर्ट आ जाती है तो उपलब्ध करा देंगे। यदि तत्काल नहीं आती है तो मैं कल आपको बता दूंगा। आपको तीन दिन का समय गिरफ्तारी के लिए दिया गया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोत सिंह गुनसोला जी अपनी चर्चा जारी रखेंगे। मद संख्या–10 और मद संख्या–11 को स्थगित करता हूँ।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", हाजी तसलीम अहमद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्रीमती आशा नौटियाल तथा श्री मनोज तिवारी की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना, जो राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही वृद्धावस्था, विकलांग तथा विधवा पेन्शन का भुगतान सहकारी समितियों के माध्यम से कराये जाने पर पेंशनरों को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा श्रीमती आशा नौटियाल की सूचना, जो जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत महाविद्यालय अगस्त्यमुनि

में बी0ए0/बी0एस0सी0 में अंग्रेजी विषय के अध्यापक न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

जनपद हरिद्वार के ग्राम–सुल्तानपुर, तहसील–लक्सर के किसानों के सरकारी नलकूप एल0जी0–1 द्वारा फसलों की सही ढंग से सिंचाई न होने के सम्बन्ध में हाजी तस्लीम अहमद, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

विभागीय अभिमतः–

सिंचाई मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

[जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड लक्सर के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर में नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0–09 के अन्तर्गत 59 नलकूपों के निर्माण की योजना में राजकीय नलकूप सं0–01 लक्सर समूह का निर्माण किया गया था। शासनादेशों के अनुसार नलकूप ग्राम पंचायत को अनुरक्षण, मरम्मत एवं परिचालन हेतु हस्तगत किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा नलकूपों के अनुरक्षण एवं मरम्मत में सक्षम न होने के कारण नलकूपों का अनुरक्षण, मरम्मत कार्य सिंचाई विभाग द्वारा ही किया जा रहा है, इस नलकूप से कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जल वितरण प्रणाली दो भागों में (ए व बी लूप) में निर्मित है। एक लूप में एक ही कुलावा खोले जाने का प्राविधान है, परन्तु कृषकों द्वारा एक से अधिक कुलावे खोले दिय जाते हैं, जिसके कारण ऊंचाई वाले कुलावे में पानी कम हो जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा संचालन किये जाने के कारण काश्तकारों को सुचारू रूप से पानी उपलब्ध कराने हेतु कठिनाई होती है। विभाग द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्र में पानी पहुँचाये जाने के लिए नीचे वाले भाग में स्लूश वाल्व लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसे शीघ्र लगाकर ऊंचाई वाले भाग में सुचारू रूप से पानी पंहुचाने की कार्यवाही की जा रही है।]

उत्तराखण्ड के राजकीय विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पदों पर बी0एड0 की भांति रिक्त पदों पर बी0लिब0 डिग्रीधारी छात्र/छात्राओं को अभी तक नियुक्ति न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी, स0 वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

[राज्य के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का ढाँचा एक समान है, जिसके अन्तर्गत विद्यालयों में लाईब्रेरियन के पदनाम से कोई अलग पद स्वीकृत नहीं है। इन विद्यालयों हेतु आवर्तक अनुदान के रूप में पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों के क्रय

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्रय एवं सम्बर्द्धन हेतु अलग से धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती। छात्र/छात्राओं से पुस्तकालय एवं वाचनालय निधि के अन्तर्गत कुछ निर्धारित शुल्क छात्रनिधि के रूप में ली जाती है, जिसका उपभोग पुस्तकालय एवं वाचनालय समिति के माध्यम से सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा समय-समय पर अल्पसंख्या में कुछ पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकायें ही खरीदी जा पाती हैं। विद्यालय में व्यवस्थानान्तर्गत विद्यालय की पुस्तकालय एवं वाचनालय समिति के सदस्यों के द्वारा पुस्तकालय को संचालित किया जाता है समिति के सदस्यों के रूप में प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षकों को नामित किया जाता है। कतिपय विद्यालयों में पुस्तकों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय के लिपिक के पास रहती है।

इस प्रकार लाईब्रेरियन का पद स्वीकृत न होने एवं बजट आवंटन न होने के कारण बी0लिब0 योग्याताधारी छात्र/छात्राओं के नियुक्ति की व्यवस्था राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अलग से नहीं की जा सकती है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 8 बजकर 19 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून
दिनाँक : 23 जुलाई, 2009

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तालिका "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–8 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–68 पर)

अनुसूचित जाति अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत किए गये निर्माण कार्यों की प्रगति वित्तीय वर्ष, 2007–08

(धनराशि रु० लाख में)

क्र० सं०	नगर पंचायत/विकास खण्ड का नाम	वार्ड/ग्राम पंचायत का नाम	योजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना की कुल	ग्राम पंचायत की कुल	अनु० जाति जनसंख्या	अनु० जाति प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मुनस्यारी	तल्ला दुम्मर	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	3.73	265	135	50.9
2.	मुनस्यारी	मल्ला मैसकोट	पुलिया का निर्माण	ग्राम पंचायत	1.33	580	306	52.8
3.	मुनस्यारी	सुराटेल	पुलिया का निर्माण	ग्राम पंचायत	3.60	88	73	83
4.	मुनस्यारी	फगती एराढी	पुलिया का निर्माण	ग्राम पंचायत	2.60	54	54	100
5.	मुनस्यारी	फगती एराढी	सामु० भवन निर्माण	ग्राम पंचायत	4.14	54	54	100
6.	मुनस्यारी	नाकुरी	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	2.70	15	15	100
7.	मुनस्यारी	बनिया गाँव	मार्ग निर्माण	जिला पंचायत	8.78	189	122	64.6
8.	मुनस्यारी	उमती	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	4.40	79	79	100
9.	मुनस्यारी	सेला	मार्ग निर्माण	जिला पंचायत	9.33	37	22	59.5
10.	गंगोलीहाट	देवराढी पन्त	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	9091	112	84	75
11.	गंगोलीहाट	देवराढी पन्त	जन मिलन केन्द्र	ग्राम पंचायत	4.98	112	84	75
12.	गंगोलीहाट	देवराढी पन्त	खडन्जा निर्माण	ग्राम पंचायत	3.10	112	84	75
13.	गंगोलीहाट	पिपुंगलटिम्टा	सी०सी०मार्ग	ग्राम पंचायत	2.90	1102	652	59.2
14.	गंगोलीहाट	हरकिया	खडन्जा निर्माण	ग्राम पंचायत	2.82	41	41	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	गंगोलीहाट	बलीगाँव	पुल निर्माण	ग्राम पंचायत	2.12	226	222	98.2
16.	गंगोलीहाट	बलीगाँव	सी0सी0मार्ग	ग्राम पंचायत	1.55	226	222	98.2
17.	गंगोलीहाट	गोशनी	पुल निर्माण	ग्राम पंचायत	0.73	12	12	100
18.	गंगोलीहाट	सुनौली	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	2.30	76	59	77.6
19.	गंगोलीहाट	सुनौली	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.89	76	59	77.6
20.	गंगोलीहाट	नेनी	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.47	665	664	99.8
21.	गंगोलीहाट	नेनी	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.73	665	664	99.8
22.	गंगोलीहाट	नेनी	सी0सी0 मार्ग	ग्राम पंचायत	3.91	665	664	99.8
23.	गंगोलीहाट	नेनी	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.32	665	664	99.8
24.	गंगोलीहाट	ग्वासीकोट	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.15	788	785	99.6
25.	गंगोलीहाट	ग्वासीकोट	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.15	788	785	99.6
26.	गंगोलीहाट	वसौलाकोट	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	2.00	185	170	91.9
27.	गंगोलीहाट	खगोन	सार्वजनिक शौचालय	ग्राम पंचायत	1.80	388	213	54.9
28.	गंगोलीहाट	पाली	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	0.98	730	388	53.2
29.	गंगोलीहाट	पाली	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	0.98	730	388	53.2
30.	गंगोलीहाट	डुगई कन्यूरी	महिला कॉम्पलेक्स	ग्राम पंचायत	1.12	111	75	67.6
31.	गंगोलीहाट	बानडी	सी0सी0 मार्ग	ग्राम पंचायत	4.00	101	59	58.4
32.	गंगोलीहाट	चौका	सी0सी0 मार्ग	ग्राम पंचायत	3.50	520	175	33.7
33.	गंगोलीहाट	देवराला	डॉबर एवं पाईप	गंगोलीहाट	1.11	309	309	100.0
34.	गंगोलीहाट	न्यूलबाड़ाकोट	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	2.17	361	197	54.6
35.	गंगोलीहाट	कोठेरा	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	2.50	801	434	54.2
36.	गंगोलीहाट	कोठेरा	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	2.50	801	434	54.2
		योग	1 से 36		67.30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	गंगोलीहाट	कालाकूंआ	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	2.50	210	210	100
38.	गंगोलीहाट	बमर्दे	चाहर दीवारी	ग्राम पंचायत	2.50	833	617	74.1
39.	गंगोलीहाट	ढुंगरोली	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.76	183	183	100
40.	गंगोलीहाट	जमतोला	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.00	58	58	100
41.	गंगोलीहाट	चिटगल	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	4.02	851	568	66.7
42.	गंगोलीहाट	कल्पाली	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.00	338	338	100
43.	गंगोलीहाट	कोटीगाँव	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.56	319	197	61.8
44.	गंगोलीहाट	जोशीवाखेत	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	1.80	204	182	89.2
45.	गंगोलीहाट	कसाई मल्ली	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	2.03	102	51	50.0
46.	गंगोलीहाट	पटदुड़ी	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	1.80	94	28	29.8
47.	गंगोलीहाट	उप्रेतराटजोशी	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.76	110	91	82.7
48.	गंगोलीहाट	सुजेत	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.88	276	148	53.6
49.	गंगोलीहाट	अगोन	कल्वर्ट निर्माण	ग्राम पंचायत	3.00	388	213	54.9
50.	मुनाकोट	सिलिंगिया	सामु0 भवन निर्माण	आर ई एस	6.19	408	263	64.5
51.	मुनाकोट	खुंजापानी	सामु0 भवन निर्माण	आर ई एस	6.43	185	101	54.6
52.	मुनाकोट	आजरसिनारी	पेय जल योजना	ख0वि0 अधिकारी	5.06	666	339	50.9
53.	मुनाकोट	बैनकोट	बारात घर निर्माण	आर ई एस	8.08	81	59	72.8
54.	मुनाकोट	कोराली	सम्पर्क मार्ग निर्माण	ख0वि0 अधिकारी	13.03	28	28	100
55.	मुनाकोट	आजरसिनारी	पुलिया निर्माण	ख0वि0 अधिकारी	5.09	666	339	50.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56.	मुनाकोट	सौंडलेख	सी०सी० मार्ग	जिला पंचायत	6.50	143	143	100.00
57.	मुनाकोट	मिर्थीगढ़ा	सामु० भवन निर्माण	ख०वि० अधिकारी	5.76	317	131	41.3
58.	कनालीछीना	ल्वाठी	सामु० भवन निर्माण	ग्राम पंचायत	3.20	201	128	63.7
59.	कनालीछीना	बनडीहाट	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	4.37	451	277	61.4
60.	कनालीछीना	डडखोला	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.90	598	426	71.2
61.	कनालीछीना	डडखोला	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.50	598	426	71.2
62.	कनालीछीना	डडखोला	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	3.00	598	426	71.2
63.	कनालीछीना	डडखोला	क्रीड़ा स्थल निर्माण	ग्राम पंचायत	3.00	598	426	71.2
64.	कनालीछीना	डीमाटोला	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.28	300	285	95
65.	कनालीछीना	रिंग	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	5.01	199	123	61.8
66.	कनालीछीना	रिंग	खड़न्जा निर्माण	ग्राम पंचायत	7.66	199	123	61.8
67.	कनालीछीना	ल्वाठी	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	4.60	201	128	63.7
68.	कनालीछीना	बडल्गू	सम्पर्क मार्ग निर्माण	ग्राम पंचायत	6.44	152	107	70.4
69.	कनालीछीना	पैटखोला	बारात घर निर्माण	ग्राम पंचायत	9.52	44	44	100
70.	कनालीछीना	सिरौन	नाली निर्माण	ग्राम पंचायत	3.79	475	198	41.7
71.	कनालीछीना	ल्वाठी	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	2.62	201	128	63.7
72.	कनालीछीना	ल्वाठी	सम्पर्क मार्ग निर्माण	ग्राम पंचायत	5.00	201	128	63.7
73.	कनालीछीना	धौनखोला	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	2.31	3	3	100
		योग	37 से 73		149.95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	कनालीछीना	रिंग	महिला कॉम्पलैक्स	ग्राम पंचायत	2.00	199	123	61.8
75.	कनालीछीना	पभूवन	नौला निर्माण	ग्राम पंचायत	0.80	246	125	50.8
76.	कनालीछीना	कपोड़ा	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	4.28	4	4	100
77.	कनालीछीना	बोरा गाँव	सम्पर्क मार्ग निर्माण	ग्राम पंचायत	2.21	20	20	100
78.	डीडीहाट	कनैला	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	3.24	98	59	60.2
79.	डीडीहाट	अस्कियागाँव	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.21	227	146	64.3
80.	डीडीहाट	अस्कियागाँव	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	2.50	227	146	64.3
81.	डीडीहाट	ओडगाँव	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	2.00	120	120	100
82.	डीडीहाट	ओडगाँव	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	1.29	120	120	100
83.	डीडीहाट	धनियाखान	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.30	14	104	72.7
84.	डीडीहाट	धनियाखान	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	0.91	143	104	72.7
85.	डीडीहाट	पिटगालगाँव	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.76	2.38	159	66.8
86.	डीडीहाट	दुर्गेती	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	2.55	281	151	53.7
87.	डीडीहाट	जाखलीगाँव	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.87	401	233	58.1
88.	डीडीहाट	गोबराड़ी	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.91	386	190	51.9
89.	डीडीहाट	मिर्थी	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	3.00	110	59	53.6
90.	डीडीहाट	बलतिर	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	1.50	557	332	59.6
91.	डीडीहाट	पिटगालगाँव	क्रिड़ा स्थल निर्माण	ग्राम पंचायत	3.45	238	159	66.8
92.	बेरीनाग	भूलकीडस्याली	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	2.22	260	162	62.3
93.	बेरीनाग	भूलकीडस्याली	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.81	260	162	62.3
94.	बेरीनाग	करैला	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	0.89	122	122	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95.	बेरीनाग	बुंगेरा	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	2.00	214	165	77.1
96.	बेरीनाग	सीमर	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	1.96	291	291	100.00
97.	बेरीनाग	कांडेय तल्ला	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.95	415	415	100
98.	बेरीनाग	चौरासथोली	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	0.19	283	283	100
99.	बेरीनाग	चौकल कटिया	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	2.45	101	70	69.3
100.	बेरीनाग	दन्तोला	पुल निर्माण	ग्राम पंचायत	1.79	214	117	54.7
101.	बेरीनाग	बन्तोली	पुल निर्माण	ग्राम पंचायत	4.02	131	114	87.0
102.	बेरीनाग	बुर्दुंगा सिरतोली	मार्ग निर्माण	ग्राम पंचायत	2.33	144	87	60.4
103.	बेरीनाग	पीपलतड़	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	3.42	401	350	87.4
104.	बेरीनाग	नागल कनलौनी	क्रिया स्थल निर्माण	ग्राम पंचायत	3.25	91	60	65.9
105.	बेरीनाग	चौरासथोली	सी०सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	2.86	283	283	100
106.	कनालीछीना	पांखू	सी० सी० मार्ग	ग्राम पंचायत	2.00	300	153	51
107.	धारचूला	जलथकिलासी	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	3.50	333	320	96
108.	धारचूला	सिर्खाग	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	2.50	666	316	47.4
109.	धारचूला	गुनसामटका	मार्ग निर्माण	ग्राम पंचायत	0.06	15	15	100.0
110.	विण	रोडी	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	2.27	234	159	67.9
111.	विण	डुंगरीरावत	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.19	563	446	79.2
112.	विण	डुंगरीरावत	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.17	563	446	79.2
113.	विण	डुंगरीरावत	पेय जल योजना	ग्राम पंचायत	4.75	563	446	79.2
114.	विण	उपरतोला	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.79	303	303	100
115.	विण	उपरतोला	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.74	303	303	100
116.	विण	मनालीचमेडा	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.17	113	88	77.9
		योग	74 से 116 तक		91.68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.	विण	ककरकटिया	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.17	92	92	100
118.	विण	मेलडुंगरी	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.20	924	467	50.5
119.	विण	मेलडुंगरी	आंगनबाड़ी केन्द्र	ग्राम पंचायत	2.24	924	467	50.5
120.	विण	भटकूड़ा	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.30	513	330	64.3
121.	विण	गणकोट	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.86	443	342	77.2
122.	विण	मटियाल	पुलिया निर्माण	ग्राम पंचायत	1.36	131	131	100.0
123.	विण	जमराड़	आंगनबाड़ी केन्द्र	ग्राम पंचायत	3.00	328	222	67.7
124.	विण	बजेटी	शौचालय निर्माण	ग्राम पंचायत	3.00	1481	759	51.2
		योग	117 से 124 तक		15.13			

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्रश्न संख्या—9 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या—45 पर)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऐसे मार्ग जिन पर कतिपय कारणों से कार्य आरम्भ नहीं हुए

कार्यदायी संस्था : लोक निर्माण विभाग

परिशिष्ट—1

क्र0 सं0	फेज	मार्ग का नाम	जनपद	पैकेज सं0	मार्ग की लं0	स्वीकृत धनराशि	निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने अथवा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही	विलम्ब का कारण	निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	III	टिम्टा—कुलागेंग्सू के किमी0 14.50 पर 80 मी0 स्पान तथा किमी0 23.275 पर 80 मी स्पान के सेतुओं का निर्माण	पिथौरागढ़	यू0टी0—09—04	—	117.93	पूर्व में कोई निविदा प्राप्त नहीं। पुनः निविदा आमंत्रित की गयी है	संशोधित प्रस्ताव पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त निविदा आमंत्रित की गई है	अनुबन्ध गठन के उपरान्त एक वर्ष पश्चात्।
2.	IV	गनोलीहाट—चौसाल मोटर मार्ग किमी0 15 (बनिगांवी) से कुन्दौला मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0—09—01	5.95	167.15	वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होनी शेष है	वनभूमि की स्वीकृति प्राप्त होने के 1½ वर्ष पश्चात्
3.	V	चटाल से सैंज मोटर मार्ग	देहरादून	यू0टी0—05—01	15.42	234.63	वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होनी शेष है	वनभूमि की स्वीकृति प्राप्त होने के 2 वर्ष पश्चात्
4.	V	नकुरी से बरसाली मनेरीबैंड धूनी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0—13—06	7.95	182.37	वनभूमि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि की स्वीकृति प्राप्त होने के एक वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	VI	ऐंठी से दसौली मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–01	5.738	178.14	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठित होने के एक वर्ष पश्चात्
6.	VI	एन0डी0आर0–14 के कि0मी0–4 से पाली नदीला मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–02	2.815	85.27	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठित होने के एक वर्ष पश्चात्
7.	VI	सुनियाकोट से भटेला मोटर मार्ग स्टेज–2 के कार्य	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–03	15.41	608.82	निविदा आमंत्रित	जनपद अल्मोड़ा के कार्य विश्व बैंक फण्ड से हस्तान्तरित होने के कारण विलम्ब	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
8.	VI	एन0एच0–87 के कि0मी0–387 से सुयाल–सुपकोट मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–04	7.648	276.23	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	वन भूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
9.	VI	रामपुर से टकानगांव मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–1–05	2.927	118.28	वनभूमि का प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
10.	VI	जलनीलमान से बेढ़िटगांव मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–1–06	6.872	308.34	वनभूमि प्रस्ताव की कमियों को दूर किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के 1½ वर्ष पश्चात्
11.	VI	बेतुलधार से भाकुनाबगड़ मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–07	9.746	316.18	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
12.	VI	रिखाड़ी से बाजखाल मोटर मार्ग भाग–4	बागेश्वर	यू0टी0–02–04	10.77	344.82	निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
13.	VI	बागेश्वर–कमकोट मार्ग कि0मी0–18 से लिटी मोटर मार्ग	बागेश्वर	यू0टी0–02–08	11.87	351.74	निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
14.	VI	डंगोली सलानी मार्ग कि0मी0–19 से मनीगांव मोटर मार्ग	बागेश्वर	यू0टी0–02–010	5.22	294.85	निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	VI	कफलानी–रौलवाला मोटर मार्ग कि0मी0–1 से सिमखेत मोटर मार्ग	बागेश्वर	यू0टी0–02–11	3.31	128.98	एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कराई जा रही है	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
16.	VI	जाखणी से सरतोली मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–01	13.83	321.89	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
17.	VI	पडेरगांव से थैठी मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–03	19.16	612.54	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात्
18.	VI	कनक से भीठी मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–04	4.70	118.20	वनभूमि का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
19.	VI	गोल से गडकोट मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–05	15.95	485.22	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात्
20.	VI	सगवाड़ी से पल्लाकुनी मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–07	11.43	279.98	एन0पी0वी0 के धनराशि जमा कराई जा रही है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात्
21.	VI	मारवाड़ी से थींग मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–08	10.53	345.01	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात्
22.	VI	लोहाजंग से बैंक मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–09	6.00	151.00	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात्
23.	VI	वाणी लग्गा पैकोटी से बैगक मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–011	32.43	1120.33	वनभूमि प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात्
24.	VI	सिरकोट से सतकोट मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–012	10.83	217.84	वनभूमि प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	VI	पिपिटीवाली से भंजरा मोटर मार्ग	देहरादून	यू0टी0—05—03	6.01	114.17	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव डी0एफ0ओ0 को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
26.	VI	धुमियाघाट से धुरियानांव घस्सा मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0—07—02	5.00	130.19	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
27.	VI	चोरसा से पिन्नकोट मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0—07—04	17.40	582.23	निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
28.	VI	मिजदीनी (नाई) से दुगढा मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0—07—07	5.00	97.24	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
29.	VI	एम0डी0आर0—25 से जनजोला मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0—07—09	7.00	157.11	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
30.	VI	नजड से कुल्सी मोटर मार्ग	पौड़ी	यू0टी0—08—07	16.44	284.66	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
31.	VI	बैला से धुलेट मोटर मार्ग	पौड़ी	यू0टी0—08—11	5.00	158.22	निविदा स्वीकृत	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
32.	VI	लौडा से स्याउंनी उपला सिलखा मोटर मार्ग	पौड़ी	यू0टी0—08—14	5.73	123.58	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
33.	VI	बिन से बैतड मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0—09—05	2.00	29.90	निविदा निस्तारण की कार्यवाही गतिमान	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
34.	VI	उखीमठ से किमाणा निरोडी मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	यू0टी0—10—01	8.00	261.84	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	VI	कोट से जखवाड़ी मल्ली मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	यू0टी0–10–03	4.00	111.46	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
36.	VI	जखवाड़ी से सिलगांव मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	यू0टी0–10–04	18.00	488.60	वनभूमि प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात्
37.	VI	चटा से जामू मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	यू0टी0–10–05	3.61	136.49	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
38.	VI	बसन्तूरी से बचाड़ी मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	यू0टी0–10–06	5.35	157.71	वनभूमि प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
39.	VI	तिलवाड़ा–टिहरी मार्ग–कि0मी0–6 से कोट लौंगा मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	यू0टी0–10–09	6.00	172.66	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
40.	VI	तिलवाड़ा–छूड़ी से उखोला मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	यू0टी0–10–10	15.00	425.13	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
41.	VI	जाख से कमूड मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–01	14.00	467.23	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
42.	VI	खाड़ीकोट से सेली मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–02	6.30	143.66	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
43.	VI	घनसाली से धर्जीगाली मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–03	4.935	119.17	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
44.	VI	पर्वतगांव से मरवार खोला मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–04	10.00	349.60	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	VI	कुन्डियाल से मैहरगांव (तैका) मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–05	8.10	240.75	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रस्तावक विभाग को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
46.	VI	पुरानी जिरकोटी से कपरोली मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–06	9.125	300.31	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
47.	VI	जम्भा–धरासू मोटर मार्ग से बधुआणी चौकर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–07	5.75	188.07	निविदा आमंत्रित	जनपद टिहरी के कार्य जिस बैंक रूप से हस्तान्तरित होने के कारण विलम्ब	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
48.	VI	पुखकालगांव से सौ–डी मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–08	6.60	200.31	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव कमियों के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
49.	VI	बन्दरकोट से पन्जियाला मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–01	6.90	171.79	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
50.	VII	चौबटिया–नागपानी से देहोली मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–01	5.52	194.26	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
51.	VII	डीनार से पिराकोट मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–02	15.76	548.72	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 2 वर्ष पश्चात्
52.	VII	बगवाली पोखर से गैजटा मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–03	6.36	167.07	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव कमियों के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	VII	धौलछीना से कनपूला मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–04	5.85	105.30	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव विभाग को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
54.	VII	बनखू से बुकिलाकोट मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–05	4.17	145.62	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
55.	VII	दड़ामताल से खाला मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–06	7.93	263.65	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
56.	VII	भुजान भागद से हिराम मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–07	27.49	979.08	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग दो वर्ष पश्चात्
57.	VII	भाना से फलकल डूंगरा मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–08	23.68	829.08	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
58.	VII	पेटसालीजी के कला मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–09	5.64	188.46	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
59.	VII	बसोली–पोखरी से नाईकील मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–10	13.42	448.87	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
60.	VII	अल्मोड़ा–म्यालतम मार्ग किमी0–82 से हवील कुलवान मोटर मार्ग	अल्मोड़ा	यू0टी0–01–11	5.64	239.94	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	VII	कफार-रौलमहला मार्ग कि0मी0-6 से प्यूनास्टेट मोटर मार्ग	बागेश्वर	यू0टी0-02-02	4.62	124.38	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
62.	VII	बैड़-महोड़ा से जालली मोटर मार्ग	बागेश्वर	यू0टी0-02-03	18.14	475.20	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है।	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
63.	VII	दोफाड़ी से भकड़िया मोटर मार्ग स्टेज-2	बागेश्वर	यू0टी0-02-04	13.20	437.11	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
64.	VII	पेम से बालण मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0-03-01	11.60	338.35	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
65.	VII	कोठ से तैलखणमल मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0-03-02	3.74	105.37	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है।	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
66.	VII	नंदोह से जोतुली किरूली मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0-03-03	16.17	271.07	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है।	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
67.	VII	भलगढ़ से चकियाली माल्ली मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0-03-04	7.25	253.44	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.	VII	छन्ना से खुलारा हैमी मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–05	11.50	419.34	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है।	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
69.	VII	पीपलकोटी से मठमदेटा मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–06	6.35	221.87	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है।	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
70.	VII	कोठगढ़ से बीज मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–07	6.50	217.83	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
71.	VII	जखलपुर से सेम मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–08	7.60	244.03	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है।	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
72.	VII	निजमूला से इराणी–पीना–पाणा मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–09	31.55	1262.73	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है।	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
73.	VII	नन्दकेशरी–घाटदम मार्ग किमी0–1 से जौला मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–10	9.00	253.00	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
74.	VII	बरपक से सांजी मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–11	5.53	177.00	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
75.	VII	सिमली से सानकोट मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–12	9.18	317.55	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.	VII	दुगा से कोलपाडी मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–13	8.00	184.67	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
77.	VII	घराली से फिन्नी मोटर मार्ग	चमोली	यू0टी0–03–14	5.00	169.58	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
78.	VII	एसएच–29 से खातोली धनली मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–01	20.00	936.19	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग दो वर्ष पश्चात्
79.	VII	देवलसाहिब से रनक मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–02	20.00	576.66	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष
80.	VII	बराकोट किमदोट से पहाडखेडा मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–03	15.00	373.38	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
81.	VII	चौडामिता से परेका मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–04	8.00	362.10	एस0एफ0जी0 द्वारा वांछित सूचनायें प्रेषण हेतु प्रस्तावक विभाग को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
82.	VII	किमतोली से मल्ला खरोडा मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–05	3.00	35.41	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
83.	VII	धौन से सल्ली मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–06	12.00	424.95	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	VII	खतोली मल्ली से पैला मोटर	चम्पावत	यू0टी0–04–07	10.00	711.85	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
85.	VII	कुलेथी रमकाड़ा से ढकना रवोला मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–08	7.70	343.15	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
86.	VII	अमोड़ी से भतकोट मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–09	5.25	220.67	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
87.	VII	सयाला से पोथ मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–10	15.00	473.999	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
88.	VII	साहिया से समाल्टा–उलोली–पसराड़ मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–11	7.00	257.99	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
89.	VII	बनूल से अमोड़ा मोटर मार्ग	चम्पावत	यू0टी0–04–12	6.00	285.51	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
90.	VII	फतेहपुर से रेल मोटर मार्ग कि0मी0–1–10	नैनीताल	यू0टी0–07–02	10.00	349.61	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
91.	VII	फतेहपुर से रेल मोटर मार्ग कि0मी0–11–20	नैनीताल	यू0टी0–07–03	10.00	340.35	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92.	VII	फतेहपुर से बैल मोटर मार्ग किमी0–21–32	नैनीताल	यू0टी0–07–04	12.00	420.62	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
93.	VII	चौखुटा से हरिनगर अकोरा मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0–07–05	2.00	69.20	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
94.	VII	पदमपुरी–धानाचूली–ओड़ाघाट मार्ग किमी0–109 से चूनी मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0–07–06	6.00	206.55	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
95.	VII	ताकुला से भवाली मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0–07–07	8.00	261.65	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
96.	VII	पदमपुरी–धानाचूली–ओड़ाघाट मार्ग किमी0–117 से सुनकोट मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0–07–08	14.00	679.71	सिविल सोयम भूमि पर कब्जा की विस्तृत योजना सम्बन्धी सूचना हेतु प्रशासक विभाग को प्रेषित	सिविल सोयम भूमि का विलम्ब से हस्तान्तरित होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
97.	VII	सोनगाला से नरसिंह तल्ला मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0–07–10	2.88	92.65	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
98.	VII	ढौंचे से हरतोला मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0–07–11	7.29	289.10	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
99.	VII	अमेल से खोला मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0टी0–07–12	6.00	210.53	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	VII	सौड़ से पैठणीढा मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0डी0–07–13	12.80	518.61	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
101.	VII	बुधियाधार से बुधियागांव मोटर मार्ग के कि0मी0–1 पर 48 मी0 स्पान के 02 सेतु	नैनीताल	यू0डी0–07–14	–	266.72	निविदा आमंत्रित	मार्ग की वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
102.	VII	एनडीआर–25 से लमजोला मोटर मार्ग के कि0मी0–1 पर 42 मी0 स्पान का सेतु	नैनीताल	यू0डी0–07–15	–	124.80	मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
103.	VII	देवीपुरा से सौड़ मोटर मार्ग के कि0मी0–28 पर 48मी0 स्पान का सेतु	नैनीताल	यू0डी0–07–16	–	140.80	निविदा आमंत्रित	मार्ग की वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
104.	VII	एल–32 कि0मी0–20 से बनाना मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0डी0–07–17	14.68	511.93	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
105.	VII	बड़ियार से दूदाली मोटर मार्ग	नैनीताल	यू0डी0–07–18	5.58	195.07	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव उप जिलाधिकारी को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
106.	VII	लवर से बान्दू मोटर मार्ग	पौड़ी	यू0डी0–08–01	11.06	452.10	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
107.	VII	पीपांव से कनूण्डी मोटर मार्ग	पौड़ी	यू0डी0–08–02	15.08	355.12	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	VII	चौबट्टाखाल से दांधा मोटर मार्ग, स्टेज–2	पौड़ी	यू0टी0–08–03	7.35	235.18	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
109	VII	पोखिलखाल से बिरगल्ड मोटर मार्ग, स्टेज–2	पौड़ी	यू0टी0–08–04	9.50	314.61	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
110	VII	कुन्जखाल से कोटा मोटर मार्ग, स्टेज–2	पौड़ी	यू0टी0–08–05	13.52	462.22	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग दो वर्ष पश्चात्
111	VII	भाजरा–महादेव से सौड मोटर मार्ग, स्टेज–2	पौड़ी	यू0टी0–08–06	10.31	401.92	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
112	VII	कुणोली से कटूड मोटर मार्ग, स्टेज–2	पौड़ी	यू0टी0–08–07	3.90	140.33	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
113	VII	सिरकोट बैण्ड से चरैगी मोटर मार्ग, स्टेज–2	पौड़ी	यू0टी0–08–08	2.20	67.79	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
114	VII	देवाल से मोटर मार्ग, स्टेज–2	पौड़ी	यू0टी0–08–09	4.00	131.06	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
115	VII	किसूं से पांग मोटर मार्ग, स्टेज–2	पौड़ी	यू0टी0–08–10	7.06	255.21	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
116	VII	गितई से कूई मोटर मार्ग, स्टेज–2	पौड़ी	यू0टी0–08–11	2.10	79.56	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117.	VII	सानदेव से तुरगोली मोटर मार्ग, भाग–1	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–01	15.00	583.61	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
118.	VII	सानदेव से तुरगोली मोटर मार्ग, भाग–2	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–02	12.38	672.50	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
119.	VII	सानदेव से नगथली मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–03	7.65	294.58	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
120.	VII	बांसबगड़ से मोटी मल्ला तल्ला मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–04	5.00	474.87	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
121.	VII	दुबौला से बारली मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–05	9.00	351.24	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
122.	VII	डीडीहाट जी0आई0सी0 से धनदा मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–06	8.00	339.50	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
123.	VII	दुग्धोल (दोबांज) से भातोली मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–07	6.25	246.94	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
124.	VII	बजेटी से चीन मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–08	4.00	149.94	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125.	VII	धंडा से आगर मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–09	4.00	134.23	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
126.	VII	पौबाटी से बोतडूंगा मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–10	13.78	513.47	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
127.	VII	जाख्पना से मुनाकोट मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–11	9.28	380.82	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
128.	VII	मनगांवले से सुरतू मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–12	12.00	443.82	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
129.	VII	घटेडी से कटियानी मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–13	9.80	385.86	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
130.	VII	सुवालेख–रोडीपाली (रोलिता) से खूनी मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–14	13.80	511.19	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
131.	VII	बटगल से सेलीपाल मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–15	7.00	204.18	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132.	VII	दशाईथल से चूटखिल मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–16	3.53	133.81	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
133.	VII	मनीटौली से माबा मोटर मार्ग [थलोलीहाट–बसभाय–घोरपाल मार्ग, कि0मी0–12 (पनारी) से नदूरा मोटर मार्ग]	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–17	14.00	481.33	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
134.	VII	बीरतोला से बैलकोट मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–18	9.00	329.47	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
135.	VII	मटीयांव से बीसानी मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–19	3.48	130.46	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
136.	VII	हलियाजोब से मराई मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–20	6.45	486.23	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
137.	VII	जम्बाक (पिथौरागढ़–सातीयांव मार्ग, कि0मी0–6) से धारई–बगड़ी मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–21	22.50	960.87	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
138.	VII	ग्राम भालगुडी से बनी मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	यू0टी0–10–01	23.00	821.18	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	अनुबन्ध गठन के लगभग दो वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139.	VII	सांकू से सारी मोटर मार्ग	रुद्रप्रयाग	यू0टी0–10–02	34.30	1262.93	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	अनुबन्ध गठन के लगभग दो वर्ष पश्चात्
140.	VII	पुजियागांव से पुजेली मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–01	9.80	329.47	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
141.	VII	कोटी से फाजी (रजाखालगांव) मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–02	4.00	103.88	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
142.	VII	गोना से कोट मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–04	4.30	139.12	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
143.	VII	पाव से डीजी–कल्पी मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–06	3.37	106.78	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
144.	VII	टिहरी–चाहनवीठिया मार्ग के कि0मी0–18 से रजड़ी–कण्डियालगांव–कान्डी मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–07	6.90	221.41	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
145.	VII	विद्यु सम्पर्क मार्ग का विद्यु तक विस्तार	टिहरी	यू0टी0–11–08	1.19	22.39	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
146.	VII	सिरवालगांव से बरकवाण मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–09	14.65	465.24	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147.	VII	औंधखियालगांव से सौड मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू०टी०–11–11	17.80	323.03	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
148.	VII	नई–मिल्वाणी से मटियाली मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू०टी०–11–12	20.00	410.66	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग दो वर्ष पश्चात्
149.	VII	चौंदीसाल से छोटी–धर्मोली मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू०टी०–11–13	5.00	134.64	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
150.	VII	मुआणद से मासडी मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू०टी०–11–14	8.80	181.73	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
151.	VII	लम्बगांव से कण्डियालगांव मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू०टी०–11–15	4.73	117.10	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
152.	VII	सिलकणाल से पैठी मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू०टी०–11–16	2.75	60.04	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
153.	VII	बनकण्डा से गोल मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू०टी०–11–17	1.66	61.04	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
154.	VII	चौंठी मार्ग, कि०मी०–27 से पैन्या मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू०टी०–11–18	3.08	86.40	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
155.	VII	श्यामकुण्ड–धोटी से भवनगांव मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू०टी०–11–19	3.80	88.26	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156.	VII	गोमुख से सिमलाबू मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू0टी0–11–26	3.75	77.93	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
157.	VII	न्यू टिहरी से बुडोगी मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू0टी0–11–21	3.00	76.78	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
158.	VII	किलकिलेश्वर से नैथाणा मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू0टी0–11–22	2.00	54.06	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
159.	VII	मदननेगी से खोला मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू0टी0–11–23	7.00	193.63	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
160.	VII	पूलर से नाई–मिनदाणा मोटर मार्ग, स्टेज–2	टिहरी	यू0टी0–11–24	17.47	300.42	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग दो वर्ष पश्चात्
161.	VII	बरसाली से जौबाणू मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–01	16.01	416.80	वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
162.	VII	पुरोला–खलाड़ी से खलाड़ी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–02	3.65	73.25	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
163.	VII	पुजारगांव से पाली मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–03	4.18	94.69	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
164.	VII	बराड़ी से रयाला–गन्नाली मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–04	10.53	275.83	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165.	VII	बौण्का–सटेट मार्ग किमी0–02 से कांसी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–05	1.89	53.97	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 08 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
166.	VII	मोरी से सालरा मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–06	21.00	793.53	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
167.	VII	दन्यालगांव–पसा–चोसरी से नानई पदराणू मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–07	6.02	149.96	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 08 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
168.	VII	जकतगांव–बारकोट से कनरेथ मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–08	11.86	356.91	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
169.	VII	मैन्द्रथ से मसाल गांव मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–09	11.79	316.15	निविदा आमंत्रित	वनभूमि विलम्ब से हस्तान्तरित होना	अनुबन्ध गठन के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
170.	VII	एनएच–94 से दलर मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–10	2.99	96.05	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
171.	VII	पौंटी से ब्यान्टी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–11	11.79	351.34	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
172.	VII	कुन्सारा से कुमसा मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–12	7.54	259.85	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173.	VII	बड़ेथी से कन्वा मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–13	5.86	166.37	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
174.	VII	एमडीआर–6 से हुल्लिखाना मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–14	4.12	136.23	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
175.	VII	दुलोजी धर्मीगांव से कन्ताड़ी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–15	5.87	164.07	निविदा आमंत्रित	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
176.	VII	मकुड़ी से सिनोठ मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–16	4.08	122.22	निविदा आमंत्रित	भारत सरकार से माह जून, 09 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
177.	VII	धरासू–चिन्यालीसौड़ मार्ग से बनकोट मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–17	301	97.97	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
178.	VII	बड़ेथी–बनचौरा–बड़ीयाड़ मोटर मार्ग से बिरसोट मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–18	3.95	111.51	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
179.	VII	सिलक्यारा–बनगांव–चौपड़ा–सरोट मोटर मार्ग से बनाड़ी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–19	8.10	276.64	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
180.	VII	बड़ेथी–बनचौरा–बड़ीयाड़ मोटर मार्ग से जोखणी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–20	5.01	162.05	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181.	VII	जनक से बगाण मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–21	9.83	298.56	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग 1½ वर्ष पश्चात्
182.	VII	धरासू–चिन्यालीसौड़ मार्ग से बलोगी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–22	3.71	124.80	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
183.	VII	झान्दू से ज्ञान्जा मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–23	4.86	168.33	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग एक वर्ष पश्चात्
184.	VII	लम से डामटी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–24	17.57	652.67	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्
185.	VII	भटियाणा–जम्बाल मोटर मार्ग से पठारी मोटर मार्ग	उत्तरकाशी	यू0टी0–13–25	6.19	212.20	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कमियों का निराकरण किया जा रहा है	वनभूमि का हस्तान्तरित न होना	वनभूमि हस्तान्तरण होने के लगभग दो वर्ष पश्चात्

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ऐसे स्वीकृत मार्ग जिन पर कतिपय कारणों से कार्य बन्द तथा अपूर्ण स्थिति में है

परिशिष्ट–2

क्र0 सं0	फेज	मार्ग का नाम	जनपद	पैकेज सं0	मार्ग की लं0	स्वीकृत धनराशि	निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने अथवा पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही	विलम्ब का कारण	निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	II	बड़ेत-ककार मोटर मार्ग किमी० 8–15	बागेश्वर	यू0टी0–02–04	7.00	169.40	अंतरीम सर्वे की डीपीआर तैयार की जा रही है	मार्ग के आरम्भिक बिन्दु से पुल के भाग में रास्ता उपलब्ध न होने के कारण	अनुबन्ध गठन के लगभग एक वर्ष पश्चात्
2.	II	जौकाणी-मेहुला मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–03	6.25	175.97	रेखांकन विवाद सुलझाया जा रहा है	रेखांकन विवाद के कारण निर्माण कार्य बन्द है	विवाद सुलझने के एक वर्ष पश्चात्
3.	III	टिपरी से घाटपलोजिया मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–04	14.97	168.83	संरेखण विवाद सुलझाया जा रहा है	ग्राम भटियाली के ग्रामीणों द्वारा कार्य रोका गया है तथा वाद न्यायालय में वाद दायर किया गया है	विवाद सुलझने के 1½ वर्ष पश्चात्
4.	IV	प्रतापनगर-टिहरी मार्ग किमी०–20 से ककलोग मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0–11–17	5.00	71.54	विवादित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही गतिमान है	मार्ग के अन्त भाग में संरेखण विवाद है	विवाद सुलझने के एक वर्ष पश्चात
5.	V	पेड़ा-छना से धूरणी मोटर मार्ग	पिथौरागढ़	यू0टी0–09–07	5.00	170.83	संरेखण विवाद के कारण संशोधित डीपीआर गठित की गयी है	संरेखण विवाद	भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के एक वर्ष पश्चात्

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	V	केलसाखल से सौदा मोटर मार्ग	रूद्रप्रयाग	यू0टी0-10-06	5.25	105.88	वर्तमान समरेखण में मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है। वैकल्पिक समरेखण पर जनप्रतिनिधि/ग्रामवासियों से विचार विमर्श की कार्यवाही गतिमान	समरेखण विवाद	विवाद सुलझने के एक वर्ष पश्चात्
7.	V	गैरीताज से कोल्डी मोटर मार्ग	टिहरी	यू0टी0-11-04	3.85	89.53	विवाद सुलझाने की कार्यवाही की जा रही है	ग्राम गैरी राजपूतोंकी के ग्रामीणों द्वारा भूमि न देने तथा ग्राम कोल्डी के ग्रामीणों द्वारा समरेखण परिवर्तन की मांग की जा रही है, जिस कारण कार्य बन्द है	विवाद सुलझने के एक वर्ष पश्चात्

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 26 विधान सभा/414-05-02-2013-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।